Page No.1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक २] चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का ६२ वां दिवस [संख्या २५

मंगलवार, दिनांक १९ मार्च, १९६८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११-०३ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(वित्त, वन, अकाल-सहायता, राजस्व, सिंचाई, खाद्य, श्रम व पंचायत विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न, श्री रघुनाथ विश्नोई !

बिक्री कर से आय में गिरावट

६४६. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या वह सत्य है कि पिछले एक वर्ष में उसके पहले के २ वर्षों के मुकाबले में सांचोर प्रिवेंटिव फोर्स (बिक्री कर), मु० सांचोर (जिला जालोर) द्वारा बिक्री कर की आमदनी कम हुई है ? क्या यह भी सत्य है कि गये ६ माह में बिक्री कर की आमदनी और भी ज्यादा घट गई है ? अगर हां तो इसके क्या कारण हैं ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि सांचोर प्रिवेंटिव फोर्स की जीप प्राइवेट कामों में उपयोग की जा रही है, अगर हां तो क्यों ? इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

(३) निकट भविष्य में उपरोक्त आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार क्या प्रयत्न करना चाहेगी ?

उपमन्त्री, कर (श्री प्रद्युम्नसिंह) :

(१) जी नहीं ।

(२) जीप के प्राइवेट कामों में लिये जाने की कोई घटना विभाग के ध्यान में अब तक नहीं आई है ।

(३) आमदनी बढ़ाने के उपाय सदैव किये जाते है और भविष्य में किये जायेंगे ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह प्रिवेन्टिव फोर्स का कितना खर्चा और आमदनी के पर्सेन्टेज से कितना इन्क्रीज हुआ है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह जो प्रिवेन्टिव फोर्स लगाते हैं उसका कितना खर्चा है और उस रूप में जो आमदनी बढ़ी है तो उसमें कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है ?

Page No.2

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आपको निवेदन किया है कि खर्चे के बारे में आंकड़े मेरे पास में नहीं है। लेकिन प्रिवेन्टिव फोर्स का जो कार्य है करों के इवेजन को रोकने का उसके लिए प्रिवेन्टिव चैक पोस्ट कायम किये जाते हैं, और इस प्रकार के जितने भी मामले पकड़े जाते हैं तो वहां पर उनसे टैक्स वसूल करने का कार्य भी वे करते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, शुरू शुरू में जो प्रिवेन्टिव फोर्स सांचोर में लगी थी उस समय की आमदनी को देख लें और धीरे धीरे क्या होता है कि इस तरह से अनाप-शनाप जीप प्राइवेट कामों में आती है और लीकेज को रोकने का जो उनका काम है उसको पूरा नहीं करते हैं। उसकी जांच करा लें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, जैसा कि मैंने कहा इस प्रकार की कोई घटना की पूरी जानकारी नहीं आई है, और अगर माननीय सदस्य इस बात को कहते हैं कि दुरुपयोग होता है तो इस बात की जाँच करा ली जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विट्ठल प्रसाद !

घास की कटाई

६४७. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) इस वर्ष झालावाड़ जिले में क्या वन विभाग द्वारा कोई घास कटाया गया था या इकट्ठा कराया गया था ?

(२) जिले की किस-किस रेंज के द्वारा कितने-कितने रुपये का कितना-कितना घास कटाया गया था ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) उक्त घास इस समय किस स्थिति में है ?

(४) उक्त घास यदि बेचा जाय तो कितना लाभ या घाटा सरकार को रहेगा ?

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : वन मन्त्री जी !

वनमन्त्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) :

(१) जी हां।

(२) झालावाड़ रेंज में नर्सरी के बैलों के लिए निम्न घास कटाया गया:— ९६० क्विन्टल ६१ रु० ५० पैसे का। १६ क्विंटल आधी कटाई पर। इसके अतिरिक्त १७-५० क्विंटल बकानी रेंज में पंचायत करल गांव द्वारा अधबटाई पर कटाया गया।

(३) यह घास गंजियों में सुरक्षित है।

(४) बैलों के खाने के प्रयोजनार्थ इकट्ठे किये गये घास के बेचने का प्रश्न नहीं उठता। ग्राम पंचायतों द्वारा अधकटाई पर एकत्रित घास के बेचान पर घाटे का प्रश्न नहीं उठता।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : कल आपने जब कि एक दूसरे सदस्य ने पूछा था तो बताया था कि कुल ३६,१४० रु० का घास झालावाड़ जिले में कटाया है और आज

Page No.3

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)

यह फर्मा रहे हैं ६१ रु० का घास कटाया है, तो कौन से फीगर्स करेक्ट हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : पहले जो तादाद बताई थी वह दूसरे प्रश्न के संदर्भ में थी, जो कि अकाल-राहत के संदर्भ में थी उसका जवाब दिया गया था। यह केवल नर्सरी के बैलों के लिए घास कटाया है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : मेरा प्रश्न यह है कि झालावाड़ जिले के डी० एफ० ओ० ने कितना घास कटाया है, कितने रुपये का घास कटाया गया था ?

श्री नारायणसिंह मसूदा: आपका प्रश्न यह है कि इस वर्ष झालावाड़ जिले में क्या वन विभाग द्वारा कोई घास कटाया गया था उसका उत्तर मैंने दिया है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : वन विभाग द्वारा घास कटाया गया था झालावाड़ जिले में उसका कल आपने जो उत्तर दिया था उसमें आपने बताया था कि ३९ हजार और कुछ रुपयों का घास कटाया गया था।

श्री नारायणसिंह मसूदा : वह दूसरा प्रश्न था। अभावग्रस्त एरियाज के लिए पूर्व वर्ष में कितना घास कटाया गया था उसकी बिगत थी।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कान्ता कथूरिया !

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में यह जानना चाहता हूं कि जो गये साल में झालावाड़ जिले की पंचायत समितियां अकालग्रस्त थीं एक तरफ तो आप यह मानते हैं उनके लिए ४० हजार रुपये का घास कटवाया गया था और पंचायत समितियों ने डी एफ० ओ० को यह कहा कि फेमीन एरिया के लिए घास उपलब्ध कराया जाना चाहिए और दूसरी तरफ यह ४० हजार रुपये का घास पड़ा रहा तो यह उनको क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह मैंने पहले के प्रश्न में जवाब दे दिया है। आपका प्रश्न दूसरा है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि घास पड़ा रहा और पंचायत समितियां चिल्लाती रहीं कि अकाल है घास भेजो, फिर भी घास क्यों नही भेजा गया ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह गत वर्ष की बात है। उसके बारे में मैं जवाब दे चुका हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, इसका क्लेरिफिकेशन हो जाने दीजिये। ये कह रहे हैं कि ६६–६७ के लिए पूछ रहे हैं और उसका जवाब दे चुके हैं तो वह मेरा कोई प्रश्न नहीं था और मेरा आज ही प्रश्न लिया गया है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : आपके प्रश्न काजवाब मैं दे चुका हूँ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : इस वर्ष में ६७–६८ आता है।

श्री उपाध्यक्ष : गलती रह गई है वर्ष की इसलिए इसको और दिन देख लें।

श्रीमती कान्ता कथूरिया !

तहसील कोलायत के अकालग्रस्त गांवों में राहत कार्य

६४८. **श्रीमती कान्ता कथूरिया** (कोलायत) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही हैं कि कोलायत तहसील का अधिकांश भाग अकालग्रस्त हैं ?

(२) क्या यह सही है कि गांव माणकासर, मिठरिया, फूलासर, गौड्ड, व बज्जू बराबर ७ सालों से अकालग्रस्त हैं ?

(३) क्या यह सही है कि माणकासर गांव के आसपास कोई राहत कार्य नहीं खोले गये जब कि लोगों की यह विशेष माँग थी ?

(४) क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों में जहां वर्षा से अकाल है, अकाल राहत कार्य खोलने का विचार रखती है ?

उपमंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं, ग्राम गौड्ड य बज्जू के अतिरिक्त अन्य गांव बराबर अभावग्रस्त नहीं रहे हैं।

(३) जी नही, माणकासर के निकटतम ग्राम बज्जू जो ८ मील दूर पर है सड़क का कार्य दिनांक १८–२–६८ से चालू होगया है।

(४) जी हां, जहां–जहां अभाव की स्थिति है राहत कार्य या तो आरम्भ कर दिये गये हैं या किये जारहे हैं।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि माणकासर से बज्जू ८ मील बताया गया है तो वह ८ मील नहीं, बल्कि १० मील की दूरी पर हैं, और इस गांव में १० मील की दूरी पर जो कार्य खोले गये हैं वे माणकासर के लोगों के लिए सूटेबल नहीं हैं, क्योंकि वहां के लोग अपने पशुधन को ले जाकर कैम्पों में नहीं रह सकते और पानी की व्यवस्था भी इस क्षेत्र में है नहीं। चारों तरफ़ खारा पानी मिलता है और मीठा पानी नहीं मिलता हैं और वहां पर पशुओं की व्यवस्था नहीं हो सकती तो ऐसे क्षेत्रों में १० मील की दूरी पर कार्य खोलना क्या काफी है ?

श्री गंगाराम चौधरी : इस वक्त में जो कार्य चल रहे हैं वह सूचना के अनुसार ८ मील की दूरी पर ही चल रहे हैं। इस क्षेत्र में पॉपुलेशन बहुत स्केटर्ड है और इस वर्ष जो स्थिति है उसमें भी बहुत थोड़ा लेबर आ रहा है। बज्जू और इसके निकट जो कार्य खोले गये हैं उसमें केवल ४५३ और २४५ कुल ६९८ मजदूरों की संख्या उस सड़क पर है। इस संख्या को देखते हुए निकट में कोई दूसरा कार्य खोलना जरूरी नहीं समझा गया है। राज्य सरकार की नीति के अनुसार भी यहां पर दूसरा कार्य खोलना सम्भव नहीं है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : इस माणकासर के बारे में डिस्ट्रिक्ट फेमिन कमेटी की मीटिंग में भी निर्णय लिया था बल्कि एस. डी. एम. को आदेश दिया था कि माणकासर में क्या कार्य हो रहा है उसकी जांच की जाय। एस. डी. ओ. में रिपोर्ट करदी उसके उपरान्त भी वहां पर कोई कार्य क्यों नहीं खोला गया ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : एस.डी. ओ. ने क्या सिफारिश की और डिस्किट फेमिन एडवाइजरी कमेटी ने क्या सिफारिश की यह सब मेरे पास इस समय नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्या को यह विश्वास दिला सकता हूं कि जिन इलाकों में तीन चार साल से अकाल पड़ रहा है और जिस इलाके का जिक्र माननीय सदस्या कर रही हैं वहां पर ६-७ साल से अकाल है। वैसे तो १० मील के रेडियस में राहत कार्य खोले जाते हैं, लेकिन जहां पर अकाल की सीवियेरिटी और इन्टेन्सिटी ज्यादा है वहां ५ मील से भी कम रेडियस है तो भी सरकार राहत कार्य खोलेगी।

श्री चुन्नीलाल इन्दालिया (नोखा) : क्या यह सही है कि जो मजदूर अकाल राहत कार्य करते हैं उनको अब तक मजदूरी नहीं चुकाई गई है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है।

श्री चुन्नीलाल इन्दालिया : अलग नहीं है। मैं स्वयं वहां पर जा चुका हूं वहां पर मजदूरी नहीं मिली है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : उन्हीं गांव वालों के लिए काम खोले हैं और उन्हीं को मजदूरी नहीं मिले यह तो सीरियस चीज है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री देवीलाल !

पटवारी के विरुद्ध शिकायत

६४९. **श्री देवीलाल** (सराड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर की तहसील खैरवाड़ा में पटवार मंडल गांव भूदर के पटवारी श्री ग्यासुद्दीन द्वारा सम्वत् २०२२, २०२३ व २०२४ में राजस्व य पिलाई की वसूली काश्तकारों से अधिक किये जाने की शिकायत राज्य सरकार से की गई है ?

(२) यदि हां, तो कितनी राशि अधिक वसूल करने की शिकायत है ?

(३) उक्त शिकायत पर तहसील द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) :

(१) जी हां।

(२) जांच से १०९) रु० अधिक वसूल किया जाना विदित हुआ है।

(३) तहसीलदार ने दिनांक २२. १. ६८ को रिपोर्ट उप-जिलाधीश, सलूम्बर को प्रस्तुत करदी है। जिसकी कार्यवाही जारी है।

श्री देवीलाल : क्या कार्यवाही की जा रही है ?

Page No.6

श्री गंगाराम चौधरी : विदित हुआ है कि १०६) रु. अधिक वसूल किये हैं इसके लिए डिपार्टमेंट इन्क्वायरी आरम्भ की जा रही है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : १०६) कब लिये ?

श्री गंगाराम चौधरी : इसकी विस्तृत जानकारी मेरे पास नहीं है। जो शिकायत की गई उसकी जांच की जाने पर विदित हुआ कि १०६) अधिक वसूल किये हैं।

श्री देवीलाल : क्या यह सही है कि जांच की और उसमें १०६) रु. अधिक वसूल करने का पता लगा उसकी तो रसीदें दी हैं लेकिन तीन साल में जो लगान वसूल किया गया उसमें करीब २ हजार से ऊपर धन राशि हड़प कर गया उसकी जांच तहसीलदार ने नहीं की ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : रसीद से ज्यादा रकम ली उसकी जानकारी हो चुकी है। इसके अलावा वसूली की है तो तहसीलदार जांच करेगा यदि स्पेसिफिक शिकायतें बतायेंगे कि कौनसे आदमी से ज्यादा रकम ली है उससे गाइडेन्स लेकर जांच की जा सकती है।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : जिस पटवारी ने अधिक रकम ले ली उसके खिलाफ इन्क्वायरी करने का विचार कर रहे हैं उससे पहले उसको सस्पेन्ड क्यों नहीं किया जाता ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एस. डी. ओ. तय करेगा कि उसका इन्टेन्शन मेलाफाइड था या गलती से उसने ज्यादा रकम वसूल करली है। यदि उसका इन्टेन्शन मेलाफाइड था तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री देवीलाल : क्या यह सही है कि तहसीलदार ने रिपोर्ट नहीं की हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरे पास यह सूचना है कि तहसीलदार ने रिपोर्ट की है।

श्री दौलतराम सारण : लगान की जो अतिरिक्त वसूली की गई क्या वह खजाने में जमा हो गई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस बारे में मुझे पता नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : अधिक लगान वसूल पटवारी कैसे कर सकता हैं ? पर्चे में जितनी कम लिखी हुई होती है उसी के अनुसार वसूली होती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : डिमान्ड फॉर्म में १०) के बजाय ११) रु. लिख दिये गये हों या अधिक लिख दिये गये हों, यह गलती से भी हो सकता है।

श्री नाथूराम : पटवारी को सस्पेन्ड नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह अलग से प्रश्न है। इस बारे में प्रश्न नहीं पूछा है।

श्री नाथूराम : अलग कैसे है आपने अभी बताया कि १०६) रु० अधिक वसूल किये...

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अधिक वसूल करके वह खा जाय तो उसको सस्पेन्ड करने का प्रश्न बनता है।

श्री देवीलाल : यह रकम जमा कब कराई ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री देवीलाल : इस प्रश्न का जवाब पूरा नहीं आया है। यह रकम वसूल की और इतने अर्से से पटवारी के पास पड़ी थी और वह इसको हड़प करने का मौका देख रहा था। पटवारी ने अपने पास रकम रख छोड़ी थी जब शिकायत हुई तब उसने जमा कराई होगी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यदि उसने रकम अपने पास रखी है तो क्रिमिनल ब्रीच आँफ ट्रस्ट का मामला बनता है। इसकी इन्क्वायरी कर रहे हैं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : इन्क्वायरी क्या कर रहे है ?

श्री देवीलाल : क्या यह सही है कि गवर्नमेंट ने जो पर्चो की प्रतिलिपि रखी है उसमें असली रकम चढ़ी हुई है और असली पर्चे मे दूसरी है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इन्क्वायरी के डिटेल्स मुझे मालूम नहीं हैं।

श्री नाथूराम : सही जवाब नहीं मिल रहा है। एक पटवारी रकम वसूल करके खा जाय तो उसकी जांच करके सही जवाब तो मिलना चाहिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यदि पटवारी ने ज्यादा दिन तक रकम अपने पास इसलिये रखी कि उसको हड़प कर जाय और शिकायत होने पर जमा कराई है तब तो उसके खिलाफ केस बनता है। एस. डी. ओ. इसकी छानबीन करके एक्शन लेगा। एस० डी० ओ० पटवारी के खिलाफ एक्शन ले सकता है।

श्री दौलतराम सारण : राज्य सरकार के ध्यान में यह शिकायत कब आई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : राज्य सरकार को प्रश्न पूछा गया तब यह मामला हमारे सामने आया वर्ना शिकायत एस० डी० ओ० के पास की गई है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मुझे निवेदन यह करना है कि जब इस तरह की घटनाएं बार बार आयेंगी और मन्त्री जी के मन में आग लगेगी तब एक आध पटवारी सस्पेन्ड होगा तब बाकी पटवारियों की आंख खुलेगी।

श्री देवीलाल : इसकी जांच पूरी नहीं हुई है। जांच पूरी होनी चाहिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने यह नहीं कहा कि जांच नहीं कराई जायगी। एस० डी० ओ० जांच कर रहा है। वह अपनी तजबीज करदे उसके बाद भी यदि सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो आगे कार्यवाही की जा सकती है।

श्री विजयसिंह रावत : जांच हो तब तक इस प्रश्न को पोस्टपोन कर दीजिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह है तो जरूरी, हुकम ।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

किसानों की इमारती लकड़ी काटने हेतु पास

६५०. **श्री विट्ठल भाई** (घाटोल) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में वन विभाग की ओर से वहां के किसानों को इमारती लकड़ी का पास नहीं दिया जा रहा है और क्या यह भी सही है कि पीपलखूंट पंचायत समिति क्षेत्र में कोई जंगल भी रिजर्व किसानों के लिये नहीं रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : जी नहीं ।

श्री विट्ठलभाई : क्या सही नहीं है ? मैंने पूछा है पंचायत समिति, पीपलखूंट क्षेत्र में कोई जंगल रिजर्व किसानों को लकड़ी देने के लिये नहीं रखा गया है ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : बांसवाड़ा जिला पीपलखूंट, घाटोल और बांसवाड़ा रेन्ज में बंटा हुआ है । उसके लिये वन खंड हिन्डोला माल नं० ४ और सामोदिया माल नं० २ से कबाड़ के लिये परमिट दिये जाते हैं ।

श्री विट्ठल भाई : जो हिन्डोला माल आपने बताया है वह पंचायत समिति पीपलखूंट से २५ मील दूर पड़ता है । स्थानीय लोगों को पीपलखूंट के पास ही रिजर्व फॉरेस्ट से लकड़ी काटने का परमिट क्यों नहीं दिये जाते ? वहां के किसानों को पास के जंगल के परमिट नहीं मिलते हैं और दूर-दराज जाकर किसान कैसे लकड़ी लायेंगे ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : वर्किंग स्कीम के माफिक जहां-जहां एलॉटमेंट किया जाता है वहां से कबाड़ दिया जाता है । ७५० पास वहां के लोगों को दिये गये है । पीपलखूंट बच रहा है उसके लिये भी पास दिये जा रहे हैं ।

श्री विट्ठल भाई : यह ठीक है कि आप पास दे रहे हैं लेकिन दूर के जंगलों के दे रहे है नजदीक के नहीं दे रहे हैं ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : नजदीक के जंगलों की इतनी केपेसिटी नहीं है कि लकड़ी दी जा सके ।

श्री विट्ठलभाई : लकड़ी वहां पर है लेकिन चिप बोर्ड फैक्ट्री के नाम से रख छोड़ी है इसलिये दूर से दी जाती है । स्थानीय किसानों को उसी क्षेत्र से लकड़ी नहीं दी जाती ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : यदि आपकी मांग है कि स्थानीय किसानों को वहां से दी जानी चाहिये तो इस पर विचार किया जा सकता है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): मेरा यह निवेदन है कि किसानों के लिए ग्राम निस्तार के हक़ूक जो हैं वह हमेशा के लिए सरकार को कायम रखने चाहिए और इस सम्बन्ध में इस आदेश को हमेशा मद्दे-

Page No.9

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

नजर रखना चाहिए । मैंने भी यह सुना है कि वहां पर चिप बोर्ड फेक्ट्री के लिए सारा जंगल रिजर्व कर दिया है । वह जंगल, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा जंगल है और वहां पर आदिवासी लोगों का ग्राम निस्तार के हकूक और खेती के हकूक माने गये हैं । उन हकूक को बन्द करके यदि चिप बोर्ड फेक्ट्री को प्राथमिकता दी जाती हैं तो मेरे ख्याल में यह व्यवस्था करना सरकार के लिए अशोभनीय है और अनुचित है । इसलिए प्रश्नकर्त्ता की मांग है वह सर्वथा उचित है । ग्राम विस्तार के हकूक को ध्यान में रख कर पीपलखूंट के अन्दर जंगल की लकड़ी के लिए और काश्तकारों के हित के लिए रिजर्व रखना परमावश्यक है । क्या सरकार इस सम्बन्ध में व्यवस्था करेगी ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : विरोधी दल के माननीय नेता जैसा फर्मा रहे हैं उसी प्रकार से पीपलखूंट में आदिवासियों के लिए छूट करवाना चाहते है–उसकी तस्दीक कर ली जायगी और अगर नजदीक में जंगल उपलब्ध होता है तो उसकी व्यवस्था की जायगी । हकूक पुराने है उसके आधार पर ही हकूक अब भी होने चाहिएं और इसी के मुताबिक हक कायम रखे गये हैं । अब रहा सवाल चिप बोर्ड फेक्ट्री का, तो चिप बोर्ड फेक्ट्री के लिए विरोधी दल के माननीय नेता यह पसन्द करें कि वहां पर कोई इन्डस्ट्री नहीं लगे और उसके लिए कोई चीज की रियायत नहीं दी जाय तो वह बात अलग है और उसके ऊपर भी विचार किया जा सकता है ।

श्री हीरा भाई (कुशलगढ़) : क्या यह सही है......

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरा बिल्कुल यह ध्येय नहीं है कि राजस्थानमें इन्डस्ट्री नहीं लगे,इन्डस्ट्री लगे,अवश्य लगे, लेकिन यह बहुत बड़ा जंगल हैं, राजस्थान में, मेरे ख्याल में, बड़े मशहूर जंगलो में से एक जंगल है । आदिवासियों के हक को मद्दे नजर रखते हुए मंत्री महोदय को चाहिए कि वह एक छोटा सा टुकड़ा अलग रखें और बाकी का जंगल चिप बोर्ड फेक्ट्री के लिए रिजर्व रखें तो इसमें कौनसी आपति है ? लेकिन जैसा प्रश्नकर्ता ने कहा कि बीस–पच्चीस मील दूर जाकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति को करने के लिए उन्हें पास प्राप्त करना पड़ता है,यह व्यवस्था ठीक मुझे प्रतीत नहीं होती ।

श्री नारायणसिंह मसुदा : इस बात के लिए मैं निवेदन कर चुका हूँ, जांच करेंगे ।

श्री हीराभाई : क्या यह सही है कि जंगल के पड़ौस के किसानों को सरकार ने सुविधानुसार रियायती पास देने की कोई घोषणा की थी ?

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी कोई घोषणा की थी कि किसानों को पास के जंगल में से लकड़ी लाने का पास दिया जायगा ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : ऐसी घोषणा नहीं है, केवल नीति निर्धारित है कि आदिवासी क्षेत्रों के अन्दर आदिवासियों के पुराने हकूक के मुताबिक उनको कबाड़ा-लकड़ी इत्यादि लाने की इजाजत रखी जावे, उसको नियमानुसार करने के लिए जो वर्किंग स्कीम बनती है, उसके अनुसार उसको पास निर्धारित कर दिये जाते हैं और उस प्रकार से उनको विभिन्न जंगलों के अन्दर रियायत दी जाती है ।

श्री हीराभाई : क्या यह सही है कि सात मील के अन्दर–अन्दर यह रियायती पास देकर सुविधानुसार रियायत दी जाय, उसके अलावा दूर के लिए पास दिया जाय तो उस धोषणा के अनुसार रियायती पास देना लाजिमी नहीं है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : दूर जाने में दिक्कत जरूर होती है लेकिन कई कारण होते हैं उसके कारण उनको दूर देने की परिस्थिति आती है। अगर नजदीक के जंगल के अन्दर लकड़ी–कवाड़ा वगैरह उपलब्ध होता है तो स्कीम के मुताबिक वहां दे देते हैं।

श्री हीराभाई : सात मील......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! इस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री हीराभाई : सात मील से दूर जाकर पास देंगे तो कोई रियायत नहीं देंगे। उनको बीस पच्चीस मील दूर जाकर पास देते हैं, तो इस प्रकार जो उनके पुराने हक कायम रखे हैं, वह हक बेकार हो जाते हैं। इसलिए सात मील के एरिया के अन्दर उनको सुविधा दें। यह न करके आप चिप वोर्ड फेक्ट्री को......

श्री उपाध्यक्ष : आपकी वात को समझ गये मंत्री महोदय !

श्री हीराभाई : जंगल रिजर्व करते हैं और गरीब किसानों का उनसे माल लुटवा कर उनको परेशान किया जाता है, और उनको खेती के साधन के लिए लकड़ी का पास नहीं देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य का कहना है कि सात मील तक हो तो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। अगर सात मील से दूर हो जाता है तो आपके पास का कोई मतलव नहीं रहता।

श्री नारायणसिंह मसूदा : प्रयत्न यह किया जायगा कि सात मील के अन्दर उपलब्ध हो लकड़ी।

श्री विठ्ठलभाई : सात मील के अन्दर जंगलों में नहीं दे रहे हैं। वह किसानों को सरकार सुविधा दे रही है वह सुविधा आज से नहीं दे रही है, हमारा कहना है कि यह आदिवासियों को सुविधा दी है यह पहले की है लेकिन आज वह किसानों को सुविधा नही मिल पा रही है। वह पुराने वक्त से सुविधा लेते रहे हैं लकिन आज उनको लकड़ी की सुविधा नहीं मिल रही है। एक तो उनको आर्थिक रूप से पीछे रखा है उसके अलावा वन विभाग के ऑफिसर उन किसानों के ऊपर जुर्माना करते हैं और मनमानी करते हैं। इससे किसानों को मुश्किल हो रही है। वह वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। वह वहां के किसनों की हालत हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वन मंत्री महोदय के विचारार्थ में एक सुझाव निवेदन करना चाहूंगा आपके द्वारा, वह यह है कि चिप बोर्ड फेक्ट्री के लिए अगर आप जंगल रिजर्व करें तो आप तीन, चार, पांच, छः जगह भी रिजर्व कर सकते हैं। चिप वोर्ड फैक्ट्री के पास में व्यवस्था है और वह जगह–जगह जाकर अपनी आवश्य-

Page No.11

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कता की पूर्ति कर सकती है लेकिन ग्राम निस्तार के हकूक जो आदिवासियों के हैं, वह निर्विवादित बात है और वह सर्वमान्य चीज है, उसको प्राथमिकता देकर आप कोई व्यवस्था पीपलखूंट के जंगल के अन्दर कर सकें तो वह हो सकती है। इतना विस्तृत जंगल है, उस जंगल का एक टुकड़ा ग्राम निस्तार के लिए अलग छोड़ देंगे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बीस-तीस मील दूर से भी, इतने दूर के जंगल से भी चिप बोर्ड फैक्ट्री अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकती है। मैं आशा करता हूं, मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में विचार करेंगे।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : चिप बोर्ड फैक्ट्री बांसवाड़ा के अन्दर खोलने का वहां की जनता ने विरोध किया है। उस पर मंत्री महोदय ध्यान नहीं देते। चिप बोर्ड फैक्ट्री का वहां विरोध किया है.........

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री नारायणसिंह मसूदा : चिप बोर्ड फैक्ट्री का विषय अलग है, फिर भी मैं निवेदन कर दूं कि चिप बोर्ड फैक्ट्री के विषय पर विचार हो रहा है, जो उनकी शरायतें हैं उनको बदल करके जो काम करना चाहते हैं तो परिवर्तित रूप में वह किया जाय या नहीं। इसके अलावा जो जंगल रिजर्व किया गया है, जैसा विरोधी दल के नेता महोदय फर्माते हैं, तो उसके अन्दर से भी कोई ऐसा तरीका निकल सकेगा जिससे कि वहां के आदिवासियों को कुछ रियायत दी जा सके तो उसके ऊपर भी विचार किया जा सकता है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, पूंजीपतियों को पालने के लिए बांसवाड़ा के जंगल दिये गये हैं, इसको वहां की जनता ने नहीं माना है। चिप बोर्ड फैक्ट्री का हमने विरोध किया है। उस एरिया में हमेशा दुष्काल रहता है, दुष्काल के कारण लोग परेशान रहते हैं, फिर भी यह जो पूंजीपति को दिया है, इसे बन्द कर यिया जाय और जंगलों से आदिवासियों को सुविधा मिलनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! श्री लाभचन्द वैद !

कुओं से सिंचाई।

६५१. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राज्य के जिन हिस्सों में कुओं द्वारा सिंचाई होती है और सरकार द्वारा जो बीज वितरित किये जाते हैं वे बीज उन कुओं के पानी में पनपने वाले ही वितरित किये जाते हैं ?

(२) क्या सरकार किसान को यह राय देती है कि वो पानी टेस्ट करवा के उसके अनुकूल ही बीज प्राप्त करे ?

(३) क्या सरकार यह जानकारी रखती है कि किस प्रकार के पानी में कौन से बीज अच्छे पनपते हैं ?

Page No.12

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): माननीय उपाध्यक्ष जी, यह प्रश्न मेरे विभाग से सम्बन्धित नहीं है, इसलिए जिस तारीख को मिला उसी दिन यह सम्बन्धित विभाग को भेज दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : कृषि विभाग से जवाब दिया जायगा।

श्री लाभचन्द वैद : क्या यह स्थगित किया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित।

श्री शंकरलाल !

गोचर भूमि में काश्त करने वालों की फसल को नष्ट करने के आदेश

६५२. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गोचर भूमि में काश्त करने वालों की फसलें गांव वालों द्वारा नष्ट करने के सरकारी आदेश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि राजस्थान की प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में घोषित गोचर भूमियां नहीं हैं और कई जगह इस बात के विवाद हैं कि अमुक भूमि गोचर है अथवा नहीं ?

(३) क्या ऐसी भूमियों में भी गांव वाले मवेशी चराकर फसलें नष्ट कर सकेंगे ?

(४) क्या यह सही है कि वर्तमान कानून के अन्तर्गत धारा ९१ के तहत गोचर भूमि पर अनाधिकार कब्जा करने वाले को वेदखल किया जा सकता है ? यदि हां, तो क्या राजस्व अधिकारी इसको अमल में लाने में असमर्थ हैं ?

(५) क्या यह सही है कि गांव वालों को गोचर में फसलें नष्ट करने का अधिकार देने से कई जगह झगड़े और बलवे होने का अंदेशा हो जायेगा ? यदि हां, तो इसको टालने के लिये सरकार ने क्या इन्तजाम किया है ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) इस बारे में जारी किये गये आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज़ पर प्रस्तुत है।

(२) कहीं कही ऐसा हो सकता है।

(३) जारी किये गये आदेश के अनुसार ही कार्यवाही की जा सकती है।

(४) अनधिकृत कब्जा करने वालों को भू-राजस्व अधिनियम की धारा ९१ के तहत वेदखल किया जा सकता है और ऐसी कार्यवाही करने के सख्त आदेश दिये जा चुके हैं जैसा कि भाग १ में उत्तर में प्रस्तुत आदेश की प्रतिलिपि के अवलोकन से ज्ञात होगा।

(५) गांव वालों को खुद की मर्जी से फसल चराने का अधिकार उक्त परिपत्र के अन्तर्गत नहीं दिया गया है परन्तु गोचर भूमि में पशु चराने का स्वतः ही अधिकार प्राप्त है।

(कृपया परिशिष्ठ १ देखिये)

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है कि जहां चरागाह घोषित नहीं है उनके ऊपर भी आपका सरक्यूलर लागू होता है ।

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : जो चरागाह घोषित नहीं हैं उन पर लागू नहीं होता ।

श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : जो प्रपोज्ड गोचर हैं.........

श्री शंकरलाल : यह परिपत्र जारी किया है, यह कौनसे अधिकार का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने किया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एडमिनिस्ट्रेटिव डाइरेक्शन से ।

श्री शंकरलाल : ऐसा परिपत्र जारी करने का लैंड रेवेन्यू एक्ट की कौनसी धारा के अन्तर्गत आपको अधिकार है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : तहसीलदार को एडमिनिस्ट्रेटिव डाइरेक्शन देने का गवर्नमेंट को अधिकार है ।

श्री शंकरलाल : क्या इसको आप एडमिनिस्ट्रेटिवली उचित समझते हैं कि फसल को दूसरों से छिडवाया जाय, जो काश्त है उसको दूसरों से छिडवाया जाय ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : गांव वाले डरते हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करते हैं तो उनके अधिकारों की रक्षा करवाना भी हमारा कर्त्तव्य है ।

श्री शंकरलाल : यह अधिकार का प्रश्न नहीं है । जहां जमीन गोचर भूमि नहीं है, टेनेन्सी एक्ट में जहां पहले से जमीन के ऊपर मवेशी चरते आ रहे हैं, उनको गोचर लैंड माना है । इससे अलावा सैटलमेंट में जो डिमार्केशन होता है उसको गोचर लैंड माना है । उससे तात्पर्य यह है कि जहां गांव वाले मवेशी चराते रहे हों ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : गोचर डिमार्केटेड उसको मानते हैं जिसके अन्दर मवेशी चरते आये हों वह टेनेन्सी एक्ट में डिफाइन्ड है ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : सभी गोचर भूमि को तहसीलदार ने गोचर नहीं घोषित किया है । जिसके लिए तहसीलदार को पैसा दे दिया हो उस जमीन को छोड़ दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा ; क्या यह आपकी जानकारी में नहीं है ? जानकारी में लाये लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई है...

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द जी !

श्री फूलचन्द बाफना : प्रोपोज्ड गोचर के केसेज पांच छः साल से चल रहे हैं, उस गोचर के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिनके केसेज चल रहे हैं तो वे सेक्शन ६१ में चल रहे हैं, उसी तरह से डिसाइड होंगे ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : मन्त्री महोदय ने कहा कि जिन भूमियों में पशु चरते आये हैं, उनको गोचर मानते हैं। हमारा रेगिस्तानी इलाका है, वहां गोचर के नाम से डिमार्केटेड नहीं है। जोहड़, बीड़ या दूसरे नामों से डिमार्केटेड है, जोहड़, बीड़ छोड़े हुए हैं, वहां हमेशा से पशु चरते आये हैं, उनको गोचर की सीमा में ले लेते हैं क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां जहां सेटलमेंट द्वारा गांव वालों को अपने पशु चराने के अधिकार दिये हुए हैं कि यहां पशु चरावें, उसको चरागाह मानते हैं। दूसरी जगहें ऐसी हैं, जहां से घास काटने के बाद पशु चराने की इजाजत दी जाती है। ऐसे हाईपोथेटिकल एरियाज के लिए तो मैं नहीं कह सकता कि वे गोचर की सीमा में आते हैं।

श्री दौलतराम सारण : हमारे उस एरिया में न उनको गोचर के नाम से लिखा है, न वहां घास काटते हैं, जोहड़ हैं, बीड़ हैं, इन नामों से गैर मुमकिन रकबा दर्ज है, उसके सम्बन्ध में आपकी क्या नीति है, उसे गोचर मानते हैं क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : गैर मुमकिन तो जब तक वह मुमकिन नहीं हो जाय तब तक गैर मुमकिन ही है।

श्री किशनलाल शाह : जो रेकार्ड में गोचर दर्ज नहीं हैं पर वहां पर कदीम से पशु चरते आये हैं, उसको आप क्या मानते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो खास तौर में गोचर है, वह तो सेटलमेंट रेकार्ड में दर्ज है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह इस आड़ में बहुत बड़ी शिकार की जा रही है। गोचर की आड़ में, अलॉटशुदा जो सैंकड़ों बीघा जमीनें हैं, कांग्रेस विरोधी लोग उन पर काश्त करते हैं, उनकी २०-२० बीघा खड़ी फसलों को गोचर के नाम पर मिलवा दिया गया है...

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री दौलतराम सारण : मन्त्री महोदय ने गोचर भूमी का कहा, पर हमारे यहां यह एक बड़ी भयंकर समस्या है, जो जोहड़ हैं, वहां पक्के कुंड बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं, कुए हैं, वहां आबादी बसी हुई है जो समरी सेटलमेंट हुआ, उसमें उन स्थानों की आबादी भूमि दर्ज नहीं किया,हजारों की तादाद में लोगों को नोटिस दे कर उन बसी हुई आबादियों से उठाने की कार्यवाही की जा रही है। डेढ़ हजार इस प्रकार के नोटिस केवल एक रतनगढ़ तहसील में दिये गये हैं। राजलदेसर में बसी हुई आबादी है, वहां ७० लोगों को उठाने के लिए नोटिस दिये गये हैं। इस तरह जिले भर में हजारों नोटिस दिये गये हैं। यह एक बड़ा गम्भीर मामला है, गोचर के नाम से, गैरमुमकिन के नाम से, बसे हुए लोगों को उखाड़ने की कार्यवाही की जा रही है। वहां पक्के कुंड बने हुए हैं, कुए हैं, पक्के मकान लोगों के बने हुए हैं, कानून के नाम पर उन लोगों को उखाड़ने की कोशिश की जा रही है, क्लेक्टर और आपको भी लोगों ने दर्ख्वास्तें दी हैं, पर अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह प्रश्न गोचर से सम्बन्धित था। अगर ऐसी जमीन है, जहां अनधिकृत कब्जा कर लिया है,और बगेर इजाजत के मकान बना लिये हैं तो नोटिस दे कर जाब्ता कार्यवाही तो होगी।

श्री दौलतराम सारण : इजाजत का सवाल नहीं है, वर्षों से वहां वे लोग बसे हुए हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दौलतरामजी, यह अलग से प्रश्न है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : फसल बरबाद करने का जहां तक प्रश्न है वह एक बड़ा गम्भीर प्रश्न है, क्योंकि इसका सम्बन्ध उत्पादन से है। अगर अनुचित रूप से किसी काश्तकार ने कब्जा किया है और वहां काश्त की है तो इसके लिए फसल को बरबाद करने के स्थान पर इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये कि फसल काटी जा सके, और इस तरह की कार्यवाही की जानी चाहिये कि वह भविष्य में उस जमीन पर अनधिकृत रूप से फसल नहीं कर सके।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : शुरू में जितनी शिकायतें आई तो ऐसा था, अक्टोबर, नवम्बर के बाद में तहसीलदारों ने पूछा तो हमने कहा कि फसल को नीलाम कर दो, फिर नोटिस देकर हटाने की कार्यवाही करो।

श्री हीराभाई : आपने चरागाह का कहा तो फसल नीलाम करेंगे, वह पैसा पंचायत में जमा करायेंगे या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर। श्री मदनसिंह !

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : केवल यह प्रश्न ऐसा नहीं है, अस्सी, अस्सी, सौ सौ वर्ष से जिनके पट्टे हैं, धर्मशालाएं बनी हुई हैं, इस सम्बन्ध में रेवेन्यू विभाग की तरफ से जांच करवाई जानी चाहिये...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रश्न की सीमा के बराबर जा रहे हैं। इसमें प्रश्न यह है कि डिक्लेअर्ड गोचर में काश्त कर ले तो गांव वाले मवेशी चरा सकते हैं क्या ?

श्री मदनसिंह : इसमें अस्सी, अस्सी, निव्वे वर्षों से मकान हैं...

श्री उपाध्यक्ष : वह अलग प्रश्न है। अगला प्रश्न। श्री मूलचन्द डागा !

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि मिनिस्टरों के हुक्म के सम्बन्ध में अधिकारी कहते हैं कि यह रिश्ते वालों का हुक्म है, इसलिये हम नहीं मानते।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर, ऑर्डर।

श्री मूलचन्द डागा !

पाली में बाढ़-पीड़ितों को सहायता

६५३. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पाली शहर में इस साल किन किन बाढ़-पीड़ितों को कितनी कितनी धन राशि आज तक राज्य सरकार द्वारा दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की

(श्री मूलचन्द डागा)

कृपा करें और उसमें यह बतायें कि किस-किस बाढ़–पीड़ित को कितनी धनराशि किस काम के लिए दी गई ?

(२) क्या यह सत्य है कि अभी तक कई बाढ़-पीड़ितों को सहायता नहीं दी गई है ? यदि हां, तो किन-किन को ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उपमन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) :

(१) पाली शहर में इस साल ६४२ बाढ़-पीड़ितों को पचास हजार रुपये बतौर सहायता वितरण किये जा चुके हैं, सूची संलग्न है। सभी बाढ़-पीड़ितों को सहायता आवश्यक भोजन व निवास की व्यवस्था के लिये दी गई है।

(२) ७७२ बाढ़–पीड़ितों को जिन्हें और धनराशि बांटी जा रही है और इस माह के अन्त तक सहायता का वितरण भी सम्पूर्ण हो जायेगा, शेष रहे बाढ़ पीड़ितों की सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मूलचन्द डागा : कितनी धनराशि वितरित हो चुकी है और कितनी होनी शेष है ?

श्री गंगाराम चौधरी : बाढ़–पीड़ित व्यक्तियों के बारे में जानकारी चाही थी, आंकड़े दे दिये हैं, राशि के बारे में जानकारी इस समय नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : जब की बाढ़-पीड़ितों को तत्काल सहायता दी जानी चाहिये लेकिन उनमें से आधे व्यक्तियों को अभी तक रुपया नहीं दिया है, यह व्यवस्था ठीक नहीं हैं।

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : आपने प्रश्न में पूछा है कि "किन-किन बाढ़-पीड़ितों को कितनी-कितनी धनराशि आज तक राज्य सरकार द्वारा दी गई ? सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।" तो यह सूची दे दी है। आपने यह नहीं पूछा कि कितनी रकम और देनी है।

श्री मूलचन्द डागा : आप इसे ध्यान से पढ़ें, यह प्रश्न पूछा है कि किनको और देना है ?

श्री गंगाराम चौधरी : जिनको देना है, उनकी सूची दी है।

श्री मूलचन्द डागा : बाढ़ आये ५ महीने हो गये और बाढ़-पीड़ितों में से आधे लोगों के पास पैसा अभी तक नहीं पहुंचा हे।

श्री गंगाराम चौधरी : व्यवस्था की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बृजवल्लभ बोहरा।

डाबर नहर से किसानों को परेशानी

६५४. **श्री बृजवल्लभ बोहरा** (दीगोद): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि डाबर ब्रान्च नाम की नहर चम्बल दाईं मुख्य

(श्री बृजबल्लभ बोहरा)

नहर की एक छोटी शाखा है ?

(२) क्या वह सही है कि इस नहर के निकल जाने से सुल्तानपुर तक के रास्ते बन्द हो गये हैं और किसानों को माल ले जाने की एवं खेतों से गल्ला लाने में काफी दिक्कत पड़ती है ? और नहर के किनारे लाने की इजाजत नहीं होने से चौकीदार लोगों को परेशान करते हैं ?

(३) यदि हां, तो इस ब्रान्च के किनारे किनारे जाने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती और यदि इजाजत दे दी जावेगी तो कब तक ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं। नहर का आम रास्ता न होने से सर्व साधारण को उसके उपयोग की इजाजत नहीं दी जाती है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : वहां पर किसानों को अपने कुओं पर अपनी जमीन पर कुली, बीज ले जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है तो उन लोगों को अपनी जमीन पर बीज आदि ले जाने के लिये रास्ता देना चाहिये, जब तक दूसरे रास्ते का प्रबन्ध आप नहीं करते हैं, तब तक उनको इस पर से आने जाने की इजाजत देनी चाहिये। खलिहानों से अपने घर गल्ला लाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, किसानों को मंडी में अपना माल ले जाने के लिये कोई दूसरा रास्ता नहीं हैं, इससे किसानों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इस ओर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आम रास्ता वहां मौजूद है, उस रास्ते से अभी आते जाते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि डाबर ब्रान्च के बनाने के कारण सीपेज से रास्ता बन्द हो गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहर के सीपेज से कोई रास्ता खराब नहीं हुआ है। अलबत्ता किसान अपने खेतों के धोरे वगैरह ठीक नहीं रखते, तोड़ देते हैं और इससे रास्ते में पानी भर जाता है, बाकी नहर का पानी गिर जाता हो और इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले रास्ते को पानी से भर देते हों ऐसी बात नहीं है।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : दूसरे रास्ते का जो आपने कहा है वह गलत कहा है। वहां पर किसानों के न हल निकलते हैं, न बीज निकलता है न कुली और गल्ला लाने ले जाने का रास्ता हैं। काश्तकार बहुत परेशान हैं, चौकीदार उन लोगों के साथ नादिरशाही बरतते है......

श्री उपाध्यक्ष : थोड़े में कहिये।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : अगर आप वहां से काश्तकारों को नहीं आने जाने देते तो उनके लिए और रास्ते का प्रबन्ध करिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रास्ता तो ठीक है, कच्चा रास्ता है, उस पर अगर पक्की

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

सड़क चाहिये तो पी० डब्ल्यू० डी० से कहिये कि पक्की सड़क बनाये।

श्री रामचंद्र आर्य (रीहट) : क्या यह सही है कि......

श्री उपाध्यक्ष : आप गंगानगर के बारे में पूछें, यह तो कोटा का सवाल है।

श्री रामचंद्र आर्य : जितने रास्ते काटे गए वे पंचायतों की राय से नहीं काटे गए इसलिए ये सारे रास्ते गलत हो गए हैं, इसलिए काश्तकारों को परेशानी हो रही है। इसकी जांच कराई जाय, इन्होंने गलत काटे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह गंगानगर का रास्ता नहीं है, यह कोटा का रास्ता है।

श्री रामचंद्र आर्य : चाहे कहीं का भी हो, रास्तों के बारे में यह आम शिकायत है।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी) : क्या मंत्री महोदय चालू रास्ता खराब हो जाने पर नहर के रास्ते पर जाने की इजाजत नहीं देती ? किसी भी वजह से खराब हो गया हो।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह आम सिद्धांत है कि जो कैनाल की सड़कें हैं, वे डामर की सड़कें तो हैं नहीं, कच्ची सड़कें हैं उनका हम आम तौर से साधारण ट्रैफिक के लिए खोल नहीं सकते। यह केवल सिंचाई विभाग के अधिकारियों के लिए है जो उसकी सुपरवीजन करने के लिए जाते हैं, काम काज की देख-रेख करने के लिए, उनकी सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। अगर आम ट्रैफिक के लिए खोल दें तो सड़क तीन दिन भी नहीं चले।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री जुझारसिंह के खड़े होने पर) काफी प्रश्न हो गए हैं। आपकी शिकायत ठीक हो सकती है लेकिन उधर से उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न। श्री रामनारायण चौधरी।

गोदामों में अनाज की घटौती

६५५. **श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि झुन्झुनू जिले के नवलगढ़ और डूंडलोद मुकुन्दगढ़ स्टेशन पर १९६६–६७ में आयातित अनाज के लिए गोदाम बनाए गए थे ? यदि हां तो इन गोदामों में अनाज की कितनी घटौती हुई ?

(२) क्या यह सही है कि इन गोदामों पर निर्धारित मात्रा से अधिक तादाद में अनाज की घटौती हुई तथा घटोती का कारण यह बतलाया गया कि अनाज को कबूतर खा गए ? यदि हाँ तो कितने मण अनाज को कबूतरों द्वारा खाया जाना अधिकारियों ने बतलाया है ?

(३) इसी वर्ष में झुन्झुनू गोदाम पर कितनी घटौती हुई तथा निर्धारित तादाद से अधिक हुई या कम ?

उपमंत्री खाद्य (श्री रामदेवसिंह) : (१) यह सही है। झुन्झुनू जिले के नवल-

(श्री रामदेव सिंह)

गढ़ और डूंडलोद, मुकुन्दगढ़ स्टेशन पर सन् १९६६—६७ में आयातित अनाज के लिए गोदाम बनाए गए थे।

इन गोदामों में अनाज की घटौती निम्न हुई :—

(१) नवलगढ़ गोदाम में आयातित गेहूं ९३० क्वं० व ४७:३३ क्वं० मांइलो।

२. मुकुन्दगढ़ आयातित गेहूं १०० क्वं. १२:७१ क्वं० माइलो।

(२) यह सही है। इन गोदामों में निर्धारित मात्रा से अधिक घटौती हुई व इस घटौती के कारण केवल कबूतरों का खाना ही नहीं है। कितना अनाज कबूतरों द्वारा खाया गया है, यह बताया जाना संभव नहीं है।

(३) इस वर्ष झुन्झुनू गोदाम में ५६:६१ क्वं० आयातित गेहूं की कटौती हुई व १५:२१ क्वं० माइलो की। यह अभी निश्चय नहीं किया जा सका है कि यह कटौती निर्धारित तादाद से अधिक हुई या कम।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या यह सही है कि आपके अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी है उसमें घटौती का कारण कबूतरों द्वारा खाया जाना बताया है ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका उतर दे दिया गया है।

श्री रामचंद्र आर्य : कबूतर सरकारी थे ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): मैं समझता हूँ कि आपके जो स्टोर-हाऊसिज हैं, उनकी डिजाइन में डिफेक्ट है। अगर जहां पर अनाज इकट्ठा करते हैं, कबूतर खा जाते हैं और चूहे खा जाते हैं तो आपकी डिजाइन ही गलत है। आपको गोदामों में ऐसी व्ययस्था हो कि चींटी भी अन्दर न जाय। अगर यह व्यवस्था आप नहीं कर सकते तो मेरे खयाल से खामी से भरपूर आपकी व्यवस्था है। इसकी जितनी निंदा की जाय उतनी कम है।

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : जहां तक घटने का प्रश्न है राजस्थान के सभी जिला उपखंडों या जिला हैडक्वारटर्स और तहसील पर जहां अनाज वितरण करते हैं, घटौती अधिक हुई इसमें दो राय नहीं और देश की स्थिति को देखते हुए इस साल के केन्द्रीय बजट में ३४० करोड़ का प्रावधान रखा गया है कि Scientific गोदाम बनने चाहिए और ऐसे गोदामों की कमी की वजह से अनाज डेट्रोरियोट होता है या प्रिजर्व ठीक नहीं हो सकता, यह कठिनाई सरकार के सामने है।

श्री रामनारायण चौधरी : नियमों के तहत कितनी घटोती होनी चाहिए थी और कितनी वास्तव में हुई ? घटौती के क्या कारण हैं ? जांच यदि करवाई है तो उस जांच के अन्दर क्या पाया गया और उस गलती के संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ? क्या सरकार ने........

श्री उपाध्यक्ष: इतने प्रश्न एक साथ पूछेंगे तो उनको याद नहीं रहेगी।

श्री रामदेव सिंह : विभाग के सामने

(श्री रामदेव सिंह)

घटोती का प्रश्न आया था। कलेक्टर झुन्झुनू गोडाउन कीपर के खिलाफ जांच कर रहे हैं। अगर जरूरी समझें तो उनको लिखा गया है कि पुलिस में केस दें। इसके अलावा एस० डी० ओ० नवलगढ़ के खिलाफ भी चार्जशीट बनाकर नियुक्ति विभाग को भेजी है, वह उसकी जाच करेगा।

श्री विजयसिंह रावत : बिना पर वाले कबूतर तो कहीं नहीं खा गए ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): मन्त्री महोदय ने जवाब दिया कि घटोती होने की वजह कबूतरों द्वारा खाया जाना है साहूकार या प्राइवेट बिजनेसमेन अनाज इकट्ठा करते हैं, उनके पास साईंटीफिक गोदाम नहीं होते हैं, उनका अनाज क्यों नहीं सड़ता है, आपका ही क्यों सड़ता है ?

(हीयर हीयर की ध्वनि)

श्री रामनारायण चौधरी : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया, मैंने पूछा था कि नियामों के तहत कितनी घटोती होनी चाहिए थी, नियमों से अधिक कितनी हो रही है ? कारण क्या हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : नियमों के विरुद्ध घटोती हुई है इसलिए जानकारी कर रहे हैं। एस० डी० ओ० को चार्जशीट दिया गया है, अन्य अधिकारियों को भी दिया गया है।

श्री राममानारायण चौधरी : जांच तो हो चुकी, यह गंभीर मामला है, इसमें हजारों रुपयों का घोटाला हुआ है। यह घोटाला तब हुआ जब लोग भूखे मर रहे थे, हजारों मन गायब हुआ यह कहकर कि कबूतर खा गए। ऐसी रिपोर्ट अधिकारियों ने दी है।

श्री परसराम मदेरना : कबूतर खा गए, ऐसा राज्य सरकार नहीं मानती है इसलिए तो चार्जशीट दिया गया है गोडाऊन कीपर को और झुंझुनू कलक्टर से कहा गया है कि कार्यवाही होनी चाहिए. कलक्टर ने उसको सस्पेंड कर दिया है, इसमें सुपरवाइजरी निग्लीजेन्स एस०डी०ओ०की मानी गई है इसलिए स्टेटमेंट आफ चार्जिज बनाकर नियुक्ति विभाग को भेज दिया है, वही संबंधित विभाग है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह रावत।

बांसवाड़ा में एम्पलायमेंट आफीसर की नियुक्ति

६५६. **श्री विजय सिंह रावत** (नसीराबाद) क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि अक्टूबर १९६६ में एम्पलायमेंट आफीसर बांसवाड़ा की नियुक्ति हुई थी ? यदि हां तो उस व्यक्ति का नाम एवं एपोइन्टमेंट की तारीख बताने की कृपा करें ?

(२) क्या यह सही है कि जिस व्यक्ति की उक्त नियुक्ति अक्टूबर १९६६ में हुई वह व्यक्ति उस समय पहले ही किसी अन्य विभाग में नौकरी कर रहा था ? यदि हां तो किस विभाग में व किस पद पर व कब

(श्री विजय सिंह रावत)

से नौकरी कर रहा था? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या यह सही है कि जिस विभाग में वह व्यक्ति नौकरी कर रहा था उस विभाग से उक्त नियुक्ति के लिए दरख्वास्त नहीं आई थी ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त नियुक्ति के विरुद्ध राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान सरकार को एतराज भेजे थे ? यदि हां तो उन एतराजों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

श्रम मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): (१) नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री विजयसिंह रावत : बड़े प्यारे रहे आप। क्यों यह सही है कि १५ अक्टूबर १९६६ को एक दरख्वास्त एम्पलायमेंट आफीसर बांसवाड़ा के लिए आई थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एम्पलायमेंट आफीसर बांसवड़ा की नियुक्ति अक्टूबर में नहीं हुई।

श्री विजयसिंह रावत : क्या यह सही है कि एपाईटमेंट आर्डर्स १९६६ को निकले और जिस नियोजन अधिकारी की नियुक्ति की गई वह दिसम्बर के अन्दर की गई।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बासवाड़ा में किसी भी नियोजन अधिकारी की नियुक्ति अक्टूबर में नहीं हुई।

श्री विजयसिंह रावत : १९६६ के अन्दर नहीं की गई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यदि आप पूछते कि किसी भी नियोजन अधिकारी की तो दूसरी बात थी लेकिन जिला नियोजन अधिकारी की कोई नियुक्ति नहीं की गई।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझारसिंह ।

ग्राम मानपुरा का जंगल

६५७. **श्री जुझारसिंह** : (रामगंज मंडी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम मानपुरा, पंचायत पीपल्दा, तहसील रामगंज मंडी में बांकड़ा घाटी की बीड़, बांकड़ा खालसा व जागीर का रकबा, गेम सेंचुरी की हद में आता है और इसमें मौजा कूकड़ा, मानपुरा, ढांणी आदि के मवेशियों को चराने की सुविधायें रियासत के समय से ही प्राप्त हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त जमीन पर गांव के बाहर के आदमी काश्त करना चाहते हैं और उन्होंने जंगल में से कुछ रकबे पर पेड़ भी काट लिए हैं ? यदि हां तो कितने क्षेत्र में और कितनी लागत के कितने दिनों में काटे ?

(३) क्या सरकार इस जमीन को जंगलात से राजस्व में परिवर्तित करने का

(श्री जुझार सिंह)

विचार करती है ?

(४) क्या इसी क्षेत्र से लगे हुए मौजा नया गांव में जंगलात की सरहद में काबिल काश्त जमीन उपलब्ध है व स्थानीय व्यक्तियों की मांग पर उसे परिवर्तित करने का प्रश्न विचाराधीन है ?

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (१) तहसील रामगंज मंडी पंचायत पीपल्दा में स्थित बाकड़ा घाटी की बीड़ बाकड़ खालसा व जागीर की बीड़े दरा गेम सैन्चुरी की हद में नहीं हैं बल्कि यह बीड़ें आरक्षित वन खंड नीमच में आती हैं। ग्राम कूकड़ा, मानपुरा व ढांणी आदि के मवेशियों को चराने की सुविधा हर वर्ष १ अप्रेल से ३० जून तक दी जाती है और दी गई है।

(२) जी हां। ५० बीघा जंगल से पेड़ लगभग ८ दिन में काटे गए जिनका मूल्य अनुमानत: (१२००) रुपया है।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं।

श्री जुझारसिंह : क्या इसको एलोट करने की मन्शा है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

श्री जुझारसिंह : अगर एलोटमेंट के लिए दी गई तो आप वहां के लोगों को प्रिफिरैन्स देंगे या बाहर के लोगों को ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : वन विभाग की नीति है कि लोकल आदमियों को प्रिफरैन्स दी जाय, भूमिहीनों को प्रिफरैन्स दी जाय।

श्री जुझारसिंह : आपकी जो नीति है उसके हिसाब से क्या आप जंगलात में से रेवेन्यू को जमीन ट्रांसफर करना ठीक नहीं समझते ? तो क्या आप उस कमी के बावजूद भी इस जंगल को राजस्व में ट्रान्सफर करने का विचार करते हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : राजस्व में स्थानान्तरित करने के लिए बहुत से जंगलों के लिये मांग है और इस विषय पर विचार करते हुए राज्य सरकार यह सोच रही है कि इसमें नियम बना लिये जांय और उन नियमों के अन्तर्गत विशेष तौर से भूमिहीन किसानों के लिये और शिड्यूल कास्ट व शिड्यूल ट्राईब्स के लिये इस प्रकार के जंगल छोड़े जांय।

प्रश्न संख्या ६५८

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री हरलालसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मदनसिंह दांता : यह प्रश्न इम्पार्टेन्ट है। इसके सम्बन्ध में मैंने......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य नहीं है जब.........

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, यह हर एक पंचायत समितियों से सम्बन्ध रखता है इसलिये........

श्री उपाध्यक्ष : जो माननीय सदस्य उपस्थित हैं, उनके प्रश्न पहले पूछे जावेंगे।

श्री हरिवल्लभ शर्मा।

ग्राम मदलाव में चरागाह पर अतिक्रमण के मामले

६५६. **श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम मदलाव, तहसील सवाई माधोपुर में चरागाह पर कुण्डेरा के रंगरान ने कई वर्षों से अतिक्रमण कर रखा है ?

(२) यदि हां, तो किन किन खसरा नम्बरान, कितने रकबे पर और किस वर्ष से ?

(३) क्या यह अतिक्रमण तहसीलदार सवाई माधोपुर के नोटिस में ला दिया गया ? यदि हां, तो अतिक्रमकों के विरुद्ध किस किस वर्ष क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(४) क्या यह सही है कि इस चरागाह की अतिक्रमकों की फसल भी कुर्क की गई थी ? यदि हां, तो किस किस वर्ष और इसकी नीलामी में क्या आय राज्य कोष में आई अथवा आवेगी ?

(५) क्या फसल स्यालू संवत् २०२४ में भी यह अतिक्रमण जारी रहा और यह चरागाह पुनः काश्त कर ली गई ?

(६) राज्य सरकार द्वारा चरागाह भिड़वा दिये जाने के आदेश के बावजूद इस चरागाह की फसल क्यों नहीं नष्ट की गई ? और यह फसल कुर्क भी की गई या नहीं ? यदि हां, तो नीलामी में कितनी राशि में बोली खत्म की गई ?

उप मंत्री, राजस्व : (१) जी हां, सन् १९६६–६७ से।

(२) खसरा नम्बर $\frac{५१९ , ५२० \text{ पर}}{१०८)२\ २१)}$, पर सन् १९६६–६७ से।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : सुनाई नहीं पड़ रहा है। फिर से दोहरायें।

श्री गंगाराम चौधरी : (१) जी हां, सन् १९६६–६७ से।

(२) खसरा नम्बर $\frac{५१९ , ५२०}{१०८)\ २,२१)}$, पर सन् १९६६–६७ से।

(३) जी हां, सम्बत् २०२२ की फसल, ३९०) रु० में नीलाम हुई। इस सम्वत् की पैनेल्टी १०९७.९७ पैसे लगाई गई है व सम्वत् २०२३ की फसल अभी तक सुपुर्द सुपुर्ददारान की तहसील में है जो नीलाम होगी। पैनेल्टी १०१२.५० पैसे कायम हुई है।

(४) इसका उत्तर प्रश्न ३ के उत्तर में अंकित है।

(५) जी हां। सम्वत् २०२४ में भी काश्त हुई है।

(६) सम्वत् २०२४ में काश्त की

Page No.24

(श्री गंगाराम चौधरी)

उपज को नष्ट करने के सम्बन्ध में रंगरान ने एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् राजस्व मंत्री महोदय को प्रस्तुत किया जिस पर यह आदेश दिया गया कि काश्त को नष्ट करने के बजाय कुर्की में लिया जावे। इसके अनुसार दिनाङ्क २८–६–६७ को तहसील को आदेश भेजा गया इस पर तहसील ने फसल को कुर्क कर सुपुर्दारान के सुपुर्द कर रखी है जो अब नीलाम की जावेगी।

श्री हरिबल्लभ शर्मा : यह सम्वत् २०२४ में श्यालू को फसल है कि उन्हाल की ?

श्री गंगाराम चौधरी : कौन सी की कह रहे हैं आप–संवत् २०२४ की ?

श्री हरिबल्लभ शर्मा : जी हां। इस साल श्यालू की है या उन्हालू की है।

श्री गंगाराम चौधरी : इसी वर्ष की स्यालू की।

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : इस वर्ष खरीफ की फसल को कुर्क किया गया था।

श्री हरिबल्लभ शर्मा : वह तो कभी की कट चुकी है। उसको अभी तक नीलाम क्यों नहीं किया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह कुर्की में है। नीलाम की जायगी। सुपुर्दगारान के सुपुर्द पड़ी हुई है।

श्री हरिबल्लभ शर्मा : किसके पास पड़ी है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : तहसील में सुपुर्ददारान के सुपुर्द पड़ी हुई है।

श्री हरिबल्लभ शर्मा : संवत् २०२४ में फसल कुर्क की गई। फसल कट चुकी है और चारा भी आ चुका है, नीलाम कैसे नहीं हुई। तहसील के नियंत्रण में रह नहीं सकती ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : तहसील ने सुपुर्ददारान के सुपुर्द की है। उसके आंकड़े हैं, मैंने देखे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। आॅर्डर प्लीज।

श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री हरिबल्लभ शर्मा : सम्वत् २०२४ में।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत प्रश्न बच गये हैं, समय कम है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ये सब खा–पी गये बिलकुल।

श्री हरिबल्लभ शर्मा : हर साल...... सम्वत् २०२४ में सरक्यूलर निकाला था। यह प्रश्न नहीं है प्रश्न तो यह है कि १५० बीघा........

श्री उपाध्यक्ष : आप इतना लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं देंगे, समय बहुत कम है संक्षेप में कह दीजिये।

श्री हरिबल्लभ शर्मा : संवत् २०२४ में यह सरक्यूलर निकला था कि......

श्री उपाध्यक्ष : वह तो सबको मालूम है।

श्री हरिबल्लभ शर्मा : बे-दखल हर साल होते हैं, उपाध्यक्ष महोदय यह एक ऐसी बात है.........

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री कृष्ण कुमार गोयल।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री कुछ नोट कर रहे हैं, शायद जवाब देने के लिए खड़े होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : लम्बा नहीं करेंगे, संक्षेप में कह दीजिये।

श्री हरिबल्लभ शर्मा : जो गोचर भूमि है, वह कुर्क क्यों की गई है? यही प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय मंत्री महोदय, उत्तर दे दीजिए इसका।

महारावल लक्ष्मणसिंह : इनको मालूम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मंत्री जी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आवश्यकतानुसार इसकी जांच की जा रही हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जांच करवायें, नहीं तो खा-पी गये ये सब।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्ण कुमार गोयल।

श्री हरिबल्लभ शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक.........कुर्की के आदेश थे, उसको नष्ट क्यों नहीं करवाया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : नष्ट इसलिये नहीं करवाया कि सितम्बर का महीना था ११-६ का। सितम्बर में काफी फसल बड़ी हो जाती है। वे यहां आये थे, शायद मेरे पास ही आये थे और शायद ऐसा ही था उस समय की कुर्की कर ली जाय तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष : (माननीय सदस्य श्री हरिवल्लभ शर्मा के बार-बार खड़े होने पर) आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। आसन को सम्बोधित करके पूरक प्रश्न पूछें। कृपया स्थान ग्रहण करें। यह निवेदन कर दिया गया है कि प्रश्न काफी बचे हुए हैं और समय बहुत कम है।

श्रीहरिबल्लभ शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय इस सरक्यूलर की आड़ में बहुत बड़ा अन्याय और पक्षपात हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : यह सदन के सामने आ गया है, फिर क्या चाहते हैं आप? आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें। (जोर की अवाज में) कृपया माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री कृष्ण कुमार गोयल।

डिस्पोजल के ट्रक व जीपों की खरीद

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) **:** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान केनाल राणा प्रताप सागर पर मिल्ट्री डिस्पोजल के कितने

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

ट्रक व जीपें कब कब खरीदी गई ? व उनकी खरीद पर कितना व्यय हुआ ?

(२) क्या इसकी खरीद की स्वीकृति किसी अधिकृत व्यक्ति से ली गई थी ?

(३) इनकी मरम्मत पर कितना व्यय हुआ ? अलग अलग गाड़ी पर बतावें ?

(४) मरम्मत उपरान्त इन गाडियों से कितना कितना सफर किया ? अलग अलग बतावें ?

सिचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा):

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने प्रश्न में अपनी इच्छा जाहिर की है कि १०-१५ वर्षों में कब-कब गाड़ी, जीपें खरीदी गई हैं......

श्री उपाध्यक्ष : सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किस-किस ने कितना-कितना सफर तय किया है आदि।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मैंने कोई जनरल क्वेश्चन नहीं पूछा है। केवल मिल्ट्री डिसपोजल के कितने ट्रक, जीप आदि राजस्थान केनाल राणा प्रताप सागर पर खरीद किये हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मिलट्री डिसपोजल के कितने ट्रक, जीप राजस्थान केनाल और राणा प्रताप सागर में खरीदे गये, उपाध्यक्ष महोदय, ये दो मेजर ईरीगेशन प्राजेक्ट्सहै। कितनी जीपें, कितने ट्रक खरीदे गये और हर एक पर कितनी-कितनी मरम्मत का खर्च आया, कितना-कितना इन गाडियों से सफर किया गया। यह एक लम्बा चौड़ा क्वेश्चन है। इनका सारा रेकार्ड देखना पड़ेगा, आदि बहुत सी बातें हैं।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत।

श्री कृष्ण कमार गोयल : आपने क्या व्यवस्था फरमाई, उपाध्यक्ष महोदय। क्या स्थगित करने की ?

श्री उपाध्यक्ष : जी हां।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुण्डावत

टूटे तालाबों की मरम्मत

६६१. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार के ध्यान में है कि आसींद के पास खारी बांध के कैचमेंट में आने के कारण मांडल, रायपुर, देवगढ़, भीम और आमेट की तहसीलों के अनेक टूटे हुए तालाबों को बनाने की इजाजत नहीं मिलती ?

(२) क्या यह सही है कि इन पांच तहसीलों के लाखों लोगों की तलाब न बनाये जाने के कारण तकलीफों को देखकर बनास फीडर बनाने की योजना बनाई गई थी।

Page No.27

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

(३) यदि हां, तो उस बनास फीडर की योजना का क्या हुआ ? कृपया पूरी तफसील दें।

(४) कब तक इस योजना को कार्यान्वित किया जायेगा ?

(५) खारी बांध बनने से पहले बने हुये तालाबों को जो टूट गये हैं बनाने की इजाजत न देना क्या इन पांचो तहसीलों के काश्तकारों पर अन्याय नहीं है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) (१) जी हां, केवल दो तहसीलों में। देवगढ़ और भीम में।

(२) जी नहीं मेजा फीडर की योजना बनी है जिससे मेजा बांध में पानी बढ़ेगा।

(३) सरकार के विचाराधीन है।

(४) सन् १९६८-६९ में इसे प्रारम्भ करने के लिये कदम उठाये जायेंगे।

(५) जी नहीं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : यह जो नये तालाब बनाये जाते हैं, उसका पहले सर्वे कराया जाता है कि ऊपर के तलाब टूटे हुये हैं उनके लिये कोईगुजाइंश छोड़ी जाय।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : प्रोजेक्ट बनाते वक्त, उस समय की जो स्थिति होती है, उसे अवश्य देखा जाता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : उस समय की स्थिति से क्या मतलब ?

श्रीरामप्रसाद लड्ढा : उस समय की स्थिति से यह है कि कोई तालाब जिसमें पानी न रुकता हो, उसको माइनस करते हुए बनाया जाता है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : मेजा बांध बनाया उसको आपने देखा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने खारी बांध का प्रश्न पूछा है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : इसके साथ साथ ही तो है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: आपने वहां के लोगो को राहत मिलने के लिये कहा है तो इन दोनों से ही बनास से और मेजा बांध से-वहां के लोगों को राहत नहीं मिल सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह

स्टाम्प ड्यूटी से मुक्ति

६६२. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् ६६-६७ व ६७-६८ में किन किन संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को इन्डियन स्टाम्प एक्ट १८९९ एज एडाप्टेड बाई राजस्थान स्टाम्प लॉ (एडेप्टेशन) एक्ट, १९५२ के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त किया गया है और क्यों ?

(२) इस मुक्ति के कारण राज्य सरकार को कितनी धनराशि की कमी हुई है।

उप-मंत्री, वित्त (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (१) सन् ६६-६७ व ६७-६८ में निम्न

Page No.28

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

प्रकार की स्टाम्प ड्यूटी की मुक्ति दी गई ।

राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, जयपुर द्वारा भारत जीवन बीमा निगम के पक्ष में निष्पादित बन्धक पत्र को दो करोड़ रूपये पर उक्त विद्युत मंडल द्वारा देय स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी गई इस पर स्टाम्प ड्यूटी तीन लाख रूपये होती थी । राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को यह छूट इसलिये दी गई कि उसके विकास सम्बन्धी प्रयासों में बाधा न पड़े ।

राजस्थान लघु उद्योग निगम, जयपुर को चुरू तथा लाडनू में वूलन कार्डिंग एन्ड स्पिनिंग यूनिट्स स्थापित करने के लिए चौबीस लाख रूपया अग्रिम दिया गया । इस ऋण के प्रतिशोधन को प्रतिभूत (सिक्योर) करने हेतु राज्य सरकार के पक्ष में उक्त निगम द्वारा निष्पादित चौबीस लाख रूपये के बन्धक पत्र निगम द्वारा देय स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी गई । इस बन्धक पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी छत्तीस हजार रूपये होती थी । लघु उद्योग निगम को लघु उद्योगों के विकास में सहायता देने के लिए छूट दी गई थी ।

सितम्बर १६६५ के संबंध में मारे गये सशस्त्र सैनिकों की निकायों द्वारा निम्न आय समुह गृह । मध्य आय समूह गृह (जो विशिष्ट रूप में उन्हें मंजूर किया गया) के प्रतिशोधन को प्रतिभूत करने हेतु निष्पादित बन्धक पत्रों पर उनके द्वारा देय स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी गई ।

दिनांक १३ तथा १४ नवम्बर १६६६ को उदयपुर में नागरिक उपद्रवों से ग्रस्त व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर्ज के सम्बन्ध में निष्पादित किये जाने वाले व्यक्ति गत बन्धक पत्रों पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी गई ।

राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, जयपुर द्वारा भारत जीवन बीमा निगम के पक्ष में निष्पादित बन्धक पत्र को एक करोड़ रूपये पर उक्त विद्युत मण्डल द्वारा देय स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी गई । इस पर स्टाम्प ड्यूटी एक लाख तरेपन हजार रूपये की होती थी । राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को यह छूट इसलिए दी गई कि उसके विकास सम्बन्धी प्रयासों में बाधा न पड़े ।

(२) इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न एक के उत्तर में दे दिया गया है । सिर्फ क्र. सं. ३ और ४ द्वारा जो छूट दी गई उसके लिये कितने लेख्यपत्र आये इनके आंकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण छूट की राशि नहीं बताई जा सकती ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उपद्रवग्रस्त क्षेत्र के पीड़ितों को जो सरकार की तरफ से कर्जा दिया जाता है उदयपुर और बाकी स्थानों पर भी है सिवाय उदयपुर के आज तक राजस्थान के किसी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के अग्नि पीड़ित क्षेत्र के दुर्घटना ग्रस्त क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त नहीं किया गया किसी को छूट नहीं दी गई ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : उदयपुर के अलावा किसी को छूट नहीं दी गई लेकिन जो कोई मांग करता है या डेपुटेशन के रूप में सरकार के समक्ष आता है उसके लिए विचार करती है लेकिन नीति संबंधी निर्णय नहीं लिया है ।

Page No.29

श्री भैरोंसिंह : उदयपुर के संबंध में निर्णय लेने से पहले यह घोषित नीति थी कि उद्योगों के सम्बन्ध में सरकारी निगमों के संबन्ध में या जिन उद्योगों में सरकार की पूंजी लगी हुई ऐसे कारपोरेशन के संबन्ध में जो रकम सरकार के खाते में जमा होती है इन सुविधाओं को जोड़कर प्राइवेट किसी भी पार्टी को स्टाम्प ड्यूटी में रिलीफ देने की बात नहीं थी ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्माल स्केल इन्डस्ट्री इन्डस्ट्रीयल कोरपोरेशन को छूट देने का था व्यक्तिगत आदमी को किसी को छूट नहीं दी ।

श्री भैरोंसिंह : आपकी घोषित नीति के अनुसार सिवाय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ओटोनोमस बोर्ड के अलावा जिनमें सरकार की पूंजी लगी हुई हो इन्हीं को रिलीफ देने का है ऐसी संस्थाओं के अलावा बाकी किसी प्राइवेट पार्टी को स्टाम्प डयूटी से मुक्त नहीं किया जाना चाहिये ।

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : यह ठीक है कि स्टाम्प ड्यूटी से किसी को मुक्त नहीं किया जा सकता और न किसी ऐसे प्राईवेट व्यक्ति को जो उपद्रव से संबंध रखता हो छूट नहीं दी है । लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति जो दंगे के कारण क्षतिग्रस्त हुये हैं दुर्भिक्ष के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं ऐसे व्यक्तियों के संबन्ध में रिहेबीलिटेट करने की स्थिति में उनको स्टाम्प डयूटी से मुक्त करने के बारे में कन्सीडर करते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इस प्रकार की नीति निर्धारित करदी है कि इन कन्डीशन में प्राईवेट परसन भी स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त किये जा सकते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : यह प्रश्न उठा देना कि प्राइवेट व्यक्तियों को किया जा सकता है बड़ा ब्लर्ड हो जायगा । लेकिन ऐसे इलाके जहां फेमीन हो गया हो या कोई अन्य केलेमेटी हो गई है उस पर राज्य सरकार कर्जा देती है उस पर राज्य सरकार स्टाम्प ड्यूटी चार्ज करे यह हयुमेन ग्राउण्ड पर ठीक नहीं रहेगा ऐसा राज्य सरकार का विचार है ।

श्री भैरोंसिंह : यह आपने नीति बनाली हैं क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरे सामने तो एक ही केस आया है । दूसरे केसेज के लिए कैसे कह सकता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : इस नीति के आधार पर रिलीफ दिया है तो क्या राज्य सरकार ने इस संबन्ध में कोई रूल्स बनाये हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक मेरा ज्ञान है रूल्स नहीं बनाये हैं मगर जिसके लिये जरूरत समझते हैं उनको एग्जेम्प्ट किया जाता है ।

श्री भैरोंसिंह : एग्जेम्प्शन आरबीट्रेरी नहीं हो सकता एक्ट के अनुसार जो प्रेसेक्राइब्ड मेनर्स हैं उसी के अनुसार हो सकता है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह बात सही है प्रेसक्राइब्ड मेनर है लेकिन गवर्नमेंट को पावर्स है सिर्फ जो मोर्टगेज सरकार के पक्ष में की जाती है उनको एग्जेम्प्शन दिया

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जाता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट में इस प्रकार का प्रोवीजन है सरकारी पक्ष में जो मोर्टगेज डीड लिखा जाता है उसमें हम स्टाम्प ड्यूटी एग्जेम्प्ट कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिह : गवर्नमेन्ट ने उदयपुर के लोगों के लिए उदारता बरती उससे मुझे रंज नहीं है लेकिन इस प्रकार से जो अकाल पीड़ित हैं, अग्नि पीड़ित हैं उनको कोई रिलीफ नहीं मिला इस तरह जो लोग ग्रसित हैं वे यदि अपनी प्रोपरटी गवर्नमेंट को मोर्टगेज करते हैं तो उनको रिलीफ नहीं मिलता वहां केवल उदयपुर के लिये इस प्रकार का रिलीफ देना इसमें पोलिटिकल रीजन हो सकता है लेकिन एक्ट के मातहत जो प्रेस्क्राइब्ड मेनर है उसमें तबदीली किये बगैर उनको कैसे दे दिया !

श्री मथुरादास माथुर : वह करना चाहिये।

श्री भैरोंसिह : अब तक नहीं किया गया ?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं किया है कर दिया जायगा।

श्री भैरोंसिह : तो फिर बिना प्रेसक्राइब्ड मेनर के आपने किस अधिकार से उनको स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त कर दिया ?

श्री प्रद्युम्नसिह : इसी एक्ट के अन्तर्गत गवर्नमेंट को अधिकार दिया है, केवल उसको आर्डर निकालने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट जो भी कन्सेशन देना चाहे वह अपनी तरफ से आर्डर निकाल सकते हैं ?

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि गवर्नमेंट को रूल मेकिंग पावर्स दिये हैं उस क्लाज में स्पेशली मेन्शन किया गया है स्टाम्प ड्युटी से जिनको एग्जेम्प्ट किया करेंगे जो मेनर प्रेसक्राइब्ड होगा देट विल बी नोटिफाइड।

श्री प्रद्युम्नसिह : मुझे इसकी डिटेल्स में जानकारी नहीं है। मैं जांच कर लूंगा यदि प्रेसक्राइब्ड मेनर में तबदिली की आवश्यकता होगी तो वह कर दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह।

लगान की वसूली

६६३. **श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) :** क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) १९६५-६६ व १९६६-६७ में राज्य में अकाल के कारण कितनी भू-राजस्व की वसूली स्थगित की गई ? कृपया सालवार सूचना दें और प्रत्येक जिले में कितनी कितनी वसूली नहीं हो सकी ?

(२) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने इसे अब दो किश्तों में वसूल करने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(३) क्या सरकार जहां दो या तीन वर्ष से अकाल घोषित किया गया है उस क्षेत्र का लगान पूर्ण माफ करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(४) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं और उन्हें कब से प्रभावशाली कर दिया गया है ?

उप मन्त्री राजस्व (श्री गंगाराम-चौधरी) :

(१) १६६५- ६६ में रुपये १, ६६, २७, ५३८.००,१६६६-६७ में रुपये १, ४७, ८३; ३५३.०० जिले वार सूचना सूची में दी हुई है जो इसके साथ संलग्न है ।

(२) जी हां । केवल उन जिलों के लिए जहां काश्तकारों की चुकाने की स्थिति सामान्य नहीं है ।

(३) जी हां । जिन क्षेत्र में दो वर्ष तक अकाल घोषित हुआ हो वहां केवल एक वर्ष का और जहां लगातार तीन वर्ष तक अकाल घोषित हुआ हो वहां पहले व दूसरे वर्ष का लगान माफ किये जाने के लिए राज्य सरकार विचार करेगी ।

(४) राज्य सरकार ने आवश्यक आदेश प्रचलित कर दिये है ।

(कृपया परिशिष्ट सं० २ देखिये)

श्री दिग्विजयसिंह : आपने उत्तर दिया जिन जिलों की स्थिति सामान्य नहीं है उनमें कौन कौन से जिले आते हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह आदेश जिला जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर और बांस-वाड़ा के लिये है ।

श्री दिग्विजयसिंह : चुकाने की स्थिति सामान्य नहीं है इसका क्या क्राइटेरिया है यह कैसे मालूम करते हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री बृजमुन्दर शर्मा) : जहां जहां के कलेक्टरों की मांग आई वहां के लिए आॅर्डर जारी किये गये ।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सूची में आप देखें टोंक जिले में ६५।६६ में २२ लाख का रेवेन्यू रेमिसन सस्पेन्शन करना पड़ा । ६६, ६७ में १४ लाख का करना पड़ा । दोनों वर्षों में काफी गम्भीर स्थिति रही है उस जिले को तो सामान्य स्थिति में शामिल क्यों किया ? इसके लिये आधार क्या लिया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां कलेक्टर ने मुनासिब समझा । हो सकता है क्लेक्टर टोंक ने यही मुनासिब समझा हो ।

श्री फतेहसिंह : अजमेर के किसानों की स्थिति सामान्य नहीं है, क्या वहां से रिपोर्ट आई ?

श्री दिग्विजयसिंह : क्या राज्य सरकार ने जिलाधीश से दर्याफ्त किया कि दो सालों से अकाल पड़ रहा है तो वहां सस्पेन्शन की स्थिति है या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां दो सालों से पड़ रहा है वहां के लिए केबिनेट ने जनरल रेजोल्यूशन पास किया है कि कलेक्टर को असेसमेंट करके कहां माफी की जा सकती है उसकी रिपोर्ट की जानी चाहिये थी । जनरली जहां जहां स्केअरसिटी अफेक्टेड एरिया हैं वहां रेमिसन कलेक्टर की रिपोर्ट के बगैर नहीं हो सकती ।

श्री दिग्विजयसिंह : प्रश्न के भाग ३ में आपने फरमाया जी हां । जहां लगातार तीन वर्ष स्केअरसिटी रही, वहां पहले और दूसरे वर्ष का लगान माफ किये जाने के लिये राज्य सरकार विचार करेगी । तो मैं जानना चाहूँगा कि आज वहां वसूलियां

(श्री दिग्विजयसिंह)

शुरू हो गई हैं अब सरकार विचार कब तक करके आदेश देगी ? वसूलियां हो जाने पर क्या आदेश देगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह स्पेसिफिक आदेश दे दिया गया है जो लगान वसूल किया जा रहा है वह तो इस वर्ष का और गत वर्ष का दो साल का वसूल किया जा रहा है अगर जहां तीन साल का अकाल है तो दूसरे वर्ष की रेमिसन के लिये कलेक्टर की सिफारिश मांगी गई है। कितना चाहिये कितना नहीं, इसको कलेक्टर की रिपोर्ट के बगैर फाइनेन्स विभाग में स्वीकृति नहीं मिल सकती। इसलिये कलेक्टर की रिपोर्ट आना जरूरी है।

श्री दिग्विजयसिंह : भाग चौथे से आपने फिर कह दिया है कि प्रचलित कर दिया गया है आदेश। फिर क्या आदेश प्रचलित कर दिया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसके लिये जनरल रेजोल्यूशन केबिनेट का है। उसको तो प्रकाशित भी कर दिया है। और कलेक्टर को सबको भेज दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने दिनांक १।३।६८ को शार्ट नोटिस द्वारा प्रश्न पूछा था। अब तक न सूचना मिली न उसका जवाब मिला। माही नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच होकर बहती है।......

श्री उपाध्यक्ष : इसके बारे में आप मुझ से २॥ बजे करीब चेम्बर में मिल लीजिये।

श्री नाथूराम : मैं दो तीन बार मिला था। प्रश्न पूछा। अभी तक जवाब नहीं दिया। गडाना डैम गुजरात में बन रहा है, उससे राजस्थान के लोगों की करोडों की सम्पत्ति डूब में आ रही है। इसलिये मन्त्री महोदय से या तो आज नहीं तो कल इस बारे में जवाब दिलाया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिये कोई व्यवस्था यहां नहीं दी जा सकती। २॥ बजे करीब आप मुझ से चेम्बर में मिल लीजिये ताकि जानकारी ले ली जावे।

श्री हरजीराम बुरड़क : ६६४ का उत्तर दिलवा दिया जावे।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : सब प्रश्न महत्वपूर्ण हैं रामचन्द्रजी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम।

मक्का उपभोक्ता सहायता निधि की स्थापना

६६४. **श्रीहरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मार्च, १९५९ में कलेक्टर उदयपुर ने एक मक्का उपभोक्ता सहायता निधि की स्थापना की थी ? यदि हां तो उसमें कितना रुपया जमा हुआ तथा किन किन से यह रुपया प्राप्त हुआ है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त निधि

Page No.33

(श्री हरजीराम बुरड़क)

का कोई अंश उस प्रयोजन के लिये जिसके लिए उसका सृजन किया गया था, उपयोग में नहीं लाया गया ?

(३) क्या यह सही है कि निधि के नियमों के अनुसार इसका आडिट नहीं करवाया गया ?

(४) इस निधि की राशि को कहां कहां पर किस किस प्रकार से खर्च किया गया ?

(५) क्या यह सही है कि वह सब कार्यवाही अनावश्यक व अनियमित हुई ? यदि हां, तो अनियमित व अनावश्यक कार्य करने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उप मन्त्री खाद्य (श्री रामदेव सिंह) : (१) जी हां। राज्य सरकार ने अन्य जिलों के साथ उदयपुर में भी यह सहायता निधि की योजना कायम की थी। इस योजना के अन्तर्गत उदयपुर में ६८,८४६,२५ की धनराशि एकत्र हुई थी जिन लोगों से ली गई थी उसकी सूची संलग्न है।

(२) जी हां।

(३) इस निधि का ऑडिट हो चुका है।

(४) उस राशि का उपयोग छात्रावास समिति द्वारा उदयपुर में छात्रावास भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार की आज्ञानुसार किया गया था।

(५) यह सही नहीं है। इस सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही की गई थी वह राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर हुई है। अत: अनियमितता का प्रश्न नहीं उठता। किसी भी अधिकारी कर्मचारी के प्रति कोई कार्यवाही करने का सवाल नहीं रहता।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिह : यह निधि कहां जमा होती है ?

खाद्य मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा): कन्ट्रोल्ड कमोडिटी चैरिटी फण्ड है उसमें जमा होती है और छात्रावास को देने के बाद बची रकम उस हैड के नीचे जमा है।

श्री भैरोंसिह : जमा कहां होती है सरकार के नियमों के अनुसार कहां जमा होनी चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : ट्रेजरी में जमा होनी चाहिये।

श्री भैरोंसिह : ट्रेजरी में बजट के किस हैड में जमा होनी चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह अलग से फण्ड क्रीएट किया गया था और फण्ड का अमाउन्ट होता है पी० डी० अकाउन्ट्स में।

श्री भैरोंसिह : पी० डी० अकाउन्ट्स में जमा हुआ है इसके लिये तो सरटन हैं न ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं डेफीनेटली नहीं कह सकता कौनसी ट्रेजरी में जमा

(श्री परसराम मदेरणा)

हुआ है। पर फण्ड्स जो है जनरली यह अमाउन्ट पी० डी० अकाउन्ट्स में जमा होता है। चैरिटी फण्ड्स का अमाउन्ट पी० डी० अकाउन्ट्स में जमा होता है। कुछ दिन यह अमाउन्ट सेपरेट रहा। इसके बाद में उस फण्ड की जो रकम बची वह फिर पी० डी० अकाउन्ट में ट्रान्सफर कर दी।

श्री भैरोंसिह : आपका मतलब यह है कि जिस ढंग से रुपया जमा हुआ उसी ढंग से ट्रेजरी में जमा करा दिया था।

श्री परसराम मदेरणा : इसकी सूचना मेरे पास नहीं हैं। पर जो अमाउन्ट बचा करीब २० हजार के आसपास वह चैरिटी फण्ड में जमा हो जाना चाहिये था।

श्री भैरोंसिह : जो धनराशि जमा भी हुई वह किसके नाम से जमा होनी चाहिये थी ?

श्री परसराम मदेरणा : वह तो फण्ड की रकम थी और उसमें फण्ड के नाम से जमा होनी चाहिये थी और उसी तरह से जमा हुई।

श्री भैरोंसिह : किसी के नाम से तो जमा हुआ होगा ?

रुपया एस० डी० ओ० के नाम से जमा हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिह : फिर किसकी जानकारी में होगा। मक्का का परमिट आप देते थे एण्टी करप्शन से बच कर इन्डेन्ट करप्ट कारपोरेशन नाम करके एक-एक रुपया फी क्विन्टल के हिसाब से व्यापारियों से वसूल किया गया और वह रुपया फिर जमा करा दिया गया। योजना बनाई थी इस प्रकार की सन् ५६ तक कोई योजना नहीं थी जिसके मातहत कोई अमाउन्ट गवर्नमेंट अफसर या एस० डी० ओ० कलेक्शन कर सकता था। पर कलेक्शन कर लिया गया अब किस प्रकार से उसका यूटीलाइजेशन किया गया यह अलग से प्रश्न है। पर वह कलेक्शन जो किया गया वह लीगल था या नहीं। किसके नाम पर जमा होना चाहिए या कौन इसका डिस्ट्रिब्यूशन एजेन्ट है। इसकी जानकारी मन्त्री महोदय को नहीं है। इसलिये मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन को थोड़े दिनों के लिये स्थगित कर दिया जावे।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया। यह कन्जूमर्स को सबसीडाइज करने के लिये फण्ड क्रीएट किया गया था और इसमें करप्शन की और दूसरी बातें आप कहते हैं पर इसमें यह था कि इस फण्ड के तत्वावधान में जो कोई भी मक्का राजस्थान के बाहर निर्यात करेगा उसको इस दर पर इस फण्ड में इतना पैसा जमा करना पड़ेगा। इसमें धनराशि एकत्रित हुई। उसके यूटीलाइजेशन के लिये फण्ड्स के रूल्स बनाये गये थे कि जो अफसर कलेक्ट करेगा किस तरह से उसका यूटीलाइजेशन होगा किस परपज के लिये यूटीलाइज यह होगा, यह सब प्रावधान था। माननीय सदस्य कहते हैं, यह प्रावधान

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं था नियम नहीं थे यह सत्य नहीं है। कलेक्शन शुरू हुआ था तो डिफिकल्टी आई और १५।२० दिनों के बाद में रूल्स बन गये थे ३१-२-५६ को और ११ अप्रेल, ५६ के बाद बन्द कर दिया गया।

इस दरम्यानी पीरियड के अन्दर जो कलेक्शन हुआ उस कलेक्शन के अन्दर से कुछ पैसा तो उसमें खर्च कर दिया गया छात्रावास बनाने के अन्दर और बाकी का पैसा जो कन्ट्रोल्ड कामोडिटीज चेरिटी फण्ड है उसमें ट्रान्सफर कर दिया गया।

श्री भैरोंसिह : क्या आप तहकीक है कि इस मामले में १६५६ में जिस तरीके से परमिट देने पर एक रुपया प्रति क्विन्टल के हिसाब से वसूल किया गया उस समय आपके रूल्स बने हुए थे और कलेक्टर को इस प्रकार से कलेक्शन करने का अधिकार था ?

श्री परसराम मदेरणा : रूल्स बनने के बाद ही कलेक्टर ने रियेलाइजेशन किया है। ये जो रूल्स बने हैं वे २६ मार्च को बने हैं और जो कलेक्शन हुआ है वह ३१ मार्च और १७ अप्रेल के बीच में हुआ है। इसलिए जो कुछ कलेक्शन कलेक्टर ने किया है वह लीगल है।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि जिन रूल्स की आप बात कर रहे हैं उन रूल्स के मातहत कलेक्टर कोई कलेक्शन करवा सकता था ?

श्री परसराम मदेरणा : कलेक्टर के कलेक्शन का प्रश्न नहीं है। जो कन्ट्रोल्ड कामोडिटीज चेरिटी फण्ड है वह कलेक्टर आपरेट करता है, लेकिन कलेक्टर हर जगह कलेक्ट नहीं करता है। इसमें यह है कि रिटेलर्स और होलसेलर्स को कितना देना पड़ेगा। जो कुछ रियेलाइजेशन होता है वह पी० डी० एकाउन्ट में जमा हो जाता है और उसी प्रकार से जमा हो गया है और उसका किसी प्रकार से मिस—युटिलाइजेशन नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री भैरोंसिह : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जिन लोगों से पैसा इकट्ठा किया गया है उन लोगों ने पैसा ट्रेजरी में पी० डी० एकाउन्ट में जमा नहीं करवाया है, बल्कि कलेक्टरी में जमा करवाया है जिसको जमा करने का अधिकार कलेक्टर को रूल्स के मातहत नहीं था ?

श्री परसराम मदेरणा : यह, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में नहीं है कि जो पैसा जमा हुआ है वह कौन से हैड में जमा हो गया। कई दफे ऐसा भी होता है कि जिस वक्त नया फण्ड शुरू होता है तो गलती से दूसरे हैड में जमा हो गया हो, तो दूसरी जगह जमा हो सकता है। इतनी डिटेल्स मेरे पास आज नहीं है, लेकिन जो कुछ पैसा जमा हुआ है वह गलत हैड में जमा हुआ है लेकिन उसका मिसयुटिलाइजेशन नहीं हुआ है। जितना पैसा वसूल किया गया है उसका पूरा एकाउन्ट है और कईयों का आडिट हो चुका है और दूसरों का आडिट एकाउन्टेन्ट जनरल ने कर दिया है। इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि इस पैसे की किसी तरह से युटिलाइजेशन में कोई गड़-

(श्री परसराम मदेरणा)

बड़ नहीं हैं, बाकी किसी हैड के अन्दर गलत जमा हो सकता है, क्योंकि नया फण्ड था। उसके बारे में मैं अभी निश्चित तौर से नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : यह जो रुपया खर्च किया गया है वह गवर्नमेंट के आर्डर से खर्च करवाया हैं या कलेक्टर ने अपने आप खर्च कर दिया।

श्री परसराम मदेरणा : गवर्नमेंट के आर्डर से।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। काफी समय हो गया।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट ३ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रधानों व सरपंचों के खिलाफ गबन के मामले

६५८. **श्री हरलालसिंह खर्रा** (श्री माधोपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में कितने प्रधानों व सरपंचों के खिलाफ गबन के मामले कोर्ट में चल रहे हैं ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) जिन प्रधानों व सरपंचों के खिलाफ कोर्ट में गबन के मामले चल रहे हैं उनमें से किस-किस व कहां-कहां के प्रधानों व सरपंचों को मुअत्तिल कर रखा है और कहां-कहां के प्रधानों व सरपंचों को मुअत्तिल नहीं किया गया है ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सदन की मेज पर रखी गई सूची में विवरण दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

अतारांतिक प्रश्नोत्तर

पलाना खान

२९०. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार-शहर) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पलाना खान में ओपन कास्ट के लिए सरकार ने जो बड़ी योजना बनाई थी उसमें कुल कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

(२) यह काम इस वक्त बन्द है या इस पर आदमी काम कर रहे हैं ? यदि कर रहे हैं तो कितने ?

उत्तर

(१) पलाना खान में ओपन कास्ट के लिए राज्य सरकार ने एक योजना बनाई थी। इस योजना के सम्बन्ध में सन् ६६-६७ तक कुल धनराशि रु. १४,५०,०९६ व्यय हुआ है।

(२) ओपन कास्ट का कार्य माह

(राजकीय उपक्रममन्त्री)

अप्रेल, ६६ से बन्द हो चुका है। वर्तमान समय में इस कार्य हेतु कोई कर्मचारी अलग से नियुक्त नहीं है। पर अण्डरग्राउन्ड खान मेन्टेनेन्स के आधार पर चालू है जिस पर करीब ५० आदमी कार्य कर रहे हैं।

आबकारी की वसूली

२९१. श्री रतनलाल रोत (चौरासी): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में आबकारी से कितनी धनराशि प्रति वर्ष वसूल होती है ?

(२) क्या यह सही है कि आबकारी की वसूली करने में कोई ढिलाई आई है जिसके कारण से बहुत बड़ी धनराशि वसूल होने से बाकी है ? यदि हां, तो राज्य सरकार सख्ती से ऐसी राशि को वसूल करने के लिए आगे क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

(१) गत वित्तीय वर्ष १९६६-६७ में राज्य को आबकारी से ८,३८,०९,५९९ रुपये की आय हुई।

जी नहीं। उक्त वर्ष में आबकारी आय का अनुमान, केवल ८·३० करोड़ रुपये का था जिसके विरुद्ध ८,३८,०९,५९९ रुपयों की वसूली हुई।

(२) बाकीयात की राशि अधिकतर गारंटी प्रणाली लागू होने के बाद के समय की है जिसकी वसूली के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाकर आबकारी आयुक्त को उचित आदेश दिए जा चुके हैं।

ग्राम पंचायतों को भूमि का आवंटन

२९२. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या पंचायत तथा विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या ग्राम पंचायतों को १५ बीघा प्रति पंचायत के हिसाब से समूचे राजस्थान की ग्राम पंचायतों को भूमि काश्त करने के लिए या कृषि फार्म के लिए मुस्तकिल एलाट कर दी गई है ?

(२) यदि नहीं, तो क्यों नहीं और कितनी पंचायतों को भूमि दी गई और कितनी बाकी रही हैं।

(३) क्या पंचायत समितियों को भी कृषि फार्मों के लिए भूमि एलाट की गई है ?

(४) यदि हां, तो कुल कितनी पंचायत समितियों को और कितनी कितनी भूमि एलाट की गई है ?

(५) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(२६.३.६८ को पुनः पूछ लिया गया)

ग्राम जसवंतगढ में बस्ती का निर्माण

२९३. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू): क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरजीराम बुरडक)

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लाडनू ने राज्य के भूतपूर्व कृषि मंत्री श्री नाथूराम मिर्धा द्वारा ग्राम जसवन्तगढ़ में किसी वस्ती के निर्माण का शिलान्यास करवाया था ? यदि हां, तो कब और किस प्रकार की वस्ती का ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि उक्त शिलान्यास समारोह में उक्त मन्त्री महोदय के करकमलों द्वारा पंचायत समिति ने एक चैक स्थानीय सरपंच को उक्त बस्ती के निर्माण के लिए या किसी और कार्य के लिए दिलाया था ? यदि हां, तो चैक किस कार्य के लिए कितने रुपये का तथा किस नम्बर और तारीख का था किस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित था तथा चैक जारी करने की तारीख में जिस मद से यह चैक दिया उस मद में समिति के पास कितने रुपये थे और उक्त चैक का रुपया सरपंच ने कब उठाया तथा किस कार्य में खर्च किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) उक्त बस्ती के निर्माण की योजना कब बनी थी ? उसके लिए आर्थिक व्यवस्था किस–किस विभाग से की गई तथा इस बस्ती का निर्माण कार्य किस स्टेज पर है और अब तक कितने रुपये खर्च हो चुके हैं और कुल कितने रुपये खर्च होने का अनुमान है तथा कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) जी हां, आदर्श बस्ती का शिलान्यास १५ नवम्बर, १९६५ को किया गया था।

(२) जी हां। चैक आदर्श बस्ती में शौचालय आदि के निर्माण के लिए ३०,०००) रु० का था। चैक का नम्बर ३७३२६ था व तारीख ५–११–६५ थी। चैक विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित था व जिस तारीख को चैक जारी किया गया था उस दिन सामुदायिक विकास ग्रामीण स्वास्थ्य मद में ७३,५१२ रुपये ३१ पैसे की राशि थी। जन सहयोग उपलब्ध न होने के कारण चैक की रकम सरपंच द्वारा नहीं उठाई गई।

(२) बस्ती के निर्माण का निर्णय पंचायत समिति की बैठक दिनांक १६-५-६५ को लिया गया था और योजना का अनुमोदन दिनांक ४ जुलाई, १९६६ को प्राप्त हुआ। आर्थिक व्यवस्था विकास विभाग समाज कल्याण विभाग द्वारा होनी थी। बस्ती के निर्माण के सम्बन्ध से अब तक ६,५००) रु. खर्च हुए हैं। योजना पर कुल पांच लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। अर्थाभाव के कारण निश्चित अवधि बताया जाना संभव नहीं है।

भूमिहीन किसानों को भूमि

२६४. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (गोगुन्दा-सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :---

जिला उदयपुर की तहसील खैरवाड़ा, गोगुन्दा, कोटड़ा, गिरवा व सलूम्बर में वर्ष १९६४ से ६६ तक कितने भूमिहीन काश्तकारों ने भूमि के लिए प्रार्थना पत्र दिये ?

Page No.39

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

उनमें से कितनों को भूमि दी गई और कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं।

(२६. ३. ६८ को पुनः पूछा गया)

ग्राम श्रीरामपुरा के भूतपूर्व पटवारी के विरुद्ध गबन का मामला

२९५. **श्री सुवालाल चौधरी** (दूदू) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि फुलेरा तहसील के ग्राम श्रीरामपुरा के भूतपूर्व पटवारी श्री रामप्रसाद दास द्वारा कई महीनों तक सरकारी रकम जमा नहीं कराने पर सन् ६५ में तहसीलदार द्वारा गबन का केस बनाया गया था।

(२) अगर हां, तो क्या केस का निर्णय हो गया ?

(३) अगर हां, तो कब और क्या निर्णय हुआ ?

(४) अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिवाय चक की खातेदारी

२९६. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार ने जो निर्णय लिया था कि सिवाय चक के नाम से किसी किसान की जमीन के बीच में कोई चाह हो तो उसके २६) पैनल्टी ली जाकर उसको खातेदारी दे दी जावे ? यदि हां, तो क्या इस निर्णय की अवधि समाप्त हो चुकी है ? अगर हाँ तो क्या सरकार इस निर्णय की अवधि में और समय बढ़ाने की सोचती है ?

(२) क्या सरकार के यह भी विचाराधीन है कि गै. मु. चाह जो सिवाय चक में है और टूटी फूटी हालत में हैं और किसान के खेत के पास पड़ती है तो क्या इस गैर चालू चाह की भी खातेदारी दी जावेगी ? अगर हां तो इसकी भी क्या पैनल्टी ली जावेगी ?

(३) क्या यह सही है कि टूटे फूटे चाह सिवाय चक की खातेदारी में किसानों को देने से हजारों कुये चालू हालत में हो जावेंगे ?

उत्तर

१—जी हां, बिलानाम कुओं के स्वामित्व के विषय में भविष्य में कोई सन्देह अथवा विवाद न उठे इसके लिये संबन्धित खातेदार आसामियों की ३१ दिसम्बर १९६५ तक की अवधि में आवेदन करने तथा प्रति कुआ फीस के २५) रू० भुगतान करने के पश्चात तहसीलदार से औपचारिक रूप से सनद अथवा पट्टा प्राप्त करने की आज्ञा राजस्व (ख) विभाग से परिपत्र संख्या एफ ४ (१०) राज/ख/गुप १।६३

Page No.40

(राजस्व मन्त्री)

भाग २ दिनांक ४ जून १९६५ के द्वारा प्रचलित की गई। पश्चात यह अवधि ३१ दिसम्बर १९६६ तक बढ़ा दी गई और तत्पश्चात दिनांक १५-१२-१९६७ की आज्ञा द्वारा दिनांक ३१ मार्च सन् १९६८ तक अवधि निर्धारित की गई है। अभी समय बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं है।

२—इस प्रकार के कुओं के संबन्ध में खातेदारी देने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। पैनेल्टी लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

३—इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

अनूसूचित जाति के भूमिहीन किसानों को जमीन का एलाटमेन्ट

२९७. **श्री परसराम गंगाराम** (परबतसर सु.) क्या राजस्थान कैनाल परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान नहर क्षेत्र में अब तक कितने भूमिहीन किसानों को जमीन दी गई है?

(२) उक्त किसानों में से अनुसूचित जाति के कितने हैं?

(३) क्या अनुसूचित जाति के किसानों को जमीन रियायती दर पर दी गई है?

(४) क्या अनुसूचित जाति के भूमिहीन किसानों को जमीन देने बाबत उनकी कोई संख्या निर्धारित की गई है? यदि हां, तो कितने अनुसूचित जाति के भूमिहीन किसानों को भूमि दी जावेगी और किस दर पर?

(५) राजस्थान नहर क्षेत्र में कहां कहां अनुसूचित जाति के भूमिहीन किसानों को जमीन दिये जाने की योजना है?

उत्तर

(१) राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में किसी भी भूमिहीन कृषक को जमीन नहीं दी गई है। राजस्थान नहर योजना के नियम बने है उनके अन्तर्गत भूमिहीन किसानों को ५०,००० एकड़ और अनसूचित जाति एवं जनजाति के भूमिहीन लोगों को एक लाख एकड़ भूमि आरीक्षत की है।

(२) अभी प्रार्थनापत्र मांगे गये है।

(३) आरक्षित मूल्य पर भूमि दी जावेगी।

(४) एक लाख एकड़ आरीजात भूमि में से प्रति परिवार १५ बीघा के हिसाब से आवंटन किया जावेगा।

(५) राजस्थान नहर योजना क्षेत्र की अपर रीचेज व अनूपगढ़ शाखा तक भूमि दिये जाने की योजना है।

सरकारी कर्मचारियों की वेतन शृंखलाएं

२९८. **दौलतराम आगरी** (देसूरी सु.): क्या वित्त मंत्री यह बतावे की कृपा करेगे:—

(१) क्या राज्य सरकार ने कर्म-

(श्री दौलतराम आगरी)

चारियों की वेतन श्रृंखलाओं में Rationalised Pay Scales 1955, 1961 फिक्सेशन करने के आदेश जारी किये थे ? यदि हां, तो कब से ?

(२) जिला पाली के वाणिज्य कर विभाग में सन् १९५६ से १९५८ तक एल. डी. सी, यू. डी. सी. व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या कितनी रही है ? उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(३) उक्त कर्मचारियों का (Rationalised Pay Scales 1956, 1961) वेतन स्थिरीकरण एवं एरियर का भुगतान किन किन को किया गया और किस किस का नहीं किया गया ? नहीं करने का कारण बताएं ?

(४) जिन कर्मचारियों का वेतन स्थिरीकरण नहीं किया गया उनके नामों की सूची सदन की मैज पर रखें ।

उत्तर

(१) राज्य सरकार ने कर्मचारियों के वेतन श्रृंखलाओं आर. पी. एस. १९५६, ६१ में फिक्सेशन करने के आदेश जरिये विज्ञप्ति संख्या एम० २ (८) आर/५६ दिनांक २५–५–५६ जो राजस्थान राजपत्र दिनांक २ जून, १९५६ में प्रकाशित हुआ तथा विज्ञप्ति संख्या एम० (५१) एफ. डी. (ए) आर/६१ दिनांक १८–१२–६१ जो राजस्थान राजपत्र ३१–१२–६१ में प्रकाशित हुआ के द्वारा आदेश प्रचलित किए गए है ।

(२) वांछित सूचना संलग्न है जिसमें कर्मचारियों की संख्या एवं नाम अंकित हैं ।

(३) सभी राज्य कर्मचारियों का वेतन स्थिरीकरण किया जाकर एरियर की राशि का भुगतान कर दिया गया है ।

(४) ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

झालावाड़ की भीम सागर बान्ध योजना

२९९ **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला झालावाड़ स्थित भीम सागर बान्ध की योजना–योजना आयोग द्वारा कब एप्रूव हुई ?

(२) इसका तखमीना कुल कितना है ।

(३) उक्त बान्ध से कितनी भूमि के सिंचित होने का अनुमान है ?

(४) क्या यह सही है कि इस योजना के अन्तर्गत काफी राशि व्यय हो चुकी है ? अगर हां, तो कितना व किस किस मद पर ?

(५) इस योजना से प्रति एकड़ व्यय कितना आंका गया है ?

उत्तर

(१) सन् १९६५ में।

(२) ७३–२२ लाख रुपये का

(३) औसत सालाना लगभग १५००० एकड़।

(४) जी हां, अब तक इस योजना पर कुल १३,५७,३७०) व्यय हुआ है। इसमें से बांध पर ६,३५,४८९) नहरों पर ६,४५,९४५) व मुआवजे पर ४५,९३६) रुपये व्यय हो चुके है।

(५) लगभग ४६० रुपये।

तालाबों एवं बांधों का निर्माण

३.०० **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा –सु०)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला उदयपुर की तहसील गोगुन्दा व गिरवा में सन् १९६५,६६ व ६७ में सिंचाई विभाग द्वारा किन किन तालाबों पर कार्य कराया गया और उनमें से कितने तालाब पूरे हुए एवं कितने अधूरे हैं ?

(२) क्या नादेशमा बांध का काम पूरा हो चुका है ? यदि नहीं तो कब तक पूरा हो जावेगा ?

(३) उक्त अवधि में उक्त तहसीलों में ऐसे कितने बान्ध हैं जिनपर अकाल सहायता के अधीन कार्य कराया गया तथा कितना रुपया खर्च हुआ ?

(४) क्या सरकार का टिडी नदी और सोम नदी पर बड़ा बान्ध बन्धवाने का इरादा है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

१. १९६५–६६ व १९६७ में तहसील गोगुन्दा व गिरवा में क्रमशः नान्देशमा व चीरवा तालाबों का कार्य किया गया नान्देशमा का कर्य चालू है व चीरवा का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

२. जी नहीं, सन् १९६८–६९ तक पूर्ण होने की संभावना है।

३. तहसील गोगुन्दा में ७ कार्यों पर १,३५,४१९ रुपया खर्च हुआ व तहसील गिरवा में २८ कार्यों पर २,८१,७४० रुपया खर्च हुआ।

४. जी हां।

भाखरा क्षेत्र की भूमि

३०१. **श्री हंसराज आर्य (भादरा)** : क्या कोलोनाइजेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भाखरा नहर क्षेत्र में कुल कितने एकड़ सरकारी खाली भूमि थी ?

(२) इस भूमि में से कितने एकड़ भूमि को नीलाम कर दिया गया तथा कितने एकड़ भूमि को भूमिहीनों को अलाट किया गया है और कितने एकड़ भूमि को कम भूमि वालों को दिया गया है ?

(३) इस समय कितने एकड़ बाकी बची हुई है ?

(श्री हंसराज आर्य)

(४) माखरा क्षेत्र की भूमि की नीलामी से आज तक कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई हैं ?

उत्तर

(१) माखरा नहर क्षेत्र में कुल २,४७,६०२ एकड़ सरकारी खाली भूमि थी।

(२) ६०, ५१२ एकड़ भूमि नींलाम की गई है १,४४,५६० एकड़ रकबा भूमि-हिनों तथा कम भूमिवालों को दिया गया है।

(३) १२,५०० एकड़ भूमि बची हुई है।

(४) ७,१४,५०,१२२.३८ पैसे भूमि नीलामी व मुस्तकील अलाटमेंट द्वारा माह जनवरी, १६६८ तक प्राप्त हुई है।

मृत सैनिक के परिवार को सरकार द्वारा सहायता

३०२. **श्री देवेन्द्र कुमार मीण** (गोगुन्दा-सु.) क्या राजस्व (सैनिक) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि रुपसी निवासी बिलक, तहसील खेरवाड़ा, जी. डी आर. में सैनिक था ? और उसके पेट का आपरेशन १६६६ में विक्टोरिया होस्पीटल अजमेर में हुआ था और वहीं उनकी मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो कब व कैसे ? सरकार ने उनकी जीवन रक्षा के लिए क्या विशेष प्रयत्न किए ?

(२) क्या यह सही है कि मृत सैनिक के परिवार वालों ने तहसीलदार खेरवाड़ा की सेवा में सहायतार्थ प्रार्थना की ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(३) मृत सैनिकों के आश्रितों के लिये राज्य सरकार ने क्या - क्या सुविधाएें दे रखी हैं, उनकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें और इनके अनुसार मृत रूपसी के परिवार को अब तक राज्य-स्तर से सहायता क्यों नहीं दी गई ?

(४) कब तक उस परिवार को राहत मिल जायगी ? यदि नही, तो क्यों ?

(२-४-६८ को पुन : पूछा गया)

एम्पलायमेंट एक्सचेंज के कर्मचारी

३०३ **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) :क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) एम्पलायमेंट विभाग में किस-किस श्रेणी के कितने -कितने पद स्थाई हैं व कब से ? इन पदों पर कितने कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और कब से ?

(२) कार्य कर रहे कर्मचारियों को अब तक स्थाई किया गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) तालिका न० १ संलग्न है। पदों की संख्या के अनुसार इन सब पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं।

समय-समय पर विभिन्न पदों पर स्थाई होने के योग्य व्यक्तियों को स्थाई किया जाता रहा है।

(श्रम मंत्री)

(२) विभिन्न श्रेणी के पदों पर अब तक स्थाई किये गये व्यक्तियों की संख्या तालिक नं० २ में संलग्न है।

बाकी पदों पर स्थाई करण की क्रिया भी चालू है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

तहसील देवली में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

३०४ श्री जयनारायण सालोदिया-(निवाई) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच हैं कि तहसील देवली, जिला टोंक में सन् ६५-६६ और ६६-६७ में पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा निम्न सड़कें अकाल राहत कार्य के रूप में बनाई गई जिनमें गलत मस्टररोल भर कर रुपये खर्च दिखाये गये हैं :—

(१) दूनी से नगर सड़क

(२) धांधोली से राजकोट सड़क

(३) सांथली से राजमहल सड़क

(२) उपरोक्त तीनों सड़कों की लंबाई चौड़ाई क्या तय की गई थी और कितने का एस्टीमेट था और कितना खर्चा कब कब किया गया ? अलग-अलग आंकड़े सदन की मेज पर रक्खें।

(३) क्या यह सच है कि तहसील रिलीफ कमेटी देवली व जिला रिलीफ कमेटी टोंक ने इस गबन पर विचार करके इसकी जांच का निर्णय लिया गया था ? यदि हाँ, तो जांच किसके द्वारा की गई और उसका क्या निर्णय निकला ?

उत्तर

१—जी, हां। तहसील देवली जिला टोंक में सन् ५५-६६ व ६६-६७ में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा

१—दूनी से नगर सड़क

२—धांधोली से राजकोट सड़क

३—संथली से राजमहल सड़क अकाल राहत के रूप में बनाई गई। किन्तु इनमें गलत मस्टररोल भरकर और खर्चा दिलाये जाने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

२—उपरोक्त सड़कों की लम्बाई-चौड़ाई अनुमानित राशि व व्यय का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

३—जी, नहीं। गबन की कोई रिपोर्ट किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध प्राप्त नहीं हुई, इसलिये इस सम्बन्ध में जांच का प्रश्न ही नहीं उटता।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

स्थगित प्रश्न

(१२—३—६८)

तहसील खेरवाड़ा में भूमि पर नाजायज कब्जे के मामले

२३४. श्री विद्या सागर (खेरवाड़ा सु.) :

(श्री विद्यासागर)

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(१) खेरवाड़ा तहसील, जिला उदयपुर में सन् १६६५ जनवरी से सन् १६६७ दिसम्बर तक कितने नाजायज कब्जे भूमि के दर्ज किये गये ?

(२) जो नाजायज कब्जे दर्ज हुए उनमें से कितने व किन किन आसामियों के नाजायज कब्जे रेगूलराईज किये गये थे और किन किन के नहीं ?

(३) कितने नाजायज कब्जे थे जो रेगूलराईज नहीं करके खारिज किये गये और इस समय नाजायज कब्जों के कितने मामले विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

१-२६३३ मामले दर्ज किये गये।

२-कुल २६३३ मामलों में से ४३४ मामले नियमन किये गये और २१६६ नियमन नहीं किये गये। आसामी वार सूची तैयार कारवाई जा रही है।

३-१८२३ मामले नियमन नहीं कर खारिज किये गये तथा कब्जा हटाने की कार्यवाही की गई। इस समय ३७६ मामले विचाराधीन हैं। सूची बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

स्थगित प्रश्न

(४-३-६८ व १२-३-६७)

पी. डी. आर. के तहत वसूली के पेंडिंग मामले, जिला नागौर

श्री रामसिंह कुडी (डायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(१) नागौर जिले में पी. डी. आर. एक्ट तहत वसूली के कितने मामले पेंडिंग हैं ?

(३) सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख जिससे वसूली होनी है उसका नाम, वल्दियत एवं सकूनत व राशि जो वसूल होनी है, उसका ब्यौरा देते हुये विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ? उक्त रकम कब से बकाया है, वह तिथि भी अंकित करावें ?

उत्तर

(१) जिला नागौर में ४ उप खण्ड अधिकारी हैं, जिनमें पी. डी. आर. के मामलों की निम्न लिखित स्थिति हैं :-

	कुल केसेज की संख्या	कुल रकम जो वसूल होनी थी,	रकम जो वसूल हो गई,	रकम जो १-१-६८ को शेष रही,
१, उप खण्ड अधिकारी नागौर	६७	१४०३८२.०५	१८३२८.६४	१२२०५३.११

Page No.46

(श्री रामसिंह कुडी)

२. „	„ मेड़ता	३०७	२०६५००.४२	४२६३५.५६	१६३८६४.८३
३. „	„ परबतसर	३७	२०६५०५.४२	२६८५७.६३	१७६६४७.४६
३. „	„ डीडवाना	१६५	१३०२१६.८४	२७६६५.१३	१०२६२४.७१
	योग	५७६	६७३७०७.७३	१,१८५१७.५६	५६५,१६०.१४

(२) जिन व्यक्तियों के विरुद्ध पी. डी. आर. के तहत वसूली की कार्यवाही चल रही है, उनकी बहुत लम्बी लिस्ट है, अतः इसके साथ संलग्न करना सम्भव नहीं है, अतः माननीय सदस्य महोदय यदि चाहे, तो लिस्ट सचिवालय, राजस्व (ग) विभाग में देख सकते हैं।

(१२.२२ म. प.)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह रावत, सदस्य विधान सभा ने दिनांक १४-३-६८ को अजमेर में एक १३-१४ वर्ष की बालिका अन्जना देवी के साथ बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला इतना अविलम्बनीय लोक-महत्व का नहीं कि सदन की पूर्व की निश्चित कार्यवाही स्थगित की जा कर इस पर विचार किया जाय। चूंकि इस मामले में केस नहीं चलाये जाने का आरोप लगाया गया है और स्थिति गम्भीर बतलाई गई है अतः मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए माननीय गृह मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे स्थिति को स्पष्ट करते हुए कल इस विषय में एक वक्तव्य देने की कृपा करें।

एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना श्री केशरीसिंह हाड़ा, सदस्य विधान सभा द्वारा प्राप्त हुई है जिसमें केशोराय पाटन, जिला बूंदी, की पंचायत समिति के शिक्षकों का लगभग ५०,००० रु० एरियर के रूप में समिति के पास जमा होने पर भी अध्यापकों को उसका भुगतान नहीं किया जाना बतलाया गया है। चूंकि इस मामले से सम्बन्धित मांग पर सदन में शीघ्र ही चर्चा होने वाली है, अतः इस विषय की मांग पर वाद-विवाद के दौरान कटौती-प्रस्ताव के जरिये उठाया जा सकता है।

एक अन्य स्थगन-प्रस्ताव की सूचना श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र जैसलमेर में सुरक्षा की दृष्टि से निर्माणाधीन हवाई अड्डे पर बन रहे हैंगर की छत के गिरने से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने तथा कुछ के घायल हो जाने का उल्लेख किया गया है। इसी सूचना में सीमा में प्रवेश करने से सम्बन्धित विषय का भी उल्लेख किया गया है। इस सब का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है न कि राज्य सरकार से। ऊपर बताये गये कारणों को ध्यान में रखते हुए मैं इन सब स्थगन-प्रस्तावों

(श्री उपाध्यक्ष)

को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इसके अलावा एक-दो और स्थगन-प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन पर जानकारी की जा रही है। उन पर कल व्यवस्था दी जाएगी।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रस्ताव था पुराना। वह इतना महत्वपूर्ण है कि उसका जवाब अब तक मिल जाना चाहिए था। पुलिस कस्टडी में एक आदमी मर गया है कुए में गिरकर। उसकी सूचना मांगी गई या नहीं ? उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्थाव है या स्थगन-प्रस्ताव ?

श्री रामकिशन : नहीं स्थगन प्रस्ताव था।

श्री उपाध्यक्ष : उसकी जानकारी करके ढाई बजे आप मुझे मेरे चेम्बर में मिल लें उस वक्त बता दूंगा।

श्री रामकिशन : १२ तारीख का दिया हुआ है। वह अलग है जिसके लिए सैक्रेटरी साहब कह रहे हैं। एक हरिजन मर गया है, मार दिया गया है उस पर कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : हरिजन पर क्या कार्यवाही हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरे स्थगन-प्रस्ताव पर जो निर्णय दिया है उस के बारे से मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैंने राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पहले जिस तरह से पाकिस्तान से मुजाहिद आकर गोलियां चलाते थे, जिसके कारण हमारे नागरिक मारे गये और लोगों को उठाकर ले गये उस स्थगन-प्रस्ताव के सम्बन्ध में अध्यक्षजी ने यह निर्णय के रूप में कहा था कि राजस्थान के गृह मन्त्रीजी अध्यक्ष के चेम्बर में मिलें और मेरे दल के नेता को बुलाकर राजस्थान की सीमा के सम्बन्ध में सन्तुष्ट करायेंगे, और उस सम्बन्ध में एक तारीख भी निश्चित की गई थी, लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्णय के ऊपर राजस्थान के गृहमन्त्रीजी ने ध्यान नहीं दिया। राजस्थान की सीमा पर आये दिन इस प्रकार की घटनाएं होती रहीं, और आये दिन, उपाध्यक्षजी, मुजाहिद आते हैं, बारातियों के रूप में आते हैं और उनको उठाकर ले जाते हैं। हमारे लोगों को लूटते है और गोलियां चलाते हैं। तो मेरा इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन है कि इस सम्बन्ध में निर्णय हो जाना चाहिए जब कि लोक सभा में इस पर बात विस्तृत रूप से चलती है, और सीमा राजस्थान से लगी हुई है। इसलिए राजस्थान के प्रत्येक विधान सभा के सदस्य को इसके लिए चिन्तित होना आवश्यक है...

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में यह निवेदन किया गया था कि जो राजस्थान के मसले हैं, उनके बारे में मांग पर जब वाद-विवाद हो उस समय कह सकते हैं जो यहां से सम्बन्धित हैं, और जिनका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है उसके विषय में...

श्री हीराभाई : केन्द्रीय सरकार सोती रहे तो उसको जगाने का भी हक है। (हंसी)

श्री देवीदत्त गाड़िया : उसके अन्दर जो आदमी मरे हैं उन लोगों की आज तक लाशें दबी हुई हैं। पुलिस निकाल नहीं पा रही है। कितने आदमी मरे हैं इस बात का पता नहीं लग रहा है। उनके परिवारों को सूचना नहीं दी गई है। वे लाशें किस प्रकार से जलाई जायगीं ? उनके परिवारों को मिलेगीं या नहीं इसकी सूचना राजस्थान के गृह मंत्रीजी दे सकते हैं। उसमें केन्द्रीय सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : राज्य सरकार से जितने सम्बन्धित मामले हैं, इस विषय में उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं सदन में जब कि यह मांग आये, और जिसका सम्बन्ध किसी सुरक्षा की दृष्टि से बन रहे हवाई पट्टी या हवाई मैदान से है तो उसके बारे में चर्चा करना उपयुक्त भी नहीं है, क्योंकि पहले तो सीमा-सुरक्षा की दृष्टि से उनके बारे में चर्चा नहीं हो सकती है, और फिर उनका सम्बन्ध राज्य सरकार से नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपका फर्माना सही है। मेरा यह कहना है कि १४ आदमी मारे गये और ४१ आदमी घायल हुए हैं तो कितने आदमी और घायलों में से मरे हैं और उनकी लाशें उनके परिवारों को दी गई या नहीं, और किस प्रकार से वे जलाई गई हैं, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इसके निमित्त मैं राजस्थान विधान सभा में माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि जो मजदूर मरे हैं उनकी लाशें उनके परिवारों को दी जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : कुछ तो इसमें स्थिति आपने इसलिए मुश्किल कर दी है कि इसके साथ जोड़ दिया है एक ऐसा विषय जिसके बारे में राज्य सरकार कुछ नहीं कह सकती। अलग से करके दिया जाता तो समझ में आ सकता था।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस सम्बन्ध में कम से कम गृह मंत्रीजी का वक्तव्य दिला दें।

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो कहा है उसकी व्यवस्था दे दी है। और किसी जरिये से उठा सकते हैं इस प्रश्न को।

श्री भैरोंसिंह, (किशनपोल, जयपुर) : कल एक उपाध्यक्ष महोदय एडजर्नमेन्ट मोशन दिया था पंजाब के राज्यपाल महोदय ने जो आर्डिनेन्स इश्यू किया उसके बारे में क्या व्यवस्था है ?

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिए निवेदन किया कि एक दो स्थगन प्रस्ताव हैं उनके ऊपर विचार किया जा रहा है। कल तक उसके ऊपर कुछ निर्णय लिया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इतना गम्भीर है कि इसमें आसन की भी प्रतिष्ठा का सवाल है। खास तौर से विधान सभा और उसके विशेषाधिकारों का प्रश्न भी आता है। इसलिए मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय इस प्रश्न पर आज ही चर्चा होनी चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : देखना यह है कि उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यदि सदन कान्शस हो और कांग्रेस पार्टी के सदस्य और विरोधी दल के सदस्य सभी इस प्रकार की भावना को छोड़ दें और फिर विचार करें कि पंजाब विधान सभा में आर्डीनेन्स के जारी होने के बाद क्या घटनायें हुई हैं, पुलिस ने किस प्रकार से विधान सभा में घुसकर मेम्बर्स को पीटा है और घसीटा है और यहां तक कि मेम्बर्स को कमरों में बन्द करके किस प्रकार से बजट पास करवाया है। यह तो स्थिति विधान सभा पंजाब की है और यह स्थिति उत्पन्न इसलिए हुई कि पंजाब के गवर्नर महोदय ने विधान सभा के अध्यक्ष के अधिकारों पर कुठाराघात करते हुए और सदन के अधिकारों पर कुठाराघात करते हुए इस प्रकार का आर्डीनेन्स इश्यू कर दिया। उसमें जिन बातों का उल्लेख किया गया था वह, उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी देखा होगा और सदन के सभी माननीय सदस्यों ने भी देखा होगा कि आर्डीनेन्स के मातहत गवर्नर महोदय ने स्पीकर के हाथ बांध दिये और विधान सभा की स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया। उस हालत में यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है। आज यह घटना पंजाब विधान सभा में घटी है कल राजस्थान की विधान सभा में भी हो सकती है। विधान सभा के अध्यक्ष को अधिकार है कि सदन को जिस समय चाहें एडजर्न कर दें और उसके बाद में यदि कोई आर्डीनेन्स इश्यू करके एडजर्न को प्रारोग की संज्ञा देकर आर्डीनेन्स के द्वारा अध्यक्ष के हाथ बांधने की कोशिश करें, विधान सभा की स्वतंत्रता पर कुठाराघात करते हुए इसकी कोशिश करें कि लेजिस्लेचर के ऊपर एग्जीक्यूटिव का प्रभाव हो। यह एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का संघर्ष पंजाब विधानसभा में जो कुछ हुआ और राज्यपाल महोदय द्वारा जिस प्रकार का अध्यादेश जारी हुआ उससे प्रकट रूप में आता है। इसलिए मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली बार यू० पी० के अन्दर जब इसी प्रकार का कान्स-टीट्यूशनल क्राईसेस यू०पी० की विधान सभा के एक सस्दय के आचरण के बारे में उत्पन्न हुआ। जब वह मामला हाईकोर्ट में गया तो उस प्रश्न पर राजस्थान में ही नहीं सम्पूर्ण भारत के लेजिस्लेचर ने इस पर विवाद किया और प्रस्ताव किया, लीगल एक्सपर्ट्स सुप्रिम कोर्ट और हाईकोर्ट में भेजे। तो यह प्रश्न उससे कम गम्भीर नहीं है बल्कि मैं तो मानता हूं कि यह प्रश्न तो जुडीशरी से हमारे सामने आता था जिसमें हम उनकी इन्टीग्रिटी पर डाउट नहीं करते थे लेकिन यह प्रश्न तो ऐसा है कि गवर्नर महोदय ने भारत सरकार के इशारे पर लेजिस्लेचर के पावर्स को कर्ब करके एग्जीक्यूटिव की छाप विधान और अध्यक्ष महोदय पर लगाने के लिए इस प्रकार का आर्डीनेन्स जारी किया है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन के अन्दर इस प्रश्न के ऊपर जो कि बहुत गम्भीर है अध्यक्ष महोदय और विधान सभा के विशेषाधिकारों के ऊपर कुठारागात करने की भारत सरकार की प्रक्रिया है यह पंजाब तक ही सीमित नहीं होगी और मौका पड़ा तो यह राजस्थान में भी होगी, मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न पर अभी विचार किया जाये और इसके लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : यह बहुत ही गम्भीर विषय है। इसमें बिना माननीय सदस्यों के

(श्री भैरोंसिंह)

सूचना के सब ओर से पूरा विचार विमर्श करके ही कुछ निर्णय देना सम्भव होगा। उसके अलावा अध्यक्ष महोदय–वह इस समय बीमार हैं–उनसे भी इस संबन्ध में बात करनी है और इसमें क्या होना चाहिए क्योंकि इसमें जल्दी की तो कोई बात है नहीं कि वह मसला आज ही तय किया जाये। विधान सभा की या माननीय सदस्यों की इसमें क्या प्रतिक्रिया है यह सोच विचार करके करने के बाद ही कुछ कहें तो उसके लिए कुछ समय निर्धारित किया जाये क्योंकि इतनी जल्दबाजी में आज ही करना, मैं समझता हूं, उचित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप समय निर्धारित कर दें।

श्री मूलचन्द डागा : अह अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। यह सवाल ऐसा नहीं है कि जरूरी उठाया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इस पर व्यवस्था बाद में दी जायेगी।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस पर समय निश्चित किया जाना चाहिए। आज नहीं तो फिर कभी इसके लिए उपयुक्त मौका मिलना चाहिए और इस मामले पर विचार किया जाना चाहिए। इस समय जैसी व्यवस्था हो रही है बंगाल में और पंजाब में उसमें किसी को कुछ कहना है और मुझे कुछ कहना है वह तो विचार अलग अलग हैं लेकिन यह जनतंत्र का मामला है और हमें जनतंत्र को पनपाना है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए समय निश्चित किया जाना चाहिए और इस पर विचार होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री विट्ठल प्रसाद।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम काल्याखेड़ी तहसील रामगंज मन्डी में बसे बंजारा परिवारों के नाम उनके कब्जे की भूमि को रेग्युलेराइज कराने तथा कोटा जिले में पक्की सड़कों से अलग बनी हुई पुलियाओं की मरम्मत की व्यवस्था कराने से सम्बन्धित विषयों पर याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लाडनूं डीडवाना रोड पर हनुमानगढ़ व होपीटल लाडनूं के बीच मोड़ को ठीक करवाने से संबंधित विषय पर याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरीसिंह हाड़ा।

श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिण्डोली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम ठीकरदा तहसील हिण्डोली में कृषि व्यवस्था हेतु बिजली देने के संबन्ध में ४ याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय मैं पेचकी बावड़ी से लकड़ेश्वर महादेव, तहसील हिण्डोली की

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

सड़क का कार्य पूर्ण कराने संबंधी ४ याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तहसील हिण्डोली में गुढ़ा गोकुलपुरा बांध योजना को पूरा करने संबन्धी ४ याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

हरिबल्लभ शर्मा (सवाईमाधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इसलिए रखा है कि आपके माध्यम से मैं आयुर्वेदिक मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि विद्यापीठ बम्बई के प्रवेशिका के छात्रों को यहां की प्रवेशिका के समक्ष माना जाकर कई छात्रों के आयुर्वेद कालेज में एडमीशन्स किये गये, उनको प्रवेश दे दिया गया, फीस जमा हो गयी और उनको ६-६ और ७-७ महीने तक रखा, कक्षा में बैठकर उन्होंने अध्ययन भी किया लेकिन दिसम्बर के महीने में जब कि फार्म भरने का समय आता है उस समय रोक दिया जाता है और कहते है कि तुम परीक्षा देने के अधिकारी नहीं हो क्योंकि यह कारण तो मंत्री महोदय बतायेंगे लेकिन जहां तक मुझे मालुम है और जानकारी ली गई है कि सन् ५६ में बम्बई विद्यापीठ की जो प्रवेशिका की परीक्षायें हैं वह यहां की प्रवेशिका के समकक्ष मान ली गयी और राज्य सरकार के इस बारे में आदेश भी हो गए थे। यही नहीं, बल्कि कई विद्यार्थी उन दिनों उस आयुर्वेद कालेज में एडमिट भी हुए और उसके बाद में एक दो वर्ष तक रेगुलरली परीक्षा भी दे चुके हैं। तो जिनका प्रथम वर्ष था उनको द्वितीय वर्ष में रोक दिया गया, जिनका द्वितीय वर्ष था उनको तृतीय वर्ष में रोक दिया गया और जिन्होंने प्रथम वर्ष किया उनके लिए इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है कि उनको रोका जा रहा है। इसी कारण से मैंने यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आपके माध्यम से रखा है, और आयुर्वेद मंत्री महोदय इसके बारे में स्पष्टीकरण करेंगे कि राज्य सरकार की क्या नीति है और क्यों इस प्रकार किया जा रहा है कि जो १६५६ में आदेश निकाला था राज्य सरकार ने वह आज आठ बरस के बाद क्यों दखल अंदाज किया जा रहा है। अगर यह भी मानकर चला जाये कि राज्य स्थिति में परिवर्तन करने जा रही है या करने वाली है तब भी मैं यह मान कर चलता हूं कि जहां बालकों और नवयुवकों की शिक्षा का प्रश्न है, वहां हमें इस तरह शिक्षा की नीति में परिवर्तन नहीं करना चाहिये। अगर यह परिवर्तन एप्रिल में किया गया होता, या मई में किया गया होता, या जून और जुलाई के महीने में किया गया होता, तो ये लड़के दूसरे किसी कालेज में एडमिशन ले सकते थे और उनको वहां पर एडमिशन मिल सकता था। लेकिन जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, जिन ने फीस जमा करा दी है, रेगुलर कोर्स में छः आठ महीने पढ़ चुके हैं, और ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रथम और दूसरे वर्ष की परीक्षा भी पास कर रखी हैं, उनको आगामी परीक्षा में बैठने से रोका जाये, यह उनके साथ बहुत अन्याय है। यह मैं मानता हूं कि किसी का धन खर्च हो जाये और वह व्यर्थ जाये तो भी कोई खास चिंता

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

की बात नहीं हैं, लेकिन जहां छात्रों के जीवन का सवाल है, उनके एक एक, दो दो साल बहुत कीमती हैं, उनका कोई मूल्य नहीं हो सकता। इसलिए आयुर्वेद मंत्री से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से जिन को प्रवेश दिया गया है उनकी दिक्कतों का ध्यान रखना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आयुर्वेद मंत्री।

श्री अमृतलाल यादव (आयुर्वेद मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य ने फर्माया कि संस्कृत प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, इसके लिये मैंने जानकारी की। इसमें मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार द्वारा संचालित आयुर्वेद परीक्षाओं की नियमवाली १९५७ की धारा ११ के अनुसार राजस्थान राज्य की प्रवेशिका परीक्षा आयुर्वेद पाठ्य क्रम के लिये प्रवेश परीक्षा मानी गई है। प्रवेशिका परीक्षा एवं इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को भिषग्वर व भिषगाचार्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाता रहा है तथा आज भी प्रवेश देने में कोई अड़चन नहीं है।

उक्त नियमावली के नियम १ के अनुसार प्रवेश देने का अधिकार राजस्थान सरकार के आयुर्वेद विद्यालयों व निजी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्राचार्यों (प्रिसीपलों) को है तथा वे २२ जुलाई तक प्रवेश दे देते हैं। जो छात्र भिषग्वर द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पास हो गये हैं उनको आगामी परीक्षा में बैठने से कभी नहीं रोका गया है।

केवल ऐसे छात्र जो किसी अन्य राज्य की संस्कृत की वह परीक्षा पास है जो उस राज्य में मैट्रिक या उसके समकक्षा नहीं मानी गई है, वे उक्त नियमावली के अनुसार भिषग्वर की आयुर्वेद की परीक्षाओं में बैठने के अधिकारी नहीं हैं क्योंकि उक्त परीक्षा हेतु न्यूनतम योग्यता का आधार मैट्रिक या उसके समकक्ष संस्कृत परीक्षा मानी गई है।

माननीय सदस्य ने जो कहा है उसके बारे में मैंने आपको नियम बतलाये। इसके अलावा भी मुझे आयुर्वेद कालेजों के प्रिंसीपलों से तीन जगह से सूचना मिली है कि ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जिसको परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया हो अथवा रोका गया हो जिसने कि प्रवेशिका पास कर रखी हो। नियमों में भी कोई अड़चन नहीं है। इसलिये मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे किसी विद्यार्थी विशेष का नाम बतायें या कालेज विशेष का नाम बतायें तो और जानकारी कर ली जायेगी।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, बाम्बे की प्रवेशिका परीक्षा राजस्थान के अन्दर मैट्रिक के समकक्ष मानी गई है या नहीं यह आप बतलाने की कृपा करें। जिन विद्यार्थियों ने बाम्बे की प्रवेशिका परीक्षा पास कर रखी है उनको आपने मैट्रिक के समकक्ष मानकर एडमिशन दिया है लेकिन उनको अब भिषग्वर की परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा है। तो मेरा नम्र निवेदन यह है कि इसकी जांच कर ली जाये और विद्यार्थियों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाये और उनको परीक्षा में बैठने दिया जाये।

श्री अमृतलाल यादव : बाम्बे की प्रवेशिका परीक्षा के बारे में तो आपने अभी

Page No.53

(श्री अमृतलाल यादव)

बतलाया। इसकी सूचना मेरे पास नहीं है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इस परीक्षा को मैट्रिक के समकक्ष माना है या नहीं, या बाम्बे ने भी माना है या नहीं, लेकिन अगर बाम्बे ने भी इसको मान्य किया है तो हमें कोई अड़चन नहीं होगी। इसलिये कोई अगर स्पेसीफिक इग्जाम्पिल दें तब तो मैं जानकारी कर लूंगा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने अपनी १६५६ की विज्ञप्ति के द्वारा प्रवेशिका परीक्षा को मैट्रिक के समकक्ष माना है, इसका गजेट नोटीफ़िकेशन है या नहीं यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन नोटीफिकेशन अवश्य निकला है। बाम्बे के छात्रों को प्रवेश दिया गया है। यही नहीं, बल्कि कई विद्यार्थी तो प्रथम और द्वितीय वर्ष भिषग्वर परीक्षा में उतीर्ण भी हो चुके हैं, और अब जाकर दो तीन साल बाद उनको रोका जा रहा है। इस जुलाई में जिन्होने एडमिशन लिया था उनको भी रोका जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि आप उन्हें उन विद्यार्थियों के नाम बता दें, तो यह आप बता दीजिये। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो अलग बात है।

श्री अमृतलाल यादव : किस क़ालेज में किस विद्यार्थी को रोका गया, यह स्पष्ट तोर से बता दें तो मैं जानकारी करके आपका समाधान कर लूंगा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मैं तो यही आश्वासन चाहता हूँ कि उन विद्यार्थियों को परीक्षाओं में बैठने दिया जायेगा या नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव : कौन से विद्यार्थी ?

श्री हरिवल्लभ शर्मा : जिन्होंने बाम्बे विद्यापीठ से प्रवेशिका परीक्षा पास कर रखी है। बाम्बे विद्यापीठ की प्रवेशिका परीक्षा को आप मैट्रिक के समकक्ष मानते हैं या नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारे आयुर्वेद कालेजों में से कौनसे कालेज के किस विद्यार्थी को रोका जा रहा है यह तो माननीय सदस्य बतायें। बाकी रहा सवाल बाम्बे विद्यापीठ की प्रवेशिका परीक्षा का, उसके बारे में मुझे निवेदन करना है कि अगर बाम्बे यूनिवर्सिटी ने भी इसको मैट्रिक के समकक्ष मान लिया होगा तो हम उसको मानते हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : बाम्बे यूनिवर्सिटी ने माना है।

श्री उपाध्यक्ष : मांगों पर विचार।

मांग संख्या ४६

अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान

अनुदान की मांग संख्या ४६

श्री शोभाराम, (कृषि मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या

(श्री शोभाराम)

४६, मुख्य शीर्षक १२४–सरकारी व्यापार योजनाओं के लिये पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २३,४६,२८,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर।

अनुदान की मांग संख्या ४

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२–विक्री कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७५, १३, ००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

अनुदान की मांग संख्या २

श्री मथुरादास माथुर, (वित्त मंत्री) मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०, राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,१९,४८, ००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

उपरोक्त मांगों पर निम्नलिखित कटोती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांग संख्या ४६

श्री हरिवल्लभ शर्मा, (सवाई माधोपुर)

१. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रुपये कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा व्यापार में व्यापारी जैसा व्यवहार न किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा राजकीय व्यापार में व्यापारियों की परेशानी के संबंध में चर्चा के लिये)।

३. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय स्यालू व गई उनालू में फसलों में अनाज की खरीद में राजकीय व्यापार में हानि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४

४. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२–विक्री कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (छोटे व्यापारियों की कर वसूली की प्रणाली से, परेशानियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २

५. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर १) रु० कर दिया जाय (आबकारी के ठेकों की वर्तमान प्रणाली के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४६

श्री बिरधीचन्द जैन, (बाड़मेर)

६. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर

(श्री बिरधीचन्द)

दिया जाय (बाड़मेर जिले में ऊन की बहुतायत होते हुए भी ऊन मिल की बाड़मेर में स्थापना न करने सम्बन्धी सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २

७. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १) रु० कर दिया जाय (राज्य में अफीम निषेध पूर्णतया लागू न कर सकने सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

८. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १) रु० कर दिया जाय (राज्य में शराब निषेध को गांधीजी की शताब्दी के मनाने के अवसर पर पूरी तरह से लागू करने सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

श्री गोरधन सोनी, (मेड़ता)

६. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य में बढ़ते हुए मदिरा पान की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४६

श्री भगवानदास शास्त्री, (अजमेर पश्चिम)

१०. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार की योजनाओं की असफलता एवं भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४

११. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२—बिक्री कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर में व्याप्त अनियमितताओं एवं इससे जनता की परेशानियों के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २

१२. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आबकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४६

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर)

१३. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जयपुर दुग्ध वितरण योजना पर किये जाने वाले फिजूल खर्च को रोकने पर चर्चा के लिये)।

१४. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नमक व्यापार योजना के अन्तर्गत होने वाली शोषण वृत्ति को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

१५. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

१२४–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ऊन के व्यापार में अकर्मण्यता के कारण होने वाली हानि से बचने हेतु चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४

१६. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२– बिक्री कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर वसूली की वर्तमान शिथिल कार्य प्रणाली में तीव्रता लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २

१७. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०– राजकीय आबकारी कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आबकारी विभाग में होने वाले फिजूल खर्च को रोका जाय, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४६

श्रीमती कान्ता कथूरिया, (कोलायत)

१८. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अनाज पर खर्च की लागत व अन्य व्यय अत्यधिक एवं अनुचित होने के कारण उपभोक्ताओं को अत्यधिक कष्ट के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४

१६. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२– बिक्री कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभागीय अधिकारियों द्वारा मन माने ढ़ंग से कर वसूली करने के कारण राज्य कोष को होने वाली हानि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४६

श्री मनोहर सिंह मेहता, (मांडलगढ़)

२०. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४- सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पहले से चले आ रहे उद्योगों पर ध्यान देकर नये उद्योगों को हाथ में न लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

२१. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४- सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा दुग्ध वितरण योजना में भारी नुकसान पर चर्चा के लिए)

मांग संख्या ४

२२. मांग संख्या४, मुख्य शीर्षक १२– बिक्री कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर की वसूली में धांधली व घोर भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

२३. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२– बिक्री कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर डिपार्टमेंट के अव्यवस्थित और पेंचीदा टेक्स वसूली की प्रणाली के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

२४. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२– बिक्री कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (छोटे व्यापारी बिक्री कर वसूली के

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

तरीकों से भयभीत तथा दुखी हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २

२५. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १) रु० कर दिया जाय (पूर्ण नशाबन्दी २ अक्टूबर सन् १६६६ से पूर्व न कर सकने सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

२६. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत इस मांग को घटकर १०० रु० का कर दिया जाय (आबकारी विभाग को नशाबन्दी विभाग बनाकर पूर्ण नशाबन्दी करने के बारे में चर्चा के लिए)।

२७. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०-राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर १) रु० कर दिया जाय (२ अक्टूबर सन् ६६ तक पूर्ण नशाबन्दी न कर सकने सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या ४६

श्री देवीदत्त गाड़िया, (बांरा)

२८. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत से खरीद–फरोक्त आदि में भारी घोटालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४

२६. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२-बिक्री कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर विभाग में भारी घोटालों व पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

३०. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२–बिक्री कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नतियों में भारी पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २

३१. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजकीय आबकारी कर वसूली में भारी धांधली पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४

श्री मोहनलाल मोदी, (नीम का थाना)

३२. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२–बिक्री कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर के कारण व्यापारियों को होने वाली अन्यावश्यक परेशानियों के निराकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४६

श्री फूलचन्द बाफणा, (सुमेरपुर)

३३. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १) रु० कर दिया जाय (सरकारी व्यापार

(श्री फूलचन्द बाफना)

की योजनाओं में लगाये गये धन के संबंध में सरकारी नीति का अननुमोदन ।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर)

३४. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १) रुपया कर दिया जाय (सरकारी व्यापार में राज्य सरकार की नीति का अननुमोदन) ।

मांग संख्या ४

३५. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२– बिक्री कर के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (बिक्री कर की वसूली के सम्बन्ध में दोष पूर्ण सरकार की नीति का अननुमोदन) ।

मांग संख्या २

३६. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १) रु० कर दिया जाय (आबकारी कर वसूली सम्बन्धी मामलों में राज्य सरकार की नीति का अननुमोदन) ।

मांग संख्या ४

श्री शंकरलाल जाट (कपासन)

३७. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२–बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर में अनियमितताओं पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ४६

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा)

३८. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४– सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार की व्यवस्था में अयोग्य अफसरों के कारण घाटे पर चर्चा के लिये) ।

३९. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य द्वारा किये गये इन्वेस्टमेन्ट्स के उचित फल प्राप्त न होने पर चर्चा के लिये) ।

४० मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४– सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००)रु० कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार में विभाग की लापरवाही से होने वाली हानियों पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ४

मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२–बिक्री कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर में हो रही चोरी और उसकी वसूली ठीक ढंग से न होने के बारे में चर्चा के लिये) ।

४२. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२– बिक्री कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय(बिक्री कर वसूली की दोषपूर्ण प्रणाली पर चर्चा के लिये) ।

४३. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक

(श्री रामनारायण चौधरी)

१२- बिक्री कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (रिफ्रेशर कोर्स योजना में किये जाने वाले अपव्यय पर चर्चा के लिये)।

४४. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२–बिक्री कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

४५. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२–बिक्री कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर में होने वाली चोरियों की रोक थाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मांग संख्या २

४६. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले में गैर कानूनी चलने वाली शराब की भट्टियों को रोकने में विभाग की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

४७. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रिवेन्टिव फोर्स की अयोग्यता पर चर्चा के लिये)।

४८. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बाहर से खरीदी गई मदिरा में घोटालों पर चर्चा के लिये)।

४९. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शराब के ठेके देने में विभाग द्वारा बरते गये भेदभाव पर चर्चा के लिये)।

५०. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नाजायज शराब निकालने की रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४६

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई):

५१. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार की योजनाओं के कारण जनता की बढ़ती हुई परेशानियों पर चर्चा के लिए)।

५२. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार की योजनाओं में करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद घाटे की स्थिति पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४

५३. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२–बिक्री कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर के कर्मचारियों द्वारा व्यापारियों के साथ अभद्र व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

५४. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२– बिक्री कर में से १००) रु० कम कर

Page No.60

(श्री जयनारायण सालोदिया)

दिया जाय (बिक्री कर की वसूली में सरलीकरण होने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

५५. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२–बिक्री कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर वसूली में व्यापारियों को होने वाली परेशानियों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २

५६. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शराब की बिक्री करने वाले ठेकेदारों से ठेके की रकम की वसूली में अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

५७. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शराब बिक्री केन्द्रों को मैनरोड व सार्वजनिक जगहों से दूर रक्खे जाने पर चर्चा के लिए)।

५८. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य में पूर्ण शराब बन्दी न करने के सम्बन्ध में सरकार की ढिलमिल नीति पर चर्चा के लिए)।

५९. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आबकारी कर की बकाया वसूली समय पर न होने के सम्बन्ध में सरकार की ढिलमिल नीति पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४६

श्री विजयसिंह रावत, (नसीराबाद)

६०. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (फसलों को नष्ट न होने से बचाने के लिए कीट नाशक औषधियों का समय पर उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

६१. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जयपुर दुग्ध वितरण योजना में भारी घोटालों पर चर्चा के लिए)।

६२. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खाद वितरण में भारी अनियमिततायें व व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४

६३. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२–बिक्री कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि उपयोगी वस्तुओं पर बिक्री कर लेने से उत्पादन पर कु प्रभाव होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

६४. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक

Page No.61

(श्री विजयसिंह रावत)

१२–बिक्री कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बड़े २ व्यापारियों द्वारा डबल खाते व रसीद बुक रख कर बिक्री कर की चोरियां करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

६५. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२–बिक्री कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में रोजमर्रा का परचूनी सामान बेचने वाले दुकानदारों के साथ बिक्री कर अधिकारियों के दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिए)।

६६. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२–बिक्री कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर की बकाया वसूली राजनैतिक कारणों से न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

६७. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२–बिक्री कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (फसलों में पाये जाने वाले कीड़ों एवं दूसरी बीमारियों को खत्म करने वाली दवाइयों पर बिक्री कर लगाने से काश्तकार को परेशानी पर चर्चा के लिए)।

६८. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२–बिक्री कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (निरोधक दल द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २

६९. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से १००) कम कर दिया जाय (शराब के ठेकेदारों में १९६३ से चल रही बकाया रकम की वसूली न होने पर चर्चा के लिए)।

७०. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खुली शराब बेचने में होने वाले भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

७१. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (शराब की दुकानों को खोलने व बन्द करने के समय को नियमित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

७२. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राष्ट्रीय पर्व के दिनों में शराब की बिक्री बन्द करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

७३. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पिछड़ी जन जाति व लेबर क्षेत्रों तथा विद्यालयों व धार्मिक स्थानों के नजदीक खुली शराब की दुकानों को तुरन्त हटाने पर चर्चा के लिए)।

७४. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शराब की भट्टियों पर बोतलों में लगाई जाने वाली सीलें ठीक न लगाई जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४६

श्री दौलतराम सारण—(डूंगरगढ़)

७५. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जयपुर दुग्ध वितरण योजना की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २

७६. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०-राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर १) रु० कम कर दिया जाय (सम्पूर्ण राज्य में नशा बन्दी लागू करने की असफल नीति का अननुमोदन) ।

मांग संख्या ४६

श्री रघुनाथ विश्नोई(—(सांचोर)

७७. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००)रु० कम कर दिया जाय (जयपुर दुग्ध वितरण योजना में होने वाले घाटे एवं उसे दूर करने के बारे में चर्चा के लिये) ।

७८. मांग संख्या ४६ मुख्य शीर्षक १२४–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय(सरकार द्वारा ऊन व्यापार की योजना की कमियों के बारे में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २

७६. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०-राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १) रु० कर दिया जाय (राज्य में शराब निषेध सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन) ।

८०. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०-राजकीय आबकारी कर में से १००)रु० कम कर दिया जाय (राज्य में होने वाले अवैध अफीम एवं शराब के व्यापार को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ४६

श्री श्रवणलाल—(हिन्डौन)

८१.मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १) रु० कर दिया जाय (सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में नीति का अननुमोदन) ।

८२. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १००)रु० कम कर दिया जाय (जिला सवाई माधोपुर में सरकारी व्यापार की योजनाओं में घोटालों के संबंध में चर्चा के लिए) ।

८३. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४- सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में सरकार द्वारा चलायी जाने वाली योजनाओं में भ्रष्टाचार व उससे होने वाली हानियों के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४

८४. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२-

(श्री श्रवणलाल)

बिक्री कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर की चोरियों को रोकने में विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये) ।

८५. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२- बिक्री करमें से १०० -)रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर की वसूली में विभाग की ढ़िलाई पर चर्चा के लिए) ।

८६. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२- बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर की बकाया धनराशि की वसूली में ढ़िलाई पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २

८७. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०- राजकीय आबकारी कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शराब के ठेकों में होने वाली अनियमितताओं के कारण सरकार को होने वाली आर्थिक हानि पर चर्चा के लिये) ।

८८. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक, १०- राजकीय आबकारी कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आबकारी कर की वसूली में अनियमितताओं एवं ढ़िलाई पर चर्चा के लिये) ।

८९. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०- राजकीय आबकारी कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शराब के ठेकेदारों से बकाया की वसूली विभाग की ढ़िलाई पर चर्चा के लिये) ।

९०. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०- राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शराब के ठेकेदारों से बकाया वसूली के सम्बन्ध में सरकार के ढ़िलमिल रवैये पर चर्चा के लिए) ।

९१. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १० राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत इस मांग में से १)रु० कम कर दिया जाय (शराब के ठेकेदारों को ठेका देने में सरकार की गलत प्रणाली पर चर्चा के लिए ।

मांग संख्या ४६

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा)

९२. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४–सरकारी-व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १००)रु० कम कर दिया जाय (उन्नत बीजों की मांग की पूर्ति के सम्बन्ध में सुधार करने पर चर्चा के लिए) ।

९३. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर लागत के अन्तर्गत मांग से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार में होने वाले घाटे (हानि) के कारणों पर चर्चा के लिए) ।

९४, मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १००)रु० कम कर दिया जाय (नवलगढ़ में अनवर्गीकरण केन्द्र तथा ऊन फेक्ट्री के बंद होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

(श्री शिवनार्यसिंह)

९५. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १००) कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार की योजनाओं पर किये गये अपव्यय पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४

९६. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२-बिक्री कर में से १००)रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर की वसूली के तरीकों में सुधार एवं बिक्री कर की बकाया वसूल करने में ढ़िलाई पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २

९७. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०-राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से १००)रु० कम कर दिया जाय (राजकीय आबकारी कर की वसूली में सुधार लाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४६

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन सु.) :

९८. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४- सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १००)रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा किसानों से सीधा अनाज खरीदने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा सु.) :

९९. मांग संख्वा ४६, मुख्य शीर्षक १२४- सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं में भ्रष्टाचार, पक्षपातपूर्ण रवैये एवं हानि पर चर्चा के लिए)।

१००. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४- सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १००)रु० कम कर दिया जाय (जिला बीकानेर में सरकारी योजनान्तर्गत संचालित व्यापारों में हानि पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४

१०१. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२- बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर की बकाया राशि को वसूल करने में सरकार द्वारा पक्षपात एवं ढ़िलाई पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४६

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

१०२. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४- सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार की व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४

१०३. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षग १२- बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम दिया जाय (विभिन्न स्तर के

श्री रामान्द अग्रवाल

कामर्शियल टेक्सेशन अधिकारियों के अधिकारों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

१०४. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२- बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर के सम्बन्ध में रिटर्नस दाखिल करने में सामान्य लोगों की असुविधाओं पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ४६

श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) :

१०५. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४- सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा व्यापार की योजनाओं में व्यय हुई धन राशि का सुदुपयोग न होने पर चर्चा के लिए) ।

१०६. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४- सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जयपुर दुग्ध डेयरी के अधिकारियों द्वारा कुछ गांवो से खरीदे गए दूध की कीमत का भुगतान न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

रुपयों के घोटालों पर चर्चा के लिए) ।

१०७. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४- सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जयपुर दुग्ध योजना में हजारों रुपयों का घोटालों पर चर्चा के लिये ।

१०८. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४-सरकारी । व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खाद्य उत्पादन पर अधिक रुपया लगाया जाकर इनकी कीमत कम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१०९. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि उपज बढाने के प्रयोजनार्थ ट्रेक्टर्स का क्रय विक्रय सरकार अपने हाथ में ले, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

११०. मांग संख्या ४६. मुख्य शीर्षक १२४-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००)कम कर दिया जाय (खाद, बीज कृषि उपयोगी औषधियों के उत्पादन के कार्य में अधिक पूंजी लगाने पर चर्चा के लिये) ।

१११. मांग संख्या ४६-मुख्य शीर्षक १२४-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन की वृद्धि हेतु कृषि उपयोगी यंत्रों के उत्पादन में अधिक पूंजी लनाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ४

११२. मांग संख्या ४. मुख्य शीर्षक १२ बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से १००)रु० कम कर दिया जाय (कृषि उपयोग में काम आने वाले ट्रेक्टर्स व इसके पार्टस को कर मार से मुक्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

११३. मांग संख्या ४. मुख्य शीर्षकक

(श्री सूबालाल चौधरी)

१२ विक्री के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (कृषि उपयोग हेतु खाद, दवा व अन्य औजारों को विक्री कर से मुक्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

११४. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२-विक्री कर के अन्तर्गत मांग में से १००) कम कर दिया जाय (पांच हजार रु० के कम आमद वाले व्यापारी को खुदरा व्यापार करने हेतु एक ही लाईसेन्स होने के संबंध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २

११५. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०-राजकीय आवकारी कर में से १०० रु० कम कर दिया जाय । (शराव बन्दी न होने के कारण परिवार नियोजन योजना असफल रही हैं, इस सम्बन्धी चर्चा के लिये) ।

११६. मांग संख्या २, मुख्यशीर्षक १० राजकीय आवकारी कर में से १००) कम दिया जाय (शराव का उत्पादन व उसकी विक्री समाप्ति के सम्वन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ४६

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर)

११७. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४ सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर १)रुपया कर दिया जाय । (निजी व्यापार योजनाओं से सम्बन्धी सरकार की नीति का अनुनमोदन) ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)

११८. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटां कर १ रुपया कर दिया जाय (सरकारी क्षेत्र में व्यापार की योजनाओं में निर्धारित सफलता प्राप्त न करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति का अनुनमोदन) ।

मांग संख्या ४

११९. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२-विक्री कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय । (विक्री कर वसूली प्रणाली को सरलतम बनाने के वारे में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २

१२०. मांग संख्या २ मुख्य शीर्षक-१० राजकीय आवकारी कर के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर १) रु० कर दिया जाय) (नशाबन्दी करने में सरकार की असफलता के कारण सरकारकी नीतिका अननुमोदन) ।

मांग संख्या ४६

श्री देवीलाल बुरासिया (केकडी सु.)

१२१. मांग संख्या ४६, मुख्यशीर्षक १२४- सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार योजनाओं में भेड़ पालकों से सीधी ऊनै खरीदने में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

१२२. मांग संख्या ४६, मुख्यशीर्षक

(श्री देवीलाल बुरासिया)

१२४–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार की योजनाओं के खाद्य निगम में पक्षपात पूर्ण तरीके से अनाज खरीदने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४

१२३. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२-बिक्री कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर गलत तरीके से एकत्रित करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४६

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)

१२४. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से१००)रु.कम कर दिया जाय (ऊन के व्यापार मे अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के कारण सरकार-को हो रहे घाटे पर चर्चा के लिये)।

१२५. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) कम कर दिया जाय (ग्रेडिंग की गई ऊन को पैक करने के लिए जो वुल पैक ग्रेडिंग सेन्टरों के लिए खरीदे गये थे उसमें किये गये घोटालो पर चर्चा के लिये)।

१२६. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजीकी लागत में से १००)रु. कम कर दिया जाय (सोडियम सलफेट प्लान्ट, डीडवाना में अयोग्य कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण उक्त प्लान्ट को हो रही हानि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१२७. मांग संख्या । ४६ मुख्य शीर्षक १२४-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सन् १९६३ से १९६७ तक ऊन तोलने के लिए ऐवरी कम्पनी से मशीनों की खरीद में किये गये घोटालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४

१२८. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२-बिक्री कर में से १०० कम कर दिया जाय। (विभाग द्वारा किये गये प्रमोशनों व नियुक्ति में किये गये पक्षपात व अनियमितता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २

१२९. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०– राजकीय अबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आबकारी विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्तियों में पक्षपात पर चर्चा के लिए)।

१३०. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०– राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शराब के ठेकेदारों से बकाया रकम समय पर वसूल नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४

श्री मूलचन्द डागा : (पाली)

१३१. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२– बिक्री कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर अधिकारियों की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २

१३२. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०– राजकीय आबकारी कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली तहसील के गांवों में नाजायज शराब बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ४

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : (गोगुन्दा सु.)

१३३. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२–बिक्री कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर वसूली सम्बन्धी सरकारी ढिलमिल रवैये पर चर्चा के लिये) ।

श्री महेन्द्रसिंह हाड़ा : (पीपल्दा)

१३४. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२– बिक्री कर में से १००)रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर के स्थानीय अधिकारियों द्वारा व्यापारियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिये) ।

श्री कल्याण मल : (जहाजपुर)

१३५. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२– बिक्री कर में से १००)रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर की वर्तमान प्रणाली के कारण छोटे-छोटे व्यापारियों को होने वाली परेशानियों पर चर्चा के लिये) ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : (कोटा)

१३६. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२–बिक्री कर में से १००)रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर की वसूली सम्बन्धी दोष पूर्ण प्रणाली पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २

१३७. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०– राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से १००)रु० कम कर दिया जाय (आबकारी विभाग द्वारा ठेकों व ठेकेदारों को अनुचित लाभ देने पर चर्चा के लिए) ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : (आसीन्द)

१३८. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १)रु० कम कर दिया जाय (मद्य निषेध के सबंध में घोषित नीति को जल्द कार्यान्वित न करने बारे में सरकार की नीति का अननुमोदन) ।

श्री शंकरलाल : (जैतारण)

१३९. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शराब के ठेके 'ओफर सिस्टम' पर देने से राजकीय कोष में हानि होने के संबंध में चर्चा के लिए) ।

श्री महेन्द्रकुमार : (पाड़वा सु.)

१४०. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत

(श्री महेन्द्र कुमार)

मांग में से १००)रु० कम कर दिया जाय (शराब के ठेके देने में विभाग द्वारा होने वाले पक्षपात पर चर्चा के लिए) ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : (छबड़ा)

१४१. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से १००)रु० कम कर दिया जाय। (पोश्त, डोडा, अफीम के निर्यात में विलम्ब के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुंडावत : (भीम)

१४२. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १० राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से १००)रु० कम कर दिया जाय। (अवैध मद्य-पान की रोक-थाम के संबंध में चर्चा के लिए) ।

श्री हंसराज आर्य : (भादरा)

१४३. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०– राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय। (शराब के ठेकेदारों द्वारा अनियमित ढंग से शराब बेचने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

श्री नाथूराम करोल : (जमवारामगढ़)

१४४, मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०– राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से १००)रु० कम कर दिया जाय (आदिवासियों व पिछड़ी जातियों में शराब बन्दी पूर्णतया लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

श्री केसरीसिंह हाडा : (हिन्डोली)

१४५. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से १००)रु० कम कर दिया जाय। (कलालों को शराब के ठेके देने में विभागीय धांधलियां व अनियमितताओं पर चर्चा के लिए) ।

श्री रामचन्द्र : (खण्डेला)

१४६, मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १)रु० कर दिया जाय। (राज्य में विदेशी शराब के लाईसेन्स किसी न्यायिक आधार पर न देकर पक्षपात पूर्ण आधार पर देने सम्बन्धी सरकार की नीति का अनुनमोदन) ।

श्री दौलतराम आगरी : (देसूरी सु.)

१४७. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से १००)रु० कम कर दिया जाय (त्यौहारों व राष्ट्रीय महत्व के दिनों में शराब की दूकानें पूर्णरूपेण बन्द रखे जाने के संबंध में चर्चा के लिए) ।

श्री श्रीनिवास शारदा : (निम्बाहेड़ा)

१४८. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से १००) कम कर दिया जाय (शराब बन्दी के संबंध में सरकार की असफलता एवं शराब की बिक्री प्रणाली के संबंध में चर्चा के लिए) ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री देवेन्द्र-कुमार (अनुपस्थित)

माननीय श्री कल्याण मल (अनुपस्थित)

माननीय श्रीनिवास शारदा (अनुपस्थित)

माननीय श्री मोहनलाल मोदी (अनुपस्थित)

श्री जयनारायण सालोदिया : पाटा ही साफ है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिवल्लभ शर्मा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४ सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत, इस मद पर कुछ कटोती प्रस्ताव रखे है। आज से पहले एक सर्व मान्य सिद्धान्त रहा है कि प्रशासन का काम कभी व्यापार करने का नहीं रहा। State trading has never been a function of the Government. लेकिन समाजवादी समाज की रचना करने वालों ने इसको एक प्रोग्रेसिव कदम मान कर आज हर रियासत ने इस बात को स्वीकार किया है और एक उत्तम उद्देश्य लेकर नारा दिया है कि हम स्टेट ट्रेडिंग करें। वह कहा करते हैं कि स्टेट ट्रेडिंग यदि नहीं किया जाय तो जो उचित दाम काश्तकारों को उनकी प्रड्यूस के मिलने चाहिये वह नहीं मिल पाते इसलिये स्टेट ट्रेडिंग करना जरूरी है क्योंकि इसके बिना काश्तकारों का शोषण होता है और काम नहीं बन पाता है। दूसरी ओर यह कहा जाता है कि प्राइवेट व्यापारी जो गल्ला खरीदते है उसको वे होर्ड करते हैं, इकट्ठा करते हैं और बाद में कन्ज्यूमर्स या उपभोगताओं के पास ठीक समय पर उचित दामों पर नहीं पहुंच पाता इसलिये दोनो परपजेज़ को दूर करने के लिये स्टेट ट्रेडिंग करना आवश्यक है, यह तर्क दिया जाता है।

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहने में नहीं हिचकूंगा कि यदि स्टेट ट्रेडिंग करना है तो सरकार किसानों को सीधा गल्ला देने के लिये मजबूर नहीं करें। जिस प्रकार एक प्रड्यूसर और एक दूकानदार के आपस में रिलेशन होने चाहिये वैसे रिलेशन स्टेट के और प्रड्यूसर के नहीं होते। एक दुकानदार से सीधे व्यापार के कारण किसान को वहां पर ठीक कीमत मिलती है और उन दोनों का आपस का व्यवहार अच्छा रहता है और किसान को समय पर पैसा मिल जाता है। इस कारण वह दुकानदार के पास जाता है वैसे स्टेट ट्रेडिंग में न संभव है और न व्यवहार में देखने में आया है। स्टेट ट्रेडिंग में होता क्या है कि किसान से सीधा गल्ला लिया जाता है तो लेवी के लिये आर्डर निकालना पड़ता है। एक किसान जिसको एक क्विन्टल गल्ला लेवी में देना है तो वह १० मील की दूरी पर "अपनी बैलगाड़ी में गल्ला रख कर लेवी सेन्टर पर आता है। गाड़ी किराये की जो लागत होती है वह स्टेट को नही देनी पड़ती है किसान को ही भुगतनी पड़ता है। इसके विपरीत व्यापारी यदि खरीदता है तो वह १०) रु० गाड़ी का किराया खर्च कर यहां आता है और गल्ला ले जाता है। लेकिन स्टेट ट्रेडिंग में प्रत्येक किसान को लेवी सेन्टर तक अनाज पहुंचाना पड़ता है, किसान से बैगार लेते है लेवी सेन्टर तक अनाज लाने के लिये। वह खरीद ओपन मारकेट में

(श्री हरिबल्लभ शर्मा)

नहीं हो सकती । मैं जानता हूं कि मेरे क्षेत्र में बाजार में गेहूं बेचते है ६०) फी क्विन्टल की दर से और लेवी सेन्टर पर उसको कीमत मिलती हैं ७७) रु० फी क्विन्टल । तो ओफ एंड एक्सेपटेन्स का वहां पर कोई उद्देश्य नहीं है । वहां तो उपभोक्ताओं को सस्ता गल्ला देना है, निम्न और मध्यम श्रेणी के लोगों को सस्ता गल्ला देना है यह बता कर उत्पादकों को ७७) क्विन्टल की दर से दाम देते हैं । और आप जानते हैं कि जिस प्रकार का सेन्टर पर ओफिशियलडम चलता है उससे किसान को परेशानी होती है । वहां पर गल्ला आसानी से नहीं तोलते हैं बल्कि उसका माल बड़ी मुश्किल से तोला जाता है । वहां पर केवल गल्ले की बोरी में ही परखी नहीं लगाई जाती है बल्कि उसकी जेब में भी परखी दी जाती है । बाजार में जो कीमत किसान को मिलती उससे १२) १३) रु० फी क्विन्टल कम मिला और परेशानी अलग मिली । यह भी जाने दीजिये, रामनारायणजी चौधरी ने प्रश्न किया कबूतर और चूहे खा गये और आधा गल्ला रह गया, स्टोर तक आते आते यह हाल हुआ । और जब उस गल्ले को वापिस बेचने का सवाल आता है तो किस भाव से बेचा गया ? जैसा कि मुझे मालूम है ७७) रु० के भाव से जो माल आया वह ६५) रु० क्विन्टल के भाव से उपभोक्ताओं को बेचा गया । बीच का इतना रुपया राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली तनख्वाहों वगेरा में निकल जाता है यानी १४) फी क्विन्टल और खर्चा बैठ जाता है इसके अलावा किसानों से बेगार में सेन्टर तक माल मंगाया वह भी छोड़ दीजिये तो भी सेन्टर से उपभोक्ताओं तक पहुंचने में राज्य सरकार को १४) रु० फी क्विन्टल खर्च करने पड़े इसमें इन्ट्रेस्ट, तनख्वाहें आदि सब लगा लीजिये उसके बाद हाल क्या हुआ ? वह अनाज उपभोक्ताओं को ९१) रु० फी क्विन्टेल के हिसाब से बड़ी मुश्किल से मिल पाता है और वह भी लिमिटेड क्वान्टिटी में, जितना चाहे उतना उसको नहीं मिल सकता । बाजार के भाव में और इस भाव में मुश्किल से ४) ५) रु० का फर्क पड़ता है या ९) १०) रु० का मान लीजिये । पूरा गल्ला जो लेवी के रूप में लिया जाता है उसको ९१) के भाव से नहीं बेचा जाता क्योंकि स्टोर में कुछ गल्ला इनको रखना पड़ता है बफर स्टोर के तौर पर । ऐसा गल्ला अब भी पड़ा है उसको कोई ६०) रु० क्विन्टल के भाव से भी नहीं सूंघता । मेरे जिले में जो गल्ला राज्य सरकार ने किसानों से वसूल किया उसमें लाखों रुपयों का घोटाला हो गया, घोटाला नहीं कहें तो घाटा हो गया कह दीजिये...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : घोटाला और घाटा दोनों ही हैं ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : लाखों रुपयों का घाटा हो गया । हमारे यहां हर अर्थ की वैसे ही बहुत कमी है, वित्तीय अवस्था राज्य सरकार की सुदृढ़ नहीं है पर आज भी हम लेवी लेते हैं । बहुत से व्यपारी बैठ गये हैं । ठीक ढंग से न तो किसानों को फायदा है और न उपभोक्ताओ को फायदा है और न राज्य सरकार को फायदा है बल्कि परेशानी अलग से है । अगर आपको बफर स्टोक बनाना है तो आप एक्सपोर्ट का २५ परसेन्ट सीधा व्यापारियों से ले लीजिये, सेन्टर पर

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

२५ परसेन्ट व्यापारी आकर तुलायेंगे ऐसा नियम कर दीजिये । मैं निवेदन करूं कि हमारे यहां सवाई माधोपुर सब डिविजन में एक सेन्टर पर व्यापारियों को निगम को गल्ला देना पड़ता है या उनके एजेन्ट को देना पड़ता है । ३० से लेकर लंबी से लंबी ६० मील की दूरी पर के गांवो के क्षेत्रों से गल्ला खरीदना पड़ता हैं । के बसे हुए व्यापारी को गल्ला खरीदना पड़ता है । अधिक से अधिकतम सीमा ६० मील तक की दूरी पर बसे हुए व्यापारी को गल्ला खरीद कर वर्तमान सिस्टम के अनुसार ६० मील की दूरी से भी सेन्टर पर उसको गल्ला लाना पड़ता है । मैं यह कहता हूं कि लागत चढ़ा दीजिये बहुत मुनाफा उनको हो नहीं सकता, व्यापारी ६० मील की दूरी से गल्ला लायेगें सेन्टरपर क्योंकि नियम, उप नियम और रूल्स आपने इस ढंग से बना रखे हैं कि वहां पर डिस्क्रिशन है काश्तकारों से कह देते हैं कि हम तो इस भाव पर नहीं खरीदते हैं । लेकिन इस सारे व्यापार में यह जो चल रहा है उससे न तो व्यापारियों को लाभ है न राज्य सरकार को लाभ है और न किसानों को लाभ है और इसके बावजूद भी उपभोक्ताओं को भी इससे लाभ नहीं है क्योंकि आम बाजार में रेट इससे सस्ती है ।

(१ म० प०)

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने घोषणा की थी, और उसकी ऐसी नीति है कि अधिक उत्पादन हो तो कहीं किसानों का गल्ला सस्ता न बिक जाय इसके लिए सरकार व्यापार करती है, साथ ही निश्चित दामों पर उपभोक्ताओं को अनाज देने के लिए वह व्यापार करती है । लेकिन जिस ढंग से व्यापारी व्यापार करता है उस तरीके से इस धंधे को कायम किया जायगा तो मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि जब घाटे के दाम मिलते हुए होंगे तो किस न अपनी इच्छा से दाम बढ़ायेगा । यदि एक ट्रेडर के रूप में राज्य सरकार व्यापार करे तो मैं मानकर चलता हूं कि जो कुछ शोषण व्यापारियों का होता है, काश्तकारों का होता है वह सारा का सारा बचेगा । इसके साथ ही अधिक व्यवस्था इस बात को रोकने की है कि जब बफर स्टाक बनाते हैं तो स्टोर में आकर सारा गल्ला इकट्ठा होता है । लेकिन अलग अलग प्रकार का गल्ला, अच्छा गल्ला खरीदा जाता है वह बीच में ही कहीं रह जाता है और रद्दी गल्ला स्टोर में जाकर किसी प्रकार से प्रवेश कर जाता है । इस प्रकार जब नैतिक आचरण की कमी होती जा रही है तो इस हालत में स्टेट ट्रेडिंग किसी प्रकार से लाभदायक नहीं हो सकता । इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इसमें आप जो पूंजी लगाते हैं, उसके सारे आंकड़े आप देख लीजिए, अगर उस सब पूंजी का राज्य सरकार को आठ आना रिटर्न भी नहीं मिलता है, तो इस नासमझी के व्यापार में कहीं ऐसा नहीं हो कि इस ढंग से राज्य सरकार को अपनी पूंजी का आठ आना रिटर्न मिलता रहे फिर भी राज्य सरकार अपनी जिद्द पर अड़ी रहे ।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय वृद्धिचन्द्र !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन, (बाड़मेर) उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं उनके बारे में मैं अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं । बाड़मेर जिला

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

रेगिस्तानी जिला है और इसकी विशेष महत्वता है, पशुधन की इसमें बाहुल्यता है लेकिन मैंने यह देखा है कि इस जिले की इस पशुधन विकास में भी उपेक्षा की गई है। इस समय मैं बाड़मेर जिले में ऊनी मिल की स्थापना करने के लिए अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। बाड़मेर जिले के जो मैंने १९६३-६४ के फिगर्स देखे थे तो उसमें भेड़, बाड़मेर जिले में ६ लाख ७७ हजार हैं। मैं इस सम्बन्ध में अभी बाड़मेर जिले के साथ कम्पेरीजन करना उचित समझूंगा क्योंकि बीकानेर जिले का विकास पशुधन के लिहाज से अब अधिक हो रहा है। मैं यह ठीक समझता हूं, बीकानेर का विकास हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, परन्तु मैं चाहता हूं कि इस बाड़मेर जिले का भी विकास हो। बाड़मेर जिले में जहां ६ लाख ७७ हजार भेड़ हैं, वहां बीकानेर जिले में ४ लाख ३० हजार भेड़ हैं। इसके अलावा अन्य पशुधन बाड़मेर जिले में बीकानेर जिले के मुकाबले में अधिक हैं। बाड़मेर जिले में जहां २२ लाख ८० हजार हैं, वहां बीकानेर जिले में १० लाख ४५ हजार हैं। इस प्रकार कुछ पशु भी बीकानेर जिले से बाड़मेर जिले से दुगने हैं। बीकानेर जिले में पशु चिकित्सालय महा विद्यालय है ऊंट प्रजनन केन्द्र है, भेड़ अनुसन्धान केन्द्र है और वहां पर ऊनी मिल भी सरकार की तरफ से स्थापित की हुई है। अब जब कि बाड़मेर जिले में भेड़ अधिक हैं, ऊन की बाहुल्यता है और साथ साथ में बाड़मेर नगर में पानी की बांथलिया माडा की से व्यवस्था हो गई है तो वहां पर पानी की भी कठिनाई नहीं रही है। इसके अलावा और जो कुछ भी कठिनाइयां हैं, उनका भी हल करके, बिजली की कठिनाई है उसको भी हल करके वहां ऊनी मिल स्थापित की जा सकती है, क्योंकि रा मैटिरियल बाड़मेर जिले में बहुत अधिक है, उसके लिए यहां की क्लाइमेट स्यूटेबल है। इसलिए मेरा निवेदन है कि गवर्नमेंट इस मामले को कन्सीडर करे और बाड़मेर के अन्दर ऊनी मिल स्थापित की जाय। अभी नागौर जिले में भी लाडनू में सरकार की तरफ से ऊनी मिल स्थापित की गई है उसी प्रकार से इस जिले में भी ऊन की अधिक बाहुल्यता को देख कर यहां ऊनी मिल को स्थापित किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में सरकार एग्जामिन करे और स्टेट एन्टरप्राइज डिपार्टमेंट से इसको एग्जामिन कराके यहां ऊनी मिल की स्थापना करे।

एक प्रश्न मैंने रखा है अपने कटौती प्रस्ताव में वह अफीम निषेध के बारे में है। जिस तरह से शराबबन्दी के बारे में मद्य निषेध के बारे में मेरे विचार हैं उसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि अफीम का भी निषेध होना चाहिए। मैंने मेरे जिले में देखा है कि अफीम के प्रयोग से वहां के लोगों का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, उनकी कार्य करने की क्षमता गिरती जा रही है। किसान अधिकांश में इस अफीम का प्रयोग करते हैं, गांव गांव में इसका प्रयोग होता है, और अब तो यह पोस्त और डोडा जो है, इसका प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके प्रयोग से लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, उनकी काम करने की शक्ति क्षय हो रही है। अब हम हमारे देश की उन्नति करना चाहते हैं, हम हमारे देश की तरक्की करना चाहते हैं तो चीन के

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

मुल्क में जैसे कि लोग पहले इस अफीम क प्रयोग करते थे, और उन्होंने अब इस अफीम का प्रयोग करना बन्द कर दिया है तो हमारे को भी यह चाहिए कि यह अफीम जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमारी प्रगति के लिए हानिकारक है तो इसका प्रयोग भी बन्द करना हमारे लिए आवश्यक है। इस सम्बन्ध में सरकार को जल्दी से जल्दी कदम उठाने चाहिए। जैसे शराब बन्दी के बारे में आप कुछ कदम उठा रहे हैं उसी प्रकार से अफीमबन्दी को रोकने के लिए भी आपको कदम उठाने चाहिए। इसके पहले यह बहुत आवश्यक हैं कि अभी तक इसकी खेती पर जो कुछ अंकुश हैं उस अंकुश को और ज्यादा बढ़ायें। इसके साथ ही जो नाजायज तरीके से अफीम की खेती की जाती हैं, उसके लिए भी सख्त सजा दी जानी चाहिए। और जो बनावटी अफीम बनाई जा रही है, हमारे जिले में भी इस प्रकार की बनावटी अफीम बनाई जाती हैं— जो असली अफीम हैं उसकी कीमत ज्यादा है और जो बनावटी अफीम है उसकी कीमत उसकी आधी है— इस प्रकार जो अफीम बनाई जा रही है, उसको रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाये जाने चाहिए। इसके अलावा जो अफीम पकड़ने वाले हैं, उन लोगों को इनाम देने के बारे में प्रावीजन है परन्तु गवर्नमेंट ऐसे लोगों को ईनाम कभी नहीं देती है और उसके लिए ऐसा प्रोसीजर है कि पूरी कोशिश करने के बाद में भी किसी सूरत में प्राइज नहीं मिलता है। मैंने ऐसे कंसेज देखे हैं। हमारे क्षेत्र में, हमारे नगर में इस प्रकार एक मन तक अफीम पकड़वाई गई हैं, एक लाख रुपये कीमत तक की अफीम पकड़वाई गई है, परन्तु उसके बारे में किसी को प्राइज देने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस तरह के मामले पकड़ने पर एक चौथाई शेअर देने का तरीका रखा गया है लेकिन किसी को प्राइज नहीं मिलता है और न किसी को एन्करेजमेंट मिलता हैं। मैं ऐसा एक केस आपके सामने रखना चाहता हूं। बाड़मेर नगर में श्री द्वारकेश ने अफीम एक लाख रुपये की पकड़वाई। वह तीन चार साल से कोशिश कर रहा है प्राइज प्राप्त करने के लिए लेकिन गवर्नमेंट उसके मामले में ध्यान नहीं दे रही है। इस प्रकार जो अफीम को पकड़ने वाले हैं, अवैध अफीम को पकड़ने वाले हैं, बनावटी अफीम को पकड़ने वाले हैं— ऐसे लोगों को एन्करेजमेंट देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए।

तीसरा प्रश्न है, वह शराबबन्दी के बारे में मेरा कटौती प्रस्ताव है उसके बारे में मैं विचार रखना चाहता हूं। महात्मा गांधी ने यह कहा था: "मैं एक ऐसे भारत के लिये काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब भी यह महसूस करे कि यह देश उसका है जिसमें ऊंच नीच वर्गो का भेद नहीं होगा जिसमें सभी जातियां मेल मिलाप के साथ रहेंगी, छूआछूत और नशेबाजी के लिए कोई स्थान नहीं होगा।"

श्री रामकिशन (वैर) : किनको सुना रहे हैं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन— गांधी जी ने यह शब्द कहे थे ?

श्री रामकिशन— किनको सुना रहे हैं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन— मैं आपको सबको सुना रहा हूं।

Page No.75

श्री रामकिशन– इन्हें गांधी से कोई काम नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह– मैं सुन रहा हूं।

श्री रामकिशन– जब गांधीजी ने कहा था उस समय धौलपुर में आप कहीं थेनहीं। आप इस चक्कर में मत पड़ो!

श्री प्रद्युम्नसिंह– आप तो उस समय शौक फर्माते थे।

श्री रामकिशन– यह जरूरी नहीं है कि अपने बचपने को यहां भी दिखाओ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन– महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं और जिनके पगचिन्हों पर हम चल रहे हैं...

श्री रामकिशन– इन बच्चों को आप रोका करो। यह बचपना दिखाने की और कबड्डी खेलने की जगह नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन– मद्यनिषेध की नीति के बारे में मैं उनके विचार सुना रहा था। उन्होंने कहा था कि हम निश्चित तौर से इससे बच नहीं सकते, और इस देश में मद्य निषेध की बात लागू होगी!

इस सम्बन्ध में जब कि अपनी गवर्नमेंट ने यह नीति निर्धारित कर ली है, कि मद्य-निषेध करना है, सिद्धान्त के तौर पर मान लिया हैं तो क्या कठिनाई है कि महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी हम मना रहे है तो हम १६६६ में मद्यनिषेध लागू नहीं करें। हमने यह देखा है कि मद्य से सबसे ज्यादा हानि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति को हुई हैं। बाड़मेर के क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग अधिक शराब पीने लगे हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोग पीने लगे हैं। जो कुछ कमाई होती है जो कुछ आर्थिक स्थिति उनकी सुधरती हैं, मद्य प्रयोग के कारण आर्थिक स्थिति उनकी दिनों दिन गिरती जारही है। इसलिए इसके बारे में सख्त कदम उठाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि यहां का जलवायु मद्य के लिए अनुकूल नहीं हैं। पीने के लिए अनुकूल नहीं है। और, अपन भी विचार रख रहे हैं कि यह शराब किसी भी हालत में स्वास्थ्य की दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से लाभप्रद नहीं है। अन्त में मैं इन दो कटौती प्रस्तावों के माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि अफीम का भी निषेध पूर्ण तौर से कर दिया जाये, साथ साथ शराब का भी निषेध कर दिया जाये। हम किसी भी तरीके से यह कोशिश करें। यह जुआ से, शराब की इन्कम से, अफीम की इन्कम से अगर इस प्रकार की इन्कम हम करेंगे तो हमारा इस तरह से चरित्र निर्माण कभी नहीं हो सकता है। हमें दूसरे तरीके और सोगे अपनाने पड़ेंगे इन्कम के। वह सोर्सेज हम को अप-नाने चाहिए। यह मद्य निषेध, अफीम निषेध लागू करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं मेरे विचार प्रकट करके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीलाल गिरा-सिया! (अनुपस्थित)

श्री गोरधन सोनी।

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : मान-नीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस ढंग से प्रान्त में शराब का दौर इन वर्षों में बढ़ा है, वह

(श्री गोरधन सोनी)

स्थिति प्रान्त के लिए बड़ी शोचनीय बन गयी है। शराब ऐसी बुरी चीज है कि इसे जो पीले वह इंसान इंसान नहीं रहता है। वह हैवान हो जाता है। हम चाहते हैं कि हम इंसानियत को और मानवता को आगे बढ़ायें। हम चाहते हैं कि हम महात्मा गांधी की इच्छाओं के अनुसार देश का सृजन करें। परन्तु बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हम उनके अनुयायी हैं और हम उन्हें राष्ट्र-पिता कहते हैं, लेकिन आज हम उनके बताये

(१.१३ म० प०)

(श्री केदारनाथ, सभापति पदासीन)

हुए आदर्श पर, उनके बताये हुए रास्ते पर न चलकर दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं जो कि विनाश का रास्ता है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि शराब वह चीज है जिसमें सब बुराइयां निहित हैं। आदमी इससे झूठ बोलता है। व्यभिचार की ओर बढ़ता है। शराब पीकर आदमी अनेक अनैतिक काम करता है। जूआ खेलता है। इसलिए शराब को प्रतिष्ठित करना बहुत बुरा काम है। आज तक हमारी राज्य सरकार की नीति रही है, उससे यह बात साफ जाहिर होती है कि आज तक राज्य सरकार ने शराब को प्रोत्साहित किया है। हम गरीब किसानों और मजदूरों को उठाने की बात करते हैं और साथ में शराब का दौर चलाते हैं। तो यह बात युक्ति संगत नहीं है। इनमें तालमेल नहीं है। शराब का दौर चलता है जो किसान मजदूर और गरीब तबके के लोग और रिक्शावाले हैं वही शराब पीते हैं। उनके पास पैसे का अपव्यय भी होता है। जिससे अपने राष्ट्र का उत्थान कर सकते हैं जो हम गरीब मजदूर और किसान संख्या में ज्यादा हैं, उनके लिए हम चाहते हैं उनका उत्थान करें लेकिन उनके उत्थान को रोकने वाली मेन चीज शराब है। एक तरफ हम शराब को बन्द नहीं करना चाहते हैं और दूसरी ओर उनका उत्थान करना चाहते हैं। ये दोनों चीजें साथ में नहीं चल सकती हैं। मैं कहना चाहूंगा राज्य सरकार जिस आदर्श पर चलना चाहती थी वह तो था गान्धीजी का आदर्श, उस आदर्श से भटक कर आज शराब को प्रोत्साहन राज्य सरकार ने दिया है। इससे देश का बड़ा अहित हुआ है। मैं कहना चाहूंगा शराब के दौर से, बोतल से आबकारी की आय बढ़ेगी लेकिन सभापति महोदय, तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी आमदनी किस काम की। जिस आमदनी से लोगों का चरित्र गिरता हो। जिससे लोगों का अपव्यय होता हो बुद्धि हलकी होती हो। ऐसी आमदनी को बढ़ाकर हम राष्ट्रीय चरित्र को गिरा रहे हैं। इससे बढ़कर खराब बात क्या होगी? इसके साथ साथ मैं सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस तरह से जो लोग शराब पीते हैं, उनकी काम करने की शक्ति घट जाती है। जब हम चाहते हैं कि हम देश का विकास करें देश की तरक्की हो, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा श्रम करके देश का सृजन करें तो इसको तो इस समय उनको शराब पिलाकर हम इस काम में बाधा डालते हैं। जो लोग शराब पीते हैं, उनमें सोचने की शक्ति नहीं रहती है। जो लोग शराब पीते हैं, उनमें राष्ट्रीय सृजन करने की भावना नहीं रहती है। ऐसी बात है तो शराब को प्रयोग बढ़ा करके हम राष्ट्र का क्या फायदा करना चाहते हैं? यह

(श्री गोरधन सोनी)

समझ में नहीं आता है। जो राज्य सरकार देश के हित का, जनता के हित का दावा करती है और शराब का दौर बढ़ाती है तो मैं समझता हूं कि यह दावा बिल्कुल थोथा है। मैं कहना चाहता हूं कि जो यह स्कीम लागू की गई कि १८ वर्ष का कोई बच्चा शराब नहीं पी सकेगा। कोई विद्यार्थी शराब नहीं पियेगा। दूसरे यह किया गया कि गुजरात की सीमा से २५ किलोमीटर तक कोई शराब नहीं पिये। इसका महत्व क्या है? ऐसी शराब क्या जरूरी है कि पूरे राजस्थान में शराबबन्दी नहीं की जा सकती है। मैं कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार को हिम्मत से काम लेना चाहिए। यह बुराई लोगों के पतन का कारण है। इससे गरीबों का उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए मैं सभापति महोदय कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार को हिम्मत करके शराब बिल्कुल बन्द करनी चाहिए। पूरे प्रान्त में शराब बन्दी करनी चाहिए। अगर देश का हित चाहते हैं, जनता का हित चाहते हैं, तो पूर्ण शराब बन्दी करना चाहिऐ। इसी में जनता का हित निहित है।

इसके अलावा बिक्री कर का सवाल है, सभापति महोदय, इसके लिए निवेदन करना चाहूंगा कि बिक्रीकर के मामले में आपाधापी चल रही है। यह एक ऐसा सवाल है, यह एक राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्त्रोत है। लेकिन इस मामले में, सभापति महोदय जिस तरह जो कुछ काम हो रहा है वह बिल्कुल गलत है। एक तो पहले भी मैंने कहा था कि बिक्रीकर अत्यधिक नहीं होना चाहिए। जो ठीक है, सीमित है, जो ढंग से बिक्रीकर वसूल होगा उससे राज्य सरकार को ज्यादा आय होगी और जो ज्यादा होगा, ठीक नहीं होगा इससे राज्य सरकार को कम आय होगी। इसको प्रत्यक्ष रूप से वित्त मन्त्री जी ने महसूस किया है और इसलिए ही बिक्री कर पहले मोटरों पर १५ प्र० श० रखा गया था वह १२ प्र० श० कर दिया गया है। इस बात का सूचक है कि बिक्रीकर इस हिसाब से लगाना चाहिए कि राज्य का व्यापार बढ़ें। बिक्रीकर ज्यादा लगेगा तो आमदनी कम होगी। व्यापार घटेगा। सभापति महोदय, हम देश का और प्रान्त का विकास करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि व्यापार उद्योग और कृषि ये तीनों चीजें आगे बढ़ें। लेकिन सभापति महोदय, अफसोस की बात है कि देश के व्यापारियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं है तो प्रगति में उनका क्या योग हो सकता है। इसके सिवाय सभापति महोदय, यह भी कहना चाहता हूं कि अनाज जैसी चीज महत्वपूर्ण चीज है जो कि खाने के काम में आती है। अगर सरकार इसे बिक्री कर से मुक्त कर देती तो गरीबों का भला हो सकता था, आम आदमी का भला हो सकता था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसको भी बिक्रीकर में में रख दिया है। इसके अलावा सभापति महोदय, मैं भी अर्ज करना चाहूंगा कि बिक्रीकर में कुछ तकलीफें भी हैं। लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है, सभापति महोदय, वित्तमन्त्री महोदय, ने ध्यान नहीं दिया है। बिक्रीकर की सीमा ५ हजार की थी उसको कुम्हार और खाती के लिए बढ़ा दिया था। उसका स्वागत करते हैं क्योंकि उससे गरीब लोगों को राहत मिलेगी दस हजार तक उसकी सीमा कर दी गई है। लेकिन गांवों में रहने वाले जो परचून वाले हैं, जिनका

(श्री गोरधन सोनी)

अनाज का कारोबार है, उसकी ५ हजार की सीमा है। तो इससे उनको बिक्री-कर का लाइसेंस लेना पड़ता है। यह बहुत बड़ा अन्याय उनके साथ होगा। इसका मतलब यह होता है कि जो आदमी गांव में बैठकर १५ रु० रोज का अनाज लेता बेचता है तो उसको भी बिक्रीकर लाइसेंस लेना होगा। उसके ऊपर सेल्स टैक्स तो बनेगा नहीं लेकिन उसको तकलीफ बहुत बढ़ जायेगी। ईसके अलावा आने जाने में सौ पचास रुपया खर्च हो जायेंगे। इस प्रकार से छोटे व्यापारियों को इससे परेशानी होती है। बात यह कही जाती है कि छोटे छोटे व्यापारियों को राहत देंगे लेकिन राहत के बजाय उनके ऊपर तकलीफ लाद दी जाती हैं।

तो मैं इस मामले में वित्त मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अनाज की सीमा ५ हजार से बढ़ा कर ३० हजार कर दें और अनाज के टर्न ओवर की भी जो हमारे यहां पर सीमा २० हजार रखी है, वह ३० हजार कर दी जाय क्योंकि मध्य प्रदेश में भी अनाज के टर्न ओवर की सीमा १ लाख कर दी गई है। टर्न ओवर की २० हजार की सीमा तो बहुत ही कम है। जो व्यापारी २५०० का बिजनेस करता है, उस पर भी यह ३० हजार के टर्न ओवर की सीमा लागू हो जाती है।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सेल्स टैक्स के बारे में लोगों को बड़ी भारी परेशानी है लास्ट पोइन्ट पर सेल्स टैक्स लिए जाने के कारण। जितनी भी लास्ट पोइन्ट की चीजें हैं, और जितनी चीजें हमारे यहां से बाहर निर्यात होती हैं उन पर लास्ट पोइन्ट पर सेल्स टेक्स लेने की बजाय उन सब पर सेल्स टेक्स प्रथम बिन्दु पर कर दिया जाय। इससे राज्य को लाभ होगा और व्यापारियों को भी सहूलियत रहेगी। इससे उनको जो तरह तरह के फार्म भर कर देने की दिक्कत रहती है, उससे मुक्ति मिल जायगी और भ्रष्टाचार भी कम होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जितनी चीजें हमारे यहां से बाहर निर्यात की जाती हैं, उन और जिन चीजों पर लास्ट पोइन्ट पर सेल्स टेक्स लगता है, उन सब चीजों पर प्रथम बिन्दु पर सेल्स टेक्स लागू कर देना चाहिये। जो चीजें निर्यात होती हैं, मिर्ची, धनियां, मेथी आदि पर ६ परसेंट टेक्स है, ज्यादा तर वह टेक्स सेंटर में जाता है। इन सब चीजों पर प्रथम बिन्दु पर ३ परसेंट सेल्स टेक्स कर दिया जाय तो इससे राजस्थान सरकार को भी आमदनी होगी और सेल्स टेक्स की चोरी भी नहीं होगी। अतः मेरा निवेदन है कि राजस्थान से बाहर जितनी भी चीजें जाती हैं, उन सब चीजों पर प्रथम बिन्दु पर टेक्स कर दिया जाय।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसकी क्लाज १७ में एक ऐसा प्रावधान रखा गया है कि कोई भी व्यापारी माल लेता है तो उस व्यापारी को निशान कर के देना पड़ता है कि वह उस माल को राजस्थान के अन्दर ही बेचेगा या, राजस्थान के बाहर भेजेगा। सभापति महोदय, जिस वक्त व्यापारी माल खरीदता है तो उसको यह मान नहीं रह सकता कि वह उस को राजस्थान से बाहर भेजेगा या राजस्थान के अन्दर ही बेचेगा। उस माल के

(श्री गोरधन सोनी)

भाव का मांग का जिस तरह का रुख रहता है, उसके अनुसार ही वह यदि लाभप्रद हो तो यहीं पर बेच देता है और यहा उसकी मांग न हो और बाहर से उस माल की मांग हो तो बाहर भी भेज देता है। इस तरह यदि वह राजस्थान के अन्दर ही बेचता है तो कोई बात नहीं और राजस्थान से बाहर भेजता है तो कोई बात नहीं पर इस निशान लगाने के कारण कई व्यापारियों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। एक व्यापारी ने २ परसेंट का फार्म भरा और निशान ठीक तरह से नहीं लगा तो उस पर ६ परसेंट टेक्स लगा दिया गया, इस तरह एक टेक्निकल गलती पर ४ परसेंट ज्यादा वसूल कर रहे हैं, यह सरासर अन्याय है, इससे व्यापारी बहुत पीड़ित हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे व्यापारियों से जिनके द्वारा इस तरह की टेक्निकल गलती हो गई हो, उनसे दो परसेंट ही टेक्स लिया जाय। मैं आशा करता हूं कि वित्त मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे।

इन्हीं दो चार बातों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति : माननीय शास्त्रीजी !

श्री भगवान्दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ४६ मुख्य शीर्षक १२४ सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार की योजनाओं की असफलता एवं भ्रष्टाचार पर चर्चा करने के लिए)।

श्री सभापति : समय केवल १० मिनिट है।

श्री भगवानदास शास्त्री : अच्छा साहब।

वास्तव में सरकार यह व्यापार करने जा रही है और जिस शैली के आधार पर सरकार ने यह बिजनेस चालू किया है उसके पहले तो व्यापारी और उपभोक्ता के बीच झगड़ा डाल कर जब सरकार ने खुद बिजनेस में प्रवेश किया तो जहां तक अनाज का प्रश्न है, मुझे अजमेर के वातावरण और बातों की याद आती है। अजमेर में आस्ट्रेलिया का सड़ा हुआ गेहूं जिसका छिलका मात्र देखने में आता था, वितरित करना शुरू किया तो मैंने मना किया कि इसे मत वितरित करिये, इस पर फिर लाल गेहूं अमेरिका का मिलाकर जनता में बांटा।

तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब व्यापारी इस मिलावट की स्थिति में आते हैं तो सरकार और हम उन व्यापारियों पर अंकुश रखते हैं पर जब स्वयं सरकार ही इस प्रकार की मिलावट पर विश्वास करने लगे और इस तरह से अनाज में मिलावट करे तो फिर इन सब इन्स्पेक्टर्स को निकाल दीजिये, इन इन्स्पेक्टरों को क्यों रखते हैं? अनाज के सही तोल के लिये, खाने की जितनी वस्तुएं हैं उनमें मिलावट को रोकने के लिए इतने इन्स्पेक्टर्स रख रखे हैं, उन सब को हटा दीजिये जब स्वयं सरकार ही मिलावट कर रही है तो फिर इन इन्स्पेक्टर्स की क्या आवश्यकता है? जब स्वयं सरकार राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य के साथ इस तरह मिलावट

(श्री भगवानदास शास्त्री)

कर के खिलवाड़ कर रही है तो फिर इतने इन्स्पेक्टर्स रखना, उन पर इतना खर्चा करना, इस सबकी क्या जरूरत है ?

सीमा क्षेत्रों में जब व्यापार करते हैं तो जब जब स्थिति निकासी की होती है और सरकार घोषणाएं करती है, तो सरकार की घोषणा से भाव और बढ़ जाते हैं। चने का मुझे याद है, चने की निकासी के परमिट दिये जाते हैं, उसमें मुझे घोटाले नजर आते हैं, चाहे वे अपने आपको कितना ही ईमानदार कहें पर इसमें हमें साफ घोटाले नजर आते हैं। इसी तरह आप भावों की सीमा रखना चाहते हैं, आप कहते हैं कि हम किसानों को प्रोत्साहन देना चाहते है, पर जब तब भी आप किसानों को प्रोत्साहन देने की बात करते हैं तब तब अनाज के भाव बढ़ जाते हैं। अभी आपने प्रोत्साहन की बात कही तो गेहूं के भाव ६० रु० क्विन्टल से बढ़ कर १००) रु० क्विन्टल से ऊपर चले गये। यह हम प्राचीन समय से देखते आये हैं कि जब जब अच्छी फसल होती है तो चीजों के भाव गिरते हैं। २० वर्ष पहले अंग्रेजों का राज्य था तब भी जब अच्छी फसल होती थी तो भाव गिरते थे। यह मानी हुई बात है कि अच्छी फसल होगी तो अनाज के भाव गिरेंगे और अनाज के गिरते हुए भावों को देखकर सभी चीजों के भाव गिर जाने चाहिये, पर आप प्रोत्साहन की बात करते हैं उससे भाव बढ़ जाते हैं। हम भी चाहते हैं कि किसानों को प्रोत्साहन देना चाहिये पर हर चीज सीमित होनी चाहिये। यह हम देखते आये हैं कि जब जब जिस जिस चीज पर सरकार का अंकुश होता है, जब जब जिस जिस चीज पर सरकार का कन्ट्रोल होता है, उस चीज में भ्रष्टाचार और घोटाला हो जाता है। किसानों के घरों में हजारों मन ही नहीं हजारों बोरियां आज भी अनाज की बन्द पड़ी हैं क्योंकि वे जानते हैं कि सरकार फिर भाव बढ़ाने वाली है। यह जो मंत्री महोदय द्वारा बार बार घोषणाएं की जाती हैं, जो नीति सरकार के द्वारा बरती जाती है, उससे अनाज के भाव बढ़ते जाते हैं। सरकार जितना भी इसमें अंकुश देना चाहती है उतनी ही भारतीय जनता की बरबादी होती है।

रसद अधिकारियों पर भी आपका पूरा अंकुश होना चाहिये कि वे बिजनैस मैन बनें। फूड कारपोरेशन आपने बना दी तो कोई चीज खराब है, अयोग्य है, खाने के लायक नहीं है, उसको जनता में वितरित नहीं किया जाना चाहिये। सरकार की तरफ से बातें की जाती हैं कि अनाज को चूहे खा जाते हैं, कबूतर खा जाते हैं, कभी कभी कहा जाता है कि चींटियां खा जाती है, तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि ऐसे ऐसे चूहे, चींटियां और कबूतर जिस जिस व्यवस्था में घुसे पड़े हैं, उनके अगेन्स्ट में कानून के अनुसार, नियमों के अनुसार कार्यवाही कर के उन्हें उस व्यवस्था में से निकाल फेंके।

मेरा दूसरा निवेदन सेल्स टैक्स के बारे में है। कल राजस्व मंत्रीजी ने और साथ ही वित्त मंत्रीजी ने और कृषि मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था और उद्योग मंत्रीजी ने तो यहां तक कहा कि कोई भी बिजनैस मैन राजस्थान के अन्दर उद्योग लगाना चाहे तो उसको जमीन की, बिजली की,

(श्री भगवानदास शास्त्री)

पानी की सुविधाएं दी जायेंगी पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर में माचिस की फैक्टरियां हैं, वे बन्द पड़ी हैं, उसका कारण है आपका यह सेल्स टैक्स। ब्यावर का उदाहरण मैं आपके सामने रखूं एक महिने पहले ही आपके सेल्स टैक्स के अधिकारी वहां के व्यापारियों से ६ महिने पहले की डेट के चैक ले कर गये हैं। उन्होंने व्यापारियों को यह कहा कि अगर लिमिट में हमने पैसा नहीं पहुंचाया तो हमारी नोकरियां चली जायगी। एक सरदार जो सुबह कमाता और शाम को खाता था, उसके लेजर को और बहियों को उथल पुथल कर के सत्यानाश कर दिया। इस प्रकार आपके अधिकारी सेल्स टैक्स लेते हैं और बिफोर पीरियड लेते हैं, उससे उस व्यापारी का सत्यानाश हो जाता है। अगर एक एक व्यापारी से दो दो हजार का चैक लेंगे तो वह व्यापारी किस तरह से व्यापार करेगा, आज पूंजी की क्या स्थिति है, पूंजी आज कितनी टाइट पोजिशन में है।

अजमेर की माचिस फैक्टरी आज भी बन्द पड़ी है, उसका विशेष कारण यह है कि जो चीज तैयार हो कर आती है उस पर टैक्स होना चाहिये, ऐसा नहीं होना चाहिये कि पूरा मुद्दा है, उस पर टैक्स लें मुख्य मंत्री महोदय कह रहे थे कि सब राज्यों को देख कर राजस्थान की जनता को राहत देने के लिये कार्य कर रहे हैं, वित्त मंत्रीजी फरमा रहे थे कि सबको राहत देने के लिए हम यह कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी हो कि राजस्थान की जनता को हरी भरी करने के लिए सरकार तैयार हो। अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो मद्रास के टैक्सेशन ला को देखें। आज मद्रास की माचिस फैक्टरी में तैयार हुई माचिसें राजस्थान में सस्ती पड़ती हैं और अजमेर में बनी हुई माचिस राजस्थान में मंहगी पड़ती है। इसका कारण है कि आप यहां गुड्स टैक्स लेते हैं, किस नियम से आप यह लेना चाहते हैं। मद्रास में इन फैक्टरीज के लिये कितनी छूट है। मद्रास के ला में है।

"Duty under sec. 3, 4 and 5 shall be revised on taxation turnover on the dealer. In determining also the following shall subject to following conditions– (b) Deduct from the total turnover from the dealer........."

और दूसरा उन्होंने मुद्दों के ऊपर लगा कर एक्साइज ड्यूटी निकाल कर केवल मुद्दों पर लिया है।

"Excise duty if any paid by the dealer in respect of the goods sold by him........."

इसके द्वारा यह निर्णय हो जाता है। जब मद्रास सरकार छोटे छोटे उद्योगों को राहत देने को तैयार है।

वहां के जितने उद्योगपति हैं उनको उद्योग करने की आवश्यकता नहीं, घरों पर बैठे-बैठे ही वहां की जनता अपने घरों में माचिस बनाती हैं तो सेल्स टेक्स का आप कुछ भी कहें, आपके जितने अधिकारी और कर्मचारी हैं, आपको खुश करने के लिए बिफोर पीरियड बिक्री कर लायें, बड़े-बड़े

(श्री भगवानदास शास्त्री)

चेक्स दें, बड़ी धनराशि दें और आप सदन में आकर यह कहें कि राजस्थान की जो आय है वह बहुत लम्बी चौड़ी है और हम प्रगति की ओर पहुँच चुके हैं,आप प्रगति की ओर नहीं पहुंचे हैं, आप जनता के समक्ष नहीं जाते, कर्मचारियों द्वारा जनता को दबाया जाता है। इसी के फलस्वरूप मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है।

आबकारी कर के बारे में आप कहते हैं कि इसके न लेने से सरकार घाटे में जायेगी। आप पेट्रोल पर लगा दें। जितने जितने भी धनी वर्ग हैं उन पर लगायें। शराब ऐसी चीज है इससे छोटे बच्चों से लेकर जितने भी दलित वर्ग के लोग हैं उनकी सत्यानाश होती है। शादी के समय उसी ग्लास में शराब टी. बी. का मरीज और उसी झूठे गिलास में छोटा बच्चा भी पी लेता हैं। इससे दलित वर्ग की हानि होती है। अगर आप आबकारी आय को देखेंगे तो नशाबन्दी नहीं हो सकती। दोनों पक्ष रात दिन इसी पक्ष में हैं कि नशा भारत को सत्यानाश करने वाला है, गांधी जी इस बात को समझते थे कि यह हमें कमजोर करने वाला है। राजकुमारों को मेयो कालेज में भी नशे का प्रयोग करवाते थे इसलिए कि भारत का एक-एक नागरिक भीषम पितामह बनेगा, महावीर बनेगा, उनको कमजोर करने के लिए नशा शुरू किया था। इसलिए हम जनप्रतिनिधि पूर्ण नशाबन्दी चाहते हैं तो सरकार आय का बहाना देकर इसमें ढिलाई लाना चाहती है, हम ढिलाई नहीं होने देंगे। आज नहीं तो कल नशाबन्दी होगी और नशाबंदी होने से ही राजस्थान का उद्धार होगा और राजस्थान प्रफुल्लित रह सकता है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़ सु.): सभापति महोदय मांग नं० ४६ और आबकारी कर और सरकारी व्यापार की जो मांगें सरकार मन्जूर करवाना चाहती है उस बारे में मुझे निवेदन करना है कि मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जिनका राष्ट्रीयकरण में विश्वास बचपन से रहा और सरकार अगर व्यापार करती है तो उस बारे में मेरी राय सरकार के साथ हो सकती है लेकिन सरकार किसी पार्टी विशेष को खुश करने के लिए व्यापार अपने हाथ में रखती है तो उस समय हमारे जनतंत्र को कई तरह की परेशानी पैदा होती है। दो सालों में अकाल के समय सरकार ने हमारे अकाल पीड़ित लोगों को अनाज लाकर सरकारी दुकानों द्वारा देना निश्चित किया और दिया लेकिन परिस्थिति यह रही कि किसान हमेशा सुबह से शाम तक खेती करता है और उधर सरकारी दुकान ११ बजे से पहले तो खुले नहीं और ५ बजे से पहले ही बन्द हो जाय तो ऐसी हालत में सरकार का व्यापार बिलकुल खोखला बन जाता है क्योंकि जब मजदूरी करने वाले लोग अनाज खरीदने के लिए दुकान पर पहुंचते हैं तो सरकारी दुकान बन्द मिलती है। साधारण लोगों के लिए वह कोर्ट का समय है। सरकारी व्यापार में रहे तो किसान और मजदूर भाग नहीं ले सकते हैं और न ही परेशानी से मुक्त हो सकते हैं। फिर सरकारी दुकान बन्द हो जाती हैं फिर किसान और मजदूर उन्हीं बड़े-बड़े बोहरों व व्यापारियों से, चाहे कितना ही अनाज महंगा हो, खरीदते हैं। तो सरकारी व्यापार सिर्फ उन्हीं लोगों के

(श्री हीराभाई)

लिए है जो समय पर जाकर बड़े-बड़े सेठ शाहूकार कर्मचारी जिनके नौकर चाकर हैं वे ठेलों में बौरे भरकर अपने मकानों पर पहुंचते हैं और व्यापारी इस तरह का धंधा करते हैं। सरकार की नीति बिलकुल मर चुकी है। अगर सरकार व्यापार करती है तो निश्चित कदम उठाने चाहिए, भाव निश्चित करना चाहिए। गत वर्षों में व्यापारियों ने ज्वार ५० रुपये की २० किलो और चना ५० रुपये के २० किलो बेचा। लेकिन जब किसान बेचने के लिये जायगा तो उससे ६ रुपये के २० किलो, ७ या ८ रुपये के २० किलो मिलेगा। तो जब तक सरकार भावों पर नियन्त्रण नहीं रखेगी तब तक खोखलापन है, यह नीति लोगों को राष्ट्रीयकरण से परे ले जा रही है। आप कहेंगे कि यह नीति भारत सरकार की है लेकिन भारत सरकार है कहां की? भारत सरकार में भी यहां के लोग गए हुए हैं, मध्य प्रदेश और गुजरात से गए हुए हैं लेकिन पता नहीं चलता कि गुजरात में चना २० किलो ५० रुपये के और राजस्थान में १२ रुपये के। ५० रु० में चना बिक रहा है, किसान लोग सरकार के पास जायेंगे। सरकार को अगर व्यापार करना है और तमाम कन्ज्यूमर्स और छोटे कर्मचारियों और किसानों और मजदूरों को सुविधा देनी है और उनके लिए भाव बढ़े नहीं और घटे नहीं, इस तरह से सरकार को व्यवस्था करनी है तो सरकार को चाहिए कि केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाले और भाव तमाम राज्यों में निश्चित करे और फर्क एक रुपया आठ आने से ज्यादा न रहे तब तो सरकार के भाव चल सकते हैं वरना ये भाव खामखाह पूंजीपतियों को सहायता देने वाले हैं।

इसलिए मैं इस भाव के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाले। गुजरात, मध्यप्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों के बीच का जो भाव होगा, तब जाकर कुछ सरकार का व्यापार भी हो सकता है वरना आपके हर स्टेशन पर हर मार्ग पर जगह जगह आपने चेक पोस्टस बिठा रखे हैं, होम गार्डस, ऐसा फोर्स कायम कर रखा है, खाली आपने दलील दी है कि चेक पोस्टस कायम की है, इससे हम लोगों को रिश्वत मिलती रहती है, मतलब हमारे मिनिस्टरों को दूसरे बड़े-बड़े लोगों को रिश्वत मिलती है —किससे परमिट से। लोग जो हैं जैसे पुलिस के सिपाही, फोर्स इन्सपैक्टर, इन लोगों को रिश्वत देने का तरीका निकाल रखा है। आपको पता होगा हमारा बांसवाड़ा गुजरात का पड़ोसी इलाका है। तमाम ज्वार गवर्नमेंट ने वसूली की। सरकार ने लेवी के सम्बन्ध में क्या किया? माननीय सभापति महोदय, वहां पर कम से कम ४० मील दूर से वहां का एक छोटा व्यापारी अनाज लेकर बांसवाड़ा, कुशलगढ पहुँचे और फिर सरकार कहे कि अनाज तुलेगा नहीं। अनाज तोलने के बाद जांच करने वाला कौन? इन्सपैक्टर उसकी जांच करके सही मायनेमें न दें। कीमत नहीं चुकाई जायगी इसलिये वहां के व्यापारियों ने अनाज लेना बन्द कर दिया। फिर जाकर के तमाम ज्वार बेची गई। उसी तरह यह परिस्थिति तय कर रखी है तो कोई हल होने वाला नहीं है। एक गाड़ी के पीछे डेढ आना गधे का, फिर पुलिस का। पुलिस के सुपरिन्टेन्डेन्ट तक में इस रिश्वत का बंटवारा होता है। इसकी रोकथाम की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। ट्रकों में

(श्री हीराभाई)

माल चला जाता है, कोई कार्यवाही नहीं होती है। सभापति महोदय, व्यापार में जो भाव जून, जुलाई में थे और आज के भावों में यह कहा जायगा चार गुना फर्क मिलेगा। अगर यही भाव रखा तो क्या आप व्यापार कर सकते हैं ? आप ट्रेन के पीछे पड़ते हैं आप एक गधे को कहें कि ट्रेन को पकड़ लो तो मैं कहता हूं कि ट्रेन भी पकड़ी जा सकती है। उस समय सरकार क्या कर सकती है ? सरकार के पास क्या है जो अंकुश लगा सकती है। जब ये भाव गिरेगा तो उसको रोकने के लिए बड़ा नारा लगाते हैं। इस साल बड़े भाव गिर गये। सरकार ने क्या व्यवस्था की, कुछ नहीं की। एक मन अनाज जाकर बेचे तो किसान को बहुत परेशानी है। सरकार को अपने हाथ में व्यापार करना है। हर पंचायत ऐरिया में, हर तहसील में, ५ या १० मील के ऐरिया में सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाय और वहां पर दुकानें खोली जांय तभी यह रास्ता निकल सकता है और तभी व्यापार सफल हो सकता है। वरना सभापति महोदय गत साल इतनी मुसीबत हुई सरकारी व्यापार से कि तमाम जो आदमी सफेद टोपी लगाकर जाते हैं तो उनको टाईम पर अनाज दे दिया जाता है। दूसरे जो लोग लाल टोपी या काली टोपी या दूसरी पीली या लाल पहन कर जाते हैं उनका राशन कार्ड दबा दिया जाता है। फिर आखिर लोग एक रुपया का आधा किलो अनाज लेकर पोषण करते थे, उसी तरह से सभापति महोदय एक तो हां हमारे वहां पर क्रय-विक्रय समिति के द्वारा सरकार की तरफ से बिकवाने के लिए किया गया है। वहां पर वही हालत है। जितना २० या ३० हजार रुपया का अनाज जो अभी कहा गया कि कबूतर खा गये। हमारे वहां तो कबूतर हैं नहीं जंगल में। वहां तो सफेद टोपी वाले खा गये। वहां की सरकारी दुकान पर रमजी नामक सरपंच है, कांग्रेस का चुना हुआ सरपंच है उसको बिठाया जाता है सिर्फ इसलिये कि कांग्रेस वाले जनता को अनाज देते हैं। तिरंगे झण्डे की आड़ में ये लोग न जाने क्या क्या करते हैं ?

ये लोग एजेन्टों को अनाज देते हैं, जो चुनाव में कांग्रेस को वोट देते थे। अनाज तो उनको दे दिया पर हिसाब आज तक नहीं है। रमजी के नाम ८ हजार निकल रहे हैं। दुकान नं० ८ के नाम १७ हजार रुपये हैं उनका अभी तक पता नहीं चला। १७ हजार गायब हो गये। किसी तरह से सभापति महोदय, सरकारी व्यापार में सिर्फ पार्टी विशेष को प्रोत्साहन देना है तो यह सरकारी व्यापार नहीं चल सकता है और यह मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बेईमान न बनें, आप हमेशा के लिए बन जायं। रिश्वत देकर सरकार बनती है और खरीद कर आप अपना बहुमत करते हैं। इसलिये आप नीतिहीन हैं, आप बिल्कुल भ्रष्टाचारी हैं इसलिये भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आप कहां जायेंगे, यह तो मैं जानता हूं लेकिन ऐसा गंदा वातावरण और नीति का पतन हमारे साथ भी करवा रहे हैं क्योंकि हम राष्ट्रीयकरण में विश्वास रखते हैं। बड़े-बड़े यह भी कहते हैं कि बड़े-बड़े मील का राष्ट्रीयकरण हो रहा है। राष्ट्रीयकरण करना जरूरी है ताकि गरीब लोगों को मजदूरी मिले। गरीबों का जितना भी

(श्री हीराभाई)

मुनाफा है वह राज्य कोष में आए ताकि अनाप-शनाप टैक्स न लगे, इसी तरह सी नीति है। आखिर आप किनको मौका देते हैं स्वतन्त्र पार्टी को, जनसंघ को ये आपकी गलत नीतियां, गन्दी नीतियों और आपके गन्दे कार्यक्रमों को हम पर भी थोपते हैं। समाजवादी का झूंठा नारा न लगाया करें। जहां राष्ट्रीयकरण चाहते हैं, देश का भला करना चाहते हैं वह तो करते नहीं। जितना देश का धन है वह गरीबों में सही बंटवारा होना चाहिये। तब जा करके सही समाजवाद हो सकता है। आपके इन घोटालों से, इन गन्दे कारनामों को समाजवाद लाने के बजाय समाजवाद के ऊंडे खड्डे में डाल रहे हैं। आपके गलत तरीकों से, गलत धारणाओं से समाजवाद डूब रहा है। समाजवाद खतम हो रहा है। कांग्रेस खतम हुई तो आप पूंजीपतियों की गोदमें जाकर बैठ जायेंगे। स्वतन्त्र पार्टी,जन संघ में तो कोई पूंजीपति है नहीं। जिनके पास१०—१० बिल्डिगें हैं, १०—१० कारें हैं, फैक्ट्रियां और कारखाने हैं उसीकी गोद में जा करके बैठ जायेंगे। उसीकी गोद में बैठेंगे। समाजवाद के लिये मौत का रास्ता अपना रहे हैं और उसके लिये रोड़ा डाल रहे हैं। वह आ नहीं सकता है। इसलिये सभापति महोदय, कर किस पर लगाया जाय। कम से कम लाखों रुपयों की बिक्री करने वालों पर आप कर नहीं लगायेंगे। यह तो बिलकुल शहर के लोगों से सम्बन्ध है, जो इनको वोट नहीं देते हैं। जो इनको वोट देते हैं, उसका तो टैक्स बिलकुल माफ करेंगे दूसरे क्रय—विक्रय कोष में दो प्रतिशत माफ करेंगे और किसान की जो अलाभकर खेती का सवाल आता है वहां जाकर किसानों में यह टैक्स लगाना जरूरी समझा है। क्यों कैसे जरूरी समझा है क्योंकि वे छोटी जोत वाले सुखाड़िया साहब को खुश नहीं कर सकते हैं। उनको बहका देते हैं। ये बातें किसी अन्य लोगों को समझाया कर, हमको तो समझाने में बहुत टाईम लगेगा। आप शुरू से राजनीति में नहीं है। हम लोग पहले ईमानदारी ले करके चलते है और जितने बेईमान ये आपके चेला—चाटी लोग हैं जो कुर्सी पर जाकर बैठ गये हैं, आज शासन करने के लिये जा करके बैठ गये हैं। उनको कुछ परवाह नहीं है कि जनतन्त्र मरे या डूबे। दूसरी सरकार आयेगी, उसकी गोद में बैठ जायगी और नहीं तो उसके रास्ते में रोड़े अटकायेगी। सभापति महोदय मैं कहता हूं कि ये हमारे रास्ते में रोड़े न अटकायें।

दूसरा शराब का सवाल है। आपने शराब को बांसवाड़ा डूंगरपुर इन स्थानों पर बन्द किया है इसके लिये मैं गवर्नमेन्ट को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता। वह भी उस हालत में जब कि उसकी व्यवस्था ठीक हुई तो। गये साल कुशलगढ़ से २५ किलोमिटर एरिया में शराबबन्दी का एलान किया था लेकिन उसके पहले उस एरिया के लिये लाखों रुपयों का ठेका दे दिया। ठेका देने के बाद आप शराब बंदी करते हैं। वे फिर रिट में जाते हैं उनकी रिट नहीं मानी जाती है। गवर्नमेन्ट ने ठेकेदारों को खुली छूट दे रखी है कुशलगढ़, सलूम्बर बागीडोरा जो गुजरात का पड़ोसी क्षेत्र है वहां एक-एक कस्बे में चार—सात और ११ तक दुकानें हैं आज चल रही हैं

(श्री हीराभाई)

क्या यही आपकी शराब बन्दी की व्यवस्था है ? राजस्थान के दूसरे इलाके से मध्य-भारत से वहां उन्हीं ठेकेदारों को शराब भेजते हैं । उन दुकानदारों ने चार सौ रुपया महिना एक्साइज इन्सेपेक्टर्स का बान्ध रखा है प्रत्येक ठेकेदार द्वारा तय किया हुआ है जैसी जैसी दुकाने हैं उसके आधार पर । इससे वहां भ्रष्टाचार पनप रहा है । अगर आपको शराब बन्दी करनी ही है तो पूरे राजस्थान में एक साथ करिये तभी जाकर फायदा हो सकता है । केवल एक दो एरिया में बन्द कर देने से वहां पर रतलाम और झाबुआ से शराब आती है । जिन कलालों को शराब की दुकानें दी थीं उन कलालों ने २० रुपया मागी महुए का ढेर लगा रखा है । वे महुआ ३२ रुपये का बीस किलो लेते हैं और उससे नाजायज शराब निकाल कर घरों में पीते हैं । अकाल के टाइम में तो लोग महुआ से पेट भर सकते हैं पशुओं के काम में आ सकता है लेकिन आज अनाज जब घरों में आ गया है जब भुट्टे पक गये फिर महुआ दुकानों में क्यों भर रखा है वह इसी लिये कि इसकी शराब निकाल कर लोगों को पिलायी जाय । यह तो हालत इस प्रकार हुई एक तरफ घर के मालिक को कहा जाय कि तुम जागते रहो और चोर को कहा जाय की तुम चोरी करो । दोनों तरफ से मतलब हल हो जाय अगर चोर पकड़ा जाय तो उसमे भी माल लूट ले और साहूकार लुट जाये तो उसके माल में भी हिस्सा बटा लो । इस तरह से नाजायज शराब की खुली छूट देकर सरकार यह करना चाहती है कि उसके अधिकारी रिश्वत लेकर उनको नाजायज तौर पर शराब चालू रहने दे । नाजायज शराब बनाने वालों को पकड़ कर मुकदमा चलाया जाता है वहां किसी से भेट पूजा लेकर रफा दफा भी कर देते हैं एक्साइज कमिश्नर मान जाता है तो राजीनामा भी करवा देते हैं । अगर वह नहीं मानता है उसका चालान अदालत में दिया जाता है । अदालत में चालान देने के बाद फैसला साल डेढ साल बाद जाकर होता है । उसके लिये रकम जो ५०० रुपया वहां जमा करानी होती है वह वापिस लौटायी नहीं जाती है । वापिस लौटाने के लिए मांग पत्र पेश करते हैं आधी रकम रिश्वत के रूप में देनी पड़ती है तब जाकर वह आधी रकम भी दो ढाई साल के बाद लौटायी जाती है । यह सरकार की नीति है यह कूटनीति है । यह कांग्रेस सरकार में जो कूटनीति है उस कूटनीति का मैं स्वागत नहीं करूंगा यही शराब बन्दी में नीति अपनायी है । जब तक सम्पूर्ण राजस्थान में शराब बन्दी नहीं की जायगी तब तक रिश्वतखोरी मिट नहीं सकती । अपोइन्टमेंट किसी का करना हो तो उसके लिए भी बोतलें पेश हो जाती हैं उसके पेश होते ही दूसरे दिन अपोइन्टमेंट आर्डर मिल जाता है । उनके यहां ब्रान्डी व्हिस्की अच्छी अच्छी अंग्रेजी शराब की बोतलें पहुँच जाती हैं उनको अपोइन्टमेन्ट मिल जाता है । गरीब लोग जो यह दे नहीं सकते वे बिचारे नौकरी के लिये मारे मारे फिरते हैं । आज जहां अफसर इस तरह से शराब की बोतलें लेकर काम करते हैं वहां वे अपने बच्चों की भी आदतें खराब करते जा रहे हैं । आज अफसरों को ज्यादा तनख्वा मिलती है तो वे शराब पीयेंगे रिश्वत में शराब की बोतलें मिल जाती है तो फिर समाजवाद कैसे

(श्री हीराभाई)

आयेगा । जब तक आप आदिवासी एरिया मे कर्मचारी लोगों के लिए कम से कम शराब बन्दी पर पाबन्दी लगायें तभी हम स्वागत कर सकते हैं ।

अब मैं बिक्री कर के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ । यात्री कर की जो रकम बकाया रहती है वह वसूल नहीं होती है इसका क्या कारण है ? हजारों रुपया, लाखों रुपया लोगों में बकाया है । इसका क्या कारण है ? जैसे मेरे नाम मोटर लाइसेन्स है किसी रोड का वह मेरे नाम मंजूर होता है उस लाइसेन्स को हजारों और लाखों रुपया लेकर बेच देते हैं । मैं आपको कुशलगढ़ की मिसाल देना चाहता हूं वहां पर एक रोड के लिए एक नारायणसिंह के नाम से लाइसेन्स दिया गया वह बेचारा मर गया वह बेईमान नहीं था, उसने अपना लाइसेन्स बेच दिया उसने उसका टैक्स जमा नहीं कराया अब वसूल जिसके नाम लाइसेन्स है उससे होगा तो क्या उससे मशानों में लेने जायेंगे ? इसी तरह से दूसरा तुमसर ठाकुर को तुमसर और कुशलगढ़ रोड के लिये परमिट दिया गया वह भी यात्री कर नहीं दे रहा है । दूसरे उसकी मोटर खरीद ली आपको चाहिए उसकी मोटर जब्त करते । आप कैसे करते उन्होंने चुनाव के दिनों में कांग्रेस को वोट दिलाने में मदद की । इसी प्रकार आप देखेंगे कि जो मोटर हरिदेव जोशी को सरकार से मिली थी वह मोटर ही गायब होगई । मैं यह कहता हूं क्या वह मोटर हरिदेव जोशी ने ब्लेक में बेच दी ? या उसको पाकिस्तान पहुँचा दी ? कह दिया कि चोरी हो गई । कैसे हो गई, उसका क्या पता लगाया, क्या कहीं उन्होंने ही उसको ब्लेक में बेच नहीं दी, कहीं उन्होंने ही पाकिस्तान नहीं पहुंचा दी ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : झूठ है, झूठ है ।

श्री हीराभाई : आपने जांच करवाई क्या ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : पाकिस्तान पहुंचा दी आप जो यह कहते हैं यह कहां तक मुनासिब है सभापति महोदय ?

श्री हीराभाई : चोर ले गये तो आपकी पुलिस क्या करती रही ? आपने कभी यह भी देखा है ।

(२ म० प०)

वह चोर लेकर भाग गया । क्या आपकी पुलिस सोई हुई थी ? मिनिस्टर साहब के बंगले पर मिलने जाते हैं परची नहीं मिलती और सारी मोटर चोर कर ले गये । आपकी मिलिटरी कहां चली गई थी यह प्रोपरटी मन्त्री की नहीं है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह सब गलत बात है ।

श्री रामकिशन : अगर मोटर नहीं मिली तो शरम महसूस करनी चाहिये, उछल उछल कर बोल रहे हैं । आप सावधान रहें ये चोर तो ऐसे हैं कि जो मन्त्री को भी चुरा कर किसी दिन ले भागेंगे । ये दो तीन चेहरे तो हैं ही ऐसे । टौंक में रखेंगे ।

श्री सभापति : आप अपना भाषण समाप्त करिये ।

श्री हीराभाई : यह जितना भ्रष्टाचार

(श्री हीराभाई)

हो रहा है यह सरकार की गलत नीति का परिणाम है। बीज की दुकानें हैं इनको आप २४ घंटे खुला रक्खें। तब तो सहूलियत से किसानों को बीज मिलेगा। नहीं तो वही बड़े बड़े सेठ लोगों से बिचारा किसान लेगा जो मनमानी भाव पर देगा।

मेक्सिकन गेहूँ का बीज ३०) रुपये का २० किलो और तीन रुपये तक का शंकर मक्का किसानों को दिया और आज वसूल करने के वक्त १२) और २०) रुपये मन के भाव से ही ले रहे हैं। कहां तो ३५)–४०) रुपया मन दिया। सरकारी भाव ६०) रु० मण मेक्सिकन गेहूँ का था और शंकर मक्का ६०) रुपये मन दिया आज वे १२) रुपया और आठ नौ रुपया मन शंकर मक्का किसानों को बिकवा रहे हैं। इससे किसानों की जमीन नीलाम करने की नौबत आ जावेगी। इन पूंजीपति सेठ साहूकारों के साथ मिलकर यह सरकार आज गरीब किसानों का खून करती जा रही है।

अगर इस सरकार का वाकई में राष्ट्रीयकरण में विश्वास है तो हम समाजवादी लोग सेन्ट परसेन्ट इस सरकार की इस काम में मदद देंगे। पर उसी हालत में जब कि आप भ्रष्टाचार से, बेईमानी से बिलकुल मुक्त होकर आवेंगे। वरना यह आपकी आज की नीति और लोगों की नीति से भी ज्यादा बेईमानो की नीति है।

अगर आप किसान का अनाज सस्ता बिकवाना चाहते हैं तो उन की जरूरत की चीजें चरस, हल, चोड़ा, खेत के अन्य जरूरी औजार व साधन, कपड़ा तमाम सस्ते करने पड़ेंगे।

आज होता क्या है पांच हजार पम्पिंग सेट की तकावी के नाम लिखकर किसान को चार हजार का ट्रैक्टर दिया जाता है। एक हजार बीच में ये बेईमान अफसर कमीशन का खा जाते हैं। यह जब तक होता रहेगा तब तक जनता आपको ठुकराती रहेगी और एक दिन ऐसा आवेगा जब ठोकर मारकर फेंक देगी।

श्री सभापति : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : सभापति महोदय, राजकीय व्यवसाय पर जो मांग रक्खी गई है उस पर मुझे कुछ निवेदन करना है।

निवेदन करने से पहले सदन में एक पुरानी कथा सुनाना चाहता हूं। कुम्भ का मेला था और वहां एक सन्यासी धर्मोपदेश करने गये और जब उपदेश देना शुरू किया तो लोगों ने सुना नहीं। दस बीस पच्चीस आदमी भी इकट्ठे नहीं हुए जहां पचास लाख स्नान करने के लिए आये हुए थे। महाराज तपस्वी थे। सोचा मेरे कथन में तेज नहीं है। अपना झोली डंडा उठाया और चले गये।

बारह साल तपस्या करने के बाद दूसरे कुम्भ पर वहां फिर आये तो सभापति महोदय लाखों आदमियों ने शान्त होकर उनका धर्मोपदेश सुना क्योंकि जो भाषण के द्वारा उपदेश देना चाहते थे उसको उन्होंने अपने हृदय में धारण किया।

हम यदि राजकीय व्यापार करना चाहते हैं, सहकारिता के आधार पर व्यापार करना चाहते, हैं तो पहले यह मालूम करना पड़ेगा कि क्या इस सहकारिता के सिद्धान्त

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

को पहले हमने अपने खुद के हृदय में प्रतिष्ठापित किया है और अगर नहीं किया है तो मैं समझता हूं वही बाबाजी वाली हालत हमारी है।

(तालियां)

आज करोड़ों रुपया लगाकर हम सहकारिता में व्यापार करना तो चाहते हैं पर हृदय में प्रतिष्ठापित नहीं किये जाने के कारण उसमें चारों तरफ घाटा ही घाटा हो रहा है। मुझे याद आता है जब मैंने इस सहकारिता के अन्दर काम करने वाले सरकारी अधिकारियों से, कर्मचारियों से बात की तो पता लगा कि किसी को इसमें विश्वास नहीं है। ऊपर से वे सहकारिता का उपदेश देते हैं और लोग निजी व्यापार करते हैं और ऊपर से सहकारिता राज भर में चलाने का ठेका लेते हैं। परिणाम निश्चित रूप से यही होना था, घाटा होना ही था, होता ही रहेगा जब तक हृदय में इस को प्रतिष्ठापित नहीं करेंगे। तो इस प्रकार का पाखण्ड नहीं चलेगा। देश के धन को बरबाद इस तरह से नहीं करना चाहिये। समझदारी से और दिल से बात करेंगे तो लोगों में बात चलेगी। आपको पहले खुद को कोआपरेटर बनना पड़ेगा। अगर आप नहीं हैं तो नारा छोड़ देना चाहिये।

दूध के व्यापार की बात करते हैं। २५ लाख का खरीदा गया। उसको डेढे और दूने दाम पर बेचा गया। कुछ दूध से मक्खन निकाल कर बेच दिया। पर वापिस बीस लाख ही बैठता है। बाकी कहां गया पैसा? कभी पांच छः सात लाख का घाटा है। अब तक चार पांच वर्षों में २४ लाख का घाटा बताते हैं। यह घाटा है दूध के बेचने में। मशीन की बात नहीं करता। डिप्रिसियेशन की बात नहीं करता। तो हम इस तरह से व्यवस्था नहीं कर सकते। गलत लोगों के हाथ में व्यवस्था सौंप रखी है हमने। जिनको राजकीय व्यापार की आदत नहीं है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, सरकारी अधिकारियों से मैंने बातें कीं, वे नहीं चाहते हैं कि यह इस तरह चले उनको अनुभव भी नहीं है, पर अधिष्ठाता बना दिया जाता है कि आप इसको चलाइये। आपको ही यह सारा व्यापार चलाना है जब कि उनको इसमें विश्वास नहीं है।

इसी प्रकार दूध बेचने की जयपुर की स्कीम है। ६६। ६७ में सात लाख का इसमें घाटा है और ६७। ६८ में ९ लाख का होगा। यह घाटा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उस हालत में और भी नहीं कि जब जिस भाव में दूध ये खरीदते हैं उस भाव से डेढे और दूने भावपर बेचते हैं। हां अगर जिस भाव खरीदा और उसी भाव बेचते हैं और उनके आने जाने का संचालन का खर्चा लगा है तब तो घाटा दे दीजिये। समझ लेंगे कि शहर के लोगों को सस्ता दूध ही दिया सही। पर आप लेते हैं डेड़ा दूना दाम। तो यह क्या है? लोग लापरवाह हैं और नुकसान होता है इससे। मैं नहीं चाहता कि हम सभी को चोर कहें जब तक पकड़ नहीं लिया जावे हर आदमी को चोर कहना अच्छी बात नहीं है। मैं सुनता हूं लोग कहते हैं हर मिनिस्टर हर सरकारी अधिकारी चोर है। यह कोरा नारा है। गलत लाबी बनाने की चेष्टा मात्र है। हर आदमी चोर नहीं है। यह जरूर है कि यह होता इसलिये है कि लोग जिस के लायक नहीं होते उनको

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

वह काम दे दिया जाता है। अगर इन्जीनियर को एक सेठ का मुनीम बना दिया जावे तो क्या होगा ? क्या वह लेखा जोखा और सेठ का हिसाब किताब संभाल सकेगा? इसी तरह उस इन्जीनियर को अगर सेशन जज बना दिया जावे और सेशन जज को फैक्टरी का इंजीनियर बना दिया जावे तो क्या होगा ? हाल बुरा ही होगा। तो सही माने में सही आदमी जो है और जिस काम के जो उपयुक्त है उसको वहीं काम देना चाहिये और जिस काम में जैसे आदमी की जरूरत है वैसा ही आदमी उस काम में देना चाहिये ताकि घाटे की नौबत ही न आवे।

दूसरा घाटा, उपाध्यक्ष महोदय, ऊन के व्यापार में है। इससे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि हमें हमेशा कुछ न कुछ टैक्स का बोझा जनता पर डालना ही पड़ेगा। देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम ऊन के व्यापार को अच्छा और ठीक करना चाहते हैं। नारा बड़ा अच्छा है, बातें बड़ी अच्छी हैं। पर परिणाम उल्टा है। ६४।६५ में इसको सरकार ने अपने हाथ में लिया और जब से लिया है ६४।६५, ६५।६६ और ६६।६७ इन तीन सालों में हमने एक करोड़ अस्सी लाख रुपया ऊन खरीदने में खर्च किया और आज तक २ करोड़ ७४ लाख रुपया खर्च किया और ६७।६८ में २ करोड़ ७८ लाख। एक करोड़ अस्सी लाख का फाइनेन्स अकाउन्ट बनकर आया। इसमें ६० लाख की ऊन बेची तो ६० लाख तो ऊन खरीदी उसमें से नहीं आया। ऊन की कटाई छंटाई सफाई में खर्च किया वह करीब १ करोड़ तीस लाख हुआ। कुछ रेवेन्यू के हिसाब में दे दिया जाता है।

अगर हम १ करोड़ ८० लाख रु. की ऊन खरीदें और १ करोड़ ३० लाख रुपया उसकी कटाई, छंटाई के लिए पशु पालन विभाग को खर्च में दे दें तो फिर स्टेट ट्रेडिंग का क्या फायदा हुआ ? हमने खरीदी वह तो स्टेट ट्रेडिंग में दिखा दी। और उसकी कटाई छंटाई को रेवेन्यू खर्च में डाल दिया अगर कोई रकम भेड़ों के विकास में खर्च करते हैं तो पशु पालन विभाग को दे दें वह तो समझ में आ सकता है लेकिन कटाई छंटाई के खर्च को भी आप पशुपालन विभाग को दे देते हैं यह कौन सी बात है ? इस प्रकार से ऊन के व्यापार में मेरे हिसाब से अब तक का खर्चा ४ करोड़ १४ लाख का हुआ है लेकिन इसमें १ करोड़ ६० लाख रुपया तो ऊन की कीमत है और बाकी के रुपये अब तक नहीं हैं और मैं समझता हूं कि ऊन १०–२० लाख रुपये से ज्यादा नहीं है क्योंकि १९६८–६९ में जो प्रावधान रखा गया है वह तो १ लाख रुपये का टोकन खर्च करने के लिये रखा गया है और नीचे २३ लाख रुपये की ऊन बिक्री का रखा गया है। मैं समझता हूँ कि ऊन बेचने के लिये २३ लाख से ज्यादा की नहीं है और इसका ४ करोड़ १४ लाख में से १ करोड़ ६० लाख रुपया आया है। मेरे हिसाब से इसमें दो करोड़ से ज्यादा का घाटा है। अगर ऐसे घाटे हों तो इस व्यापार को जिनके हाथों में दिया है उनकी जांच कमेटी बैठाइये और उनसे इस विभाग को छीनिये। गलत आदमियों के हाथों में दे देते हैं जो एक्सपर्ट्स नहीं हैं इसका नतीजा यह हुआ कि टैक्स बढ़ाकर इस प्रकार की स्टेट ट्रेडिंग में खर्च करते

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

जायेंगे तो जनता जिस विकास के लिये पैसा देती है उसके बजाय आप अज्ञानी लोगों को रख लेते हो जिनको कोई ज्ञान नहीं होता और अगर आपने ऐसे ही लोगों के हाथ में पैसा दिया तो मैं समझता हूँ कि आप देश का सबसे बड़ा नुकसान करते जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसे व्यापार को फौरन बन्द कीजिए या किसी एक्सपर्ट को रेखिये जिनको व्यापार का कुछ एक्सपीरियन्स हो ।

श्री मदन सिंह दांता : ऐसे ही राज्य भी राजपूतों को करना चाहिए। वह राज्य करते आये हैं सुखाड़िया जी को हटाइये।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आप तो बैठिये। आपके बड़ेरों की प्रतिमायें मन्दिरों में हैं पुजारी घण्टा हिलाते थे और उनके देवता बैठे रहते हैं। आप तो विराजो आप बोले नहीं कि गड़बड़ हुई नहीं। आप बैठे हुए ही अच्छे लगते हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य चेयर को एड्रेस करें आप ।

श्री रामकिशन : यह ठकुर और पुजारियों की बात हो रही है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: सभापति महोदय, एक नमक का व्यापार सरकार करती है। ७० पैसे, ६० पैसा और १. ०३ क्विन्टल के भाव से सरकार नमक खरीदे और २. ७० में बेचती है और इस मुनाफे के बाद भी हमको मुनाफा नहीं मिलता है। अब खरीदते किस से हैं ? पैसे वाले जो लोग हैं जो क्यारे और प्लाट्स लेकर बैठे हैं। १ रुपया और २ रुपया प्रति एकड़ इसका लगान कहें या टैक्स कहें इतना देते हैं, । इससे ज्यादा नहीं देते हैं। जो गरीब डीडवाना के आस पास रहते हैं और पचभद्रा के पास रहते हैं जो कि क्यारी सरकार ने उनको दी नहीं और जो गरीब वहां पीढ़ियों से नमक बनाते आये हैं वह नमक बनाते हैं और अपना नमूना लिए घूमते फिरते हैं। उनका नमूना पास हो गया तो ६० पैसे में लिया और अगर पास नहीं हुआ तो उसको फेंक दिया गया। तो ६० पैसे में बोरी लें और २. ७० में बेचें तो गरीब आदमियों से टैक्स लिया जाता है और उस पर दूने से भी ज्यादा मुनाफा और दूसरी तरफ पैसे वाले आदमियों से १ रुपया ही लिया जाता है और ज्यादा से ज्यादा १५ रुपये तक है। मैं पूछता हूं उन लोगों ने क्या कुसूर किया है, आप उन कायमखानियों का शोषण क्यों करते हैं जो कि शुरू से ही नमक बनाते आये हैं। आज उनकी हालत देखिये कि उनके पास कपड़े नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अधिकारियों ने एक प्रणाली शुरू कर दी कि १. ६० में लेंगे और २. ७० में बेचेंगे तो आपको नफा तो काफी होना चाहिए लेकिन कुछ नहीं है। आप तय कीजिए कि पैसे वाले आदमी जितना टैक्स देते हैं उससे ज्यादा गरीबों से नहीं लेंगे और इस टैक्स को कम करना चाहिए ।

अब मैं आबकारी की बात अर्ज करना चाहता हूं। इस विभाग में बहुत ज्यादा खर्च बढ़ रहा है। सभापति महोदय, १९६३-६४ की बात कहता हूं ज्यादा दूर की नहीं, १९६३-६४ में २५ लाख

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

९५ हजार रुपये का कुल खर्चा था शराब की खरीद और गांजा भांग की खरीद के सिवाय। अब उस खर्च को १९६६–६७ में काफी बढ़ा दिया गया। उसके बाद में अब नये सिरे से जो खर्चा हो रहा है वह है करीब ५० लाख रुपये का। अब ५० लाख रुपये खर्च होंगे तो १९६३–६४ से अब दूना खर्चा स्टाफ का बढ़ गया। वेतन में इतनी वृद्धि नहीं हुई है। तो फिर खर्च कैसे बढ़ा? आदमी ज्यादा रख लिए हर इन्सपेक्टर के पास तीन-तीन चपरासी चाहिए घरों पर काम करने के लिए बाबू से लेकर कमिश्नर तक जितने आदमी हैं उनसे दुगने अकेले फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स हैं। सिपाही अलग हैं जो भागते हैं, दौड़ते हैं वह २२५ हैं लेकिन चपरासी ६५० हैं। सब के घरों पर काम करने के लिए चाहिए इसकी भी जरूरत है बस्ता उठाने वाले की भी जरूरत है, सामान पहुंचाने वाले की भी जरूरत है। डबल खर्चा इन दिनों में कर दिया गया है। ...

दौलतराम सारण : गरीबों को एम्प्लायमेन्ट दिया है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जहां तक शराब बन्दी का सवाल है शराब जब तक इस देश में चलती रहेगी मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ा कलंक है। हमें और कुछ नहीं तो पुरानी बातों से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। शराब के पीने से द्वारकापुरी सारी खत्म हो गयी। शराब पीकर लोग लड़े, शराब के पीने वाले अनीश्वरवादी लोग थे। उनके बाद में यहां पर बड़ा संघर्ष हुआ है। संघर्ष होने के बाद लोलुप सम्प्रदाय और कापालिक लोग जो शराबी थे उनकी वजह से देश में भुखमरी आ गयी और यह मुल्क गुलाम हुआ। क्योंकि शराब पीकर लोग लड़ा करते थे और काम नहीं करते थे। आर्थिक दशा लोगों की बिगड़ी। शराब को बिलकुल कतई बन्द कर देना चाहिए। यह क्या कि गुजरात की पट्टी में शराब बन्द करदी गयी इन बातों से पार नहीं पड़ेगी। यह मैं नहीं कहता कि शराब सरकार ने बहुत बेच दी। लेकिन मैंने कहते सुना है कि इतनी शराब की दुकानें खोल दीं और इतनी बेच दीं। १९४८–४९ में जब १ करोड़ के आसपास की आबादी थी और आज दुगुनी आबादी हो गयी। उस समय ३॥। करोड़ रुपये की आमदनी थी और जागीरदारों की भट्टियां अलग होती थीं अगर उनको और मिला दें तो ८ करोड़ की होती थी आज अगर ८ करोड़ की आमदनी होती, दुगुनी संख्या लोगों की बढ़ी और शराब की कीमत भी बढ़ी। शराब पहले से कम पीयी जाती है यह मैं मानता हूं लेकिन पीई क्यों जाती है। इसका मुझे दुख है। कहते हैं शराब की आमदनी है जरा सी शर्म आनी चाहिए किसी को भी, कोई भी भला आदमी शर्म करे। कोई मजाक है क्यों तो लेते हैं और क्यों बेचते हैं। अगर इस पैसे को शिक्षा में लगायें तो हमारे देश के बच्चे पढ़ें तो उसमें खर्चा होगा। तो आप यों मान लीजिए कि शराब को तुरन्त बन्द करना है और इस शराब की आमदनी से सिर झुक जाता है मेरा तो, आपका झुकता है या नहीं आप जानें। नहीं तो लोग झुका देंगे। आपको शराब बिलकुल बन्द करनी पड़ेगी।

श्री जयनारायण सालोदिया : इनका

(श्री जयनारायण सालोदिया)

सर तो रात को झुक जाता है शराब की वजह से ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : पीने वाले लोग ज्यादा बीच में बोलते हैं ।

अब मैं बिक्री कर के लिए निवेदन करना चाहता हूं । बिक्री कर की आमदनी पहले बढ़ गई, और इसको मैं समझता हूं कि विभाग में कुछ तो काम करना शुरू हो गया है और लोगों से पैसा ले लिया है, लेकिन इसमें भी कुछ ज्यादती है । सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से इस बारे में जवाब चाहूंगा कि सोने पर कितना बिक्री कर लिया गया है ? कोई सोने पर बिक्री कर नहीं लेते हैं । कहीं पर भी कोई सोने पर बिक्री कर नहीं देता है । हजारों दुकानें सोने वालों की हैं, और रात-दिन वे सोने के जेवर बनाकर बेचते हैं । सोने पर बिक्री कर गायब है । बीकानेर में करोड़ों रुपयों का सोना आता है, और राजस्थान में अरबों रुपयों के सोने का सालाना आज व्यापार होता है, लेकिन टैक्स एक करोड़ पर भी नहीं होता है, क्योंकि सोने को जेब में रखा और दूकान पर बनाकर बेच दिया । आपके अधिकारियों ने सोने के कितने व्यापारियों का चालान किया ? चालान करेंगे तो किसका ? पापड़ वालों का । कैसे तुमने पापड़ बनाकर बेच दिया । जो विधवाएं दो रुपये की मजदूरी करके पापड़ बनाती हैं और जो पापड़ बनाने वाले हैं उनका चालान होता है । सोने वाले का अगर कोई चालान हुआ हो तो बता दें ? यह मैं अकर्मण्यता मानता हूं । हर मन्त्री जानता है और हर अधिकारी जानता है कि सोने का कितना व्यापार होता है । उसमें टैक्स नहीं ! उनसे कोई टैक्स वसूल नहीं होता है और वसूल होता है तो कोई चालान नहीं होता है ।

दूसरे, सभापति महोदय, बड़ी-बड़ी दुकानें मिठाइयों की हैं, और मिठाई बनाकर बेचते हैं और कोई टैक्स नहीं । लेकिन एक बड़ी दूकान से एक गरीब आदमी पांच रुपये की मिठाई लेकर खोमचा लेकर चला जाय और बेचना शुरू कर दे तो लाओ टैक्स । टैक्स आप उनसे वसूल क्यों करते हैं जो कि बनाकर बेचते हैं ? आज करोड़ों रुपयों की मिठाइयां बिकती हैं सारे राजस्थान में जहां कि बड़ी बड़ी दुकानें हैं । उनसे तो कोई टैक्स नहीं लिया जाय, लेकिन २५ रुपये की मिठाई लेकर छोटी सी दुकान लगाकर बेचेगा तो लाओ टैक्स । तो बिल्कुल गरीब को तंग किया जाता है और बड़े करोड़-पतियों को छोड़ा जाता है । आज कई मिठाई वाले कोई ५०–५० लाख की आसामी हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं । खरीद-कर जो लाता है मिठाई मैन्यूफेक्चरर से उन से तो आप टैक्स वसूल करेंगे । जो अनपढ़ लोग हैं, बे पढ़े-लिखे लोग हैं, जो बेकार हैं, जिनकी नौकरी का आप पर भार नहीं है, वह ५–५ रुपये की मिठाई लाकर बेचकर खाता है और अपने बाल-बच्चों का भरण-पोषण करता है उससे आप टैक्स लेंगे । आज इन्जीनियर्स के लिए तो सरकार को इतनी चिन्ता कि उनके लिए कहा जाता है कि इनको ठेकेदारों को रखना पड़ेगा, लेकिन आपके यहां ऐसे सैंकड़ों लाखों मामूली लोग बेकार हैं उनको नौकरी पर नहीं लगाते हैं और जो कोई साग-सब्जी बेचता है, खोमचा लगाता है, उन पर टैक्स की बात करते

(श्री गोकुलनारायण शर्मा)

हैं। तो मेरा निवेदन है कि जैसे पान वालों को आपने छोड़ दिया है उसी प्रकार से पापड़ पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? पापड़ बनाने वाला आदमी अगर मैन्यूफेक्चरिंग करेगा और वह अक्ल वाला है तो २ पर्सेन्ट टैक्स, दाल पर ५ पर्सेन्ट टैक्स, साजी पर आपका टैक्स है, इन सारे टैक्सेज़ को जोड़कर आपको कह देगा कि इनको कम करो तो आपको लेने के देने पड़ जायेंगे, लेकिन वह गरीब पढ़ा-लिखा नहीं है और छोटी पूंजी से काम करता है उन पर छोड़ दें। वह बाजार से सामान लाता है जिनका वह टैक्स देता है। मैं जानता हूं कि नई चीज सिवाय श्रम के और नहीं जोड़ी जाती है। बीकानेर में करीब १० हजार औरतों की यह रोजी है और इस रोजी पर टैक्स लगाने से उनको दिक्कत हुई। आप इस पर टैक्स बिल्कुल बन्द कर दें ताकि लोगों को रोजगार मिले।

मेरा निवेदन था जो मैंने आपको कहा कि शराबबन्दी बिल्कुल की जाय। शराब को बिल्कुल बन्द किया जाय जिससे हमारा सर ऊंचा उठे। शराब जो पीते हैं हजारों लाखों वर्षों से उनकी दशा भी देखी और जो आज पीते हैं उनकी भी दशा देख ली और जो नहीं पीते हैं उनको भी देख लें। राजस्थान के एक परिवार के हम लोग हैं इसलिए अपने परिवार का भला चाहने के लिए इसको कतई बन्द कर दें।

श्री सभापति : श्रीमती कान्ता कथूरिया! श्री मनोहरसिंह मेहता आप इनके बाद में।

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : सभापति महोदय, इस बजट के सिलसिले में सरकारी व्यापार की योजना में पूंजी लागत की मांग के सिलसिले में मैंने एक कटौती-प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा है। उस कटौती-प्रस्ताव के सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस मांग के अन्तर्गत जिस सरकारी व्यापार को सरकार ने अपने हाथ में लेकर जनहित में जो साहसपूर्ण कदम उठाया है उसका स्वागत तो किया जा सकता है, यदि उसकी कार्य-प्रणाली एक सुधारवादी रूप अपना ले।

बजट के पेज ५५६ को देखने से मालूम पड़ा है कि इसमें सरकार ने जो अनाज की खरीद का काम किया है उसके आंकड़ें ८, १८, ४०, ००० रुपये बताये गये हैं और इस खरीद की कार्यान्विती पर जो खर्च किया जायेगा उसके आंकड़ें ८, ८८, ३०, ००० रुपये बताये गये है। दूसरे शब्दों में ८ करोड़ १८ लाख का अनाज क्रय करने के लिए सरकार को ७६,६०,००० रु० ओवर हैड एक्सपेन्सेज करने पड़ेंगे। ये ओवर हैड एक्सपेन्सेज जो हैं इनको केल्क्यूलेट करने से जो पर्सेन्टेज निकलता है वह करीब ८-५५ पर्सेन्ट का खर्च पड़ता है। इस बिजिनेस में सरकार को करीब ८-५५ पर्सेन्ट ओवरहैड एक्सपेन्सेज के लगते हैं, जिसका ब्यौरा उन्होंने बजट के पेज नम्बर ५५६ पर दिया है। एक तो उसमें उनका एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज हैं, दूसरा स्टोरेज है और तीसरा सप्लाई। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जिस उद्देश्य से यह सरकार कारोबार हाथ में ले रही है वह है कि जनता को सस्ता धान मिल सके और दूर

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

गांव के कौने में जहाँ धान नहीं पहुंचता है वहाँ धान पहुंचाया जा सके। यह उद्देश्य अत्यन्त सुन्दर है, लेकिन जो कार्य-प्रणाली है उस पर मुझे महसूस होता है कि जनता को सस्ता धान पहुंचाने का उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो पायेगा और न सरकार इस कारोबार में फायदा उठा सकेगी।

मैं निवेदन करना चाहूँगी कि यह जो खर्चा लगाकर धान लिया जाता है यह सरकार को पहुंचता है ८–५५ पर्सेन्ट के खर्चे पर, लेकिन यह जब आम जनता पर पहुंचेगा तो उसके ऊपर फिर जो खर्चा बैठेगा वह करीब ५ पर्सेन्ट और जुड़ जायेगा ऐसा मेरा अन्दाजा है, जोड़ा जायगा। इस तरह से यह १४–१५ पर्सेन्ट के आसपास खर्चा पड़ जाता है। इसलिए यह किसी भी सूरत में जनता को सस्ता धान देने के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेगा।

इस तस्वीर का एक और पहलू भी है। अनाज का व्यापार सरकार अकेले ही नहीं करती है, बल्कि दूसरे व्यापारी भी इसका व्यापार करते हैं। उनको इससे नाजायज फायदा उठाने के लिए एक मौका मिलता है। सरकार १५ पर्सेन्ट खर्चा लेकर जनता को धान पहुँचाती है। और नार्मल कोर्स में जैसा कि महसूस किया गया है कि सरकार का पिछले साल का जो खाण्ड का बिजीनेस है उसके उदाहरण के रूप में कहना चाहूँगी कि सरकार जब होलसेलर्स को देती है तो २–५० रु० क्विन्टल होल-सेलर्स को मिलता है और जब रिटेलर को दिया जाता है तो करीब डेढ़ रुपया और दिया जाता है। इस हिसाब से सरकार जो होलसेलर को प्रोफिट देती है वह २ पर्सेन्ट से ज्यादा नहीं होता है। इस १५ पर्सेन्ट के खर्चे को देखकर आम व्यापारी भी अपने भाव बढ़ा देगा और अपना खर्चा ज्यादा दिखा देगा, और जनता को ओन दी होल उस व्यापारी से जो अनाज मिलेगा वह जिस भाव में मिलना चाहिए उस भाव से नहीं मिल सकेगा। इससे अनाज क्या सारे मार्केट के भाव बढ़ेंगे, और जनता की जो परचेजिंग पावर है वह टूट जायगी, बल्कि राज्य की आर्थिक व्यवस्था जो है वह भी छिन्न-भिन्न हो जायगी। इस तरह से जो लोअर क्लास है उसके लिए कुछ कहना मुश्किल है लेकिन जो मिडिल क्लास है उसका भी सरवाइवल मुश्किल हो जायगा व हमारा जो समाजवादी समाज की स्थापना करने का लक्ष्य है उसको हासिल करना तो दूर बल्कि पूंजीवादी समाज पनपेगा। इसलिये मैं खास तौर से यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह जो परसेन्टेज ऑफ ओवर हैड एक्सपेन्डिचर बताया है एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे कार्य के लिये उस ओर सरकार ध्यान दे और इसको कम करे। मेरे खयाल से कन्ज्यूमर तक पहुँचने के लिये ५ परसेन्ट से अधिक खर्चा नहीं होना चाहिये। इसमें सभी खर्चा शामिल आ जाना चाहिये स्टाफ के लिये, स्टोर के लिये, सप्लाई में जो खर्चा होता है वह सब मिलाकर ५ परसेन्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिये।

इसके साथ-साथ जो वितरण की प्रणाली है उस ओर सरकार की तवजह दिलाना चाहूंगी। सरकार की सफलता, कानून और रूल्स का सही ढंग से पालन हो उसमें है। लेकिन कानून और रूल्स इतने ज्यादा बढ़ गये हैं और इतने कांपलीकेटेड बन गये हैं

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

कि उनके कारण परेशानी बढ़ गई है। आपके एन्फोर्समेन्ट इन्सपेक्टर्स इन रूल्स में और भी कम्प्लीकेशन क्रियेट कर देते हैं इसके कारण व्यापारियों को बड़ी दिक्कत होती है। एक बनिया जिसको ढंग से तोलना आता है, पूरा भाव लेना आता है, जो सौ रुपयों का हिसाब बराबर जानता है वे बराबर सामान तोलना जानते हैं उनको खामखां परेशान किया जाता है। मैं कहूँगी कि आपके एन्फोर्समेन्ट इन्सपेक्टर्स उनके साथ सहानुभूति रखने के बजाय कांप्लीकेशन पैदा करते हैं। छोटे-छोटे दुकानदारों के पास लिस्ट नहीं है इन्सपेक्शन करके झूठे सच्चे टेक्नीकल आरोप जैसे रजिस्टर में ठीक ढंग से दर्ज नहीं किया है इस तरह की खामियां निकाल करके एन्फोर्समेन्ट इन्सपेक्टर्स उनसे कहते हैंकि या तो २००) रु० रिश्वतके दे दो वरना तुम्हारा चालान एसेंशियल कोमोडिटीज एक्ट में निश्चित तौर से हो जायगा। जो रिश्वत नहीं देता है वह एसेन्शियल कोमोडिटीज एक्ट में फंसा दिया जाता है और फिर उसको वकीलों को पैसे देने पड़ते हैं। ऐसी सूरत में जो पैसा खर्च होगा वह कहां से आयगा ? तेल तो तिलों में से ही निकलेगा। यह जनता के हित के बजाय अहित की प्रणाली बन जाती है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ कि इस बात की ओर तवजह देने की जरूरत है जितना सिम्पलीफिकेशन रूल्स में होगा उतनी ही व्यवस्था अच्छे ढंग से होगी।

दूसरी बात मैं बिक्री कर के सिलसिले में कहना चाहूंगी। बिक्री कर की प्रणाली आज बिल्कुल डिफेक्टिव है। वित्त मन्त्रीजी ने अपने बजट भाषण में इसमें सरलता लाने की बात कही है उसका मैं स्वागत करती हूं (हीयर हीयर) लेकिन इस वसूली की प्रणाली से वसूली जितनी होनी चाहिये उसका ५० प्रतिशत भी नहीं होगा इसका कारण यह है कि दुकानदार लोग और कर्मचारी लोग फायदा उठा लेते हैं उनको रिश्वत मिल जाती है। जो अधिकारी गण हैं उनमें छोटे छोटे कर्मचारी चपरासी से लेकर सब सैंन्ट पर-सैन्ट नहीं तो अधिकांश व्यक्ति इस आदत के बन चुके हैं खास तौर से बिक्री कर में ईमानदारी की कमाई पर निर्भर नहीं रह सकते। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि वसूली की प्रणाली डिफैक्टिव है, इसे सुधारने की जरूरत है जिससे वसूली भी सरकार को कम से कम दुगनी नहीं तों २५% जरूर बढ़ जायेगी।

श्री सभापति : श्री मनोहरसिंह मेहता

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभापति महोदय, मैंने सरकारी व्यापार पर, सैल्स टैक्स पर और आबकारी करों पर अपने कटौती मौशन्स दिये हैं। मैं संक्षेप में पहले पहल तो सरकारी व्यापार पर निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री सभापति : आपके लिए समय १५ मिनट का है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं निर्दलीय हूं, यहां दूसरी पार्टी को जो रिप्रजेन्ट करते हैं वे तो १०, २० लाख को रिप्रजेन्ट हैं लेकिन मैं १ करोड़ ८० लाख लोगों को रिप्रजेन्ट करता हूँ इसलिये ५ मिनिट मुझको अधिक दिये जा सकें तो ठीक नहीं तो १५ मिनिट में ही अर्ज करूंगा।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

सरकारी व्यापार बहुत अच्छी चीज है लेकिन जब चारों तरफ घाटा ही घाटा होता है तो दुख होता है। एक आदमी बस खरीदता है और उसको ठीक तरह से चलाता है, वह समझता है कि यह मेरी है लेकिन इतनी बसेज चलें और उनमें घाटा हो तो बड़ा आश्चर्य होता है। जब १२५) रु० क्विन्टल का भाव गेहूँ का था बाजार में तब आपने ७५ या ८०) क्विन्टल के भाव से लेवी में गेहूँ लिया उसमें भी आपको घाटा हुआ।

दूध के लिये आपने डेरी खोली। डेरी अच्छी चीज है। लोगों को शुद्ध दूध मिलेगा ऐसी आशा थी लेकिन इसमें भी घाटा। सब तरह घाटा ही घाटा। अब आप व्यापार सहकारी समितियों को दे रहे हैं, सहकारिता नयी बात नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही है। और इतनी कारगर रहती थी कि गांवों में शादी में, गमीं में सब मिल कर ठीक तरह मे काम चला रहे थे। लेकिन जब बाहर से पैसा आने लगा तो चका-चौंध दिखने लगी, सब-सिडी मिली उसने इतना भ्रष्ट कर दिया कि जिसकी हद नहीं। या फिर शराब का पैसा लगा। कहावत है जैसा अन्न खायेंगें वैसी ही बुद्धि होगी और जैसा पानी पीयेंगे वैसा ही मन होगा। किसी कवि ने कहा है:

पुरखां की सहकारिता, कतरी सुन्दर आज।
खूब उछाल्यो द्रव्य पण, थां सूं चली न राज।।

तो आपकी सहकारिता भी चली नहीं। मैं खाली राज्य सरकार को ही दोष नहीं देता लेकिन शुरू से आखिर तक भ्रष्टाचार ही नजर आता है। मै यह निवेदन करूंगा कि आप राजकीय व्यापार थोड़ा सोच समझकर शुरू करें...............

श्री मूलचन्द डागा (पाली): यह कविता किसकी है ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : एक मेरे मित्र बनाते हैं मुझे याद हो जाती है क्योंकि मन की बात तत्काल उतर जाती है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप कोई काम शुरू करें तो वह कम भले ही हो लेकिन उसमें गुण ज्यादा हो। चाहे आप एक ही व्यापार को हाथ में ले लें लेकिन उसको अच्छे ढंग से करें ताकि लोगों को कहने का मौका नहीं मिले कि क्योंकि इस क्षेत्र में नये थे इसलिये ठीक ढंग से नहीं कर सके। यही बात मैं सहकारी मंत्रीजी से कहना चाहता हूँ कि आप सहकारी समितियों की संख्या की चिन्ता नहीं करें, अगर एक दो भी अच्छी तरह से चलेगी तो उनकी खुशबू दूर-दूर तक फैलेगी।

सैल्स टैक्स को मैं इस तरह मानता हूं जैसे भौंरा क्या करता है वह फूलों से शहद लेता है लेकिन फूलों को चोट नहीं पहुँचाता। इसी तरह से आप कर लीजिये लेकिन वसूली का तरीका ऐसा होना चाहिये कि उससे किसी को चोट नहीं पहुंचे और कर भी वसूल हो जाय। लेकिन जो खुद बेईमानी पर चलते हैं वे ऐसा नहीं कर सकते। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कमिश्नर सच्चे माने में ईमानदार हैं लेकिन वे अपने नीचे-वालों को भी संभाल सकें तो अच्छा हो। आज हालत क्या हो रही है ? मैं गांव में रहता हूं। एक-एक गांव में ५० ६० दुकानें होती हैं, दुकानदार दिन भर ताश खेलते रहते हैं। वे हिसाब-किताब में समझते नहीं हैं, लेकिन

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

जब जीप की आवाज उनके कान में आजाय तो वे समझते हैं कि सैल्स टैक्स इन्सपेक्टर आ गया ताश के पत्ते फेंक देते हैं और समझते हैं कि डकैत आ गया तो इस तरह की धारणा आज उनके प्रति बनी हुई है। यदि गांव के लोग ठीक तरह से हिसाब-किताब रखना नहीं समझते हैं तो उनको समझाना चाहिये। राजस्थान में सैल्स टैक्स का सरलीकरण करना चाहिये। तीन चार साल की बिक्री की औसत निकाल कर एक साथ सालों साल वसूल करलें तो बड़ी परेशानी से बच जायेंगे और आपके पास भी पूरा पैसा आयेगा और व्यापारी न इन्सपेक्टर्स से परेशान होंगे और न आपका पैसा कम होगा।

अब आता हूं मैं शराब पर। ५ साल में मैं यदि और कुछ भी नहीं कर सकूं लेकिन शराब बंदी हो जाय तो मुझे खुशी है कि राज्य सरकार इस ओर बढ़ी है इसलिये मै उसको बधाई देता हूं। कांग्रेस पक्ष के सदस्य और इधर के सदस्य दोनों ही शराब बंदी के पक्ष में हैं यह खुशी है। लेकिन मैं सोच तो यह रहा था कि शराब गांधी शताब्दी तक पूर्ण रूप से बंद होगी लेकिन शराब का पुत्र जुआ लॉटरी के रूप में आ धमका। लॉटरी इसलिये शुरू की जा रही है कि और लोग जुआ नहीं खेलें। ठीक इसी तरह से वैश्या वृत्ति कोई नहीं करे इसके लिये सुन्दरियों का कम्पीटीशन शुरु होगा, पहले पंचायतों में, उसके बाद पंचायत समितियों में, फिर जिलों में, फिर प्रान्त में और फिर देश में और विश्व सुन्दरी का। गांधी शताब्दी के दिन ये तीनों शुभ कार्य शुरू होंगे, पहला शराब, दूसरा लॉटरी, और तीसरा सुन्दरी प्रदर्शन ताकि वैश्या वृत्ति नहीं हो। कितना सुन्दर आयोजन है आपका ? इससे महात्मा गांधी को कितनी प्रसन्नता होगी, २ अक्टोबर, १६६६ के दिन कितना अच्छा काम आप करेंगें ? शराब तो इतनी भयंकर चीज नहीं है जितना जुआ है। हम और आप में से बहुत से लोग इसको नहीं पीते हैं और जब हम नहीं पीते हैं तो हमारी स्त्रियां तो इसको छूती तक नहीं हैं। लेकिन जब १० रु० के बजाय १० हजार रुपये मिलने वाले है तो वे तुरन्त रुपये जमा करा देगीं। अब ये दस हजार रुपये आयेंगे कहां से ? एक हजार आदमी जब दस-दस रुपया जमा करायेंगे तब जाकर ये दस हजार रुपये बनेंगे। एक हजार आदमियों के जब पेट पर पट्टी बन्धेगी तब जाकर एक आदमी को इनाम मिलेगा। इससे बढ़कर और बुरी बात क्या हो सकती है ? लेकिन आपकी नजर तो कभी दूर तक नहीं जाती। आप नजदीक तक ही देखते हैं। आप के पैर के नीचे आग सुलग रही है वह आपको नजर नहीं आती।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आप क्यों परेशान हो रहे हैं ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं परेशान नहीं हो रहा हूं मैं यह कह रहा हूं कि इधर बैठने वाले माननीय सदस्य हैं और उधर बैठनेवाले माननीय सदस्य भी हैं, उनके दिल में भगवान जगे कि यह बहुत बुरा काम हो रहा है। आप कृपा करके यह लॉटरी न लाइये। यह बहुत ही भयंकर बीमारी है। इसने युधिष्टर जैसे धर्मात्मा आदमी

Page No.99

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

को बर्बाद कर दिया। घृतराष्ट्र अन्धा था उसकी गलती नहीं थी। युधिष्टर से बढ़कर और कौन धर्मनिष्ठ आदमी था? लेकिन इस जुए ने उसको भी बर्बाद कर दिया। यह इतना भयंकर है। इसलिये आप कृपा करके इस जुए को चालू न करें। इसके बहुत बुरे परिणाम होने वाले हैं।

आज एक बात मैं निवेदन करूं कि अंग्रेजों के पहले तक शराब की आय को राज की आय नहीं मानते थे। अंग्रेजों ने आबकारी महकमा १७६० में खोला, तब स्वर्गीय गोखले ने इंग्लैंड में जाकर कहा कि हिन्दुस्तान की ऐसी धरती है जहां पूर्ण मद्य-निषेध की व्यवस्था लानी है और वह हो करके रहेगी। स्वर्गीय तिलक ने कहा कि अंग्रेजों के भारत छोड़ देने के बाद भी शराब की बुराई बनी रहेगा, अत: हमें आन्दोलन अभी से प्रारम्भ कर देना चाहिये। हमारा स्वतंत्रता का संग्राम तब तक अपूर्ण रहेगा जब तक शराब पीने के विरुद्ध आन्दोलन नहीं किया जाये। और जब देश की बागडोर महात्मा गांधी ने सम्हाली तो उन्होंने सब से पहले जो बात कही वह यह कही कि शराब ऐसी चीज है कि अगर मैं एक घन्टे के लिये भी हिन्दुस्तान का डिक्टेटर बन जाऊं तो सब से पहले तमाम शराब की दुकानों को बिना मुआवजा दिये बन्द करा दूं। जब उनसे कहा गया कि शराब बन्द करने से राज्य की आय कम हो जायेगी और बालकों की शिक्षा पर पैसा खर्च नहीं हो सकेगा तो उन्होंने कहा कि मुझे यह पसन्द है कि हमारा देश कंगाल हो जाये, भले ही हमारे बालकों को शिक्षा मिलना बन्द हो जाये, लेकिन शराब को तो बन्द करना ही पड़ेगा।

लेकिन आज हिचकिचाहट हो रही है। मुझसे कई माननीय सदस्य कहा करते हैं कि आप पंचायत राज के खिलाफ क्यों हो? मैं जितना पंचायत राज का हामी हूं उतना मैं समझाता हूं इस सारे सदन में और कोई माननीय सदस्य नहीं होगा। लेकिन आप पंचायत राज को मानते हैं क्या? मैं वित्त मंत्री महोदय से एक बात कहूंगा कि मैं हमेशा शराब बन्दी की मांग करता हूं, वह मांग मैं कमी भी नहीं करूंगा अगर आप एक बात के लिये राजी हो जायें। वह यह कि जहां-जहां से भी पंचायत तथा पंचायत समिति बहुमत से यह प्रस्ताव पास करके भेज देवे कि हमारे क्षेत्र में शराबबन्दी हो, वहां पर आप शराबबन्दी लागू कर लेंगे, वहां सब शराब की दुकाने आप हटा देंगे। जहां-जहां की जिला परिषद् बहुमत से पास किया प्रस्ताव भेजदे कि हमारे यहां शराब की दुकान नहीं होनी चाहिये, वहां से आप शराब की दुकानें हटा देंगे। अगर आप इस बात के लिये तैयार हैं तो मैं संकल्प करता हूं कि कभी भी शराबबन्दी के लिये यहां नहीं कहूंगा। इसके लिये आप क्या कहते हैं? ये पंच और सरपंच भी डाइरेक्ट इलेक्शन्स में चुन करके आते हैं। फिर उनकी बात क्यों नहीं मानते?

दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा कि शराबबन्दी में सब से बड़ा रोड़ा अगर कोई है तो वह है राज्य-अधिकारी। आप बक्शी टेकचन्द कमेटी की संक्षिप्त रिपोर्ट ही पढ़ लीजिये। उन्होंने कहा है कि शराबबन्दी में सब से बड़ी बाधा राज्य अधिकारी है। आज सब से अधिक इस राज्य में किसी का भला हुआ है तो वह राज्य-अधिकारी का हुआ है, सब से अधिक अगर किसी को सुरक्षा

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

मिली है तो वह राज्य-अधिकारी को मिली है। उनके लड़के इन पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते हैं, वे पब्लिक स्कूल्स जहां पर पब्लिक जा नहीं सकती। मैं ऐसे राज्य-अधिकारी को भी जानता हूं जिसने अपनी लड़की किसी आइ.ए.एस. पास लड़के को नहीं दे कर एक स्कूल मास्टर को दी क्योंकि वह चरित्रवान् था उन्होंने चरित्रहीन आइ.ए.ए.स को अच्छा नहीं समझा। लेकिन ज्यादातर ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल्स में भेजकर उनको भी आइ. ए.एस. बनाना चाहते हैं। वे लड़के जब शाम को पिताजी को बोतल पर देखते हैं, और पिता उन बच्चों से ही कहता है कि जा बेटा बोतल तो ले आ, कभी कभी बच्चे की इच्छा भी होती है कि इस बोतल में क्या है, इसको पीकर तो देखें, और कभी-कभी पिता खुद अपने बेटे से कहता है कि तू भी पी ले थोड़ी सी। तो अगर आप शराब को बन्द करना चाहते हैं, तो जितने भी राज्य-अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी से लेकर चपरासी तक और वाइस चांसलर से लेकर प्राइमरी स्कूल के मास्टर तक, पंच से लेकर एम. पी. तक या जो इन पदों के लिये खड़े होने वाले हैं, इन सब पर प्रतिबन्ध लगाइये कि वे शराब नहीं पीयेंगे। अगर आप यह काम कर देंगे तो आपकी आधी शराब बन्दी तो यहां ही हो जायेगी। और अगर यह भी नहीं करने वाले हैं तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है।

मैं स्वागत करता हूं इस बात का कि आपने तीन जिलों में शराब बन्दी करने का फैसला किया है, लेकिन वहां के राज्य-अधिकारी ऐसे होंगे जो खुद पीते हैं। वे नाजायज शराबकशी को प्रोत्साहन देंगे। तो शराब विभाग के अधिकारी और मन्त्री भी ऐसे हों जो वास्तव में शराब बन्दी करना चाहते हों, बल्कि अगर इस विभाग का मंत्री कोई महिला हो तब तो सबसे अच्छा। महिला के अन्दर माता का हृदय है और वह जानती है कि शराब के पीने से कैसे घर बर्बाद होते हैं। वह जानती है कि इसके कितने बुरे परिणाम होते हैं। कैसे बच्चे परेशान होते हैं शराब पीने वाले के। यह एक महिला ही जानती है। इसलिये अगर किसी महिला को इस विभाग का मंत्री बनाया जाये तो इससे बहुत बड़ी सफलता मिलेगी।

एक बात और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। कई लोगों को यह भ्रम है, यह वहम है कि शराब बन्दी करने से हमको नुकसान होगा। कभी कभी हमारे माथुर साहब भी ऐसा कहते हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लड़का अगर आज पैदा होता है तो वह पैदा होते ही कमाने तो नहीं लग जायेगा। तो पहले साल में हो सकता कि आपको नुकसान हो, लेकिन बाद में वह नहीं रहेगा। इसके साथ-साथ आपको फायदा कितना होगा इस पर भी विचार करना है। आपने छोटी जोतों पर लगान वापिस लगा लिया, मैंने आपको बधाई दी। क्यों दी ? इसलिये कि इस तरह से जो और पैसा आयेगा उससे आपको शराब बन्दी करने में मदद मिलेगी। आप पंचायत समितियों को बन्द कर दीजिये। विकास खंड के नाम से जो आपने ये विनाश खंड के बना रखे हैं और उस पर खर्चा कर

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

रहे हैं, वे बन्द कर दीजिये। वहां बेकार आप पैसा लुटा रहे हैं और अधिकारी लोग मौज कर रहे हैं। आपके पब्लिसिटी के अधिकारी हर जिले की पंचायत समिति की मीटिंग में जाते हैं। भीलवाड़ा में अभी तीन अधिकारी शराब पीकर सरकारी गाड़ी में लौट रहे थे। शराब के नशे में अन्धाधुंध गाड़ी चलाई और नतीजा यह हुआ कि एक जगह टकरा कर ३० हजार रुपये की सरकारी गाड़ी मटियामेट कर दी। यह तो केवल एक मिसाल है। ऐसे कई लोग हैं। तो आखिर इस तरह का नुकसान कब तक होता रहेगा ?

(२.४७ म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

गंगानगर की तरफ आप देखिये जहां शराब का बोल–बाला है। गंगानगर में कोई भी भगवान को नहीं समझता। यह सही है कि जब तक दीन–दुखियों की मदद नहीं करता तब तक भगवान नहीं मिलेगा। किसान आम तौर पर फसल आते ही कहता है कि दीन दुखियों की मदद कर सकता है, लेकिन गंगानगर में माल नापते हैं कि वह कितने मर्डर करा सकता है। वहां पर किसी की खुशहाली की नाप मर्डर से होती है। तो कृपा करके शराब को वहां से हटाओ। भौतिकता के साथ नैतिकता अनिवार्य है।

कुछ लोग कहते हैं कि शराब में पानी मिला हुआ मिलता है। मैं कहता हूं यह अच्छी है। आप किसी भी और चीज में पानी मिलाइये वह नुकसान करेगा। आप दूध में पानी मिलाइये वह नुकसान करेगा, आप घी में तेल मिलाइये या और किसी चीज में पानी मिलाइये वह नुकसान करेगा, लेकिन शराब ही एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आप पानी मिलाओ तो उतना ही नुकसान कम होगा, उतना नशा कम होगा। शराब में जितना अलकोहल कम होगा उतना अच्छा होगा।

फिर आपके जितने भी टैक्सेज हैं, सैल्स टैक्स है, इन्कम टैक्स है, मनोरंजन कर हैं, ये टैक्सेज वह ही आदमी देता है जो खुशहाल होगा। उपाध्यक्ष महोदय, लोग जब खुशहाल होते हैं तो वे इन्कम टैक्स देते हैं, लोग जब खुशहाल होते हैं तो वह सैल्स टैक्स देते हैं, लोग जब खुशहाल होते हैं तो वह मनोरंजन कर देते हैं। लेकिन शराब का कर गरीब आदमी से और वह भी कैसे लिया जाता है ? जब थोड़ी शराब पीकर आदमी पागल होता है तो पागल होते ही वह और शराब लेकर पीता है, और फ़िर सरकार शराब का व्यापार करे ? वह सरकार—जहां हमारी संस्कृति में राम और राज्य को सर्वोपरि माना जाता है, वह राज्य आज शराब का व्यापार कर रहा है, कलाली कर रहा है। ओछी जाति कलाल की। तो ओछी जाति में यह राज्य कैसे आ गया ? जिस राज्य को राम के साथ में रखा, वह राज्य रावण के साथ कैसे आ गया ? वह कलाल कैसे बन गया ? आज मैं देखता हूं, ठेकेदारों के बंगले। जब मैं उदयपुर में जाता हूं तो वहां मैं ठेकेदारों के बंगले देखता हूं। जब उनके बंगलों पर मेरी नजर जाती है तो मुझे उन बंगलों की

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

एक एक ईंट में किसानों और गरीबों का खून नजर आता है। इसी तरह से आपकी शराब की आमदनी में भी उन किसानों और गरीबों का खून है। आप उन गरीबों के घर को तो देखिये। आप सेल्स टैक्स वसूल करते हैं जब कि आदमी खुशहाल होता है, आप आवकारी टैक्स वसूल करते हैं उस आदमी से, जो गरीब है और जिसकी हालत गिरी हुई है, जिसकी औरत फटे हाल रहती है और जिसके बच्चे कुम्हला रहे हैं। उनके ऊपर आप यह आप यह आवकारी टैक्स का बोझा डाल रहे हैं। बहुत दफा यह कहा जाता है, जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा कि कई राज्यों ने लॉटरी को शुरू किया है, शराब कई राज्यों में चल रही है—इसमें कांग्रेस सरकार के राज्य भी हैं और गैर-कांग्रेस सरकार के राज्य भी हैं। लेकिन शराबबन्दी के मामले में कई राज्य उल्टे जा रहे हैं तो भी आप इस मामले में सुलटे क्यों जा रहे हैं ? इससे आपने सारे हिन्दुस्तान के लिए एक रास्ता खोल दिया है। लॉटरी के लिए आपने दुहाई दी कि कई राज्यों में लॉटरी जारी है। लेकिन आप यह मत भूलिये कि राजस्थान ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है, मीरा ने मार्गदर्शन किया है। देश का मार्गदर्शन टेरेलीन के कोट पेन्ट पहनकर शौकीन आदमियों ने कभी नहीं किया है, देश का मार्गदशन महाराणा प्रताप ने किया है, देश का मार्गदशंन राणा सांगा ने किया है, देश का मार्गदर्शन पद्मिनी ने अपना वलिदान करके किया है। इसलिए राजस्थान प्रान्त को नींव का पत्थर बनना पड़ेगा राजस्थान को अपने प्राणों की बलि देकर भी सारे हिन्दुस्तान का मार्गदर्शन करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो वह दिन दूर नहीं है जबकि देश का सर्वनाश होकर रहेगा।

आज आपकी शिक्षा ऐसी है कि सारा का सारा काम उलटा चल रहा है। इसलिए कृपा करके यह मत भूलिये कि वापू की शताब्दी जल्दी आ रही है। आपकी मजबूरी हो तो उसको भी हम समझ सकते हैं लेकिन आप डरते क्यों हैं। मान लीजिये कि आप डरते हैं तो आप यह कहिये कि हमारी मियाद खत्म होने के पहले पहले हम शराबबन्दी कर देंगे। लेकिन आप अनिश्चित काल की बात करते हैं, तो १९७२ के बाद आप आयेंगे या नहीं आयेंगे इसकी गारन्टी नहीं है। शराबबन्दी आप सचमुच करना चाहते हैं तो अपनी तरफ से कहिये कि १९७२ तक आप कर ही देंगे। यदि फिर हम मिलेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि दो अक्टूबर, १९६९ तक शराबबन्दी राजस्थान में ले आयें तो बहुत वड़ी वात होगी। अगर देश का राजस्थान मार्ग दर्शन करना चाहता है तो उसको शराबबन्दी के सिद्धान्त को बराबर मानना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मुझे इस पर फिर बोलना पड़े। मैं तो चाहता हूं कि ऐसी स्थिति आये जब मैं यहां पर माननीय मुख्य मन्त्री जी को और वित्त मन्त्री जी को माला पहना सकूं। आप हिम्मत से काम लीजिये, 'सत्यमेव जयते' के मोटो को अपने सामने रख कर आप इस शराब को राक्षस से पिण्ड छुड़ाइये। जब तक आप इस शराब के राक्षस से पिण्ड नहीं छुड़ायेंगे तब तक हमारा विकास नहीं होगा, विनाश होता रहेगा। आपको मकान नजर आ जायेंगे, बिल्डिंग नजर आ जायेंगी लेकिन वह बिल्डिंग उसी प्रकार की होगी जिस प्रकार आदमी का शव होता है। जब

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

तक शरीर में आत्मा नहीं जायेगी तब तक वह मुर्दे के मानिन्द है, और जब तक आत्मा नहीं बोलेगी तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए आप कृपा करके, मैंने जो संक्षेप में निवेदन किया है, उसकी ओर ध्यान दीजियेगा इससे राजस्थान का ही नहीं सारे हिन्दुस्तान का कल्याण होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय देवीदत्त !

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण के अन्दर राजस्थान के उद्योगों को जो छूट दी है, राजस्थान के अन्दर उद्योगों को पनपाने के लिए जिस प्रकार की छूट दी है-- उसका तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन वित्त मन्त्री जी, आपने जहां अन्य उद्योगों को छूट दी है, वहां राजस्थान के अन्दर तेल से सम्बन्धित जो उद्योग हैं, उन उद्योगों को छूट देने के ऊपर आपने किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया है। यदि राजस्थान सरकार ने इस तेल से सम्बन्धित उद्योगों पर ध्यान नहीं दिया तो यह उद्योग निश्चित रूप से नहीं पनपेगा, साथ ही इसका असर किसानों के ऊपर भी बहुत बुरा होगा। वित्त मन्त्री जी, मैं आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूं। आज राजस्थान के अन्दर तेलों से सम्बन्धित जो कारखाने चलते हैं, राजस्थान के अन्दर कई स्थानों पर कारखाने चल रहे हैं, राजस्थान के अन्दर जो कनस्तर के ४५ कारखाने अलवर, भरतपुर और अन्य स्थानों पर, जयपुर में चल रहे हैं उन कारखानों में बनने वाले पीपे के ऊपर, कनस्तर के ऊपर राजस्थान सरकार ने छः प्रतिशत का सेल टैक्स लगा रखा है, जबकि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो कनस्तर का कारखाना है उसमें बनने वाले कनस्तर के ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार ने सिर्फ दो प्रतिशत सेल्स टैक्स लगा रखा है। इस कारण राजस्थान में कनस्तर, पीपे के दाम अधिक होने के कारण, सेल्स टैक्स अधिक होने के कारण राजस्थान के व्यापारी उत्तर प्रदेश से तेल के पीपे खरीद कर लाते हैं और उनमें तेल भर कर सप्लाई करते हैं। इस कारण से राजस्थान के कनस्तर के कारखाने हैं वह पनप नहीं रहे हैं, वह प्रगति की ओर नहीं बढ़ रहे हैं और उन कारखानों की हालत खराब हो रही है। इसलिए वित्त मन्त्री जी, राजस्थान के कनस्तर के कारखानों को पनपाने के लिए राजस्थान के अलावा दूसरे जो प्रान्त हैं, दूसरे पड़ौसी प्रान्त हैं, वहां पर जो सैल्स टैक्स उन कारखानों में बनने वाले कनस्तर के ऊपर है, उसके बराबर लायें और राजस्थान के कनस्तर के कारखानों को पनपाने का प्रयत्न करें।

जहां यह बात है वहां हमारे राजस्थान के अन्दर तेल के कई कारखाने हैं. हमारे कोटा के अन्दर हैं, इसी प्रकार से गंगापुर के अन्दर हैं और इसी प्रकार से अन्य स्थानों में भी हैं, वह तिल्ली के तेल, अलसी के तेल, मूंगफली के तेल, सरसों के तेल के कारखाने हैं लेकिन हमारे राजस्थान के अन्दर जो फेक्ट्री तेल बनाती है और जो वह सीड्स खरीदती है उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स है वह तीन प्रतिशत है, और अगर उन कारखानों के मालिक सीड्स सी-फार्म की मार्फत कन्सेशनल रेट पर खरीदते हैं तो वैसे तो सेल्स टैक्स तीन प्रतीशत देना पड़ता है, लेकिन सी-फार्म भरने के बाद में जो उनको सैल्स टैक्स देना पड़ता है, सी फार्म के माध्यम से सीड खरीदकर तेल

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

बनता है और उस तेल को राजस्थान के अन्दर वेचते हैं तो उस पर उन्हें पांच पर्सेन्ट सेल्स टैक्स देना पड़ता है। इसके साथ ही राजस्थान के उद्योगपति, जो तेल के कारखाने चलाते हैं, वह इन्टर स्टेट के अन्दर अपने तेल को बेचते हैं तो उनको तीन पर्सेन्ट सेल्स टैक्स देना पड़ता है। यह स्थिति है, जब कि राजस्थान की सरकार यह दम भरती है कि राजस्थान के अन्दर उद्योगों को पनपाने के लिए राजस्थान सरकार ने यह प्रगतिशील कदम उठाया है, इसके लिए उसने चुंगी की छूट दी है, अन्य उद्योगों को सेल्स टैक्स की छूट दी है। मैं वित्त मन्त्री जी, आपसे पूछना चाहता हूं कि इस तेल से सम्बन्धित इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान से लगने वाले अन्य प्रान्तो के अन्दर जो तेल के कारखाने हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के अन्दर हैं उनमें बनने वाले तेल के ऊपर जो सेल्स टैक्स है– उसको अपने ध्यान में क्यों नहीं रखा। आज उत्तर प्रदेश के अन्दर तेल के ऊपर दो प्रतिशत का सेल्स टैक्स है और सीड के ऊपर भी दो प्रतिशत का टैक्स है। इस कारण राजस्थान के व्यापारी को जहां से तेल सस्ता मिलता है वहां से वह तेल खरीदता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार को चाहिए तो यह था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न करें कि राजस्थान का व्यापारी किसी भी प्रकार के तेल को खरीदने के लिए राजस्थान से बाहर नहीं जाय, लेकिन राजस्थान की निकम्मी सरकार के गलत निर्णय के कारण से तेल के कारखानों पर ज्यादा सेल्स टैक्स लगने के कारण राजस्थान के मध्यम और दूसरे वर्ग के व्यापारियों को बाहर से तेल लाकर राजस्थान में बेचना पड़ रहा है। इसलिए, वित्त मन्त्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस प्रकार के तेल से सम्बन्धित कारखाने हैं उन कारखानों को भी प्रोत्साहन देने के लिए, यह जो उन पर सेल्स टैक्स का भार है, इसको कम करें ताकि यह कारखाने राजस्थान के अन्दर चल सकें, ताकि इन कारखानों के अन्दर मजदूरों को रोजी मिले, ताकि इन कारखानों के मजदूरों को बोनस मिले, ताकि कारखानों में जो मजदूर आज काम करते हैं, उनके अलावा, यदि फैक्ट्री पनपेगी, तो अन्य लोगों को भी रोजगार मिल सके।

जहां यह बात है, वहां, उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के वित्त मन्त्री का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि आज हमारी राजस्थान की सरकार, जब राजस्थान में बाहर से किसी प्रकार का माल बेचने को आता है तो हमारी सीमाओं के ऊपर जो सेल्स टैक्स के, चुंगी के नाके हैं उन चुंगी के नाकों के ऊपर बिक्री कर के रूप में उनसे सेल्स टैक्स वसूल करती है। नियम तो ऐसा है कि जब तक वह माल नहीं बिके तब तक उसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन मैं, वित्त मन्त्री जी, आपको एक उदाहरण पेश करूंगा जिससे यह सिद्ध करना चाहूंगा कि आज राजस्थान के सेल्स टैक्स विभाग के द्वारा जब हमारे यहां कोई माल आता है तो उस माल के बिकने के पहले उस पर सेल्स टैक्स लिया जाता है। उसके बाद में जब वह व्यापारी अपने रिटर्न्स पेश करता है तो वहां का क्षेत्रीय अधिकारी उससे सेल्स टैक्स दुबारा वसूल करता है।

(३ म. प.)

अभी अजमेर का एक व्यापारी है, जिसका

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

नाम श्री बंशीराम कस्तूरचंद है, जो केसरगंज, अजमेर के अन्दर रहता है, उसके यहां पंजाब से गुड़ बिकने के लिए ट्रक के द्वारा आता है लेकिन अलवर के सैल्स टैक्स नाके नौगावां—साझापुरा के अन्दर वहां गुड़ के ऊपर बिक्रीकर के रूप में वसूल कर लेते हैं। वहां के नाके के ऊपर उस अजमेर के व्यापारी, ट्रक से गुड़ ले जाने वाले, से ५० हजार रुपया गुड़ की बिक्री का पहले से ही वसूल किया। वहां पर उसने जमा करवाया। उसके बाद अजमेर के व्यापारी ने गुड़ बेचा और बेचने के बाद जब सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट को उस व्यापारी ने रिटर्न पेश किया तो अजमेर के सैल्स टैक्स ऑफिसर ने उसके ऊपर ५० हजार रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया। उसने अलवर की रसीद पेश कीं। उस अजमेर के व्यापारी ने अलवर के नौगांव-साझापुरा नाके की रसीद पेश की और उसने कहा कि हमने ५० हजार रुपया जमा करवा दिया है। लेकिन अजमेर के सैल्स टैक्स ऑफिसर ने उन रसीदों को मान्यता नहीं दी है। क्या वित्तमन्त्री जी आपका यही शासन है? यही व्यवस्था है कि अलवर की सैल्स टैक्स की दी हुई रसीद अजमेर का सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट मानने से इन्कार कर दे? अजमेर के उस व्यापारी पर ५० हजार रु० का डिमांड नोटिस जारी कर दिया। उसके बाद उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो उस व्यापारी ने लाचारी में जयपुर में आकर रिट दाखिल की है। इस प्रकार से भृष्टाचार और तानाशाही इस डिपार्टमेंट में चल रही है।

इतना ही नहीं, वित्त मन्त्रीजी, जिस प्रकार से अलाभकर जोत पर जो टैक्स लगाया है, उसको लगाने की आपको आवश्यकता नहीं होती यदि जी लाखों रुपया, लाखों रुपया बसों में पैसेंजर टैक्स बकाया है। वह समय पर वसूल कर लिया जाये तो राजस्थान की ढाई करोड़ जनता पर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं रहे। मैं आपके सामने एक दो उदाहरण देकर बताता हूं। बारां के अन्दर एक बस है, आर०जे०आर० १३८३— इस पर चार साल से राजस्थान सरकार का ५ हजार रु० टैक्स बकाया है। यह पैसेंजर टैक्स की रकम राजस्थान सरकार ने आज तक वसूल नहीं की है। जब इसके ऊपर एक बार कार्यवाही हुई तो कोटा के सैल्स टैक्स ऑफिसर ने उस बस मालिक की आर० जे० आर० १२७२ और आर० जे० आर० १२१७ इन दोनों को जब्त किया और उसी के सुपुर्द कर दिया। इस बस ऑपरेटर ने बारां मुंसफी के अन्दर राजस्थान सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट पर दावा कर दिया है। इतना ही नहीं वह दावा२० महीने से स्टे आर्डर के रूप में चल रहा है मुंसिफ ने कई बार सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस दिया और आज १४ बार पेशियां पड़ चुकी हैं, लेकिन कोटा के सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर वहां पर नहीं गया। बस ऑपरेटर ने सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट से हर्जाने के रूप में एक बार १४ हर्जार और एक बार २० हजार रुपया हर्जाने के रूप में ले लिया। यह राजस्थान सरकार के लिए शर्म की बात है। यदि इस सरकार को न्यायालय के द्वारा राजस्थान सरकार को हर्जाना देना पड़े तो उस सरकारी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की है?

इतना ही नहीं इस प्रकार का राजस्थान सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार और

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

बेईमानी का नमूना, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बारां क्षेत्र के अन्दर शाहाबाद का इलाका है उस शाहाबाद के इलाके के अन्दर कस्बाथाना एक ग्राम है जो मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर राजस्थान सैल्स टैक्स की नाका चौकी चुंगी है। उस नाका चौकी पर आज से डेढ़ साल पहले सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने एक चोरी का मुकदमा बनाया और चोरी का मुकदमा कितने का ? उपाध्यक्ष महोदय, १५ नये पैसे की चोरी का मुकदमा बनाया। वहां का एक पागल आदमी दफ्तर से दो होल्डर उठाकर ले गया। जिनकी कीमत १५ नये पैसे। उसका मुकदमा बारां के न्यायलय में चल रहा है, पन्द्रह नये पैसे की चोरी का मामला लेकिन आज तक सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट का राज्य कर्मचारियों की गवाहियों के रूप में ले जाने के नाम पर, केस लड़ने के नाम पर कम से कम दो हजार रुपया खर्च हो गया है। माननीय वित्तमन्त्री जी, इस प्रकार से १५ नये पैसे के मामले में राजस्थान सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट का व्यर्थ में दो हजार रुपया खर्च हो, क्या आपके डिपार्टमेंट ने उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की है ?

इतना ही नहीं, मैं राजस्थान के वित्तमंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री जी यह कहते हैं कि हम कृषक, किसानों को राहत देने के लिए कृषि से सम्बन्धित जितने भी इम्लीमेंट्स हैं उनको सैल्स टैक्स से छूट देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से वित्त मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कृषि से सम्बन्धित राजस्थान के किसानों का सबसे बड़ा यन्त्र है, वह विनावर है, अनाज ओसाने की मशीन है। उसको सैल्स टैक्स से छूट नहीं दी है इसलिए मैं चाहता हूं कि किसानों को अधिक से अधिक सुविधा देने के लिए सैल्स टैक्स से छूट देने के लिए उस विनावर को भी छूट में शामिल किया जाये। ताकि किसानों को सुविधा मिले।

आज वित्त मन्त्री जी, जहां एक ओर आप यह कहते हैं कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति खराब नहीं है वहां मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आज आप के सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी राजस्थान के व्यापारियों के पास जाकर, उनके बहीखाते जब्त करने की धमकी देकर, उनसे एक दो महीने एडवांस के रूप में बिक्रीकर की रकम वसूल कर रहे हैं। ऐसा कौन सा कानून है ? ऐसा वह क्यों कर रहे हैं ? इस प्रकार का जजिया कर वसूल करना, इस प्रकार यह तानाशाही शासन, इस लोकतन्त्र के लिए कलंक की बात है। इसके लिए साफ मना कर देते हैं लेकिन वित्तमन्त्री जी अपने दफ्तर में बैठकर सैल्स टैक्स कमिश्नर को टेलीफोन से हुक्म देते हैं। वह अपने सैल्स टैक्स अधिकारियों को टेलिफोन से हुक्म देते हैं, मौखिक आदेश देते हैं, पकड़ में आते नहीं हैं, आप उनको बचाने में माहिर हैं। वित्तमन्त्री जी, आप की शक्ल तो बहुत अच्छी है लेकिन आप सुखाड़िया जी के कम्पीटिशन में नहीं ठहर सकते हैं। आप राजस्थान की जनता को चकमा देना चाहते हैं। वह दिन आ रहा है जब इस प्रकार के मौखिक आदेशों से राजस्थान की जनता को लुटवाया जा रहा है। राजस्थान की जनता उसका बदला लेगी। इसलिए इस प्रकार आप जो लूट-खसोट कर रहे हैं उसको बन्द करने

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

की कृपा करें ।

अन्त में माननीय वित्त मन्त्री जी, आबकारी के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने राजस्थान के अन्दर सन् १६६४ में शराब के ऊपर गारन्टी सिस्टम लागू किया। यह गारन्टी सिस्टम इस प्रकार लागू किया कि आप ने इन ठेकेदारों के लिए शराब के भाव निश्चित नहीं किये । गारन्टी सिस्टम से आप ने जितनी रकम ठेकेदारों से ली, जितनी शराब उनको देनी चाहिए थी, उतनी शराब आप उन ठेकेदारों को नहीं दे सके। सन् ६५-६६ और ६६-६७ तक के उन ठेकेदारों के आंकड़े लेकर देखें जायें तो उन ठेकेदारों को गारण्टी सिस्टम के द्वारा जितनी शराब देनी चाहिए थी, उतनी शराब नहीं दिये जाने के कारण उन्होंने अपना क्लेम खड़ा किया। और शराब के ठेकेदारों ने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह शराब की रेट निश्चित नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं को उन्होंने अपने मनमाने तरीके से लूटा। और एक का चार-चार रुपया वसूल किया, और इस तरह शराब के माध्यम से उपभोक्ता लुटे। राजस्थान की सरकार ने ठेकेदारों को पूरा शराब नहीं दिया तो उन लोगों ने अपना क्लेम खड़ा किया । मेरी जानकारी के अनुसार राजस्थान का मंत्री-मंडल उनको ६०—७० लाख की छूट देने का निर्णय कर चुका है या करने वाला है। इस तरह से राजस्थान के खजाने में साठ, सत्तर लाख का नुकसान हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसकी है ? इसके जिम्मेदार आप हैं। आज राजस्थान में इस प्रकार की धांधली चल रही है ।

६७—६८ में राजस्थान की सरकार ने ऑफर सिस्टम लागू किया । इसमें भी शराब की रेट निर्धारित नहीं की है, जिसके कारण ठेकेदार आज भी उपभोक्ताओं को लूटेंगे। शाहाबाद क्षेत्र में सीताबाड़ी है उसमें आज जिस प्रकार अटरू में सरकारी डिस्टिलरी चल रही है उसी तरह से वहां के लोगों की नाजायज शराब की डिस्टिलरी चल रही है, आपके अधिकारियों की ताकत नहीं कि उनको पकड़ें, आपके अधिकारी उनको इस लिए नहीं पकड़ सकते कि प्रतिवर्ष उन लोगों से पैसा बांध रखा है, उनसे इन अधिकारियों को पैसा मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक पत्र सदन की मेज पर रखना चाहता हूं। झालावाड़ का थानेदार, वहां जो हेमू इंग्लिश वाइन स्टोर है उस स्टोर से १३-१-६८ को जब झालावाड़ में डी. आई. जी. आये थे, तो उनका स्वागत करने के लिऐ, उनको शराब पिलाने के लिए १२३ रुपयों की शराब लाया। उस शराब की कीमत का १२३ रुपया उस झालावाड़ के थानेदार ने हेमू इंग्लिश वाइन स्टोर के मालिक को आज तक नहीं चुकाया है। स्टोर मालिक का पत्र मैं पढ़ कर सुनाता हूं।

"निवेदन है कि डी. आई. जी. पी. साहब उदयपुर १३-१-६८ को झालावाड़ पधारे थे, उनकी पार्टी में १२३ रु० की शराब बृजमोहन थानेदार ले गये, उस शराब का रुपया आज तक जमा नहीं कराया है। होम मिनिस्टर साहब से निवेदन है कि प्रार्थी को रुपया दिलाया जावे ।"

जब इस प्रकार का पत्र लिखा तो

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

थानेदार ने उस स्टोर के मालिक को धमकी दी और एक्साइज के अधिकारियों ने उसे धमकी दी। आपके पुलिस अधिकारियों का स्वागत शराब से होता है, पुलिस के अधिकारी शराब पीते हैं, मन्त्री—मण्डल के मंत्री शराब पीते हैं, सरकारी अधिकारी शराब पीते हैं तो किस प्रकार समाज—कल्याण विभाग के सामने "शराब मत पिओ" इस प्रकार का बोर्ड लगाने से काम चलेगा? ऐसी दशा में इससे कोई काम नहीं चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट में जो नियुक्तियां हुई हैं उनकी ओर मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं.........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनिट में ही सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट में जो धांधली नियुक्तियों के सम्बन्ध में हुई हैं, जो अनियमितताएं की गई हैं, सर्विस रूल्स की जिस प्रकार से अवहेलना की गई है, उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट में सहायक वाणिज्य कर अधिकारियों की नियुक्तियां, स्थाई नियुक्तियां हुई, वह इस प्रकार हुई कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिशन के माध्यम से सिलेक्ट होने के बाद जो उनका २ वर्ष का प्रोबेशन पीरियड था वह समाप्त होने के बाद स्थाई नियुक्तियां कीं, इसमें मुझे आपत्ति नहीं। लेकिन सहायक वाणिज्य कर अधिकारियों को इस आधार पर कि पब्लिक सर्विस कमिशन से सिलेक्ट होने के बाद और दो वर्ष का प्रोबेशन पीरियड समाप्त करने के बाद स्थाई तौर पर नियुक्त किया गया तो फिर इन्सपेक्टर्स के साथ आपने धांधली क्यों की? यही आधार उनके लिये क्यों नहीं अपनाया गया? उन इन्सपेक्टरों का क्या हुआ जो पब्लिक सर्विस कमिशन से सिलेक्ट हुए और उनका दो वर्ष का प्रोबेशन पीरियड खत्म हो गया था? उनको क्यों नहीं स्थाई नियुक्ति दी गई? पर सहायक वाणिज्य कर अधिकारियों को भाई-भतीजावाद के आधार पर, जातिवाद के आधार पर, सीनियोरिटी का नाम लेकर उनकी स्थाई नियुक्तियां कीं। इस प्रकार का भ्रष्टाचार और पक्षपात एक ही डिपार्टमेंट में चल रहा है।

इसके साथ ही साथ, उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप समय दें सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट से सम्बन्धित...........

श्री उपाध्यक्ष: समय समाप्त हो गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया: दो मिनिट......

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनिट का तो आपने पहले कहा था।

श्री देवीदत्त गाड़िया: इन ऑर्डर्स की प्रतिलिपियां मैं सदन की मेज पर प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आपके पास ही रखें तो और कभी काम आयेंगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया: मेरे पास डबल कापीज़ हैं, आप चिन्ता न करें।

तो इस तरह प्रारम्भ में ७–१०–६३

Page No.109

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

को राजस्थान सरकार ने सक्यूलर जारी किया। नं० २६० सन् १९६०—६१

६०—६१ के अन्दर जन सम्पर्क कार्यालय के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करवाया था।

श्री प्रद्युम्नसिंह : ६५ का है या ६१ का ? किसका जिक्र कर रहे हैं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह है ६०—६१ का। इसको मैं सदन की मेज पर रखता हूं। इसमें जो शर्तें रखी गई हैं, उनकी अवहेलना की गई है, इसमें साफ लिखा है, ये नियुक्तियां और पोस्टें इसमें लिख रखी हैं, इतनी पोस्ट्स इन्स्पेक्टर्स की और इतनी पोस्ट्स सहायक वाणिज्य कर अधिकारियों की होंगी। और इसमें लिख रखा है कि पब्लिक सर्विस कमिशन से सिलेक्शन होना चाहिये और दो वर्ष का प्रोबेशन पीरियड समाप्त करने पर स्थाई नियुक्तियां की जायगीं, पर इसकी सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अवहेलना की गई है। एक—एक महीने में दो दो सर्क्यूलर क्यों निकाले गये ? कुछ लोगों को स्थाई नियुक्तियां देने के लिए सरकार ने स्वयं जैसे थूक कर चाटते हैं, वैसे चाटा है और दूसरा आदेश जारी किया है.........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक ही मिनिट में यह बात कहते हुए कि इस विभाग में किस प्रकार का भ्रष्टाचार हैं, कैसे अधिकारी लूट करते हैं, कैसे राजस्थान की जनता को लुटाया जाता है, इस भ्रष्टाचार से इस विभाग के मंत्री किस तरह संलग्न हैं शराब के ठेकों से......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हमारे यहां एक कहावत है, उपाध्यक्ष महोदय :

चोरां सूं चोर मिल्या,
जाणे कुण राज करे।
कुण माई रो पूत इश्यो,
भूखां नंगा सिर ताज धरे।।

यही कहते हुए कि वित मंत्री जी ने जिस प्रकार शराब के ठेकेदारों से सांठ गांठ की है और ६०—७० लाख का राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाया है, इससे साफ जाहिर है कि ठेकेदारों से नाजायज सांठ गांठ, सम्बन्ध जोड़ रखा है और उपभोक्ताओं को लूटने के लिए शराब की कीमत निर्धारित नहीं की है, और इस तरह से सरकार को नुकसान हुआ है, उपभोक्ता लुटे हैं। आप तो शराब बन्द करना चाहते हैं, मैं और मेरा दल शराब पर पाबन्दी से सहमत हैं।

अन्त में मैं यह कहता हूं कि राजस्थान की गरीबी को दूर करने के लिए सहरियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, हरिजनों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए नैतिकता को पनपाने के लिये, शराब को बन्द किया जाय, यही मेरी मांग है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी !

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित मंत्री जी का ध्यान, छोटे छोटे व्यापारियों को जो सैल्स टैक्स की दिक्कतें हैं उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री मोहनलाल मोदी)

मध्यम श्रेणी के व्यापारियों को कितनी तकलीफें हैं, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

पहली दिक्कत तो यह है कि जो मध्यम श्रेणी का व्यापारी तीन सौ, चार सौ रुपया कमाता है उसको १५० रुपया माहवार का एक मुनीम रख कर हिसाब-किताब, वही-खाते तैयार करवाने पड़ते हैं। यह उनके लिए एक बड़ी असुविधाजनक स्थिति है।

दूसरी दिक्कत यह है कि जो व्यापारी १० रुपये से ऊपर की चीज बेचता है तो उसके लिये छपा हुआ कैश मीमो और सीरियल नं० चाहिये, वह नहीं होता है तो उस पर ५०) रुपया प्रति बिल पैनल्टी लग जाती है।

तीसरी दिक्कत यह है कि जो व्यापारी २००) से ऊपर का माल किसी को बेचता है तो उसका पूरा पता होना चाहिये, रजिस्ट्रेशन है तो सैल्स टैक्स का नम्बर होना चाहिये। वह अगर नहीं हो तो ५०) पर्सेन्ट बिल या बिल की रकम से डबल पैनल्टी उस पर लगाई जाती हैं। वे देखते हैं कि अगर लाइन्सेस टांगा हुआ नहीं मिलता है तो उस पर क्रिमिनल केस बनाकर उसका चालान कर दिया जाता है। छोटे व्यापारी को २० हजार की छूट दी जा रही है और अगर उसमें दाल, बाजरा, ज्वार थोड़ी बहुत चीज बेचता है तो २० हजार से घटकर यह छूट ५ हजार की रह जाती है। यह जो २० हजार की छूट दी जा रही है वह किसी किस्म का भी व्यापार हो, वे सारे शामिल होने चाहिए।

रजिस्ट्रेशन के लिए प्रावधान है कि जिस दिन दरख्वास्त दी जाय, उसके ६० दिन के अन्दर रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कई दिनों तक व्यापारी मारे-मारे फिरते हैं लेकिन लाइसेन्स नहीं मिलता है और कोई न कोई कानूनी अड़चन लगाकर उनको परेशान किया जाता है। तो जिस दिन व्यापारी दरख्वास्त दे उसके ६० दिन के अन्दर विभाग का अधिकारी उसको लाइसेन्स नहीं देता है तो उसको आटोमेटिकली रजिस्टर्ड डीलर मान लेना चाहिए।

रजिस्ट्रेशन देने में ५ हजार की सिक्योरिटी रखी गई है। मैं समझता हूं कि इससे व्यापारी को परेशान किया जाता है। वह सिक्योरिटी अधिकारियों की मर्जी पर है। किसी से कैश लें किसी से जायदाद की लें तो व्यापारियों के लिए अगर एस. डी. ओ. या व्यापार मण्डल उसकी तस्दीक कर ले तो उसको मान लेना चाहिए।

सैल्स टैक्स की जो सरहद पर चौकियां लगाई गई हैं, व्यापारी के पास बिल होते हुए भी, रजिस्टर्ड डीलर होते हुए भी टैक्स वसूल कर लिया जाता है, यह सरासर अन्याय है। टैक्स उस समय लेना चाहिए जब माल बिकता है, टैक्स देने के बाद जब उनका असेसमेंट होता है, तो उस टैक्स को अधिकारी मानते नहीं हैं। व्यापारी से कहा जाता है कि उस चौकी पर जाकर आप रिफंड क्लेम करो, हमारे पास तो पूरे रुपए जमा कराओ। तो उस रुपए को एडवांस का रुपया मानकर चलना चाहिए।

केन्द्रीय बिक्री कर में तीन प्रतिशत टैक्स देकर मैन्यूफक्चरर द्वारा मशीनरी

(श्री मोहनलाल मोदी)

लाने का प्रावधान किया गया है लेकिन राज्य सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो राज्य सरकार को भी ऐसा लागू करना चाहिए।

व्यापारी पर यदि सी.टी.ग्रो. नाराज हो जाय तो उस पर बहुत टैक्स लगा दें। व्यापारी अपील करता है और एपेलेंट अधिकारी महसूस करता है कि उस पर नाजायज कर लगा है लेकिन वह स्टे देने में मजबूर है। वह कहता है कि स्टे देने की पॉवर कमिश्नर के पास है। वसूल करने के सारे अधिकार तो उनको हैं और वारंट वगैरह भी वह जारी करता है, वसूली के लिए वह फाइनल आथोरिटी है, वह अपनी रेवेन्यू के लिए स्टे आॅर्डर्स तो देता नहीं है। तो जो एपेलेन्ट अधिकारी है, जो अपील सुनते हैं, उनको राइट्स देने चाहिए कि स्टे आॅर्डर्स ग्रांट करें।

व्यापारी ने यदि पैसा जमा करा दिया तो वह रिफंड के लिए पीछे-पीछे फिरता रहता है, रिफंड समय पर नहीं मिलता है। दो साल में अगर उसको रिफंड न मिले तो राज्य सरकार ने ऐसा कानून बना रखा है कि वह रिफंड वापस नहीं दिया जाय। आप अपनी रकम तो १० साल के बाद भी ले सकते हो और व्यपारी को पैसा दो साल के बाद आप नहीं देंगे यह न्यायोचित नहीं है। आपने यह भी प्रावधान रखा है कि अगर ६० दिन में रकम वापस नहीं दी जाय तो ४ प्रतिशत ब्याज दिया जाय, लेकिन आज तक किसी व्यापारी को ब्याज नहीं दिया, व्यापारी कैसे हिम्मत करे कि अधिकारी से ब्याज मांगे ?

राजस्थान साहूकारी कानून में प्रावधान है कि १२ प्रतिशत से ज्यादा कोई ब्याज नहीं लेगा और आप १८ प्रतिशत तक ब्याज लेते हैं। तीन महीने तक व्यापारी की तरफ रुपया बाकी रहता है तो १२ प्रतिशत ब्याज और तीन महीने से अधिक हालत में १८ प्रतिशत लेते हैं। आप साहूकारों को तो पाबन्द करते हैं कि १२ प्रतिशत ले ज्यादा न लें और सरकार १८ प्रतिशत से तो कम से कम आपको तो साहूकारी कानून को मानना चाहिए और १२ प्रतिशत से अधिक नहीं लेना चाहिए।

सेक्शन ५ (सी) में मेन्यूफैक्चरर से मेटीरियल पर एक प्रतिशत का टैक्स डिक्लेरेशन पर लिया जाय ऐसा प्रावधान रखा गया है। उसमें यह शर्त रखी गई है कि तैयार माल का राजस्थान का अथवा सेन्ट्रल का सैलस टैक्स लेकर बेचा जावे। लेकिन अगर वह माल एक्सपोर्ट होता है तो उस पर यह प्रावधान लागू नहीं होता है। यह सरकार की गलत नीति है। जो लोग माल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनको ज्यादा रियायत देनी चाहिए, इससे विदेशी मुद्रा का फायदा होता है।

आपके टैक्स के रेट्स हैं १ प्रतिशत, २,३,५,६,७, १० व १२ प्रतिशत याने ८ तरह के रेट्स। इससे व्यापारी को ८ खाते रखने पड़ते हैं। इसके अलावा टैक्स पेड का खाता अलग होना चाहिए। इतने सारे खातों से व्यापारी को दिक्कत होती है। मेरी राय है कि ८ के बजाय ३ या ४ तरह के रेट्स कर दिए जायं जिससे राज्य की आमदनी पर भी कोई फर्क न पड़े।

(श्री मोहनलाल मोदी)

दूसरी बात है कि हमारा पड़ौसी राज्य है जैसे हरियाना । वहां टैक्स कम है और राजस्थान में ज्यादा है इससे राज्य की रेवेन्यू को नुकसान पहुंचता है । मिसाल के तौर पर वेजीटेबल घी पर हरियाना में ५ प्रतिशत है और राजस्थान में १० प्रतिशत है । इसका नतीजा यह होता है कि लोग हरियाना से माल ले आते हैं और हमको टैक्स का नुकसान होता है । तो हमारे कर पड़ौसी राज्यों से अधिक नहीं होने चाहिए ।

व्यापारी का जब एसेसमेंट होता है, उसको १५ दिन की मियाद दी जाती है कि १५ दिनों में रुपया जमा कराओ नहीं तो वारंट जारी हो जाता है, कुर्की कर ली जाती है । तो मेरा निवेदन है कि जैसे इन्कम टैक्स लॉ पुराना हैं उसमें ३५ दिन की मियाद दी जाती है तो इसमें भी ३५ दिन की मियाद देनी चाहिए । आप असेसमेंट कर दें और नोटिस अपने पास रखें, व्यापारी को पता नहीं और उसकी कुर्की कर लें तो जैसे इन्कम टैक्स में ३५ दिन की मियाद है, वह देनी चाहिए । पहले यह होता था कि व्यापारी को नोटिस मिले उससे १५ दिनों के अंदर रुपया जमा कराना पड़ता था और अब नोटिस जारी करने से १५ दिन लगाये जाते है ।

सबसे बड़ी बात मुझे यह कहनी है कि व्यापारी आपको इतनी आमदनी देता है, कर देता है लेकिन जब वह सेल्स टैक्स आफिस में जाता है तो वहां बैठने की जगह उसको नहीं मिलती है, ठंडा पीने का पानी नहीं मिलता, तो कम से कम जिनसे सरकार को काफी आमदनी होती है, उनकी आपको इज्जत करनी चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए । उसका दिमाग ठंडा रहेगा तो आपको ज्यादा रेवेन्यू देगा ।

सेल्स टैक्स आफिसेज में जन-सम्पर्क अधिकारी होने चाहिए जो व्यापारियों की दिक्कत को देखें, उनको किसी प्रकार की असुविधा हो या वकील न करना चाहे तो व्यापारी को वह अधिकारी अपना सजेशन दे सके ।

श्री फूलचंद बाफणा (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी जो विषय चालू है उस बारे अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा । राज्य के जितने भी धंधे हैं वे इसी आधार पर चलाए जाते हैं कि जिससे जनता का भला हो, शोषण न हो और जनता को सुख प्राप्त हो, परंतु यदि जनता का शोषण जारी हो, सरकार को करोड़ों का घाटा होता हो और सरकार को वास्तव में हानि उठानी पड़ती हो तो सरकार को उन धंधों से लाभ क्या ? उद्देश्य बहुत अच्छा है कि सहकारिता के आधार पर या सरकारी आधार पर धंधे हों, उद्देश्य में खराबी नहीं है, लेकिन अगर नीति अमृत है और पात्र विष है तो बरतन में रखा हुआ अमृत भी विष हो जाता है । इस तरह से राज के जितने धंधे हैं, वे करोड़ों का नुकसान करते हैं, लेकिन उसका असर नुकसान करने वाले पर नहीं पड़ता है परन्तु जो साधारण लोग हैं उनको इस धाटे के कारण ज्यादा टैक्स देना पड़ता है । नुकसान के एवज में इस तरह टैक्सों का जो तरीका है वह तो अच्छा कार्य भी बुरा हो जाता है । इसका

(श्री फूलचन्द बाफना)

मूल कारण यह है कि आज जो सर्वोच्च शिखर पर हैं, वे अधिक भ्रष्टाचारी हैं और इसलिए जब ऊपर का आदमी गड़बड़ी करता हो तो वह नीचे वाले से कह नहीं सकता । इसलिए सरकार के सारे धंधे करोड़ों के घाटे में चलते रहते हैं फिर भी फाल्स प्रैस्टिज (झूटी इज्जत) में सरकार उनको चला रही है ताकि यह कोई न कह दे कि सरकार फेल हो गई । अतः सरकार घाटे में चल रही है । घाटा उठाकर भी वह प्रक्रिया चालू है । सरकारी जितने भी धन्धे हैं वास्तव में वे सब व्यक्ति के लाभ के लिये हो गए हैं । कई अफसर कमाते हैं । एक कमाता हो, १० कमाते हों लेकिन ये तो कई कमाते हैं । इस तरह राज्य का जो-जो धन्धा है वह राज्य के लिए नहीं है, व्यक्ति विशेष के लिए धन्धा बन गया है– जनता के लिए कतई नहीं रह गया है । राज्य की जो आर्थिक हालत है, वह बिगड़ चुकी है, उसका कारण है कि राज्म में करोड़ों का घाटा है । करोड़ों का घाटा होने के कारण सारी व्यवस्था गड़बड़ हो गई है । टैक्स की पालिसी है कि जनता से टैक्स लेकर अर्थात अमीरों से (जो पैसे वाले हैं उनसे) पैसे लेकर गरीबों का भला हो लेकिन गरीबों का भला नहीं हो रहा है । अमीर लोग कहते हैं हम सरकार को पैसा देते हैं, किन्तु गरीबों का कोई भला नहीं हो रहा है । गरीबों तक यह पैसा पहुंच ही नहीं रहा है । यह तो उस तरह की बात हो गई जैसे एक रहट वाला रहट चलाता है और दूसरी तरफ खेत जोतने वाला है– पांतियां वह कहता है कि खेत में पानी नहीं आ रहा है । रहट वाला कहता है, पानी भेज रहा हूं । फिर वे दोनों आपस में लड़ते झगड़ते हैं । रहट वाला जब पांतियां की तरफ जाता है और पांतियां रपट वाले की तरफ आता है तो देखते हैं कि जो नाली है वह जगह-जगह टूटी हुई है । रहट वाला पानी बराबर भेज रहा है और खेत में पानी नहीं पहुंच रहा है, ये दोनों ही बातें ठीक हैं । पहुंचेगा कैसे, क्योंकि नाली जगह-जगह टूटी हुई है । जब तक यह नाली ठीक न हो तब तक बेकार है इसी तरह की हमारी व्यवस्था की बात है कि इनके जो बीच के आदमी हैं वे सब खा जाते हैं, वे टूटी हुई नाली की तरह है । इसीलिये आम जनता में निराशा हो गई है । उनकी वजह से राज्य का उत्पादन घटता है, सारी अव्यवस्था फैलती है । अपराध करते हैं, गरीब लोग अपनी गरीबी के कारण और अमीर लोग अपनी खुशहाली में अपराध करते हैं । वे अपने ऐशआराम के खातिर अपराध करते हैं । सरकार का खर्चा ऐसी अव्यवस्था के कारण काफी बढ़ रहा है । यह उसी तरह का नाटक होता है जैसे एक सनिश्चर का पुजारी है, वह उस नाम से कमा खाता है । तेल, आटा वगैरह वह उन्हीं के नाम से कमाता है । ये लोग भी समाजवाद के नाम पर राष्ट्रीयता के नाम पर, अच्छे-अच्छे भलाई के कामों के नाम पर अपनी कमाई चलाते हैं । भलाई के काम के नारे लगाते हैं, अच्छे स्लोगन लेकर काम-काज करने की केवल दुहाई देते हैं । इसलिये सारा मामला खटाई में पड़ गया है मनों बन्ध दूध हो और उसमें कुछ खटाई पड़ जाय तो वह फट जाता है । आज किसी को जनहित की दिलचस्पी नहीं है । केवल अपने पेट और पेटी की लड़ाई

(श्री फूलचन्द वाफना)

कर रहे हैं। एक तरफ पेट भरने वाले चिल्लाते हैं और दूसरी तरफ पेटी वाले चिल्लाते हैं नौकरशाही को पेट भरने की ही फिक्र नहीं है, अपनी पेटी को भी भरने की फिक्र है। समाजवाद कितना अच्छा है कि सबके लिये काम हो, केवल व्यक्ति विशेष के लिये कोई काम न हो। आप चींटी का काम देखें, वे सबके लिये घर बनाती हैं, सबकी सेवा करती हैं। अपने स्वयं के साथ वे दूसरों का ज्यादा उपकार करती हैं। उसी प्रकार आप मधु मक्खी का इन्तजाम देखें। मधु मक्खी और चींटी हमसे बेहत्तर हैं। वे अपने-अपने काम से सब का घर बनाती हैं और हम सबके नाम पर अपना घर बनाते हैं। अपने घर को भरने की पहले कोशिश करते हैं। आज का जो समाजवाद है वह आलू जैसा है। आलू मटर के साथ भी बनाया जाता है, गोभी के साथ भी बनाया जाता है और हर एक चीज के साथ आलू बनाया जाता है। हमारा समाजवाद भी आलू की तरह हो गया है जो सबके साथ मिल जाता है। यही हालत आज शासन वालों की हैं। इस तरह से मेरा ऐसा ख्याल है कि चूहों की रख वाली के लिये बिल्लियों को बिठा दिया गया है। इस प्रकार मैं समझता हूं कि जनहित हो नहीं सकता है। अच्छे स्लोगन हैं परन्तु काम करने वाले कैसे हैं ? वे सारा मुनाफा खा जाते हैं। आज दो तरह का समाजवाद चल रहा है। एक तो डाकू जैसा समाजवाद है जो जनता को लूटता है, दूसरा जनता का समाजवाद है जिसमें जनता के लिये काम किया जाता है। मांग है कि जनता की भलाई के लिये सारा काम किया जाय। वितरण जनता में ठीक प्रकार से किया जाय। उत्पादन तो किसी भी व्यवस्था में हो सकता है लेकिन वितरण कैसा हो, इस पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिये कि वितरण कैसा हो। वितरण ठीक है तो सब ठीक है। वितरण में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिये। अगर वितरण में कोई गड़बड़ी होगी तो उत्पादन में भी निरुत्साह फैल जायगा। इसलिये हमारा यह सारा, एक हिसाब से देखा जाय तो मात्र नौकरशाही का काम हो गया है। दिनों दिन का सरकार का जितना खर्चा हैं, उसमें अधिकतम खर्चा नौकरशाही पर खर्च होता है। यह बड़ी भारी सरकारी इन्डस्ट्री हो गई है, इसके बराबर कोई इन्डस्ट्री नहीं है किंतु ग्रामलोगों के लिये कोई फायदा नहीं है। कुछ सरकारी धन्धे लोगों के लिये गिनती के ही लाभदायक अच्छा काम करते हैं किन्तु सर्व साधारण करोड़ों लोगो के लिये उसमें कोई फायदा नहीं है। एक हिसाब से यह सारा काम गड़बड़ इसलिये हो गया है क्योंकि हमारा जो संविधान है, उस संविधान में भूल में भूल की गई है संविधान का आधार है स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व। बहुत अच्छी बात है लेकिन वे कन्डीशनल हैं। उसमें पहले स्वतन्त्रता, बाद में समानता और आखिर में बन्धुत्व है तो होना तो यह चाहिये था कि पहले बन्धुत्व होना चाहिये था जिसके फलस्वरूप समानता अपने आप हो जाती। जब भाई-चारे की सारी बात हो जाती तो भाई-चारे के नतीजे में स्वतन्त्रता होती तो देश के लिये बहुत ठीक रहता। संविधान में हमने पश्चिम का क्रम पकड़ लिया इसलिये यह सारा मामला उलझन में पड़ गया। हमने चुनाव की प्रणाली इस तरह की पकड़ ली

(श्री फूलचन्द वाफना)

है जिसमें केवल वोट प्राप्त करने के लिये नेतागण जातिवाद और प्रान्तियता को फैलाते हैं, भाषावाद को फैलाते। हैं किसको समाज की भक्ति करनी है? इनको किसी को कोई समाज की भक्ति नहीं करनी है, इनको तो केवल अपनी-अपनी संख्या बढ़ाना है। हमारे यहां तो संख्या चाहिये हैन्ड्स चाहिये। इसमें दिमाग की जरूरत है ही नहीं। अब तो सरकार को हाथ चाहिये उसके लिये ही सारी अव्यवस्था हो रही है। शायद हमारे संविधान में परिवर्तन करना होगा। हमारा संविधान गरीबों को रोटी देने का अधिकार नहीं रखता हैं। हर एक आदमी को अनिवार्यतः रोजगार मिले ही। सरकार रोजगार न दे तो इसका कोई संविधान में जिक्र नहीं है। संविधान प्रत्येक को रोजी रोटी देने को बाध्य नहीं है परन्तु भूख या बेकारी के कारण लोग दिमागी संतुलन खो दें तो ला एन्ड आर्डर के नाम पर, संविधान के नाम पर उन पर गोली चलाई जा सकती है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मेरा समय खतम हो गया है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : खतम हो गया तो शराब के लिये तो कुछ कहो।

श्री फूलचन्द बाफना : शराब के लिये मैं जरूर कहूंगा। अब मैं केवल दो-चार वाक्य में ही कहूंगा। यों मेरे पहले काफी कह दिया गया है। मेरा निवेदन है कि सरकार जनता के लिये कोई काम करे वह उसके फायदे के लिये होना चाहिए। शराब का धन्धा सरकार केवल अपने कोष वृद्धि के लिये करती है। मात्र अपने ही लाभ के लिये चाहे जनता का उसमें कितना ही बड़ा भारी नुकसान हो, क्योंकि सरकार जनता की कोई परवाह नहीं करती है। गांधी जी ने कहा है कि ऐसी सरकारें जो जनता की बुरी आदतों को सुधारें वही वास्तविक सरकार है। चाहे उसके लिये सरकार को कितना ही खर्च क्यों न करना पड़े। किन्तु यहां तो सरकार यह कहती है कि इसके बन्द करने पर घाटा होता है। यह सरकार तो वह काम करेगी जिसमें केवल सरकार को ही फायदा हो चाहे इसके लिये सरकार वेश्यालय भी चलाना स्वीकार करे सरकार को करोड़ों की आय होती है तो सरकार वेश्यालय भी चलायेगी लेकिन सरकार आम जनता का कोई लाभ नहीं देखेगी तो अनुचित होगा। गांधी जी का कहना था कि सरकार का लक्ष्य जनता के लाभ के लिये ही होना चाहिये। जो कुछ काम करें, जनता के लिए करें, जनता की भलाई के लिए करें। सारे कानून जनता के हित के लिये बनायें। यहां तो मामला उल्टा है। टैक्स प्रणाली के लिये भी मुझे कुछ निवेदन करना है। जिस प्रकार मधुमक्खी फूल से पराग लेती है, परन्तु फूल कायम रहता है और हमारे यहां इस प्रकार का काम होता है कि फूल ही नहीं बल्कि मधुमक्खी को भी मार दिया जाय पराग लेने के लिये। एक दूसरा उदाहरण है कि एक मुर्गी रोज सोने का एक अन्डा देती थी। सरकार सोचती है कि जो रोज मुर्गी अन्डा देती है, उसके पेट में बहुत अन्डे होंगे, क्यों नहीं आज ही सारे अन्डों को ले लिया जाय–

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

बस मैं अन्त में इतना ही निवेदन करना

(श्री फूलचन्द बाफना)

चाहता हूं कि जो करोंडों का घाटा हो रहा है, उसको रोकें इसमें केवल किसी एक व्यक्ति का ही दोष नहीं है यह तो सारी व्यवस्था ही ऐसी है। मैं निवेदन करूंगा कि हमें ग्राम जनता की जागृति का कार्य-क्रम अपनाना होगा जिससे कि जो आप जनता को बड़े बड़े नारे देकर उल्लू बनाते हैं उनसे जनता सावधान रहें। बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मैंने उपाध्यक्ष महोदय, इन मांगों पर जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं मांग संख्या ४६.१२४।

श्री उपाध्यक्ष : ये सब मूव होगये हैं आप इनको कह कर समय नष्ट न करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं इन्हीं कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में कहूंगा सहकारी विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान के अन्दर ऊन का बहुत बड़ा व्यापार है उस व्यापार के लिए जो ऊन तोलने की मशीनें खरीदी गई हैं उसमें बहुत घोटाला हुआ है। जिस कम्पनी से यह मशीनें खरीद की गई उनसे कोई टेन्डर नहीं लिये गये बल्कि यह कहा गया कि मशीनें एप्रूव्ड हैं अत: इनको खरीद ली जाय उसके लिए सरकार की कोई मन्जूरी नहीं थी। शिकायत करने पर बाद में टेन्डर मांगे गये और वह माल उस पार्टी से खरीदा गया एवरी कंपनी से बड़ी ऊंची कीमत पर खरीदा। इस बारे में सरकार ने कोई इन्क्वायरी नहीं की इस मामले की इन्क्वा-यरी होनी चाहिये इतनी बड़ी रकम खर्च करने का उनको अधिकार नहीं था। इस प्रकार से इस ऊन के व्यापार में बहुत बड़ा घोटाला है।

इसके अलावा गांठ बांधने के लिए वुल केप सामान खरीदा गया उसमें भी बड़ा घोटाला है उसमें भी टेन्डर नहीं लिए गए। मशीनों के मालिक से मिलकर तीसरे व्यापारी से मशीन मंगाकर खरीदी गई। इस तरह से इसमें भी काफी घोटाला है। इस तरह से राजस्थान सरकार जितने भी इस तरह के व्यापार चला रही है उन सबमें घोटाले ही घोटाले हैं। कोई भी व्यापार इससे अछूता नहीं है। आज सुबह जिस प्रकार खाद्य मंत्री ने एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि अनाज कबूतर खागये इसी प्रकार के सब जगह घोटाले हैं......

श्री परसराम मदेरना : मैंने यह कब कहा था कि कबूतर खागये ? मैंने यह नहीं कहा था।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं यह निवेदन कर रहा था गांठ बान्धने के जो वूल केप की खरीद की गई उसमें भी बड़ा घोटाला हुआ है उसकी भी इन्क्वायरी होनी चाहिये।

आबकारी के बारे में भी मैंने कटौती प्रस्ताव दिया है वित्त मंत्री महोदय ने एक यू० डी० सी० क्लर्क को इन्स्पेक्टर के पद पर नियुक्त कर दिया जबकि उनको इस प्रकार की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं था। कमिश्नर द्वारा इसका विरोध किया उसके बावजूद भी नारायणसिंह को माथुर साहबने इन्स्पेक्टर की जगह पर लगवा दिया क्योंकि उसने माथुरसाहब को चुनाव में मदद की थी उसके इनाम स्वरूप उनको इस पद पर नियुक्त किया गया। इस प्रकार से नाजायज तरीके

(श्री रामचन्द्र आर्य)

से नियुक्ति की जाय और सही आदमियों के हक मारे जाय और अपने समर्थकों को नाजायज फायदा पहुंचाया जाय यह शर्म की बात होनी चाहिये। लेकिन सरकार को शर्म है कहां आये दिन हम घोटाले सुनते हैं मन्त्री उसको चुपचाप बैठे सुनते रहते हैं इनकी कोई बात ही नहीं मानता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नारायणसिंह जो जायल पंचायत समिति में एक यू० डी० सी० था उसको इन्सपेक्टर क्यों बनाया गया। चुनावों में इसने मदद दी इस कारण इसको यह इनाम दिया गया है।

अब मैं बिक्री कर के बारे में कहना चाहता हूं कि बिक्री कर अधिकारी छोटे दुकानदारों की बहियां उठा ले जाते हैं उसके लिये ये बेचारे मारे-मारे फिरते हैं। बिक्री कर अधिकारी को रिश्वत दे दो वह बहियां छोड़ देता है। इस प्रकार से जो अनधिकार चेष्टा से अपनी मरजी से करते हैं किसी की बहियां एक बार जप्त कर ली तो महिनों तक वापिस नहीं देते हैं। व्यापारी लोगों को इस प्रकार के अधिकारियों से मुक्ति मिलनी चाहिये इस प्रकार की अव्यवस्था है वह दूर करनी चाहिये। इससे तो राजस्थान के अन्दर यह भ्रम हो गया है कि यहां तो सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। वे सब कहते हैं कि मन्त्री लोग ऐसा करते हैं तो दूसरे आदमी क्यों नहीं करेंगे? इस बारे में व्यापारी वर्ग चिन्तित है। मैं मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि बिक्री कर अधिकारियों की जांच के लिये विशेष तौर से एक कमिटी बिठायी जाय ताकि इस प्रकार से नाजायज काम करने वालों के खिलाफ कार्यवाही हो सके। बिक्री कर में वह चाहे जिसे ज्यादा छूट दे देते हैं चाहे जिसको गिरफ्तार करके उसकी बहियां जप्त कर लेते हैं। इस तरह की अव्यवस्था से राजस्थान का व्यापार ठप्प सा हो गया है इस प्रकार प्रजातन्त्र में जहां सब को स्वतन्त्रता पूर्वक अपना व्यापार करने का अधिकार है वहां इस तरह की धान्धले बाजी चलती है उससे लोगों में खास कर व्यापारियों में बड़ा असन्तोष है। अतः मेरा निवेदन है कि बिक्रीकर कानून में संशोधन किया जाय। और जितनी भी इस विभाग से लोगों को शिकायत है उसके लिये इस पर बारीकी से निगरानी की जाय। इस प्रकार इन तीनों प्रस्तावों पर निवेदन करता हुआ यह कहना चाहता हूं भ्रष्टाचार जो इस सरकार ने चला रखा है वह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक यह सरकार खतम नहीं होती। इनके साथ ही भ्रष्टाचार खत्म हो जायगा। आखिर भ्रष्टाचार की सीमा होती है लेकिन यह सीमा इस सरकार ने पार करदी है इस सीमा से भी यह आगे निकल गई है। इनके राज्य में आये दिन घोटाले होते रहते हैं जिसका उल्लेख हो जाने पर भी ये कुछ करते घरते नहीं हैं। आखिर इसका नतीजा दो करोड़ जनता को ही भुगतना पड़ेगा। तो इनके खिलाफ जब इन्क्वायरी होगी, जब इनको कटघरे में खड़ा किया जायगा तब पता चलेगा कि इन्होंने कितनी-कितनी गल्तियां की हैं। इतना ही कहकर अपना भाषण समाप्त करता हुआ निवेदन करना चाहता हूं यह बहरी सरकार जिसका हुक्म इनके अधिकारी तक नहीं मानते। जिस तरह सुबह कहा था मन्त्री ने यहां से हुक्म दिया उस पर नोहर के तहसीलदार ने उनके हुक्म को टाल दिया यह तो रिश्वे

(श्री रामचन्द्र आर्य)

वालों का हुक्म है मैं नहीं मानता। यह हालत सरकार की है जो अधिक दिनों तक चल नहीं सकती जिनका प्रशासन कहना-नहीं मानता है। क्योंकि खुद आप अन्दर से खोखले हैं वह आप दूसरों की कमियों को क्या दूर कर सकोगे। आपके अन्दर जब तक खामियां हैं आप प्रशासन को बाध्य नहीं कर सकोगे कि वे आपके हुक्म का पालन करें आपके हुक्म की तो इसी प्रकार से अवहेलना होती रहेगी।

श्री शंकरलाल (कपासन) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक कट मोशन है। जहां तक बिक्री कर का सवाल है देहातों में छोटे मोटे लोग हैं जिनमें से बहुत सों को तो व्यापार करते हुए भी व्यापारी नहीं कहा जा सकता। वे तो एक प्रकार के मजदूर हैं। मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं किसी तरह से। उनके ऊपर भी इस तरह से आपकी हिसाब की एक प्रणाली थोपी जाय जो अनपढ हैं और जिन का व्यापार भी कोई व्यापार नहीं कहा जा सकता। उन पर बिकी कर अधिकारी रौब जमाने आ जाते हैं, डराते हैं, परिणाम यह हुआ है कि वे बिचारे बड़े डरकर छिप कर अपना कारबार चलाते हैं और चूंकि हिसाब किताब वे रख नहीं सकते, जानते नहीं. तो जब तब इन्सपेक्टर और सेल्स टैक्स अधिकारी आता है और डरा धमका कर कुछ रिश्वत लेकर छोड़ जाता है। इससे सरकार को भी कोई आमदनी नहीं होती। हम जब देहातों में जाते हैं तो यह अक्सर देखते हैं।

तो इसके लिये कम से कम आप इनको जितनी छूट देना चाहें दे कर बाकी टैक्स लगा दीजिये। व्यापारी कर लगा दीजिये कुछ लगा दीजिये। ताकि उनका पैसा रिश्वत में तो न जावे, सरकारी खजाने में तो आवे। वे भोले भाले होते हैं, बिक्रीकर के आपके कर्मचारियों और अधिकारियों के जाल में फंस जाते हैं और रिश्वतें देकर छुटकारा पाते रहते हैं।

इसलिये मेरा यह सुझाव है कि कम से कम इन छोटे-छोटे व्यापारियों को तो इस बिक्री कर की तवालत से छुटकारा दिलादें तो अच्छा होगा। बस मेरा यही सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण।

श्री रामनारायण (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने जो राजस्थान का बजट रखा है, बजट भाषण के समय मुझे अवसर नहीं मिला था इसलिये बधाई देने से वंचित रह गया था, उन्होंने सारे राजस्थान के लिये एक बड़ा सन्तुलित और सुन्दर बजट राजस्थान की आर्थिक स्थिति को दृष्टि में रखते हुए रखा है जो सराहनीय है।

इस वर्ष मामूली सा साठ लाख घाटे का यह बजट रक्खा है। पर मुझे उम्मीद है कि हमारे वित्त मन्त्री महोदय जागरुक रह-कर सक्रिय रहेंगे तो यह मुनाफे का बजट बन जावेगा।

मैं उनके ही विभाग की आज मांग के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। उन्होंने जो आमदनी के आंकड़े दिये हैं वे आंकड़े वास्तविक आमदनी के आधार पर आसानी से बढ़ाये जा सकते हैं बशर्ते

(श्री रामनारायण)

कि हमारी सरकारी मशीनरी इस ओर सक्रिय और जागरूक रहे।

आज उपाध्यक्ष महोदय, देश और हमारे प्रदेश में यह स्थिति आ चुकी है कि हम टैक्सों के जरिये अधिक आमदनी अब नहीं बढ़ा सकेंगे। टैक्सों की सीमा क्लाइमेक्स पर आ गई है। अब हमें यह सोचना पड़ेगा कि राजस्व आय नान टैक्स रेवेन्यू से किसी प्रकार बढ़ाई जाय और इसी आधार पर हमें आगे बजट का निर्माण करना होगा।

इसके लिए सरकार को इन्डस्ट्री की तरफ आना पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। इस क्षेत्र में अब सरकार ने जो प्रयास किये हैं जो एन्टरप्राइजेज चालू किये हैं उनके बारे में आपके माध्यम से कुछ सुझाव मैं रखना चाहता हूं।

आज पब्लिक सेक्टर में जो सरकारी काम काज चल रहा है उसकी ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। वित्त मन्त्री महोदय ने अपने बजट भाषणों के उत्तर में बताया था कि अमुक अमुक एन्टरप्राइजेज फायदे में चल रहे है। पर मुझे उम्मीद नहीं है कि जैसा कि उन्होंने फायदे की बात कही वह सही हों। यह आंकड़ों का जोड़ तोड़ हो सकता है। वास्तविक स्थिति आंकी जावे तो वे फैक्टरी या कारखाने मुनाफे में नहीं चल रहे हैं और उनको मुनाफे में चलाने के लिये हमें अधिक सक्रियता से काम करने की जरूरत है।

आज शुगर फैक्टरी गंगानगर है जिसके बारे में हमें मुनाफे की बात कही जाती है वह मुनाफा और बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि उसका प्रबन्ध योग्य और अनुभवी आदमियों के हाथ में हो।

दूसरा बड़ा आय का स्रोत है पब्लिक रोडवेज। मन्त्रीजी कहते हैं कह सकते हैं कि वह उनके दायरे में नही आता पर मैं तो इसको भी सरकारी इन्टरप्राइज मानता हूं, भले ही वह कारपोरेशन हो, फिर वे चूंकि वित्त मंत्री हैं और वित्त के मामले उनके हाथ में हैं तो राजस्थान के सारे वित्त के मामले उनके अधीन हैं।

राजस्थान स्टेट रोडवेज कारपोरेशन को अपनी आमदनी बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिये। आज वह लाखों के घाटे में चल रहा है। क्यों? इस पर हमें गम्भीरता से सोचना चाहिये और सरकार का ध्यान उस ओर जाना चाहिये। आज प्राइवेट बस वालों ने भी लाखों करोड़ों की पूंजी लगा रक्खी है वे हजारों लाखों परिवारों को रोजी देते हैं और सरकारी मशीनरी भी उनसे पलती है। पर हमारी रोडवेज जिसके पास रुट्स की मोनोपोली है अच्छे अच्छे रूट्स की, वे घाटे में चलते हैं जबकि इनके मुकाबले में घटिया रूट्स पर चलने पर भी प्राइवेट बस वाले कमाते हैं, सरकारी मशीनरी को भी पालते पोसते हैं और हजारों परिवारों को रोजी देते हैं। तो हमें यह देखना चाहिये और योजनाबद्ध तरीके से पूरी कुशलता और ईमानदारी से हमें रोडवेज का काम करना चाहिये।

दूसरे नये नये क्षेत्र देखने चाहिये सरकार को जिनमें आगे बढ़ सकते हों और सरकारी आमदनी का जरिया जुट सकता हो।

(श्री रामनारायण)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बिक्रीकर और दूसरे टैक्सों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। राजस्थान में बिक्रीकर की सबसे अधिक आमदनी है। पर मेरा निजी अनुमान है कि जितना टैक्स पेयर से यह वसूल किया जाता है उतना सरकारी खजाने में जमा नहीं होता पचास परसेन्ट भी नहीं होता। यह तथ्य है। सेल टैक्स की मशीनरी को इसकी वसूली के बारे में कारगर कदम उठाने चाहिये। यदि जरूरत हो तो कानून बदलिये। सेल टैक्स कन्ज़ूमर्स से व्यापारी वसूल करता है उसे सरकारी खजाने में नियमानुसार समय पर जमा करा देना चाहिये, नहीं कराता है तो यह अमानत में खयानत है। इसे अमानत में खयानत मानना चाहिये, पर हम टैक्स के रूप में ही मानते हैं। अगर वह सरकार की रकम जिसे कन्ज़ूमर से वसूल करता है उसे सरकारी खजाने में समय पर जमा नहीं करा कर अपने पास रखता है तो वह मिसएप्रोप्रियेशन और एम्बेजलमेन्ट में आना चाहिए। पर हम क्या करते हैं सेलसटैक्स की चोरी में पकड़ा जाता है तो केवल पेनल्टी लगाकर छोड़ देते हैं हालांकि वह पेनल्टी भी कारगर तरीके से वसूल नहीं होती। मेरा सुझाव है कि इस तरह से सेल्स टैक्स की चोरी को क्रिमिनल आफेन्स करार दिया जावे। यह नहीं होगा तब तक सरकार की बिक्री कर की चोरी रुकेगी नहीं और अगर वह नहीं रुकेगी तो हमारी आमदनी का जरिया नहीं बढ़ेगा।

आज प्राइवेट बसों का करीब पच्चीस प्रतिशत यात्री कर का पैसा सरकार को नहीं मिलता। असैसमेन्ट हो जाता है तब भी हजारों लाखों की तादाद में बकाया चलता रहता है। मोटर मालिक और व्यापारी परवाह नहीं करते। नोटिस पर नोटिस दिये जाते हैं तब भी ध्यान नहीं देते। तो मैं निवेदन करूंगा कि ये टैक्स वसूली के लिये कारगर कदम उठाये जाने चाहिये।

यह जो आज स्थिति है कि जनता से टैक्स आता है और रास्ते में रुक जाता है वह नहीं रुकना चाहिए। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से लोगों से व्यापारी सेल्स टैक्स वसूल करते हैं वह सेल्स टैक्स भी राजस्थान के खजाने में पूरा नहीं आता। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सेल्स टैक्स की मशीनरी को गीयर-अप किया जाना चाहिए और सेल्स टैक्स पूरा वसूल होना चाहिए।

वित्त मंत्री जी का दूसरा महकमा आबकारी का है उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। यह स्पष्ट है उपाध्यक्ष महोदय मैं शराबबन्दी के पक्ष में हूं और मैं चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर शराब पूर्णतया बन्द होनी चाहिए। लेकिन हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने जो कुछ सांकेतिक कदम उठाये हैं कुछ जिलों में पूर्णतया मद्यनिषेध लागू किया है और गुजरात की २५ मील की पट्टी में ड्राई एरिया घोषित किया है उसके लिए तो उनको धन्यवाद देना चाहिए और वे बधाई के पात्र हैं लेकिन राजस्थान में अब समय आ गया है और वक्त का तकाज़ा है कि हमें शराब बन्दी की तरफ कदम उठाना चाहिए और पूर्ण रूप से शराब बन्द होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता

(श्री रामनारायण)

हूं कि शराब के जरिये सरकार आमदनी कर रही है। ठीक है, जब आप पूर्ण नशाबन्दी लागू नहीं करते हैं तब तक तो जितनी शराब से आमदनी होती है वह तो सरकारी खजाने में पूरी तरह से आनी चाहिए। आज गांवों के अन्दर नाजाइज शराब एक गृह उद्योग के रूप में पनप रही है। आज कई जगह मेरी जानकारी में है कि देहातों में छिपे तौर पर बड़ी भारी तादाद में शराब निकलती है, अफीम बिकती है, गांजा बिकता है और उससे लोगों को नाजायज फायदा होता है लेकिन इससे सरकारी खजाने में लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है। मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि आप अपनी सरकारी मशीनरी को सक्रिय करें और इस तरफ सरकार को होने वाले नुकसान को रोकें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और हम इसी रफ्तार से चले तो मुझे उम्मीद है, मैं समझता हूँ कि लोग और अधिक चोरी करने लगेंगे और जो टैक्स की चोरी हो रही है वह दिनों-दिन बढ़ती जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट ट्रेडिंग. आबकारी आदि पर मेरे कुछ कटौती के प्रस्ताव हैं। यों तो हम लोग हमेशा राजकीय व्यापार के सिद्धान्त रूप से विरोधी हैं। हमारी मान्यता है कि सरकार का जो परम कर्त्तव्य है वह है शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, सड़कें आदि की व्यवस्था करना और जो काम सरकार के करने का है वह नहीं करके सरकार ही सारा व्यापार करे कपड़ा, तेल, नमक भी सरकार बेचे तो इसमें हमारा विश्वास नहीं है। जो सरकार के कर्त्तव्य हैं वह उनसे अलग होकर बिजनेस में पड़ती है इस कारण से वह दोनों ही बातों में सक्सेसफुल नहीं हो रही है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सरकार न तो शासन व्यवस्था में ही सक्सेसफुल हो रही है और न व्यापार में ही। इसलिए हम सरकार से सर्वप्रथम यह बात कहना चाहते हैं कि सरकार ने जो व्यापारिक संस्थान हाथ में ले रखे हैं उन सभी में घाटा हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात हम क्यों कहने के लिए मजबूर हो रहे हैं इसका भी एक बैकग्राउन्ड है। सरकार जो भी प्रतिष्ठान अपने हाथ में लेती है उसमें करोड़ों रुपया लगाने के बाद भी और अच्छे-अच्छे लोगो को सर्विस देने के बाद भी उसमें घाटा रहता है, लोगों की परेशानियां बढ़ती हैं। तो फिर हम यह सरकार से पूछना चाहेंगे कि सरकार को क्या लत पड़ी है जिससे सरकार भी परेशान, जनता भी परेशान और हमारे टैक्स का पैसा जो कि गरीब लोगों से वसूल करके उन धंधों में लगाया और वह घाटे में जाये तो फिर सरकार को इस संबंध में सोचना चाहिए कि सरकार की जो यह स्टेट ट्रेडिंग की नीति है यह गलत है और सरकार को भी धीरे धीरे यह आभास होने लगा है लेकिन क्योंकि सरकार ने यह काम स्टार्ट कर दिए और इस तरह की नीति बना ली कि हम राजकीय व्यापार करेंगे इसलिए यह लकीर के फकीर होकर उस नीति पर अभी अडि-

(श्री जयनारायण सालोदिया)

यल टट्टू की तरह अड़े हुए हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भी सरकारी व्यापार हैं चाहें रोड़वेज को ले लें, चाहें दूध वितरण योजना को ले लें, चाहे गंगानगर की शुगर फैक्टरी को लें लें उनसे बजाय फायदे के नुकसान होता है । पब्लिक को भी परेशानियां बढ़ती हैं । रोड़वेज़ में हमें जितनी गाड़ियां खरीदनी पड़ीं और लाखों रुपयों खर्च करना पड़ा और उसके लिए अलग निगम की व्यवस्था करनी पड़ी, सवारियों से किराया ज्यादा लेना पड़ा उसके बाद भी आज जो रोड़वेज की हालत हैं वह किसी से छिपी हुई नहीं है । वह बद से बदतर हालत में चल रही हैं और उस हालत में भी हमारा इतना रुपया खर्च होने के बाद भी उसमें घाटा है । इसी तरह से अभी कांग्रेस के एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हमारी दूध वितरण योजना में जिस भाव से दूध लेते हैं उससे बढ़ाकर दामों में बेचते हैं उसके बाद भी इसमें घाटा है तो यह सरकार तो घाटे के सौदे करती है तो इन सब बातों के कारण माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करूंगा कि सरकार ने यह देख लिया अच्छी तरह से कि जो सरकारी उद्योग हैं उनमें सरकार को नुकसान है इसलिए इसको जल्दी से जल्दी बन्द कर देना चाहिए ।

माननीय उपाध्यक्ष जी दूसरी बात मैं शराब के संबंध में कहना चाहता हूँ । शराब ऐसी चीज है जो किसी को भी पूछें यहां तक कि शराब के पीने वाले से भी पूछें जब कि उसने शराब नहीं पी रखी हो तो वह भी यही कहेगा कि शराब बहुत बुरी चीज है......

श्री भैरोंसिंह : पीने के बाद नहीं कहेगा ।

श्री जयनारायण सालोदिया : पीने के बाद की कह रहा हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय, शराब ही ऐसा व्यसन है जो हमारे राजस्थान के लिए, हिन्दुस्तान के लिए कलंक स्वरूप हमारे सर पर है । जब तक यह कलंक हमारे सर से नहीं हटेगा हम किसी भी तरह से सर ऊंचा करके समाज में चलने के अधिकारी नहीं हैं । मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि अल्प आय के लिए और थोड़े से पैसों के लिए हम जनता का जीवन चरित्र खराब कर रहे हैं । तो फिर क्या सरकार का यही कर्त्तव्य है कि हमारे चरित्र को खराब करके उसको आय के लिए थोड़े से पैसे चाहिए, चाहे जनता मरे या जहन्नुम में जाये लेकिन क्योंकि थोड़ी आय होती है इसलिए जनता के स्वास्थ्य और इज्जत का और पढ़ाई लिखाई का कोई ध्यान सरकार नहीं देती है ।

माननीय उपाध्यक्ष, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि शराब के व्यसन का ज्यादातर सम्बन्ध हमारे लोगों से बन्धा हुआ है । मैं यह भी मानता हूँ कि हमारे लोगों से यह व्यसन उधर सफेद पोशों में भी जाने लगा है । भगवान उनको सद्‌बुद्धि दे कि यह सारा व्यसन उनमें व्याप्त हो जाय । लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष, इसका लगाव, इसका व्यसन, हम लोगों में, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ज्यादा रहा है । लेकिन यह गलती किसकी है यह भी

(श्री जयनारायण सालोदिया)

कोई व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा भी कोई सरकार का कर्तव्य होना चाहिए कि कोई भी बहुसमुदाय समाज किसी व्यसन में सरकार की गलती से या सरकार की आय की वजह से गरीब होता है, लुटता है, बेकार और बेरोजगार होता है तो उसको रोकें। तो यह भी सरकार का प्रारम्भिक कर्तव्य है कि सरकार अपनी नीति के बारे में उदार हो। माननीय उपाध्यक्ष, मैं तो इसको इस रूप में मानने को मजबूर हो गया हूं कि सरकार का यह षड्यन्त्र है शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के खिलाफ। सरकार का उन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने देने के लिए एक षड्यन्त्र है उनके खिलाफ। अगर शराबबन्दी से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हो, वे लोग बेपढ़े-लिखे होंगे, उनके मकान अच्छे होंगे, उनके कपड़े अच्छे होंगे, वे चुनाव में कम्पीटिशन पर रुपया खर्च कर जीतकर आकर बैठ सकेंगे, तो वे आपकी बराबरी कर सकेंगे, आपकी कुर्सियों को छीन सकेंगे। इस बात की यह मेरी स्पष्ट धारणा है कि सरकार, कुछ पढ़े-लिखे लोग, कुछ उच्च वर्ग के कहलाने वाले लोग जो कि आज कुर्सियों पर जमे हुए हैं उनकी यह साजिश है, उनकी एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार एक साजिश है कि यदि राजस्थान में या हिन्दुस्तान में शराबबन्दी हो गई तो उनकी कुर्सियां सुरक्षित नहीं हो सकती हैं, वे राज्य पर हावी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बहुसमुदाय के लोग जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के हैं अगर शराब को पियेंगे तो न अच्छी तरह से पढ़ लिख सकते हैं और न चुनाव लड़ सकते हैं। अगर शराबबन्दी हो गई तो निश्चित तौर पर उनकी सर्व प्रकार से उन्नति होगी। तो एक तरफ तो उनकी उन्नति होगी तो आज जो लोग उन्नत हैं उनकी अवनति होगी और वे पददलित होंगे। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि वे इस षडयन्त्र से बाज आयें। उन्होंने बहुत षडयन्त्र किया है हमारे खिलाफ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अन्त में, मैं पुरजोर प्रार्थना करता हूं सरकार से कि अगर वह अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों की उन्नति करना चाहती है, अगर उनका उत्थान करना चाहती है, तो सर्वप्रथम यह बात करे कि पूर्ण शराबबन्दी राजस्थान में लागू की जाय जिससे स्वतः ही बिना आपके प्रयास के, बिना आपके सब्सिडी दिये ही, बिना आपके छात्रवृत्ति दिये ही इन लोगों का उत्थान हो सकता है। अगर सच्चे मायनों में आप उनका उत्थान करना चाहते हैं तो यह करिये। लेकिन आपका यह केवल दिखावा-मात्र है कि एक रुपये की छात्रवृत्ति देकर शराब में टैक्स के २० रुपये वसूल करना चाहते हैं। तो यह उनके साथ में धोखा है, भुलावा है और उनके साथ में एक गद्दारी है।

माननीय उपाध्यक्ष, इसी के साथ-साथ मैं एक मिनिट बिक्री कर के सम्बन्ध में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं। बिक्री कर का जो वसूली का तरीका है जिसके लिए हर माननीय सदस्य ने इसकी बुराई की है चाहे वे इधर बैठने वाले हों चाहे उधर बैठने

(श्री जयनारायण सालौदिया)

वाले हों। सबने एक स्वर से, एकमत से इसकी बुराई की है। बिक्री कर के इन्सपेक्टर और इस विभाग के जो भी कर्मचारी हैं उनका रवैया हमेशा दुकानदार के प्रति इस तरह का रहता है जैसे दूकानदार कोई जरायमपेशा हो और दुकानदारी करना कोई जरायम घोषित कर दिया हो। इस तरह की भावना सैल्स टैक्स इन्सपेक्टर और बिक्री कर इन्सपेक्टर आदि की होती है अच्छे, भले ईमानदार दुकानदारों के प्रति इस तरह की भावना है। तो, माननीय उपाध्यक्ष, आपके माध्यम से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जिन-जिन आइटम्स पर आखरी बिन्दु पर बिक्री कर है उसके ऊपर सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि प्रथम बिन्दु से वह वसूल किया जाय तो दूकानदार को कुछ राहत मिल सकती है।

इसके साथ-साथ मैं एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं कि यदि सरकार दुकानदारों की सारी तकलीफों को मिटाना चाहती है तो पिछले साल तीन साल या १० साल का एवरेज निकलवा लें कि अमुक अमुक दुकानदार ने पिछले १० साल, तीन साल या एक साल के अन्दर इतना टैक्स दिया है उसके आधार पर एक लम्पसम टैक्स उस दुकानदार पर बांध दे तो रोजमर्रा की रजिस्टर मैन्टेन करने की दिक्कत और कई तरह के फार्मों को भरने की तवालत उसकी मिट सकती है, और सरकार को भी एक साल में इतना टैक्स उस दुकानदार को देना पड़ेगा यह मालूम होगा और वह साल के आखिर में दुकानदार आकर उसको जमा करा देगा। इससे दुकानदार को भी परेशानी नहीं होगी और सरकार को भी वसूल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन सरकार की टैक्स वसूल करने की नियत नहीं है। दुकानदार से चन्दा वसूल करना हो चाहे वह कांग्रेस का चन्दा हो, चाहे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हों या कोई बैंक में खाते खुलवाने हों, इस तरह के जो भी आन्दोलन होते हैं वे सैल्स टैक्स इन्सपेक्टर और इनकम टैक्स इन्सपैक्टर के मारफत वसूल करवाते हैं। एक तरह से ऐजेन्सी कायम कर रखी हैं। वे दुकानदारों को धौंस देते हैं कि अमुक राशि जमा नहीं कराओगे तो झूठा मुकदमा बना देंगे और इतने से ज्यादा जुर्माना कर देंगे। इसलिए सरकार की टैक्स वसूल करने की मन्शा हो तो इस आसान तरीके से साल के आखिर में एक दफा एक आदमी मन्डी में आजाय और सारे दुकानदारों से एक दिन में टैक्स वसूल करके आजाय। इससे न तो दुकानदारों को रोजमर्रा का झन्झट करना पड़े और न फार्म भरने पड़ें और सरकार को टैक्स मिल जाय। लेकिन सरकार ने इस तरह की एजेन्सियां बना रखी हैं। दुकानदार सैल्स टैक्स इन्सपेक्टर के नाम से घबराता है और डरता है, और सरकार का जो भी कार्यक्रम होता है वह उनके मारफत चलता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विजयसिंह रावत।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज कटौती–प्रस्तावों पर चल रही बहस के अन्दर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। इस पर मेरे भी कुछ प्रस्ताव हैं उनको मैं मूव करता हूँ।

सबसे पहले मैं राज्य के व्यापार के ऊपर कुछ प्रकाश डालूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दल की यह नीति है कि कोई भी सरकार किसी भी चीज का राष्ट्रीय–करण करने से पहले अपने दिमाग में इस बात को रख कर चलें कि जिस चीज का राष्ट्रीयकरण करने जा रही है उस चीज को चलाने में वह कितनी सक्षम है, और किस हद तक चलाकर राज्य को प्रगति की ओर ले जा सकती है या नहीं ? इन शब्दों के साथ के अन्दर राजस्थान के अन्दर जो कुछ भी आज सरकार के व्यापार चल रहे हैं उनके अन्दर मेरे ख्याल से, अधिकतम व्यापार ऐसे हैं कि जिनके अन्दर घाटा ही घाटा इस सरकार को मिलता जा रहा है। अगर हम राजस्थान रोडवेज को लें तो उसके अन्दर घाटा होने का मुख्य कारण यह है कि उसके अन्दर अनियमितताएं और दूसरी चीजें जैसे कि इनएफिशियेन्सी आफ दी स्टाफ है जिसके कारण से घाटा आता जा रहा है और जिसके ऊपर सरकार किसी प्रकार के कोई कदम नहीं उठा रही है।

इसके अलावा मैं आपको एक उदाह–रण के तौर पर यह कहूंगा कि महालक्ष्मी मिल, ब्यावर के अन्दर है जो कि प्राइवेट तौर पर चलती थी उसको बन्द करने के बाद जब सरकार ने उसको अपने हाथ में ली इन्डस्ट्रीज़ एक्ट के तहत तो चाहिए तो यह था कि जो भी स्टाफ पहले का था वह उसी वक्त समाप्त हो जाना चाहिए था। जितने भी पुराने कर्मचारी, सैलिंग एजेन्ट्स, कमीशन एजेन्ट्स थे वे सब उस समय जब कि सरकार ने अपने हाथ में लिया समाप्त हो जाने चाहिए थे। लेकिन इस वक्त ब्यावर के महालक्ष्मी मिल के अन्दर एक महावीर प्रसाद पालीवाल का नाम यहां पर मैं दूंगा जो कि इमिटेशन कन्ट्रोलर हैं। वे पहले भी प्राइवेट संस्था में भी इमीटेशन कन्ट्रोलर थे, और इमीटेशन कन्ट्रोलर होने के नाते राज्य सरकार के राज्यकोष से लगभग १० हजार महीने के लेते हैं, और जिनको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है कि कपड़ा कहां पर अच्छी कीमत पर बिक सकता है। तो यह एक बात है कि केवल भाई–भतीजेवाद के नाते आज पालीवाल को उसी मिल के अन्दर इमीटेशन कन्ट्रोलर के पद पर नियुक्त कर रखा है।

जब कि इन्डस्ट्रीज एक्ट के तहत जब गवर्नमेन्ट ने इसको लिया उसके बाद जो ऐसे कर्मचारी और सेलिंग एजेन्ट्स थे वे सब आफ हो जाने चाहिये थे लेकिन सरकार ने उनको कटिन्यू कर रखा है।

इसी तरह से मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्राइवेट क्षेत्र में प्रेसिजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में थी, वित्त मंत्रीजी का न मालुम क्या उस प्राइवेट फैक्ट्री से झगड़ा हुआ कि वित्त मंत्री जी ने उसका राष्ट्रीयकरण किया और कहा कि सरकार खुद उसको चलाना चाहती है। सरकार ने कहा कि हम इसमें लाभ करेंगे और इसकी आगे प्रगति करेंगे...

श्री प्रद्युम्नसिंह : धोलपुर में किसी फैक्ट्री

Page No.126

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

का राष्ट्रीयकरण नहीं किया। सरकार ने खुद ने इस फैक्ट्री को चलाया था।

श्री जयनारायण सालोदिया : सरकार ने खुद ने चलाया और इसमें बहुत घाटा हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : यह बहुत माइनर बात है।

श्री विजयसिंह रावत : इससे ३० लाख का घाटा हुआ और पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट मुलाहिजा करें, वित्त मंत्री जी को जिन शब्दों में लताड़ा है यह उन्हीं के लिये शोमनीय है। इसकी चार लाइनें मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ :

"हाई टेक प्रेसिजन ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर चार साल से अब तक चली आ रही है। धनाभाव की स्थिति का जो चित्र समिति के सामने प्रस्तुत किया गया है उससे समिति को यह मानने को बाध्य होना पड़ा है कि प्रेसीजन ग्लास फैक्ट्री के बारे में सरकार का यह गलत कदम है। योजनाबद्ध ठीक ढंग से नहीं चलाने के कारण धन का अपव्यय हुआ है और इसको बंद करना पड़ा।"

यह हालत है सरकार की जिस व्यापार को करने में समर्थ नहीं है उसको अपने हाथ में लेती है और हाथ में लेने के बाद घाटा होता है तो उसको पूरा करने के लिये या तो गरीब जनता पर कर का भार डालते हैं या उधार लेते हैं यह शोभनीय कार्य नहीं है। इससे राज-पाट ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आगे जाकर राजस्थान की जनता को किस हालत में खड़ा होना पड़ेगा यह सोचने की बात है।

इसके साथ-साथ बिक्री कर के बारे में मैं बताना चाहता हूं। यह आरोप व्यापारियों पर लगाते हैं कि वे दो नंबर की किताबें रखते हैं। लेकिन यह आरोप तो सरकार पर लगाना चाहिये क्योंकि यह कोटा, परमिट, लाइसेंन्स की व्यवस्था गवर्नमेन्ट खत्म कर दे तो कोई दो नंबर की किताब व्यापारियों के पास नहीं रहेगी। सरकार खुद व्यापारियों को बाध्य करना चाहती है, ईमानदारों को बेईमान बनाना चाहती है। कोटा, परमिट, लाइसेंस का तरीका निकाल कर लोगों को आराम से रोटी नहीं कमाने देती और इस कारण बाध्य होकर उनको ऐसी किताबें काले बाजारी के हिसाब की रखनी पड़ती है। ऐसे-ऐसे पौधे निकले हैं जिनका जिक्र आ चुका है। मैं चाहूंगा कि सरकार कोटा, परमिट और लाइसेंस सिस्टम को बन्द करे और बाद में आप देखेंगे कि दो नम्बर की किताबें नहीं मिलेंगी और सबके पास १ नम्बर की ही मिलेंगी।

साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा कि बिक्री कर ग्रामीण मजदूर और काश्तकार है जिनके काम में हल, ट्रेक्टर, चरस वगैरा आते हैं और जो कृषि के लिये उपयोगी चीजें है उन पर भी सरकार ने टैक्स लगाया है, मैं चाहूंगा कि उनका अध्ययन करके कृषि उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिये कृषि उपयोगी जितनी चीजें है उनको बिक्री कर से माफ करें और ऐसी व्यवस्था करें कि कृषि उत्पादन की जितनी चीजें हैं वे इनको

(श्री विजयसिंह रावत)

सुलभ तौर पर मिल सकें और उनको परेशानी नहीं हो इन चीजों के भाव ऊपर नीचे चढ़ते हैं तो उनको महंगी चीजें खरीदनी पड़ती हैं तो वे यह कह सकते हैं कि हम सस्ते में नहीं बेच सकते। इससे किसानों को फायदा होगा।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बिक्री कर का इतना एरियर है कि जिसके कारण आज घाटे का बजट पेश किया है उसका खास कारण यह है कि केवल राजनीतिक दवाव के कारण जितनी सेल्स टैक्स की रकम बाकी है करोड़पतियों और लखपतियों में बाकी है राजस्थान सरकार उनसे वसूली नहीं करती है। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी आज घोषणा करें कि विक्री कर की जितनी बकाया है राज्य सरकार उसको वसूल करेगी ताकि घाटे के कारण योजना और राजस्थान नहर वगैरा उनमें इस पैसे का उपयोग किया जा सके।

अब मैं आबकारी के बारे में कुछ निवेदन करूंगा। मेरे से पूर्व वक्ता मद्य निषेध के बारे में बोले हैं। मैं उन लोगों में से हूं जो यह मानने वाले हैं कि शराब बन्दी के नारे से शराब बन्द नहीं हो सकती। इस बारे में राजस्थान सरकार की नीति है और जैसा कि राजस्थान सरकार और वित्त मंत्री जी ने कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं। गीता में कर्मयोग के बारे में कहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : क्या लिखा है ?

श्री मनोहर सिंह मेहता : यह लिखा है कि सरकार व्यापार कर सकती है।

श्री विजयसिंह रावत : मैं इस बात को मानने वाला हूं कि जब तक आप कर्मेन्द्रियों को संयम से नहीं रखेंगे, मासेज में आंदोलन नहीं करेंगे कि यह चीज बुरी है तब तक कुछ भी फायदा नहीं होगा। आप अपने ही हाथों को लीजिए। मुंह को ले लीजिये। आंख को लीजिये। आंख को चाहिये कि हमेशा अच्छी चीज को देखे लेकिन अगर बुरी चीज को देखेगी तो उसका बुरा असर मन पर पड़ेगा। इसी तरह से मुंह को चाहिये कि रोटी और अच्छी चीजें खावें लेकिन अगर नीम को खाता है तो कड़वापन रहेगा। तो कर्म एक ऐसी चीज है जिसका असर पड़े बिना नहीं रहता। शराब बन्दी के लिये सरकार ने जिस प्रकार के कदम उठाये हैं उसको मजबूत करने के लिये, लोगों के दिमाग में परिवर्तन लाने के लिये सरकार को प्रयत्न करना चाहिये। जितने राजस्थान में त्यौहार आते हैं जो होली, दिवाली, संक्रांति आखातीज को सावे आते हैं उस दिन शराब बन्द रहनी चाहिये। यहां पर ९ ड्राईडेज हैं उनके अलावा जितने पर्व हैं हिन्दूओं के, मुसलमानों के और ईसाइयों के बड़े दिन आदि है ऐसे दिनों को ड्राईडेज घोषित करना चाहिये। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दुकानें शराब को खोलने का टाईम कुछ भी रखिये लेकिन शाम को ६ बजे के बाद शराब की दुकान खुली नहीं रखनी चाहिये क्योंकि शाम को मजदूर दिन भर के काम के बाद जब घर लौटता है तो वह थकान महसूस करता है। दिन भर में अगर वह ३) कमाता है तो वह देखता है कि १) की शराब पीकर थकान मिटाले, यदि शराब की दुकान उसको खुली मिलेगी तो वह वहां पर शराब पीने बैठ जायगा

(श्री विजयसिंह रावत)

और हो सकता है १) के बजाय २) रु० की शराब पी ले और बचे हुए १) रु० का आटा लेकर घर पहुंचे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ६ बजे के बाद कोई शराब की दुकान खुली नहीं रहनी चाहिये।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं २ मिनिट और बोलूंगा। लोग खुली शराब बेचते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से अंग्रेजी शराब सील बंद बोतलों में बिकती है उसी तरह का सिस्टम देशी शराब के लिये भी करना चाहिये। इससे आपको अगले साल पता चलेगा कि इसका क्या असर पड़ा। खुशी शराब मिलने से जिस समय शराब पीने की रुचि होती है या जिस समय मन में आती है उसी समय पीने लग जाता है। जिस तरह से चोर के मन में चोरी करने की आती है तो वह चोरी जरूर करता है लेकिन अगर उसमें कुछ अड़चन आ जाती है तो वह चोरी नहीं कर सकता। इसी तरह से शराब पीने वाले के सामने भी अड़चन आ जावे तो उसका दिमाग बदल सकता है और इस तरह से इसका प्रचलन धीरे धीरे कम होगा और एक न एक दिन आप देखेंगे कि काफी लोगों ने शराब छोड़ दी है।

राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि शराब की कुछ दुकानें हटायेंगे और कुछ दुकानें हटाई भी हैं। आबकारी कमिश्नर साहब को ठेकेदारों ने चेतावनी दी है कि लाइसेन्स फी कम करनी चाहिये। दुकानें हट गई हैं इसलिये लाइसेन्स फीस कम करना जरूरी है इसलिये जितनी रकम सरकार ने निर्धारित की है, हालांकि ओक्शन होना चाहिये था लेकिन ओफर सिस्टम रखा है जो नहीं लेना चाहते हैं उनको मना करना चाहिये। कहीं यह न हो कि अधिकारी ठेकेदारों से मिल कर वित्त मंत्री जी का दिमाग बदल दें, जिस तरह से हेर फेर करके ३० लाख का घपला करके १३ लाख का घाटा दिखाया है लेकिन मैं चाहूंगा कि ऐसी कोई चीज सामने नहीं आये।

इसके साथ-साथ एक बात मैं और कहूंगा। जो भट्टियों से शराब बनती है, उसमें एक बहुत बड़ी कमी है। वह होता क्या है, जो बोतल पर ढक्कन होता है, इस ढक्कन के अन्दर टेम्परामेन्ट ऐसा देते हैं मैटल का कि आप थोड़ा प्रेस करें तो ढक्कन बाहर आ जाता है। जो सील बन्द दारू की बोतल आती है, उसकी सील को आप थोड़ा सा प्रेस करें तो ओटोमेटिकली वह ऊपर आ जाता है। होता क्या है कि ऐसे टेम्प्रेचर पर फ्यूज करके ढक्कन बनाया जाता है, थोड़ा सा प्रेसर देने के साथ ही सील टूट कर ऊपर आ जाती है। यह शराब बेचने वाले जो ठेकेदार हैं, यह बहुत चतुर हैं भ्रष्टाचार करने के अन्दर। इस तरह सील खोल कर वह उसमें पानी मिलाते हैं और पानी मिलाने के बाद में फिट कर देते हैं ढक्कन को। इस कारण से जनता में बीमारियां फैलती हैं, अलसर की बीमारी, पेट की बीमारी—यह सारी की सारी बीमारियां इससे बढ़ती हैं क्योंकि उसके अन्दर यह लोग बहुत सी चीजें मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं। मैं चाहूंगा कि

Page No.129

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि भट्टियों के अन्दर सील लगाते वक्त सील को बहुत माइनूटली चैक किया जाय। इसके अन्दर अभी तक जो अनियमितता हो रही है उसका परीक्षण करके जो भी अधिकारीगण दोषी पाये जांय उनको सजा मिलनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं मेरे कटौती प्रस्ताव मूव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब समय समाप्त हो गया है। साढे चार बजे हैं।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलना था तो पहले इच्छा जाहिर की होती।

श्री दौलतराम सारण : मैंने कई बार इच्छा जाहिर की।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने बार बर देखा है, आप सामने ही हैं इसलिए कि आपने इच्छा जाहिर नहीं की।

श्री दौलतराम सारण : कई बार इच्छा व्यक्त की, यह मेरा दुर्भाग्य है कि मुझ पर दृष्टि नहीं पड़ी।

श्री उपाध्यक्ष : समयाभाव है, इसलिए समय की सीमा है। मैंने बराबर देखा कि आपने इच्छा ज़ाहिर नहीं की।

श्री दौलतराम सारण : मुश्किल यह है कि आपकी आंख मुझ पर जम नहीं पाती।

श्री उपाध्यक्ष : दस मिनिट का समय।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार की नशाबन्दी के बारे में जो असफलता है उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं और नशाबन्दी करने में यह सरकार असफल रही है उसके लिए घोर निन्दा करना चाहता हूं। यह सरकार दो तीन मुद्दे बताती है नशाबन्दी के विरोध में, एक तो यह कहती है कि इससे पैसा मिलता है, नौ करोड़ रुपये का सवाल है, इस नौ करोड़ रुपये से हम उत्पादन बढ़ायेंगे, लोगों को खुशहाल बनायेंगे। दूसरी दलील यह है कि केवल कानून बनाने से नशाबन्दी शराबबन्दी नहीं होगी, इसके लिए समाज को तैयार करना पड़ेगा। तीसरी दलील यह है कि यदि बिना समाज को तैयार किये हुए नशाबन्दी कर दी गई तो उससे अवैध शराब ज्यादा बढ़ जायगी और उससे समाज में जुर्म बढ़ जायेंगे। लेकिन यह तीनों दलीलें खोखली, बेबुनियाद, आधारहीन, तथ्यहीन और तर्कहीन हैं, यह इसलिए कि एक आदमी का विकास करना चाहते हैं और उसको शराब पिला कर पहले पागल बनाते हैं, उसके स्वास्थ्य को नुकासन पहुंचाते हैं, उसको नैतिक दुर्बलता देते हैं, उसको मानसिक तौर से, बौद्धिक तौर से कमजोर करते हैं और उसके बाद में आप अपेक्षा करते हैं कि उसका विकास होगा। विकास नहीं होगा, उसमें सब तरह की कमजोरियां आयेंगी, सब तरह की उसमें दुर्बलतायें आयेंगी, क्षीणतायें बढ़ेंगी, स्वास्थ्य की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से-सब दृष्टियों से आदमी कमजोर बनेगा। इसलिए इस दलील में बल नहीं है। दूसरे आप विकास की बात कहते हैं। इस विकास

(श्री दौलतराम सारण)

की बात में सार नहीं है। इससे जो खर्च बढ़ता है, शराब पीने पर, शराब पीने के बाद जो टैक्स देते हैं नौ करोड़ का, उसके साथ ही शराब की वजह जुर्म बढ़ते हैं, शराब की वजह से अपराध होते हैं, उसके लिए आपको पुलिस का, न्यायालय का, डाक्टर्स का और विभिन्न प्रकार का इन्तजाम करना पड़ता है। उस पर उससे कहीं अधिक खर्च होता है। इसकी तरफ प्रशासन का ध्यान नहीं। तीसरी बात कहते हैं कि समाज को तैयार किये बगैर कानून से शराब नहीं रोकी जा सकती। यह ठीक है, कानून से नहीं रोकी जा सकती लेकिन समाज को तैयार करने की जिम्मेदारी किस पर है? इस सरकार पर है। इस शासन पर है। इस शासन को जनता ने अपने लिए बनाया है, अपनी व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए जनता ने सरकार का निर्माण किया है। इस-लिए समाज के लिए, व्यक्ति के लिए यह शासन की जिम्मेदारी है कि वह समाज में इस तरह का वातावरण बनाये। लेकिन सरकार नशा रोकने का वतावरण नहीं बनाती है, सरकार तो शराब अधिक पिलाने का वातावरण बनाती है। मुझे याद है, पन्द्रह बीस साल पहले जिन गांवों में शराब पीना धर्म विरुद्ध समझा जाता था, अनैतिक अपराध समझा जाता था, उन गांवों में पांच सौ, एक हजार बोतल प्रतिदिन ठेकेदार जीप में रख कर एक एक गांव में ले जाकर रखवा देता है और उसको कमीशन बेसिस पर बेचा जाता है। राजस्थान में एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर कि कमीशन बेसिस पर बोतल नहीं रखी जाती हों। और उसके पीछे से एक्साइज इन्सपेक्टर निरीक्षण करने जाता है, कि इस गांव में शराब पहुँची या नहीं। यह इस शासन की नीति है, यह शासन का आधार है। जिस शासन की यह नीति है कि शराबबन्दी की जायगी, और जिसके क्रियाशील सदस्य बनते यह प्रतिज्ञा लेते है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं नशाबन्दी करने का प्रयास करूंगा, उस शासन की तरफ से शराब का प्रचार किया जाता है, उस शासन की तरफ से मजबूर किया जाता है गांव के लोगों को शराब पीने को। कोई स्कूल, कोई कालेज ऐसा नहीं है जिसके नजदीक दारू का ठेका नहीं हो, कोई बस स्टेण्ड, कोई हास्पिटल, कोई कारखाना ऐसा नहीं है जिसके नजदीक दारू का ठेका नहीं हो, कोई मजदूर और हरिजन बस्ती ऐसी नहीं है जिसके नजदीक दारू का ठेका नहीं है। दारू का ठेका उस जगह रखा जाता है जिस जगह पर गरीब, पिछड़े वर्ग के लोग, विद्यार्थी हों। लोगों को आसानी से दारू उपलब्ध कर सकें--यह शासन की नीति का नतीजा है। यह अठारह वर्ष के नीचे के बच्चों के लिए कानून बनाती है। यह सरकार कहती है कि हम नशाबन्दी के लिए कानून लायेंगे, लेकिन अठारह साल के ऊपर इस अंग्रेजी शिक्षा के परिणामस्वरूप जो कालेजों में बच्चे सिगरेट और दारू को पीना अपनी शान समझते हैं--उनको रोकने के लिए कानून बनाने की इस सरकार में हिम्मत नहीं है। इस सरकार की अधिकारियों के लिए कानून बनाने की हिम्मत नहीं है। और आज कहती है कि महाराष्ट्र में दारू बन्दी फेल हो गई, दारूबन्दी फेल हो गई, गुजरात में दारू बन्दी फेल हो गई। मैं बताना चाहता हूँ, क्यों फेल हो गई। फेल नहीं हुई, उसमें नतीजा अनुकूल आया,

(श्री दौलतराम सारण)

लेकिन उसमें लेकूना रहा, उसमें कमी रही उसका कारण यह है कि वहां के न्यायालयों ने न्यूनतम सजा, निर्धारित सजा भी नहीं दी। कानून में न्यूनतम निर्धारित से कम सजा दी है। करीब ८० प्रतिशत मुकदमों में न्यूनतम सजा से कम सजा दी है। जो जो न्यूनतम सजा है उससे कम सजा दी गई और लम्बे समय तक मुकदमे चलाये गये, महीनों तक पेशियां डाली गई और जान-बूझ कर एक षडयन्त्र के साथ इस नशा बन्दी को फेल करने की साजिश की गई। यह शासन की कमजोरी का नमूना है। यह शासन प्रशासनिक मशीनरी को ठीक नहीं कर सकता इसलिए इसकी योजनायें फेल होती है, नीति दुर्बल होती हैं और व्यवस्था बिगड़ती है। अगर शासन को व्यवस्था को ठीक तरह से चलाना है, अगर नीतियों को अमल में लाना है, और समाज के हित के काम करने हैं तो उसके लिए शासन को प्रशासन को तैयार करना पड़ेगा। आप प्रशासन का पक्ष करते हैं और आप जनता के प्रति लापरवाही करना चाहते हैं। आप तमाम कानून, नियम और नीति जनता पर लागू करना चाहते हैं आप प्रशासन पर लागू नहीं करना चाहते। आप क्यों नहीं यह नियम लागू करते कि प्रशासन के अन्दर कोई आदमी, जो शराब पीता है, नौकरी में नहीं लिया जायगा ? यह नियम क्यों नहीं बनाते हैं ? क्या अड़चन है ? मैं पूछना चाहता हूँ, आप क्यों यह नियम नहीं बनाना चाहते हैं कि जो शराब पीयेगा, वह चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता ? आप क्यों नहीं नियम बनाते कि यह अयोग्यता होगी सरपंच, पंच, प्रधान, प्रमुख और नगरपालिका के सदस्यों के लिए ? मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या बिगड़ता है इसके अन्दर। मैं दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं आपसे कि आप कानून बनाते हैं उसमें आपके सामने यह सवाल नहीं। सवाल यह है कि अठारह वर्ष के नीचे के बच्चे शराब नहीं पी सकते। यह आप कानून बना रहे हैं। लेकिन वह शराब नहीं पीते श्रीमान्‌जी। शराब वह पीते हैं जिन्होंने अंग्रेजी सभ्यता को भारतवर्ष में आबकारी व्यवस्था के माध्यम से पनपाया है। सब लोग, हिन्दू, मुसलमान शराब को बुरा समझते हैं, हिन्दुओं के अन्दर जो वैष्णव सम्प्रदाय हैं, वह धर्म विरुद्ध समझते हैं। मुसलमान धर्म विरुद्ध समझते हैं शराब पीने को। फिर कौन पीते हैं। वही लोग शराब पीने को बुरा नहीं समझते हैं जो पिट पिट अंग्रेजी बोलते हैं और ऐसे लोग देश में पांच प्रतिशत के अन्दर में है। इस देश के ऊपर जो तीन करोड़ व्यक्ति शासन करते हैं, वह शराब के हिमायती हैं और वह सारे देश को शराब में डुबा देना चाहते हैं। इसलिए कितना सुन्दर शासन चल रहा है देश के अन्दर, आज एक षडयन्त्र के साथ में शराब से समाज को गन्दा कर देना चाहते हैं, हमारी संस्कृति और सभ्यता का विनाश करना चाहत हैं। इसको देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती इसलिये मेरा निवेदन है कि इस नशाबंदी को अविलम्ब लागू करना चाहिए। इसके बिना न तो आपकी योजना सफल होगी और न आर्थिक कार्यक्रम सफल होगा, न समाज में परिष्कार और भ्रातृत्व आयेगा और न राष्ट्रीय भावना और एकता आवेगी। शराब हमारी बुनियाद को हिलाती है, हमारी मान्यताओं को झकझोरती है।

(श्री दौलतराम सारण)

हमारे विश्वास को डिगाती है। हमारी निष्ठा को गिराती है। इसलिए शराब को हर कीमत पर हर हालत में बन्द करना चाहिए। मैं यह भी पसन्द करूंगा। अभी कर्मेन्द्रियों का सवाल पैदा हुआ। माथुर साहब की कर्मेन्द्रियां वश में नहीं हैं। कुछ माननीय सनस्यों की कर्मेन्द्रियां माथुर साहब को देखकर डोलायमान हो जाती हैं। मुझे उसके लिए कुछ नहीं कहना। कर्मेन्द्रियों को शान्त करने के लिए आप वातावरण का निर्माण करें, कर्मेन्द्रियां काबू में आ जायेंगी। कर्मेन्द्रियों को निरोध करने के लिए आवश्यक है कि आप वातावरण का निर्माण करें, समाज को ठीक करने के लिए कानून बनायें। कानून के साथ-साथ प्रचार करायें। लेकिन आप प्रचार कब करते हैं? २६ नवम्बर को। २६ नवम्बर को आप हरिजन दिवस मनाते हैं। शराब मत पिओ, नशा मत करो। और आप क्या करते हैं? संस्कार केन्द्र खोलते हैं। हरिजनों की, पचास हरिजनों की दारू की आदत छुड़वाई—उसके लिए क्या देते हैं? उसके लिए आप अनुदान देते हैं। इधर आप ठेकेदारों को मजबूर करते हैं कि इतनी दारू बेचो। इतनी से कम बेचोगे तो ठेका समाप्त हो जायगा, पैनल्टि इम्पोज हो जायगी। इसलिए आज गांव–गांव में ठेके हैं। आप पंचायत राज की डींग मारते हैं लेकिन पंचायत और पंचायत समिति ने प्रस्ताव भेजे हैं कि हमारे यहां से ठेका उठाया जाय, हमारे यहां ठेका नहीं रहना चाहिए। लेकिन आप मानते नहीं हैं। केवल रुपया चाहिए, रुपया, रुपये के आगे न सभ्यता है, न संस्कृति, न मान्यता है, न निष्ठा है, न परम्परा है, कुछ भी नहीं है, न मानवता है। केवल रुपया है। रुपये में ही इस देश का विकास करना चाहते हैं। केवल, माननीय मन्त्री महोदय, रुपया ही इस देश के विकास का माध्यम नहीं है। रुपये के अलावा बुनियाद चाहिए आचार चाहिए, देश और समाज की व्य–वस्था को बदलने के लिए, उसके निर्माण के लिए, लेकिन आपका वह नजरिया नहीं है। मैं बता रहा था कि शराबबन्दी में आपकी मान्यता है, शराबबन्दी की कांग्रेस की निर्धारित नीति है, घोषित नीति है लेकिन आज आप उस पर अमल नहीं करते हैं तो आप अपनी घोषणाओं का निरादर करते हैं, अपनी मान्यताओं का निरादर करते हैं, आप देश की जनता के साथ में विश्वासघात करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन करना है कि आप निश्चित रूप से शराबबन्दी की घोषणा करिये। इसके लिए आप कहते हैं पैसा नहीं है, घाटा हो जायगा। एक लाख रुपया इन जैसे शराबबन्दी का प्रचार करने वालों को प्रलोभित करने के लिए आपके पास है। वह एक लाख रुपया फौरन हो गया। आपकी जादूगरी सब समझते हैं। इस जादूगरी में अब लोग आने वाले नहीं हैं। मैं स्वयंसेवी संस्थाओं को इस सदन के द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पाप के पैसे के प्रचार में, शराबबन्दी के प्रचार में इस्तेमाल मत करिये, नहीं तो दुषित हो जायगा। हमारा एक सिद्धान्त है, हमारे यहां यह कहा गया है, जैसा खाये अन्न वैसा होवे मन। जिस तरह शराब का पैसा हमारे विकास में लगाना चाहते हैं, उससे हम अपने आपको अपवित्र नहीं करना चाहते। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए।

(श्री दौलतराम सारण)

हम अपना विकास अहिंसा, सत्य की बुनियाद पर खड़े होकर करना चाहते हैं, हम अपना विकास बुनियादी आन्दोलन के आधार पर खड़े होकर करना चाहते हैं, नैतिकता के निमयों के आधार पर करना चाहते हैं। आप जबर्दस्ती समाज का चरित्र गिराना चाहते हैं। समाज का हर क्षेत्र आपसे पीड़ित है, आपके हस्तक्षेप से पीड़ित है (समय समाप्ति सूचक घंटी) दो मिनिट में समाप्त कर देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको तकलीफ हो रही है, गला रुक रहा है।

श्री जयनारायण सालोदिया : नहीं नहीं, सरकार को देखकर गला रूंघ गया है।

श्री दौलतराम सारण : आपको टेकचन्द समिति की रिपोर्ट का ख्याल नहीं। तो अब आप नशाबन्दी कैसे करेंगे। तीन तहसीलों और जिलों में नशाबन्दी आप करेंगे मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र और गुजरात की नशाबन्दी की नीति को फेल करने में राजस्थान भी हिस्सेदार है। राजस्थान ने वहां दारू भेजी है वहां मद्य निषेध को खराब करने के लिए, इसलिए राजस्थान भी जिम्मेदार है। दूसरे पड़ोसी राज्य जिम्मेदार हैं, वहां राजस्थान भी जिम्मेदार है। मैं चाहता हूं कि कलंक के टीके को आप अपने माथे पर न लगायें और पूर्ण नशाबन्दी करें। अगर आप सचमुच नशाबन्दी की नीति को मानते हैं।

इसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहता हूं। आप कहते हैं कि गारन्टी सिस्टम से अवैध शराब बनाना हमने रोक दी है। मैं देखता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी देखते होंगे, पीढ़ियों से जिन गांवों में शराब का नाम नहीं था, शराब पीने वालों को समाज में घृणा की नजर से देखा जाता था, वहां मुश्किल से ही शराब पीने वाले मिलते थे, वहां यह हालत बनादी है कि सब जगह कमीशन एजेन्ट बोतल बेचते हैं। आपका कानून कहता है कि शराब का ठेका है, उस ठेके के बाहर दारू नहीं बेच सकता। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लाखों रुपया आप स्टाफ पर खर्च करते हैं, वह कमीशन के आधार पर बोतल बेचने वालों को क्यों नहीं पकड़ते हैं, क्यों नहीं रोकते हैं, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्यवाही करते हैं? क्योंकि पैसा आता है। पैसे की कीमत है। आज ठेकेदार अपनी जीप में बोतल रखकर आगे-आगे चलता है और इंसपेक्टर अपनी जीप में पीछे चलता है। दोनों साथ-साथ चलते हैं। एक तरफ तो बोतल लेकर आगे जाती हुई ठेकेदार की जीप और उसके पीछे चलती हुई इन्सपेक्टर की जीप, जो देखता है कि बोतल पहुंची या नहीं गांवों में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने दारूबन्दी कर दी, तहसील और जिलों में उसके बाद भी आपकी आमदनी कैसे बढ़ गई? अजीब तमाशा है। वह भी थोड़ी नहीं बढ़ी, लाखों रुपये की बढ़ोत्तरी की योजना रखी है, आपने साढ़े आठ करोड़ के बजाए अब बजट के अन्दर नौ करोड़ का प्रावधान कर दिया है। यह जादूगरी आपकी कमाल की है।

इसी तरह से मैं आपको कहना चाहता हूं कि अवैध शराब नशाबन्दी करने वाले क्षेत्रों में पैदा नहीं होती है। अवैध शराब, जहां शराब अधिक बिकती है, वहां ज्यादा

(श्री दौलतराम सारण)

पैदा होती है, वहां ज्यादा अवैध शराब निकलती है। सी० पी० बरार का हमारा प्राविन्स था, उस समय कोदण्डराव कमेटी बनी थी, उस कमेटी की रिपोर्ट है, अध्ययन रिपोर्ट, उसमें यह कहा गया है। इसी तरह से मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप संविधान का आदर कीजिये, आप संविधान के ४७ अनुच्छेद का पालन करिये। आप गांधी बाबा की दुहाई देते है, आप उनकी आत्मा को तसल्ली दीजिये। गांधी बाबा को नहीं मानें, आप संविधान के अनुच्छेद ४७ को भी नहीं मानें तो महरबानी करके आपका जो क्रियाशील सदस्य का फार्म था उसको तो देखिये, कांग्रेस के प्रस्तावों को देखिये, चुनाव घोषणा पत्र को देखिये– उन सबको भी आप नहीं मानें तो आप जाने आपका राम जाने। लेकिन हम और राजस्थान की जनता आपके इस विश्वासघात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपकी नशाबन्दी में जो असफलता है उसकी निन्दा करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप मानवता की दृष्टि से इस पर विचार करिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कृषि मन्त्री !

श्री शोभाराम (कृषि मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग के सिलसिले में सहकारी व्यापार के सिलसिले में, खास तौर से दूध वितरण योजना, और भेड़ व ऊन डिपार्टमेंट के द्वारा जो व्यापार किया गया है, उसके घाटे की बहुत से माननीय सदस्यों ने चर्चा की। मैं यह कबूल करता हूं कि सरकारी व्यापार, अगर ठीक ढंग से उसको चलाया जाय, में घाटे का प्रश्न उपस्थित नहीं होना चाहिए और मैं इसको भी मानता हूं कि जो कुछ तीन चार वर्षों के अन्दर घाटा हुआ है वह घाटा नहीं होना चाहिए। यह सब बातें ठीक होते हुए भी मैं दो बातें माननीय सदस्यों के सामने रखना पसन्द करूंगा।

पहली बात तो यह है, जिसको कि हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, या सरकारी व्यापार की संज्ञा जिसको देते हैं। सरकारी व्यापार कोई बुरी चीज नहीं है, और यह पनपना चाहिये। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी ठीक है कि इस प्रकार के व्यापार में घाटा नहीं होना चाहिये। यह घाटा क्यों हुआ, इस बारे में अलग–अलग तरीकों से दोनों विभागों को मैं जोड़ते हुए अपने कुछ विचार रखना पसन्द करूंगा।

सबसे बड़ी बात जो हमने देखी और जो दोनों विभागों के लिये लागू है कि उन दोनों डिपार्टमेंट्स को सिविल एड्मिनिस्ट्रेशन के आधार पर चलाया गया, जो ठीक नहीं था। यह कार्मशियल बेसिस पर चलाने चाहिये थे और इनके कार्मशियल अकाउन्ट्स भी उसी प्रकार बनाने चाहिये थे जिस प्रकार कि अन्य व्यापारिक संस्थाओं के बनते हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर सिविल अकउन्ट्स तैयार किये जाते हैं तो उसमें कई खामियां होती हैं, सबसे बड़ी कमी यह होती है कि समय पर आडिट नहीं होता। व्यापारिक संस्थाओं का मुख्य लक्ष्य और दक्षता का नमूना यह है कि कन्करीट आडिट समय–समय पर जो चीजें बेची जाती है, खरीदी जाती हैं, उसी प्रकार से आडिट नहीं होता है तो कोई व्यापारिक संस्था नहीं पनप सकती।

(श्री शोभाराम)

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने यह फैसला किया है कि दोनों डिपार्टमेंट व्यापरिक स्तर पर कार्माशियल बेसिस पर चलाये जायं और उसी प्रकार से उनका हिसाब किताब रखा जाय और इसमें भी कन्क्रीट आडिट का सिस्टम एक तरह से लागू किया जाय।

अब मैं भेड़ व ऊन विभाग ने जो पिछले पांच, चार साल में कार्य किया है, उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। यह ठीक है कि लाखों का उसमें नुकसान हुआ, इसके कारणों में मैं फिर जाऊंगा......

(४.५० म.प.)

(**श्री केदारनाथ शर्मा** सभापति पदासीन)

दो हिस्से हैं इस विभाग के लक्ष्य के, जहां हम इन भेड़ पालकों को जो उनका शोषण बीच के आदमियों से होता है, उससे बचाना चाहते हैं, वहां दूसरा लक्ष्य हमारा यह है कि भेड़ उद्योग को किस प्रकार पनपायें, आर्थिक स्तर को आहिस्ता आहिस्ता कैसे ऊंचा करें, ताकि उन इलाकों का जहां दूसरे उद्योग नहीं हैं, जो कृषि उत्पादन में हिस्सा नहीं लेते हैं, उनका जीवन स्तर कैसे ऊंचा हो। इन दो लक्ष्यों को ले कर इस डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी।

जहां तक कि इस उद्योग को पनपाने का सवाल है, भेड़ डेवलपमेंट का सवाल है, भेड़ की ऊन कतरी जाती है उसकी क्वालिटी कैसे इम्पूव हो, यह डिपार्टमेंट का दूसरा हिस्सा है। दूसरा यह है कि जो खरीददारी भेड़ पालकों से करते हैं, उसे पूरा खर्चा लगाकर बेचते हैं तो उसमें घाटा नहीं होना चाहिए।

यह ठीक है कि जहां तक खरीददारी का ताल्लुक था, हमने देखा कि पहले जो एक प्रथा थी और कई जिलों के अन्दर यह भेड़ पालने वाले किसान, गांवों के लोग बसे हुए एक जगह पर नहीं थे तो निश्चित तरीके से दिमाग में यह बात आई कि छोटे कर्मचारियों से ऊन को खरीदा जाय और मैं आपको बताऊं कि उस जगह पर गड़बड़ी नजर आती है, और इस गड़बड़ी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह हो सकती है कि इतनी ज्यादा तादाद में ऊन खरीदने वालों को जहां हम अपनी तरफ से ऊन खरीदने का मौका दें, इसलिये उसके फलस्वरूप घाटा होता है उसको बर्दाश्त करते रहें, इस प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है।

दूसरा जो माप दण्ड......

श्री डूंगाराम राजोरिया : यह ऊन लेते हैं भेड़ पालकों से, उसको अधिकारी लोग भेड़ पालकों से सीधे नहीं लेकर व्यापारियों से लेते हैं......

श्री शोभाराम : मैं आ रहा हूं। दूसरे जो आपने कहा जो हमने बीच में परचेज किया, वह बन्द कर दिया, वह अब नहीं करते, अभी पिछले महिने हमने फैसला किया कि जो व्यापारी भेड़ पालकों से ऊन खरीदते हैं उनसे ऊन नहीं खरीदी जाय, सीधे भेड़ पालकों से खरीदी जाय, ऐसा फैसला हो चुका है।

श्री भैरोंसिंह : यह फैसला कब था कि व्यापारियों से ऊन खरीदी जाय ?

श्री डूंगाराम राजोरिया : इससे पहले भी यही था कि डिपार्टमेंट ऊन उन्हीं भेड़ पालकों से सीधे खरीदे । पहले ऐसा नियम थोड़े ही था कि व्यापारियों से ऊन खरीदी जाय । यह तो गवर्नमेंट के जितने अधिकारी थे उन्होंने डायरेक्ट ऐसा सिस्टम चलाया कि अपने कमिशन एजेंट ऐसे व्यापारियों को बना लिया, डिपार्टमेंट ने उन व्यापारियों से ऊन खरीदी और बीच में मुनाफा खा गये, यह प्रणाली अपनाई है आपके डिपार्टमेंट ने भेड़ पालकों से ऊन नहीं खरीदी गई ।

श्री शोभाराम : मैंने निवेदन किया कि जब इस विभाग की स्थापना हुई तो शुरू में भेड़ पालकों से ऊन खरीदी जाती थी, बीच में ऊन के व्यापारियों से ऊन खरीदने का तरीका अख्त्यार किया......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्यों किया ?

श्री शोभाराम : इसलिए किया कि भेड़ पालकों से सीधे ऊन खरीद की जाती थी उससे जितनी मात्रा में ऊन उपलब्ध होनी चाहिए थी वह उपलब्ध नहीं हुई इसलिए यह फैसला किया । इसको देखा तो इस नतीजे पर पहुंचे कि इस तरीके से भी हम इस डिपार्टमेंट को नहीं चला सकते, इससे फायदा नहीं उठा सकते ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह फैसला किसने किया, डिपार्टमेंट ने किया या गवर्नमेंट ने ?

श्री शोभाराम : मै आ रहा हूं । मैं पहले अपनी बात कह दूं, फिर जो आप प्रश्न करेंगे उनका जवाब दूंगा ।

तो एक तो यह पोइन्ट है । दूसरे चाहे दुग्ध वितरण......

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूँगा.........

श्री सभापति : बाद में पूछें ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : जो पहले तरीका था डिपार्टमेंट का ऊन लेने का, वह सीधे भेड़ पालकों से लेने का था, उस तरीके में कोई चैंज हुआ नहीं । वह तो आप कह रहे हैं कि ज्यादा ऊन की आवश्यकता थी इसलिए ऐसा किया । पर अब क्या कर रहे हैं ? अब भी वही पोजिशन होगी जो पहले हुई है । इस वजह से आपको ऊन का काम छोड़ देना ही ठीक है, ऊन का काम करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा ।

श्री शोभाराम : पहले मुझे समाप्त कर लेने दीजिये, फिर आप प्रश्न करेंगे तो जवाब दूंगा । मैं कह रहा हूं. मेरे कहने के बाद भी प्रश्न करने की आवश्यकता हो तो आप फिर प्रश्न करें, मैं जवाब दूंगा ।

अभी सवाल हुआ कि दूसरी जो इसमें कमी है, अगर हम कार्मशियल बेसिस पर इस डिपार्टमेंट को चलाना चाहते हैं, जहां तक कि खरीद-फरोख्त का सवाल है तो खर्चे का मापदण्ड, ट्रान्स्पोर्ट चार्जेज, वूल ग्रेडिंग सेंटर्स, सेल्स टैक्स यह सब खर्चा जोड़ने के बाद मापदण्ड तय हो जाना चाहिये ।

तीसरी बात यह है कि बिक्री होती है

(श्री शोभाराम)

तो बिक्री के सिलसिले में क्या होता है, बिक्री और खरीददारी दोनों एक तरीके से जोड़ी जाती है। जो खर्चा होता हैं उसको काटने के बाद नफा नुकसान का पता लग जाता है।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी ? सदन का समय जब तक मांग पूरी नहीं हो, बढ़ाया जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टाइम फिक्स कीजिये, ये तो घूमते ही रहेंगे।

श्री शोभाराम : जितने भेड़ पालक हैं, उनकी सहकारी समितियां बना दी जांय।

(५ म. प.)

और सहकारी समिति के माध्यम से यह ऊन खरीदी जाय। अब इसमें प्रश्न उत्पन्न होता है कि स्थानीय व्यापारी के चुंगल से भेड़पालक कैसे मोक्ष प्राप्त करे। उसमें देखा गया कि आखिर जब विभाग ऊन खरीदने जाता है तो निश्चित तौर से एक ही मौके पर सम्पर्क स्थापित होता है और भेड़पालक को साल में ४ बार या १०-१२ बार रुपए की जरूरत पड़ती है चाहे लड़कों की फीस के लिए या छोटे मोटे त्यौहार के लिए। उस रुपए को लेने के लिए उसको व्यापारी के पास जाना पड़ता है तो कोई सहकारी समिति की जब तक इस प्रकार की व्यवस्था न हो कि उसके रिवोल्विंग क्रेडिट के आधार पर समय-समय पर वह रुपया मिलता रहे तब तक मैं समझता हूं कि न केवल मार्के-टिंग्स को आपरेटिव सोसाइटीज ही बल्कि इस प्रकार की सोसाइटीज जो बनेगीं, काम-याब नहीं हो सकती।

प्राइमरी मार्केटिंग सोसाइटीज के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि जहां कई बार यह बात आई कि क्रेडिट को किस तरीके से मार्केटिंग से जोड़ना चाहिए तो वहां पर प्रश्न उपस्थित हुए कि जो किसान व्यापारी के पास आते हैं उनसे उनका संबंध अटूट है रुपए का। इसलिए हम चाहते हैं कि उनकी रिवोल्विंग क्रेडिट तय करने के लिए हर भेड़पालक के पास कितनी भेड़ें हैं, मार्केटेबुल सरप्लस के आधार पर जितना वह बेचता है उसकी क्या कीमत होती है उस आधार पर कुछ उसकी रिवोल्विंग लिमिट मुकर्रर हो जानी चाहिए और क्रेडिट के अन्दर समय समय पर जब उनको और रुपए की जरूरत पड़े ५० या १०० रुपए, तो उसको रुपया मिलता रहे और वह जमा कराता रहे। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती तो भेड़पालक...

श्री दौलतराम सारण : अगर ओले आ गए और एक ही दिन में सब भेड़ें मर गई तो क्रेडिट लिमिट का क्या होगा ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : अमेरिका वाले हमसे कब रुपया मांग रहे हैं ?

श्री शोभाराम : उस समय का क्या किया जायगा यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन रिवोल्विंग क्रेडिट को आधार मान-कर हम चलना चाहते हैं।

वूल ग्रेडिंग सेंटर्स के बारे में दो तीन प्रकार की बातें कही गई। जो स्थानीय व्यापारी काम करता है, उस व्यापार को

(श्री शोभाराम)

ठीक करने के लिए दो तीन कल्पनायें चलती हैं और मैं समझता हूं कि मामला राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। इस सम्बन्ध में जो कुछ भी फैसले किए जाय, उन के परिणाम स्वरूप दो तीन बातें होनी चाहिए। पहली तो कार्मशियल बेसिस पर चलते हुए इसमें नुकसान न हो। दूसरा यह कि परचेजिज में जो अनियमिततायें हुई हैं, कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं, उनकी गुंजाइश न हो। तीसरी बात जो मौके पर काम्पटीशन होती हैं व्यापारियों के मारफत जब मार्केट में आते हैं वह हेल्दी नहीं होती है तो उस अन्हेल्दी काम्पटीशन से भेड़पालकों को कैसे दूर कर सकते हैं।

इसके लिए कई प्रकार की बातें सामने आती हैं और उसमें ग्रेडेड या अन्ग्रेडेड का व्यापार हो, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसमें राज्य सरकार को फैसला करना पड़ेगा। अगर नियंत्रित तरीके से इस व्यापार की कार्यप्रणाली को ठीक नहीं कर सकते तो मैं मानकर चलता हूं निश्चित तौर से भेड़पालक के मुकाबलें में स्थानीय व्यापारी के सामने उनको झुकना पड़ेगा और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती।

दूध वितरण योजना के बारे में दो बातें आपसे कहना चाहता हूं। क्या हुआ ? कार्मशियल बेसिस पर अकाऊंट रखने की बात हम तय कर चुके। अब इसमें हमारा जो प्लांट लगा...

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : दूध वितरण योजना से पहले जो मैंने बजट स्पीच में इस ऊन की खरीद के सम्बन्ध में बुकिंग और ए० सी० बिल्स० के एडवान्सिज के सम्बन्ध में प्रश्न उठाए थे, वित्तमन्त्री ने अपने भाषण में कहा था कि मन्त्री महोदय जब उनके सम्बन्धित विभाग की चर्चा होगी, इस प्रश्न का उत्तर देंगे। आपने उस सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं कहा।

शोभाराम : शीप एण्ड वूल विभाग में जो लाखों रुपए की हानि हुई, अ नियमितताये हुई, घोटाले हुए, दोनों विभागों के बारे में हम क्या एक्सन ले रहे हैं, वह अर्ज करूंगा। शीप एण्ड वूल विभाग के हमारे पास ६६ मामले हैं जिनमें ६०–६२ आदमी इन्वाल्व्ड हैं और उनमें से करीब ४० के ऊपर आदमी मुअत्तिल कर दिए गए हैं। यह जो कुछ कार्यवाही की गई है पिछले ६ महिने में की गई है। इनमें जिनमें पुलिस केस बनता है तो ऐसे केसेज बनेगे उनका चालान होगा और क्रिमिनल केसेज चालू होंगे। यदि अनियमततायें ऐसी हैं जिनमें पुलिस का बस चल नहीं सकता, वहां रकम वसूली की कार्यवाही की जायगी और डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जायगा।

(५.५ म.प.)

(श्री पूनमचन्दविश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासी)

श्री भैरोंसिह : पिछले तीन चार वर्षों में जबसे आपने इन्टीग्रेटेड प्लान को अपने हाथ में लिया है शीप एण्ड वूल के बारे में उस समय तक बुकिंग में इतने जो एडवान्स किया गया था, उसके अगेन्स्ट में कितना जेनुयन्ली वितरित किया गया, एडवान्सेज ए०सी० बिल्स के अगेन्स्ट इन टाइम कितने जमा हुए और कितने रुपये के अकाउंटस सब्मिट नहीं किए गए। इसी प्रकार वूल

(श्री भैरोंसिंह)

परचेजेज और बाद में ग्रेडेशन जो वूल एक्चूअली परचेस की और ग्रेडेशन के बाद में बची उसके वजन में कितना अन्तर रहा? उस मामले में राज्य सरकार को कितना घाटा रहा ?

श्री शोभाराम : उससे १४:५४ लाख का करीब जो घाटा हुआ...

श्री भैरोंसिंह : यह ऊन के ट्रेड में हुआ। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड्स के कारण हुआ, ए०सी० बिल्स के अगेन्स्ट एडवांस किया गया, उसके अकाउंटस सब्मिट नहीं किए गए, वह कितने रुपये के सब्मिट नहीं किए गए ? जो बुकिंग के नाते एडवांस किया गया कितने रुपये वास्तव में शीपब्रीडर्स को मिले और जो नहीं मिले उनके अकाउंटस के बारे में जानकारी क्या है ?

श्री शोभाराम : तारीख २१ को मैं बताऊंगा फैक्ट्स एण्ड फिगर्स इकट्ठे कर रहे हैं। पशुपालन की जब मांग आएगी तो मैं आपको घाटे की रकम और एडवान्सेज के बारे में बताऊंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : शीप एण्ड वूल डाइरेक्टर उस समय कौन थे जब ये घोटाले हुए ?

श्री भैरोंसिंह : मैं नाम बता दूं ? राजा निरंजन सिंह।

श्री रामनारायण चौधरी : बताइये कौन थे ?

एक माननीय सदस्य : वही सहकारिता वाले।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं मंत्री महोदय के मुंह से सुनना चाहता हूँ।

श्री शोभाराम : जिन अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया, उन दिनों में राजा निरंजनसिंह इसके संचालक थे दो साल तक थे, उसके बाद थोड़े दिनों के लिए श्री जोसिफ थे।

श्री रामनारायण चौधरी : राजा निरंजनसिंह को दो महकमे थे, एक सहकारिता और दूसरा शीप एण्ड वूल। तो वह इस महकमे को देख नहीं सके, इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और सारे घोटाले उनकी देख रेख में हुए।

श्री हीराभाई : मंत्री महोदय बतायेंगे कि उस समय डाइरेक्टर कौन थे। खैर यह तो बता दिया लेकिन आप बता सकते हैं कि उस समय मंत्री इनचार्ज कौन था ?

श्री शोभाराम : यह तो आप लोगों को मालुम है।

श्री हीराभाई : आपने चार्ज लिया उससे पहले कौन था, आपकी जानकारी होगी।

श्री भैरोंसिंह : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिन ६२ व्यक्तियों के खिलाफ आप डिसीप्लिनरी एक्शन ले रहे हैं या जांच करवा रहे हैं, क्या यह सही है कि ६२ कर्मचारी या अधिकारी जो भी हैं उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जिनको अनियमित रूप

(श्री भैरोंसिंह)

से भूतपूर्व डाइरेक्टर ने नियुक्त किया था ? डाइरेक्टर ने अपने आदेश से सारे रुपए एडवांस में दिलाए और अकाउंटस मेन्टेन नहीं कराए ?

श्री शोभाराम : एडवांसिज के संबंध में पूरी जानकारी परसों दूंगा । इसलिये दूसरी बात जो अनियमितताओं के बारे में है, उसकी इन्क्वायरी हो रही है, इन्क्वायरी का नतीजा आयेगा जब देखेंगे कि किस पर यह जिम्मेदारी होती है । उस समय ही आपको बता सकूंगा कि किस-किस की कितनी-कितनी जिम्मेदारी थी माननीय रामचन्द्रजी आर्य ने एक प्रश्न किया है शेयरिंग मशीन के बारे में । मैंने विभाग से जानकारी की है तो इसमें यह पाया है कि वह इसके लिये स्पेशल फन्ड था ।

श्री रामचन्द्र आर्य : ऊन काटने की मशीन है जो विभाग के बिना मंजूरी के खरीदी गई है ।

श्री शोभाराम : दूसरा प्रश्न वूल पेक्स के बारे में कहा । इसकी जानकारी मेरे को नहीं है । टेन्डर से खरीदे गये या बिना टेन्डर से खरीदी गई । वूल पेक्स के बारे में मेरी जानकारी नहीं है । वूल पेक्स के कागज मेरे पास शाम को आये थे, मैं पूरी जानकारी नहीं कर पाया हूं । मैं माननीय सदस्य को जानकारी करके जल्द से जल्द या तो रिटन में या इसका उत्तर दे दूंगा किसी वक्त सदन में । मैं दुग्ध वितरण योजना के बारे में जिक्र कर रहा हूं । इसमें दो प्रकार की खामियां नजर आती हैं एक तो हमारे प्लान्ट की जो केपेसिटी है वह ३० हजार लीटर की है उसके मुकाबले में ६ हजार लीटर यहां दूध उपलब्ध होता है । यह यहां के आसपास के इलाकों से ही प्राप्त होता है । अभी यह योजना चल रही है कि चार हजार लीटर के करीब बीकानेर से सम्बन्ध स्थापित करके खरीदा जाय ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बीकानेर का दूध अच्छा होता है क्या ?

श्री शोभाराम : अच्छा होता है या नहीं लेकिन मेरी यह मान्यता है कि अगर उपलब्ध होता है तो लेना चाहिए । दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज है, मैं यह मानता हूँ कि उसमें हमको कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि उन पर ज्यादा खर्च होता है ऐडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज पर । उन पर कम खर्च हो । इस प्रकार के दोनों फैसला करने के बाद इसको सुचारू रूप से चला सकेंगे । इस प्रकार की योजना सोच रहे हैं । इस सम्बन्ध में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री दौलतराम सारण : बीकानेर का दूध इकनामिक पड़ेगा क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वहां का दूध अच्छा होता है ।

श्री शोभाराम : वह इकनोमिक पड़ेगा या क्या लेकिन मई जून में ज्यादा उपलब्ध होता हैं । मान लीजिये अगर वह इकनोमिक नहीं पड़ेगा तो हम दूसरे जरिये से एक दो महीने में फैसला कर सकेंगे । इसमें मैं आपको बताऊं कि जो लोगों ने कहा है कि वह घाटे में चलता है, यह कोई बात नहीं है घोटाले का जो प्रश्न है वह गड़बड़

(श्री शोभाराम)

का प्रश्न है, जिसको हम एम्बेजलमेंट कहते हैं, मिस-अप्रोप्रियेशन कहते है। हमारा अभी जो आडिट हुआ है ६६ से पहले तक का उसमें कोई गबन नहीं बताया गया है और ६६ के बाद मई ६७ तक का जो आडिट हुआ उसमें ५ हजार का एक गबन का मामला बताया। इसमें दो आदमियों को सस्पेन्ड कर रखा है और उस केस को पुलिस में दे दिया है। इसमें केवल ५ हजार की रकम है। मैं इसलिये अर्ज कर रहा हूं कि कुछ तो गलत ढंग से डिपार्टमेंट को चलाने के परिणामस्वरूप और ऐडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज ज्यादा होने की वजह से है। दूसरे कॉर्मशियल बेसिस पर न चलाने से भी नुकसान हुआ है। यह अलग हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जिसमें गड़बड़ की, एम्बेजलमेंट किया उस हिस्से की तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया।

अब मैं एक बात कीटाणुओं के बारे में कहूंगा। सदन में कई बार इस प्रकार के प्रश्न उठाये जाते हैं कि कीटाणुओं से फसल खराब हो गई। मं यह बताना चाहता हूं कि इस वर्ष हमने ६६ लाख एकड़ पर ऐपेडेमिक–चूहे मारने की दवा छिड़की है। इस तरह ७४ लाख का इसके लिये प्रोविजन है। ४० लाख तो ३१ दिसम्बर तक खर्च किये उसके बाद रवी की फसल में जो कीटाणु लगे–इसके बारे में मैं माननीय सदस्यो का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि बात क्या होती है कि कुछ बीमारी एक दफा लगने के बाद उसका उपचार ठीक वक्त पर नहीं हो पाता है और उस समय फसल को नहीं बचाया जा सकता है। कृषि विभाग की तरफ से यह प्रिवेन्टिव मेजर के तरीके जो हर किसान दिलचस्पी लेना चाहते है कि कौन कौन से प्रिवेन्टिव मेजर कौन कौन सी फसल को किस किस टाईम पर उन दवाओं का प्रयोग करना चाहिये, यह कर लेता है तो काफी नुकसान होने से बच जाता है। क्योंकि बिमारी का ठीक पता नहीं लग पाता है और इससे सारी फसल दवा पहुंचाने तक नष्ट हो जाती है। अभी पिछले सप्ताह में यह खबर आई कि चने में रोली लग गई और २० प्रतिशत का नुकसान हो गया। खास तौर से मूंगफली में व्हाईट केप लग जाता है। अगर कोई दवा लिक्विड तरीके से प्रयोग की जाती है तो वह जमीन के नीचे चली जाती है। कृषि विभाग की तरफ से इस प्रकार की पब्लिसिटी हो कि किस प्रकार की दवा किस समय किसान को इस्तेमाल में लेनी चाहिये। मैं सदन के सामने अर्ज कर देना चाहता हूं कि युक्लिसिड दवा है, उसमें काफी गति आई है। ६६-६७ के मुकाबले ६७-६८ का जो प्रोग्राम है वह करीब करीब ज्यादा था और ६८-६९ का जो प्रोग्राम है, अगर आप आंकड़े देखेंगे तो खुद कहेंगे कि कई गुना ज्यादा हैं। मैं निश्चित रूप से यह मान कर चलता हूं और यही अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो बीज की व्यवस्था है। हम क्या व्यवस्था करते हैं इसके लिये मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि या तो हम नेशनल सीड कार्पोरेशन से लेते हैं या रजिस्ट्रार से। इसको ज्यादातर पंचायत समिति के माध्यम से बिकवाने का प्रबन्ध करते हैं। सीड़ का जो एस० एस० २७ है वह गत वर्ष उपलब्ध नहीं थी और फिर भारत सरकार की नेशनल सीड कार्पोरेशन के पास भी नहीं

(श्री शोभाराम)

थी तब हमने यह फैसला किया कि पंचायत और पंचायत समिति को ।

श्री दौलतराम सारण : इसमें एक बात का ध्यान रखें कि दादर गर्व नाम से एक बिमारी है जो बाजरे में लगती है । इसमें जिसने सुपर फास्फेट इस्तेमाल किया उसके ही यह बिमारी लगी है और जिसने यह इस्तेमाल नहीं किया उनके नहीं लगी है । उदाहरण के रूप में बता रहा हूं कि हरिश्चन्द्रजी और भीमसिंहजी मंडावा है । हरिश्चन्द्रजी के खेत में यह बिमारी नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने सुपर फास्फेट इस्तेमाल नहीं किया किन्तु भीमसिंहजी ने सुपर फास्फेट का इस्तेमाल किया तो उनके यह कीड़ा लग गया और बोरूदा में भी दो सौ एकड़ की सारी खेती नष्ट हो गई । इसलिये मेरा निवेदन है कि जिन्होंने इसको इस्तेमाल नहीं किया, उनके नहीं लगा और जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया उनके यह कीड़ा लग गया तो इसकी पहले जाच करवायें ।

श्री शोभाराम : जो सूचना मिली है, वह इस प्रकार की नहीं है कि राजस्थान व्यापी हो ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आबकारी मंत्री जी ।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मंत्री महोदय बतावें कि मिल्क डेयरी में जिसमें लाखों रुपयों का सरकार को नुकसान हो रहा है उसका क्या कारण है ? इस घोटाले के बारे में आप जाँच करवायेंगे ? या खुद इसको देखेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : खुद यदि देखेंगे तो पोर्टफोलियो बदल जायगा फिर यह पोर्टफोलियो नहीं रहेगा ।

श्री आलमअली : म्हारो भी एक प्रश्न है कि आप इस घोटाला री जांच कुंणसूं करवावो ला ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैने ऊन के बारे में घोटाले का जिक्र किया आप उसकी जांच किससे और कब तक करवा लेंगे । आप जिस जिस चीज का व्यापार अपने हाथ में ले लेते हैं सभी में घोटाला ही घोटाला है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मरवा लावा जो बीमारी होती है उसको आप किस तरह नष्ट कर सकते हैं ?

श्री रामकिशन : किटाणु नाशक दवाइयां जो आप बतलाते हैं मैंने भरतपुर के इलाके में देखा है जहां जहां भी ये दवाइयें स्प्रे को गई हैं उन दवाइयों से वो कीड़े तो नष्ट नहीं हुए उससे चिड़ियां, मोर आदि अन्य जानवर मर गये हैं क्या आपको यह पता है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सारे किटाणु क्या भरतपुर में ही आगये हैं ?

श्री शोभाराम : किटाणु नाशक दवाइयों के छिड़कने से नाना प्रकार की चिडियां और मोर आदि मारे गये हैं यह जानकारी मुझे नहीं है इस प्रकार का कोई डेमेज नहीं हुआ हैं ।

श्री रामकिशन : जिस उद्देश्य से छिड़की गई उससे वह उद्देश्य तो पूरा नहीं

Page No.143

(श्री रामकिशन)

हुआ दूसरे जानवर मोर आदि उससे मारे गये हैं।

श्री शोभाराम : यह जानकारी मुझे नहीं है।

श्री रामकिशन : आप कमी मंडल कांग्रेस कमेटी में भाग लेने पधारे तब आप आकर देखिये नहीं तो आप मेरे साथ चलिए मैं बता सकता हूं। मैं प्रमुख के नाते उस इलाके में गया था वहां के लोगों ने मुझ से कहा है।

श्री शोभाराम : वहां के लोकल आदमियों ने मुझ से तो यह नहीं कहा।

श्री रामकिशन : मुझे क्या आप अमेरिकानासी मानते हैं मैं भी वहां का लोकल आदमी हूं। मैं प्रमुख के हैसियत से गांवों में गया लोगों ने मुझसे कहा है कि मोर विड़िया आदि जानवर मर गये चेपा नष्ट नहीं हुआ।

श्री रामचन्द्र आर्य : जिन घोटालों के बारे में मैंने निवेदन किया उसकी जांच करवाई जाय।

श्री आलमअली : जांच करवा वालो कुण आफिसर होगो आ माननीय मंत्री महोदय बतावे ?

श्री विजयसिंह रावत : मैं कृषि मंत्रीजी से जानकारी चाहता हूं आपने किटाणु नाशक दवाइयों का जिक्र किया मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे इलाके में जीरे की फसल में एक प्रकार की बीमारी लग गई उसके लिये आपके विभाग ने कोई दवा का आविष्कार किया है क्या ? जीरा वहीं बोया जाता है जहां पानी की कमी होती है, उस जीरे में बीमारी लगने की बात किसान लोग करते हैं उससे उनका अन्दाजा है कि जितना बीज उन्होंने डाला है उतना भी जीरा वे प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जीरे की बीमारी को नष्ट करने के लिए आपके विभाग ने कोई दवा का आविष्कार किया है। मैंने अजमेर के कृषि प्रसार अधिकारी से बातचीत की उन्होंने कहा कि जीरे की बीमारी को नष्ट करने के लिए कोई औषधि नहीं है क्या आप विभाग को इस बारे में कोई ईदवा जाद करने के लिये बाध्य करेंगे।

श्री शोभाराम : दवाइयाँ जो हर रोग के लिये हैं वे प्रेसक्राइब्ड हैं। ऐसे रोग जिनकी कोई दवा निकली नहीं है उसकी उपलब्धि का सवाल नहीं है। मैं समझता हूँ राजस्थान के अन्दर ऐसा प्लान्ट लगाया जाय जिससे दवाइयों की पूर्ति हो सके तो अच्छा रहेगा।

श्री दौलतराम सारण : आपकी सिन्सीयेरिटी में कोई शक नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ४० राजकीय व्यापार के सम्बन्ध में सिर्फ चार माननीय सदस्यों ने अपने विचार रक्खे। राज्य की अनाज खरीदने की जो नीति है जिसको माननीय सदस्य जानते हैं नो प्रोफिट लॉस के सिद्धान्त के ऊपर यह व्यापार किया जा रहा है। जैसा कि सदन के सभी माननीय सदस्यों को पता है पिछले वर्षों में राज्य में सूखे की स्थिति की वजह से हमें कई लाख

(श्री परसराम मदेरणा)

टन अनाज बाहर से मंगाना पड़ा है ताकि हम अपनी अनाज की कमी को पूरा कर सकें। यहां पर जो अनाज खरीदा गया उसका बजट एस्टीमेंट्स में उल्लेख है वह वही अनाज है जो हम आयातित गेहूं कहते है और जिसमें माइलो भी है वह भी मिलता है। यहां की वितरण व्यवस्था को ठीक रखने के लिये मक्का जवार और दूसरे प्रकार के मोटे अनाज राजस्थान से खरीद कर उपभोक्ताओं को दिया गया और इसके अलावा हमने दूसरे डेफिसिट प्रान्तों को भी अनाज भेजा है ताकि वहां भी अनाज की कमी पूरी हो सके। यह जो बजट एस्टीमेट आपके सामने है उससे पता चलता है कि राजस्थान सरकार ने अनाज का व्यापार किया है उसमें राज्य सरकार को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसमें जो घाटा है वह दूसरी वजह से है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को पता होगा कि हम अनाज किस भाव से लेते हैं और वह उपभोक्ताओं को किस भाव से दिया जाता है उस सम्बन्ध से राजस्थान सरकार की कोई नीति नहीं बल्कि भारत सरकार की जो नीति है उसी के अनुरूप हम यहां पर कार्य करते है। इसके ब्रोड एस्पेक्टस ये हैं एक तो प्रोक्योरमेंट, दूसरा डिस्ट्रिब्यूशन और वह भी इक्वीटेबल डिस्ट्रिब्यूशन, आवागमन का खर्चा, सेल का सिस्टम, और प्राइज की रिजनेबिलिटी। इसके अलावा राज्य सरकार ने लेवी के भाव तय किये। चाहे वह प्रोडयूसर से लेवी ले या ट्रेडर्स से जैसा कि इस साल किया गया था इन दोनों प्रकार की लेवी के अन्दर ध्यान रखा गया है कि एक और काश्तकार जो अनाज पैदा करता है उसको अपनी उपज का उचित दाम मिले और दूसरा उपभोक्ता को उचित दाम पर व वितरण हो। इस तरह से बेलेन्स ठीक करने की कोशिश की गई है।

मैं यह मानता हूं कि काश्तकारों से लेवी लेने के बाद जो इनसीडेन्टल ओवर हैड चार्जेज के एड करने के बाद अनाज काफी महंगा जरूर होगा इसका कारण यह हैं कि सदन में हम कानून लाये थे जिसके अनुसार प्रोड्यूसर पर लेवी लगाई थी उस समय सूखे की स्थिति को देखते हुए राजस्थान के अन्दर काश्तकारों की तरफ से मांग हुई थी और माननीय सदस्यों ने भी पुरजोर शब्दों में इस चीज को रखा था कि जो लेवी के भाव निर्धारित किये गये हैं उसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए हर वेराइटीज पर १० रुपये की बढोतरी का एलान किया गया था। उसके ओवर हैड चार्जेज एड करने के बाद राजस्थान और देश के अन्य प्रान्तों की खाद्यान्नों के मामले में परिस्थिति बदल गई। जब मार्केट रेट नीचे चला गया उसके अनुसार हम भी अपने यहां के भाव नीचे करके उपभोक्ताओं को अनाज देते हैं। उसके अलावा हमने मार्केट से भी परचेज करके उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर दिया उसके साथ फूड कोरपोरेशन से अनाज खरीदा उसको भी हमने सबसीडाइज करके अनाज बेचा है। और उस बेचने का एक ही अभिप्राय था कि उपभोक्ता को सस्ते दामों पर अन्न उपलब्ध हो सके। इस सन्दर्भ में अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य और सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो दोनों प्रकार की बात कह रहे थे उनका समाधान हो जाता है।

(श्री परसराम मदेरणा)

अनाज सस्ता मिलना चाहिए इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। इसमें कोई दो राय भी नहीं हो सकती। पर साथ ही किसान को हम उसकी मेहनत का क्या प्रतिफल दें यह भी देखना है। इसे भी नजर अन्दाज नहीं कर सकते।

अब तक इम्पोर्टेड व्हीट को सबसिडाइज्ड रेट पर दे रहे थे। पहले ६५) पर दे रहे थे। आज ७५) हो गये हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत सरकार जो अब तक करोड़ों की सबसिडी खाद्यान्न वितरण में दे रही थी वह अब सबसिडी देना उसने बन्द कर दिया है।

दूसरी तरफ काश्तकार उम्मीद भी रख रहा है कि उसको इस बार अच्छी कीमत मिले। अब तक विगत दो तीन साल के सूखे की वजह से प्राइसेज एबनोर्मली ऊपर चली गई थी उसको देखते हुए हम जब किसान को इन्सेन्टिव और रीजनेबल प्राइस देने की बात करते हैं तो कन्जूमर और किसान दोनों के हितों को सामने रख कर चलते हैं। इस दृष्टि से जो सरकार भाव निर्धारित कर रही है वे ठीक हैं। हमें दोनों के बीच में समन्वय बिठाना पड़ता है और इस लिए प्रोड्यसर पर लेवी भी लगाई। कई बार माननीय सदस्यों ने सदन में काल अटेन्शन नोटिस, स्थगन प्रस्ताव और प्रश्नोत्तर काल में इस बात पर जोर दिया कि प्रोडयूसर पर लेवी से हैरेसमेन्टे होगा और करप्शन बढ़ेगा। अब इसके अलावा हमारे पास क्या रास्ता हो सकता था? अनाज भारत सरकार स्टॉक करना चाहती है और उपभोक्ता को उचित कीमत पर देना चाहती है। इसके लिए दूसरा रास्ता यह था कि और किसान से न लिया जावे तो या तो ओपन मारकेट से लिया जावे या व्यापारियों से सीधा लिया जावे। चौथा रास्ता कोई था नहीं। इसलिए हमने ट्रेडर्स पर लेवी लगाना ही ठीक समझा। इसके लिए भाव तय किये।

कुशलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो भाव निर्धारित किये उन पर आज व्यापारी आपकी नीति के कारण अनाज खरीद ही नहीं रहा हैं किसान से। नतीजा यह होता है गुजरात में जाकर बेचना पड़ता है किसान को।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुशलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि जो कुछ जोन सिस्टम की वजह से एक स्टेट और दूसरी स्टेट के भावों में अन्तर रहना स्वाभाविक है इसका मुख्य कारण यह है कि बहुत सी स्टेटों में अलग–अलग परिस्थिति है, कोई स्टेट किसी खाद्यान्न में डेफीसिट और सरप्लस है तो दूसरी किसी और खाद्यान्न में डेफीसिट और सरप्लस है। स्टेट के अन्दर भी एक डिस्ट्रिक्ट डेफीसट है तो एक सरप्लस है। तो निश्चित तौर से सिरोही या अजमेर काफी डेफिसिट डिस्ट्रिक्ट रहते हैं उनके मुकाबले में गंगानगर जिला जो राजस्थान का सबसे सरप्लस एरिया है भावों में दोनों में काफी अन्तर रहेगा। ऐसी हालत में हमारी कोशिश रहेगी की हम सरप्लस इलाके से खरीद कर डेफीसट इलाके में दें ताकि भावों पर एक सीमा तक अंकुश रखा जा सके।

पिछले साल जो सूखे और अकाल की

(श्री परसराम मदेरणा)

स्थिति थी उसमें भी लोग जो अकाल से पीड़ित थे और सड़कों पर काम करते थे उनको अनाज वितरण की व्यवस्था भी सरकार को करनी पड़ी इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर भारत सरकार से भी हमें अन्न लेना पड़ा और इन्डिजीनस प्रोक्योरमेंट भी करना पड़ा।

कुशलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सोलह तारीख को तीन दिन पहले चीफ मिनिस्टर की कान्फ्रेन्स में सर्व सम्मति से यह राय रही और इस निर्णय से भारत सरकार को भी अवगत कराया है मन्त्री मण्डल में जल्दी उस पर फैसला होकर नीति सरकार की घोषित हो जावेगी जैसा ऐलान किया था कि कोर्स ग्रेन मक्का जवार बाजरे का राजस्थान सरकार की भी मान्यता हैं और अब के देश की स्थिति को देखते हुए और मोटे अनाज की देश भर में मांग को देखते हुऐ यह मोटा अनाज खोल देना चाहिए। अब अगर वह खुला हो जाता है तो कुशलगढ़ से आने वाले सदस्य को दिक्कत नहीं होने वाली है। जिन जिन स्थितियों में वह दिक्कत है चार चार साल से लेवी देते हैं आज लेवी देने वाला नहीं है जो भाव ट्रेडर्स से लेवी के लिए फिक्स किये थे ५०) बाजरे का, ३८।।) रुपये ज्वार के, ४७।।) रुपया पीली ज्वार के और ४८) रुपया मक्का के। हमने फूडकारपोरेशन को अपना परचेंच एजेण्ट बनाया था। फूड कारपोरेशन ने इस राजस्थान भर में २३० के करीब परचेजिंग सेन्टर कायम कियें थे। पर ओवर हैड़ और एक्सीडेन्टल चार्जेज जब बहुत बढ़ने लगे तो १५०।१५७ के करीब ही सेनटर रक्खे। नतीजा यह हुआ कि जो हमने प्राइसेज फिक्स की काश्तकारों की कई बातों को देख कर की थी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मोटे अनाज की ४२) हैं प्रोड्यूसर्स की लेवी के भाव ज्वार के ४३) बाजरा के ४५) और मक्का के ४४।।) तो फिर हमने विवश होकर प्रोक्योरमेंट की प्राइस रक्खी थी काश्तकार को इन्सेन्टिव रीजनेबल प्राइस मिले और यह सोचकर कि इस साल रिकार्ड प्रोडक्शन राजस्थान में है और वही देश भर में है और इसका असर इन भावों पर होने वाला है जो भाव एबनोर्मल थे स्केअरसिटी के वक्त थीं। तो स्केअरसिटी की वे प्राइसेज तो रहने वाली नहीं हैं। फिर सरप्लस मार्केट में आता है तो मारकेट प्राइस और इफ में भेद रहने वाला नहीं है।

नतीजा यह हुआ आज आप देखेंगे कि दो तीन जिलों को छोड़ कर करीब करीब प्रोक्योरमेन्ट प्राइस के आस-पास मार्केट प्राइस हैं। व्यापारी पर हमने लेवी लगाई एक चौथाई के हिसाब से। अब व्यापारी नहीं भी खरीदता है तो हमारी एफ.सी.आई. को साफ इन्स्ट्रकशन्स हैं कि वह खरीदे और इसके परस्यूक्शन में आज हमारे पास ५७ हजार टन लेवी का अनाज आया हुआ है। इसमें से २० हजार टन लेवी हमने डाइरेक्ट काश्तकार से खरीदी है। ताकी भाव गिरने न पावें।

तो राज सरकार की तरफ से हमेशा वह कोशिश रहती है कि काश्तकार का एक्सप्लोइटेशन न हो। इसके जो भाव तय किये जावें ऐसे होने चाहिये कि जिससे काश्तकार का उत्साह बना रहे। वे अपनी मेहनत करते हैं उसकी प्राइस उनको

(श्री परसराम मदेरणा)

रीजनेबली मिलती रहे तो वे लगातार मेहनत करते रहेंगे।

श्री विजयसिंह रावत : एक बात है।

श्री परसराम मदेरणा ; आप बाद में पूछ लें।

मैं यह मानता हूं कि हमारे पास आपरेटंस नहीं हैं मुकम्मिल तौर पर। आप बीच में डिस्टब क्यों कर रहे हैं।

श्री विजयसिंह रावत : डिस्टब आपने भी किया है।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में पूछ लेना।

श्री विजयसिंह रावत : यह जोन सिस्टम आपने तोड़ा है वह किस आधार पर तोड़ा है ?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने ओवरहैड चार्जेज के सम्बन्ध में चर्चा की थी। मैं निवेदन करूं और कनफेस भी करता हूं कि ओवरहैड चार्जज काफी ऊंचे आते हैं इसलिये उपभोक्ताओं को वितरण करते हैं तो मूल्य बढ़ जाते हैं। परमानेन्ट मशीनरी सरकार के पास नहीं है, इससे भी ये चार्जेज अधिक आते हैं। खाद्यान्नों की मोनोपोली ट्रेड सरकार के हाथ में है नहीं। जो है वह सारे खाद्यान्नों का एक परसेन्ट भी नहीं हो सकता। तो जब मशीनरी परमामेंन्ट नहीं है गोदाम और कीपिंग कैपेसिटी भी उतनी नहीं है जितनी इस व्यापार के लिये आवश्यक है फिर फाइनेन्स की भी बहुत ज्यादा इसमें जरुरत होती है इन सब दिक्कतों को देखते हुए सारे ट्रेडिंग कम्टलीली फूड ग्रेन का नहीं कर सकते जैसा पिछले साल भी हमने अनाउन्स किया था। टेम्परेरी डिफिकल्टी जब उपभोक्ताओं को होती है सूखे की वजह रे तब सरकार मैदान में आती है उन परिस्थितियों पर कन्ट्रोल न होने की वजह से और तब हम खाद्यान्न खरीदते हैं। एफ.सी.आई. का खरीदते हैं या सरकारी मशीनरी की मार्फत। और इन दोनों ही प्रकार की खरीदों में ओवरहैड और इन्सीडेन्टल चार्जेज ज्यादा आते हैं। भविष्य में कोशिश करेंगे कि यह कम कैसे हो। हम बहुत सी जगह अनाज खरीदते हैं, फूड कारपारेशन भी खरीदता है तो वहां सेन्टरिंग कैपेसिटी न होने से ट्रान्सपोर्ट वहां से क्विकली दूसरी जगह करना पड़ता है। फिर परमानेन्ट डिस्ट्रिब्यूशन की मशीनरी भी नहीं है। उसे भी स्थापित कर रहे हैं। आज जो स्थिति है रेकार्ड प्रोडक्शन इस साल हुआ है आगे भी अच्छी फसल की तीन चार साल तक उम्मीद है ऐसी स्थिति में हमने जो प्रोक्योर किया वह हमारा एक अनाज भी कन्जूमर को वितरित न कर सके। ऐसी भी स्थिति है। आज जो हमने ५६ हजार टन मोटा अनाज प्रक्योर किया है उसकी आवश्यकता आज राजस्थान में नहीं है क्योंकि मोटा अनाज जवार बाजरा वगैरह का भाव वही आ गया है आज जिस भाव पर हमने पहले खरीदा था। भारत सरकार यह चाहती थी कि जो सिंगल जोन स्टेट रहने की वजह से जिन खाद्यान्नों में स्टेट सरप्लस है वह कुछ अनाज को दूसरी स्टेट्स जो उन खाद्यान्नों में डेफिसिट हैं उनके लिए कन्ट्रीब्यूट करें। इसलिए पूरा का पूरा अनाज जो ५६

Page No.148

(श्री परसराम मदेरणा)

हजार टन हमने प्रक्योरमेन्ट के तौर पर खरीदा उसमें से २५ हजार टन के तो डिसपेच आर्डर हमारे पास आ गये हैं और बाकी के अनाज को दूसरी स्टेट्स में हम भेजना पसन्द करेंगे। इसलिए उपाध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए माननीय सदस्यों से यहीं निवेदन करुंगा कि जो खाद्यान्न का हमने स्टेट ट्रेडिंग किया है उसमें सरकार को कतई घाटा नहीं है आज जो हमारे पास अनाज के स्टाक हैं उनकी क्या पोजीशन आगे रहने वाली है, इतनी ज्यादा मात्रा में अनाज नहीं है उस का अगली साल तक क्या लेखा होगा वह तो अगली साल ही निवेदन कर सकूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि मेरी इस डिमाण्ड को पास करें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय खाद्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जोन सिस्टम तोड़ने से अनाज के भाव बगेढ़ें या नहीं? जो पुराना जोन सिस्टम था यह बिल्कुल सहीं है कि अनाज जो मोटा है ज्वार, मक्का वगैरह उसके भाव जोन सिस्टम के तेड़ने से ज्यादा बढ़ेगे। तो सकार की नीति की वजह से काश्तकारीं को नुकसान होता है और काश्तकार इससे प्रभावित हुए है। क्या सरकार आश्वासन देगी कि जोन सिस्टम तोड़ने से जो भाव बढ़ेंगें उससे काश्तकारों को भी फायदा मिलेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि मैंने अभी सदन को सूचित किया था कि यह तो चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में निर्णय था जो कि भारत सरकार के पास भेजा है। इसमें भारत सरकार ने जोन तोड़ने के बारे में निर्णय नहीं लिया है और निर्णय भारत सरकार के लेने के बाद अगर जोन खुल जाते हैं और उसकी वजह से क्या असर होगा वह मैं दो चार दिन के बाद ही बता सकूंगा आज नहीं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आज भी जनता की यही भावना है कि जोन खुलने से भाव बहुत बढ़ जायेंगे......

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा है कि तीन–चार रोज बाद में मालूम हो सकेगा कि क्या होगा।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यापारियों ने ९५ रुपये के भाव से गेहूं खरीदे और व्यापारियों के पास में चना सड़ रहा है। राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ व्यापारियों की सांठगांठ हुई हैं जोन सिस्टम तोड़ने से व्यापारियों को फायदा होगा और उससे काश्तकारों को कोई फायदा नहीं हैं। सरकार को जोन तोड़ने के पहले यह दिमाग में रखना पड़ेगा कि दूसरी स्टेट्स जो डेफिसिट हैं वहां अनाज जाने से भाव बढ़ेगे और गरीब जनता जो कि ९७ प्रतिशत ऐसी है कि जो किसान वर्ग नहीं है उसका क्या हाल होगा.........

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, लम्बा भाषण नहीं होगा।

श्री विजयसिंह रावत : हम चाहेंगे कि किसानों को भी उनकी पूरी कीमत मिले लेकिन व्यापारियों के इन्टरेस्ट को ध्यान में रखकर जोन सिस्टम को तोड़ रहे हैंगौर

(श्री विजयसिंह रावत)

जो अनाज की निकासी करते हैं तो यह भी ध्यान रखें कि २६ जिलों में से कौन कौन से डेफिसिट जिले हैं और उसके आधार पर यह सारा किया जाना चाहिए जिससे आगे जाकर फायदा मिले ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का यह आरोप कि सरकार की व्यापारियों के साथ सांठ-गांठ है यह निराधार है। जो कुछ भी फैसला राज्य सरकार ने किया है राजस्थान के काश्तकारों के हित में, राज्य के हित में और देश के हित में किया ।

श्री विजयसिंह रावत : काश्तकार की हालत को मैं जानता हूं। काश्तकार को तो पूरी कीमत मिलती है लेकिन व्यापारियों को फायदा देने के लिए आप यह कर रहे हैं ।

श्री परसराम मदेरणा: आप काश्तकार हैं और मैं भी काश्तकार हूं ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : एक प्रश्न पूछना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री गोकुलप्रसाद शर्मा के बोलने पर) आॅर्डर प्लीज आसन अपने पैरों पर है। इसमें प्रश्न अव्वल तो पूछे नहीं जाने चाहिए और अगर पूछे जायें तो विवाद में जो बातें पहले आ चुकी हैं उनके बारे में स्पष्टीकरण के तौर पर आप कुछ पूछ सकते हैं। यह नहीं कि अन्य विषय जो आपने नहीं उठाया और मंत्री महोदय ने कुछ कहा नहीं उस विषय को अभी लायें तो वह चर्चा का हिस्सा नहीं हो सकता। तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जायें ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं......

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मंत्री महोदय ने कहा......

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर, प्लीज ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं तो मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ...

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज । माननीय श्री गोकुलप्रसाद जी जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो पहले उन्हें पूछने दीजिए । हां श्री डूंगाराम ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने कहा है कि हम खाद्यान्न के भाव ज्यादा गिरने नहीं देंगे और आपकी स्पीच हुई है उसमें स्पष्ट है तो मैं यह भी नहीं कहता कि आप खाद्यान्न के भाव गिरने दें लेकिन आप यह भी बताइये कि जो गरीब तबका है उनको क्या राहत देंगे ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मंत्री महोदय ने कहा कि किसानों के लाभ के लिए और देश के लाभ के लिए यह जोन सिस्टम खोला और मंत्री महोदय किसानों के लाभ को तो समझ गये लेकिन गांव में अधिक संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो काश्त नहीं करते और अनाज खरीद कर खाते हैं। तो वह लोग जो गांवों में खरीद कर खाने वाले हैं और उनके अलावा शहरों में भी ऐसे लोग ३५ लाख के करीब हैं तो उन लोगों

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

के लाभ के लिए मन्त्री महोदय ने क्या सोचा ? ठीक है गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स को तो आप मंहगाई भत्ता दे देंगे लेकिन करोड़ों की तादाद में जो यों ही रह रहे हैं कोई प्राईवेट सेक्टर में काम करने वाला है तो कोई मजदूरी करने वाला है उनके लिए आप कभी सोचने वाले हैं या नहीं और उनके लिए आपने कुछ सोचा या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : अनाज खरीद कर बेचने वाले किसान आज बहुत कम हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आर्डर, आर्डर आपने अपनी बात कह दी। इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। (श्री गोकुलप्रसाद शर्मा के बोलते रहने पर) आॅर्डर, आॅर्डर।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : वह किसान जिसके बहुत ज्यादा पैदा होता है आप उन्हीं का भला सोचते हैं या गरीब किसानों का भी सोचते हैं ?

श्री जगन्नाथ पटेल : अश्रव्य।

श्री रामनान्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस साल जो रबी की फसल अच्छी हो रही है आपके भाषण से यह पता नहीं लगा कि अगले वर्ष के लिए आप कोई बफर स्टाक बनाना चाहते हैं या नहीं या कितना टार्गेट रखकर आप गेहूँ या जौ इकट्ठा करना चाहते हैं स्टेट के डिस्पोजल पर या आप यह मानकर चल रहे हैं कि चूंकि फसल अच्छी होगी इस साल हमें कोई बफर स्टाक बनाने की आवश्यकता नहीं है ? इस स्थिति का स्पष्टीकरण आप करें।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक गरीब उपभोक्ताओं का प्रश्न है वह मोटा अनाज खाते हैं और मोटे अनाज के जो भाव पिछले चार सालों में रहे हैं मैं समझता हूँ कि वह ४८ और ५० रुपये के बीच में केवल एक दो जिलों को छोड़कर सारे राज्य में प्रचलित हैं और राज्य सरकार का ऐसा मानना है कि यह जो भाव हैं यह गरीब से गरीब आदमी के लिए भी उचित भाव हैं और वह उनको परचेज कर सकता हैं। गरीबों को राहत मिल सके और उनको उचित दाम पर खाद्यान्न मिल सके इसको राज्य सरकार ने हमेशा ध्यान में रखा है।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने रबी के प्रक्योरमेन्ट के बारे में पूरे देश में इस साल गेहूँ का टार्गेट जो भारत सरकार ने प्रक्योरमेन्ट का रखा है वह करीब २ मिलियन टन है और उसमें से ७५ हजार टन का राजस्थान के लिए टार्गेट रखा है जो हमने स्वीकार किया है। हम रबी में प्रक्योरमेन्ट नहीं करना चाहते या बफर स्टाक नहीं बनाना चाहते निश्चित रूप से भारत सरकार भी बफर स्टाक बनाना चाहती है और राज्य सरकार को जो टार्गेट दिये हैं उनको पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार को आश्वासन दिया है और उसी के अनुसार हम भी हमारे यहां पर जो गेहूँ है गेहूँ का जोन नहीं खोला है, गेहूँ के मामले में राजस्थान सिंगल जोन स्टेट है और जहां तक जौ की

(श्री परसराम मदेरणा)

बात है तो जौ की हमारे यहां ज्यादा खपत नहीं है और जौ के भाव गिरे हैं और इसके साथ ही साथ जो पैदा करता है पहले खरीफ की फसल लेता है और जौ पैदा करता है।

वह बड़ी मेहनत के साथ में पैदा करता है, और राजस्थान में बहुत ज्यादा भाव गिर गये थे और दूसरे राज्यों में जौ की मांग है और राजस्थान में इतनी जौ की मांग नहीं है और सिर्फ दो-तीन जिलों में ही बेजड़ की रोटी खाते हैं तो जौ जो होता है उसका उचित दाम काश्तकारों को नहीं मिलता, इसलिए चने के मामले में और जौ के मामले में मुख्यमंत्री सम्मेलन में यह निर्णय किया गया कि पूरे देश का एक जोन हो जाना चाहिए।

श्री रामकिशन : यह जानकारी और दे दें कि जो अनाज बाहर भेजा जा रहा है और जो आपने प्रोक्योर किया है इसको आप व्यापारियों को देंगे या स्टेट गवर्नमेंट को देंगे, और जिन स्टेट गवर्नमेंट्स को देंगे और उनके पास यह जायेगा वे इसको किसी रेट कन्ट्रोल पे बेचेंगे या बाजार की रेट से बेचेंगे, इसका क्या फैसला हुआ?

श्री परसराम मदेरणा : जो कुछ भी अनाज राजस्थान में पिछले वर्ष में प्रोक्योर किया गया है वह किसी व्यापारी के जरिये बाहर नहीं भेजा गया है। वह स्टेट टू स्टेट एकाउन्ट पर भेजा है और जो स्टेट टू स्टेट एकाउन्ट पर भेजा है तो स्टेट टू स्टेट एकाउन्ट की रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में इक्विपियेन्ट प्राइसेज क्या होना चाहिए यह भारत सरकार तय करती है और इसी पर सरकारी प्राइसेज निर्धारित रखी जाती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्रीजी।

श्री मथुरादास माथुर (वित्तमंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२—बिक्रीकर, इस पर ४४ कटौती प्रस्ताव आये थे। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं इन सब कटौती प्रस्तावों पर जो प्रस्तुत किये जा चुके हैं रोशनी डालूं तो मेरे लिए इस थोड़े से समय में कठिन होगा। मैं जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार सदन में रखे हैं उनके उठाये हुए मुद्दों पर जरूर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, बिक्री कर के सम्बन्ध में दो-तीन बड़े-बड़े मुद्दे उठाकर खास तौर से इन कटौती-प्रस्तावों के जरिये से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। एक तो यह है कि बिक्री कर के अन्दर और बिक्री कर की वसूली में सरलीकरण होना चाहिए। यह बात सदन में आज ही नहीं, बल्कि दो साल से बराबर मैं देखता आ रहा हूं कि माननीय सदस्यों की यह भावना और इच्छा रही है। दूसरा यह है कि बिक्री कर के सम्बन्ध में हमारे अफसरों का जनता और व्यापारियों के साथ में अच्छा बरताव रहे, और उसमें कोई कमी हो तो उसके बारे में माननीय सदस्यों ने राज्य सरकार का ध्यान खींचा है। तीसरा यह है कि बिक्री कर हमारे यहा दूसरे राज्यों के मुकाबले में ज्यादा न हो, जिसकी वजह से हमारे ट्रेड का बैलेन्स न बिगड़े, और व्यापारी को हानि न हो, और राज्य सरकार को भी उनके कर की हानि न मिले।

(श्री मथुरादास माथुर)

इस तरह की भावना आपके कटौती-प्रस्तावों के जरिये राज्य सरकार को सूझाई गई हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, जहां तक सरलीकरण का सम्बन्ध है सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि राज्य सरकार ने एक कमेटी बिठाई थी, और उस कमेटी की रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने निर्णय लिये हैं। कमेटी की करीब ८० प्रतिशत रिपोर्ट को राज्य सरकार ने अमली जामा पहना दिया हैं। मैंने अपने गत बजट के भाषण के वक्त में और इस वक्त भी......

श्री विजयसिंह रावत : क्या पहना दिया ?

श्री मथुरादास माथुर : अमली जामा। कार्य रूप में परिणत किया है।

श्री रामकिशन : असली जामा कह रहे हैं या पंजामा कह रहे हैं आप ? (हंसी)

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कुछ भी कहा हो मगर अमली धोती नहीं कहा हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस बात पर बड़ी चिन्तित रही हैं और राज्य सरकार की यह धारणा है कि जैसा कि अभी भीलवाड़े से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि राज्य सरकार को तो जिस तरह से भंवरा फूल से खुशबू लेता है इसी तरह से कर जनता से ले। इस तरह की बात उन्होंने कही। मैं यह तो नहीं कहता, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि राज्य सरकार दूब तो चर लेती है लेकिन दूब को जड़ से नहीं काटती है, इस तरह की कर की वसूली होनी चाहिए, और व्यापारियों को इससे हानि नहीं होनी चाहिए।

इस नोति को लेकर राज्य सरकार चलती है। माननीय उपाध्यक्षजी, इसलिए...

श्री रामकिशन - आप भंवरा बनना पसन्द नहीं करते हैं गधा बनना पसन्द करते हैं। (हंसी)

श्री मथुरादास माथुर - माननीय उपाध्यक्ष, मेरा नम्र निवेदन है......

श्री रामकिशन : क्वाइस क्या हुई, मथुर साहब।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शामिल तो नहीं बैठे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : पूरा सुन लीजिये तो गड़बड़ कहां हो रही है मालूम पड़ जायगी।

माननीय उपाध्यक्ष, राज्य सरकार ने हमारे यहां पर जहां तक सेल्स टैक्स का सम्बन्ध हैं फर्स्ट पाइंट, सिंगल पाइंट पर टैक्स हैं, यह अपने आप में सिम्पल हैं। दूसरे राज्यों में मल्टीपल टैक्स है और उसमें काफी कठिनाई होती है। जहां तक सरलीकरण का प्रश्न है हमारे यहां कर वसूली फर्स्ट पाइंट, जो वन पाइंट टैक्स है वह अपने आप में सुमीता है। हमने इन वर्षों में व्यापारियों को सुविधाएं देने के लिए जो बड़े-बड़े मामले उठाये हैं उनको कुछ को ही सदन के सामने रखने की कोशिश करूंगा।

हमने राज्य सरकार ने यह कहा है कि छोटे व्यापारी एक साल की जगह दो साल

(श्री मथुरादास माथुर)

में अपने एसेसमेंट के स्टेटमेंट पेश करें। इससे उनको सुविधा मिलेगी। हमने इस बात का भी फैसला किया है कि जो रजिस्टर्ड व्यापारी हैं और जिनके पास रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट्स हैं उनको हमेशा रिन्यूअल कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

हमने, माननीय उपाध्यक्षजी, जैसा कि मैंने अपनी बजट स्पीच में अभी कहा था कि एक अप्रेल से कम्पोजिशन करने के रूल्स बना दिये हैं और लागू कर दिये जायेंगे।

हमने इस बात की भी कोशिश की है कि ५० हजार तक के व्यापारियों के लिए सुविधाएं दी जांय। उसके लिए मैंने अपने बजट–भाषण में २५ से ५० तक बढ़ाने की घोषणा की थी। दुबारा १७ को सरलीकरण के लिए भी हमने घोषणा की है।

इसी तरह से हम स्टेट्स के व्यापारियों के डिक्लेरेशन के सिलसिले में विचार कर रहे हैं कि डिक्लेरेशन में कितना सरलीकरण कर दिया जाय।

राज्य सरकार ने इन दो वर्षों में माननीय सदस्य खुद इस बात से सहमत होंगे, व्यापारी समाज भी सहमत होगा, कि इस बात की बहुत कोशिश की है कि राज्य सरकार की जो आमदनी है उसमें कमी न आकर जितनी सुविधाएं व्यापारियों को दी जा सकें उतनी सुविधाएं दें।

यह ठीक है कि इतना बड़ा अमला है कि करीब करीब ढाई या तीन पर्सेन्ट इस विभाग की आमदनी का उनका खर्चा है। उसको हम मीट करते हैं। कई प्रकार के लोग होते हैं और छोटे अधिकारी भी हैं। उन अधिकारियों का बर्ताव कई बार व्यापारियों के साथ में बुरा हो जाता है। राज्य सरकार ने, माननीय उपाध्यक्ष, ६३ के अन्दर ही एक सर्क्युलर निकाल कर सबको आगाह किया था कि जनता और व्यापारियों के साथ अच्छा व्यवहार करें।

श्री विजयसिंह रावत : इसका क्या हुआ ? आपकी बात कोई मानता है क्या ?

श्री रामकिशन : इसका नतीजा क्या हुआ ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके पास मेमोरेण्डम लायर्स तक का आया है कि लायर्स तक के साथ में आपके आफिसर्स ने अच्छा व्यवहार नहीं किया है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करूं कि......

(६ म० प०)

व्यापारियों और जहां तक हमारे विभाग के लोगों का संबंध है वह अच्छा है। जहां तक वकीलों का संबंध है, हमारे ऑफिसरों के साथ वकीलों का संबंध अनूमन अच्छा रहता है। सवाल यह है कि कोई खास गलती किसी ने की हो तो मैं पर्टिकुलर केस में तो जाना नहीं चाहता.......

श्री रामानन्द अग्रवाल : लायर्स एसोशियेसन की तरफ से लिख कर दिया है।

श्री मथुरादास माथुर : लायर्स एसोशियेसन की तरफ से यदि कोई प्रस्ताव

(श्री मथुरादास माथुर)

आया है तो एक्शन लिया है। वरना यह कहें कि किसी वकील और अधिकारी के आपसी बातचीत में मुटभेड़ हो जाय तो मैं यह नहीं कह सकता कि किसका कसूर है किसका नहीं। मैं मंत्री के नाते अपनी गलती स्वीकार कर लेता हूँ। वकील तो गलती करता नहीं है। जहां तक राज्य सरकार की मंशा का सवाल है राज्य सरकार ने सर्क्यूलर के जरिये कहा है कि व्यापारियों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिये।

श्री दौलतराम सारण : राज्य सरकार की मंशा उसके कार्यक्रम, उसके एक्शन, उसके वजन से प्रकट होती है, कागजों में लिखने से नहीं होती।

श्री मथुरादास माथुर : श्री दौलतराम सारण इधर से उधर आ गये तो उनमें इतनी तेजी आ गई है।

श्री रामकिशन : यह बात सही है कि उधर के बिगड़े हुए लोग इधर आकर सुधर जाते हैं।

श्री दौलतराम सारण : यह आक्षेप करना सवाल का उत्तर नहीं है। आप अपने आपको देखें, मजाक पर नहीं पहुंचें। इस उपेक्षा और मजाक ने ही आपको रस तल में पहुंचाया है। आपने किसी स्टेज पर सही बात को देखा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं............

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य के जोर से कहने से उनकी दलील का वजन बढ़ जायगा ऐसी बात नहीं है। यह ठीक है कि राज्य सरकार यदि कोई हुक्म निकालती है तो उसको अमल में लाने के लिये हजारों की तादाद में अफसरान होते हैं उनकी मंशा के अनुसार..............

श्री दौलतराम सारण : अफसर इरादा देखता है, इरादा क्या है यह देखता है। यदि आपका इरादा ठीक हो जाय तो अफसर २ मिनिट में ठीक हो जायं। आप लोग गलत काम अफसरों से कराते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य से मेरा नम्र निवेदन है कि मैं और कुछ प्रश्नों में नहीं पड़ना चाहता। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। यहां बैठते थे तब भी इज्जत करता था और उधर बैठते हैं तब भी इज्जत करता हूं। जब वे इधर बैठते थे तब तो अफसर ठीक थे......

श्री दौलतराम सारण : जो उस समय खराब थे उनको मैं उस समय भी खराब ही बताता था। इस समय जो खराब हैं उनको खराब ही कहना पड़ेगा। आपके कहने से कोई खराब या अच्छा नहीं हो जाता। जनता जानती है मैं अच्छा हूं या बुरा हूं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपको अच्छा मानता हूं। हमें गुमराह नहीं होना चाहिये विषय पर आना चाहिये। राज्य सरकार जिस नीति पर चलती है......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो एक बात बता दीजिये, किसी अफसर के खिलाफ माल ट्रीटमेंट के बारे में आज तक कोई एक्शन लिया है क्या ?

एक माननीय सदस्य : यह प्रश्न अलग है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न सभी अलग हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि इनके डिपार्टमेन्ट के अफसर पोलिटिकल पार्टीज के दफ्तर पर रोड करते हैं पर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर रेड होगी तब आपको पता चलेगा।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे पहले कहने दिया जाय। मेरा निवेदन है, बात जो कही गई उसका जवाब यह है कि राज्य सरकार की इच्छा है, पोलिसी है, नीति है कि व्यापारी समाज के प्रति हमारे अधिकारी अच्छा बर्ताव करे। यदि कोई अच्छा व्यवहार नहीं रखता है तो उसके खिलाफ जांच की जायगी। माननीय सदस्य ने कहा कि किसी को चार्ज शीट दिया हो तो बतावें मैं बताना चाहता हूं कि जो इन्क्वायरीज चलती हैं वे मौजूद हैं। किसी के खिलाफ कोई पर्टिकुलर चार्ज होगा तो इत्तला दूंगा।

नसीराबाद से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमें एग्रीकल्चर इम्पलीमेन्टस पर सेल्स टैक्स नहीं लगाना चाहिये। मैं उनकी सूचना के लिये यह कहूँगा कि राजस्थान में एग्रीकल्चर इम्पलीमेन्टस पर सेल्स टैक्स नहीं है। हमारे यहां पर जितनी मशीनरी एग्रीकल्चर के काम में आती है उस पर सेल्स टैक्स नहीं है। इन चीजों पर सेल्स टैक्स नहीं है : प्लो, टीथ ऑफ प्लो, कटीला, खुरपी, स्पेयर पार्ट्स, बेलचा, चड़स, चमड़े के चड़स पर सेल्स टैक्स नहीं है।... ..

श्री विजयसिंह रावत : चमड़े पर सेल्स टैक्स लगाया है तो चड़स पर भी हो गया।

श्री मथुरादास माथुर : चड़स पर नहीं है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : कच्चे और पक्के चमड़े पर टैक्स है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! बीच में नहीं बोलें।

श्री मथुरादास माथुर : चड़स के बारे में कहता हूं चड़स पर नहीं है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : चमड़े पर है तो चड़स पर भी हो गया।

श्री रोशनलाल शर्मा : माननीय मंत्रीजी, चड़स चमड़े से बनता है और उस पर टैक्स है।

श्री विजयसिंह रावत : चमड़े पर आपने टैक्स लगाया है।

श्री मथुरादास माथुर : चमड़े पर टैक्स लगाने के बाद यदि चमड़े से जूता बनता है तो जूते पर टैक्स लगाया जायेगा। चमड़े से यदि सूट केस बना लिया गया है तो सूटकेस पर टैक्स लगेगा। चमड़े से यदि चड़स बनाया गया है तो चड़स पर टैक्स नहीं लगेगा।

श्री रशनलाल शर्मा : मैं निवेदन करूं कि चड़स पर टैक्स लगता है।

मथुरादास माथुर : यदि आपकी यह सूचना है तो गलत है। यदि किसी ने चड़स पर टैक्स लिया है तो मैं उसकी जांच करुंगा।

श्रीडूंगा राम राजोरिया : मै मंत्रीजी से...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । बाद में सवाल पूछ लीजिये ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मै मंत्रीजी से जानना चाहता हूं, मंत्री जी ने कहा...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । नियम का ध्यान रखें । कोई जवाब नहीं दिया जायेगा । ऑर्डर प्लीज ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे प्रश्न बीच में उठते हैं तो पूछने चाहिएं ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी ने कह दिया कि भाषण समाप्त होने दीजिये बाद में पूछ लीजिये । बीच में पूछने से वे अपना उत्तर समाप्त नहीं कर पायेंगे ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहां तक एग्रीकल्चरल-इम्लीमेण्ट्स का सवाल है, कोटा की तरफ से आने वाले माननीय सदस्यने एक बात कही । वे इस समय हैं नहीं गाड़ियाजी, उन्होंने अजमेर के व्यापारियों पर गुड़ पर टैक्स लेने की बात कही और यह कहा कि राजस्थान में एन्टर होते ही टैक्स ले लिया और उस पर अजमेर में दुबारा ले लिया, उनकी अपील चल रही है...

श्री रामा नन्द अग्रवाल : उन्होने गंभीर बात कही थी । मान लीजिये आपने वसूल कर लिया उसको यहां रिकोग्नाइज नहीं करते और कहते हैं कि दुबारा लगेगा ।

श्री मथुरादास माथुर : एक वार ले लिया और दुबारा अजमेर में वसूली आई तो उसको स्टे कर दिया है । उस पर बहस हो रही है कोर्ट में ।

बहियात के बारे में बहुत सी बातें कही गईं । हमने लास्ट ईयर फैसला किया था कि ३ महीनों से ज्यादा कोई ऑफिसर बहियां नही रख सकेगा । यदि ३ माह से ज्यादा रखता है तो उसके लिये कमिश्नर से इजाजत लेकर रखता है वरना लौटानी पड़ती हैं । ये बड़े-बड़े मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाये, बिजली की दरों के संबंध में मुद्दा था ।

जहां तक आबकारी करों की मांग है, इस सिलसिले में माननीय सदस्य जो बोले हैं उनमें से ६–७ ने खास तौर से हमारी प्रोहिबिशन पोलिसी पर बहुत जोर दिया है, बहुत जोश के साथ भावनापूर्ण तकरीर की है । मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता हूं ऐसी बात नहीं है । सदन में मैंने पहले भी एक नहीं कई दफा कहा है, राज्य सरकार की नीति राजस्थानमें प्रोहिबिशन या नशा-बन्दी की है । वैसे अच्छी बातों को दोहराने में कोई गुनाह नहीं है इसलिए हम दोहरा देते हैं । इसके अलावा और भी कई बातें कही गईं । राज्य सरकार ने बराबर, मेरे ख्याल में, साल भर के अन्दर, साल डेढ़ साल के अर्से में नशाबन्दी की नीति को जितना आगे बढ़ाने की कोशिश की है—आज की हालत में कोई भी राज्य किसी भी नीति को जब कार्य रूप में परिणत करता है तो उस वक्त देश की, मुल्क की आबोहवा, अपने राज्य की हालत-सबको सामने रख कर अपनी नीति को बना कर उसको आगे बढ़ाता है । हम कई बातों में विश्वास करते हैं और चाहते है कि यह चीजें होनी चाहिए मगर हालत जैसी होती है उसके सम्बन्ध में पूरी तरह से गौर करके ही कार्य रूप में परिणत कर पाते हैं । इसका मुझे भी दुःख है, देश में चारों तरफ सिवाय एक दो राज्य के

(श्री मथुरादास माथुर)

जिन्होंने प्राहिबिशन, नशाबन्दी शुरू की थी, अब वह भी शराबबन्दी से वापिस पीछे हट रहे हैं, और देश में चारो तरफ नशाबन्दी के खिलाफ वातावरण बन रहा है, उस वातावरण......

श्री दौलतराम सारण : यह वातावरण कौन पैदा कर रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री दौलतराम सारण : राज्य सरकार खुद वातावरण पैदा कर रही है। सारे देश की जनता चाहती है कि प्राहिबिशन हो। आप खुद इसके खिलाफ वातावरण पैदा कर रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे माफ करें, देश का वातावरण देश में हैं.........

श्री दौलतराम सारण : देश में वातावरण नहीं है। यह गलत प्रोपेगण्डा है। आप जैसे कुछ लोग ऐसा वातावरण पैदा कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, आप बहुमत को सदन में तसल्ली दिला सकें, ऐसा भाषण दे दीजिये ताकि मांग पारित हो सके जल्दी।

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो कह रहा हूं लेकिन माननीय सदस्य बीच में बोल कर बोलने नहीं देते। वह बीच में ही बोलने लगते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बहुमत को तसल्ली नहीं होती तो भी वह वोट तो देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसे तो सारा बजट एक घंटे में पास हो सकता है।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि माननीय सदस्यों को इस बात को सोचना चाहिये कि उनका विश्वास नशाबन्दी में है, तो ऐसी बात नहीं है कि राज्य सरकार को नशाबन्दी में विश्वास नहीं है। लेकिन मैं यह बात साफ कर रहा था कि किसी भी नीति को कार्य रूप में परिणत करते वक्त जो देश की हालत होती है, उसी को देख कर हुकूमत चलती है और नीति को कार्य रूप में परिणत करती है। लेकिन एक—डेढ़ साल के अन्दर राजस्थान के बनने के बाद में जो राज्य सरकार ने नशाबन्दी की तरफ कदम उठाया है, उतना कदम दूसरे......

श्री दौलतराम सारण : बीस साल में भी नहीं उठाया है।

श्री मथुरादास माथुर : राज्य बीस साल में भी नहीं उठा पाये हैं और जिन्होंने उठाया है वह पीछे हटे हैं।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां नशाबन्दी के लिए माननीय सदस्य, नसीराबाद से आने वाले, ने कई सुझाव रखे हैं। उन्होंने बताया कि ड्राई डेज होने चाहिए। पहले जैसा मैंने बताया था कि हमारे यहां ड्राई डेज हैं, करीब चौदह दिन ड्राई डेज हैं......

श्री विजयसिंह रावत : नौ दिन हैं कुल।

श्री मथुरादास माथुर : मैं पढ़ देता हूं। (विराम) नौ दिन हैं, दस दिन हैं—ड्राई डेज हैं, जिनके अन्दर बड़े बड़े महन्तों

(श्री मथुरादास माथुर)

की जन्म तिथि है, नेशनल डेज हैं—वह ड्राई डेज हैं आलरेडी। फिर भी एक आध ड्राई डेज और करने का आपका सुझाव है तो उस पर विचार करेंगे कि वह ड्राई डेज और कितने बढ़ाये जा सकते हैं।

एक सवाल इसके साथ ही दुकानों के लोकेशन का है। उसके लिए कानून में प्रावधान है। आप कानून को पढ़ियेगा। मैंने पहले भी कहा था और फिर दोहराता हूँ कि जिन माननीय सदस्यों ने लिख कर भेजा है कि कोई दुकान स्कूल या पब्लिक प्लेस के पास आई है तो हमने उस जगह से ठेके को हटाया है...

श्री दौलतराम सारण : नहीं ! नहीं हटाया है। मैंने आपको लिखा था, आपके पास प्रस्ताव भेजा था, लेकिन आपने नहीं हटाई है। आप गलत कहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य तो......

श्री दौलतराम सारण : एक नहीं मैं आपको पचासों दुकानें ऐसी बता सकता हूँ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बस स्टेण्ड की बात है, उसके लिए आपकी क्या नीति है ?

श्री मथुरादास माथुर : बस स्टेण्ड की एक लिखित सूचना आई थी। पब्लिक प्लेस, बस स्टेंड, स्कूल, फेक्ट्री आदि के नजदीक हो तो उसके लिए कानून में प्रावधान है और मेम्बर्स को हक है कि शिकायत करके उसको हटवा सकते हैं। और जो शिकायत आई हैं उनको हटवाया भी है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जहां तक दुकानों के टाइम का सवाल आता है, उसके ऊपर मेरा निवेदन है कि अभी आठ बजे तक चलती हैं, अब माननीय सदस्य ने छः बजे तक का सुझाव दिया है। मैं इस पर विचार करूंगा कि सर्दी-गर्मी में कितने बजे तक टाइम रखा जाय। इसके ऊपर पुनः विचार करेंगे।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने यह कहा कि एक्सेज एक्सपेंडीचर इस डिपार्टमेंट में होता है। मेरा निवेदन है कि दो डिपार्टमेंट हैं, एक तो एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट और दूसरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो जैसा बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा तो उस वक्त सेल्स टैक्स और एक्साइज टैक्स दोनों डिपार्टमेंट शामिल थे, और उनके आंकड़े अलग-अलग नहीं थे। अब एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू कलेक्टिंग डिपार्टमेंट पर पांच पर्सेन्ट खर्च आता है, जो कि दूसरी रियासतों में इस पर खर्च होता है उमसे कम है।

तो जो भी बातें यहां पर कही गईं, उनके बारे में मैंने करीब-करीब कह दिया है, प्राहिबिशन की बात बहुत जोरों से कही गई, उसके लिए मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं की कद्र करता हूं और राज्य सरकार जब अगली साल इस दिशा में कदम उठावेगी तो उनके उपर विचार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मनोहरसिंह।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मुझे उपाध्यक्ष महोदय, अर्ज करना है.........

श्री उपाध्यक्ष : लम्बा भाषण नहीं होगा। आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं केवल !

मैंने दो–तीन बातें अर्ज की थीं, लेकिन माननीय मन्त्रीजी ने उनका जिक्र नहीं किया। एक तो यह कि मेरे को माननीय सदस्य यह कहा करते हैं कि मैं पंचायत राज की खिलाफत क्यों करता हूं। मैं कहता हूं, मैं पंचायत राज का सबसे बड़ा हामी हूं। सबसे ज्यादा पंचायत राज का हामी हूं, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप यह बताइये कि पंचायत जहां–जहां पर बहुमत से नशाबन्दी का प्रस्ताव पास करदे, वहां से आप दुकान हटायेंगे या नहीं ? एक बात, पंचायत समिति जहां बहुमत से प्रस्ताव शराबबन्दी का पास कर दे, वहां से आप दुकान हटायेंगे या नहीं ? और जहां जिला परिषद नशाबन्दी का प्रस्ताव पास कर दे तो क्या आप उस जिले से दुकानें हटायेंगे या नहीं ? अगर नहीं हटायेंगे तो यह मान लीजिये कि पंचायत राज की अन्त्येष्ठि आप करने वाले हैं।

दूसरा प्रश्न यह निवेदन कर रहा हूं कि शराबबन्दी को असफल करने में सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो वह राज्य अधिकारियों का है। किसी राज्य को भ्रष्ट करने में किसी का हाथ है तो उसमें राज्य अधिकारियों का हाथ है। आज जो कालेज में पढ़ने वाले लड़के शराब पीने वाले हैं, तो वह वही पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को भेजने वाले राज्य अधिकारियों के लड़के हैं। तो क्या राज्य सरकार अधिकारियों के लिए ऐसा नियम बनाने को तैयार नहीं है कि कोई भी राज्य अधिकारी शराब नहीं पीयेगा ? इन दोनों प्रश्नों का आपने जवाब नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामचन्द्र !

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि नारायणसिंह यू. डी. सी., जो जायल पंचायत समिति में था, को इन्सपेक्टर बनाया गया, और कमिश्नर ने इसका विरोध किया लेकिन क्योंकि आपके चुनाव क्षेत्र में उसने आपकी मदद की थी......

श्री उपाध्यक्ष : यह बात पहले कह चुके हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसलिए आपने उसको बनाया। इसके बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय रोशनलाल !

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जिन क्षेत्रों में शराबबन्दी लागू की है, उसके अलावा राज्य सरकार ने एक निर्णय पहले भी यह लिया था कि गुजरात में शराबबन्दी थी और गुजरात के पास में कोटड़ा तहसील लगी हुई थी, कोटड़ा और कोटड़ा छावन में एक फर्लांग

(श्री रोशनलाल)

की दूरी थी, तो राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया था कि दस मील के एरिया में शराब नहीं बिकेगी, जो गुजरात की सीमा से दस मील में है। मै निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को कई बार उसके बारे में पत्र लिखे लेकिन आज तक शराब वहां बिकना बन्द नहीं हुआ है। कोटडा के लिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया था। इसके लिए मैंने कमिश्नर को, आपके कमिश्नर को लैटर लिखा था कि कोटड़ा में शराब बिक रही है जब राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है उसके बावजूद भी दस मील के एरिया में गोदाम खोल रखा है, जो कोटड़ा से एक फर्लांग दूर है। हम मानते हैं कि राजस्थान सरकार की शराबबन्दी की नीति है और उसकी नीति में हमें कोई शक नहीं है। मगर जो नीचे के अधिकारी हैं, वह लोगों को शराब पिलाकर इन्कम करना चाहते है राजस्थान के बजट में इसलिए मेरा निवेदन है कि जिन क्षेत्रों में आपने शराबबन्दी की है, उसके चार मील के एरिया के अंदर, सीमा के चार मील के अन्दर दुकान मत खोलिए ताकि आदिवासियों को लाभ मिले। नहीं तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक फर्लांग पर दुकान खोली तो.........

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में.........

श्री रोशनलाल : वहां पर आकर लोग पीयेंगे। इसके लिए आपकी क्या नीति है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामानन्दजी !

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिक्री टैक्स के बारे में जानकारी करना चाहता हूँ, क्या सरकार की नीति है कि उस जिले में उस जिले का कोई भी सेल्स टैक्स इन्सपैक्टर नहीं रखा जायगा, क्योंकि वह पर्शनल प्रिजुडिसेज के कारण से लोगों को हरैस कर सकता है ? इस तरह की शिकायतें आई भी हैं। मैं जानना चाहता हूँ, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या नीति है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री दौलतराम सारण !

श्री दौलतराम सारण : मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, कहा था कि राज्य सरकार अगर वाकई नशाबन्दी में विश्वास रखती है तो सर्विसेज में जिनको भर्ती करते हैं, उसके लिए दारू पीने वालों के लिए अयोग्यता रखने के लिए तैयार है ? क्यों दारू पी जाती है.........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! प्रश्न समझ में आ गया।

श्री दौलतराम सारण : इसके अलावा जो विद्यार्थी कालेज के अन्दर हैं, उन पर १८ साल की उम्र के बाद के विद्यार्थियों पर पाबन्दी लगाने के लिए राज्य सरकार तैयार है ? यह मैंने सुझाव दिये थे, इनके ऊपर राज्य सरकार क्या कहती है ?

श्री विजयसिंह रावत : एक मिनिट।

श्री उपाध्यक्ष : इतने प्रश्न हो गये हैं कि दुबारा इस पर चर्चा हो तब बैठे। एक आध प्रश्न हो, कोई स्पष्टीकरण करवाना हो तो बात दूसरी है। सभी माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं तो यह तो जवाब पर बहस और हो गई।

श्री डूंगाराम राजोरिया : एक प्रश्न पूछना था . . .

श्री विजयसिंह रावत : एक मिनिट सिर्फ !

श्री उपाध्यक्ष :आपकी तो काफी मांगें स्वीकार कर ली हैं।

श्री विजयसिंह रावत : मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो मैंने भट्टियों का जिक्र किया, और एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि जहां पर डिस्टिलरी, फैक्टरी है, जहां शराब बनती है, उन भट्टियों के अन्दर जो शराब भरी जाती है बोतल के अन्दर, उसकी सील लगाने के अन्दर गवर्नमेंट के कर्मचारी ऐसी हरकत करते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रश्न समझ में आ गया। मंत्री महोदय समझ गये। श्री डूंगाराम !

श्री विजयसिंह रावत : दूसरा प्रश्न यह है। मैंने आपसे यह मांग की थी। दूसरा यह है कि देशी शराब भी जिस तरह अंग्रेजी शराब बिकती है उसी तरह से बिकनी चाहिये, इस तरह का सिस्टम अडोप्ट किया जाय ताकि गड़बड़ी नहीं हो।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि केवल कच्चे चमड़े पर ही टैक्स लगता है पक्के चमड़े पर टैक्स नहीं लगता है। मैं समझता हूं कच्चे चमड़े पर अलग टैक्स है और पक्के चमड़े पर अलग टैक्स है। मन्त्री महोदय ने कहा कि कच्चे चमड़े पर ही टैक्स लिया जाता है पक्के पर नहीं लिया जाता है। अगर कच्चे चमड़े पर ही टैक्स लेते हैं तो क्या वे ऐलान करेंगे कि पक्के चमड़े पर टैक्स नहीं लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने चड़स का कहा है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : कहा होगा पर मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि एक ही चमड़े पर दो-दो बार टैक्स लिया जाय, कच्चे पर भी टैक्स लिया जाय और पक्के पर भी टैक्स लिया जाय, क्या यह उचित है ?

मन्त्री महोदय बात को टालना चाहते हैं कि जूते बनते हैं, चड़स बनते हैं, उस पर टैक्स नहीं लेते।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह सिंघवी।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो राज्य सरकार वनों के ठेके देती है तो ठेकेदार से रकम ली जाती है, ठेकेदार माल बाहर बेचने जाता है तो…………

श्री उपाध्यक्ष : यह विषय चर्चा में आया नहीं है इसलिये मंत्री महोदय की जानकारी नहीं होगी, वे उत्तर नहीं दे सकेंगे।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : जानकारी नहीं है तो उनके नोटिस में तो ले आऊं। व्यापारी लोग, ठेकेदार माल बाहर ले जाते हैं तो नाके पर जो आप कर्मचारी रखते हैं वे उनको पूरी तरह से परेशान करते हैं, इसके लिये क्या व्यवस्था करना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

श्री रामकिशन : मंत्री महोदय ने कहा कि व्यापारियों से अच्छा व्यवहार करने के लिये सरकार ने सर्क्यूलर निकाल दिया है तो मैं जानना चाहूंगा कि अच्छे व्यवहार का क्या मापदण्ड तैयार किया है ?

क्या सरकार तैयार है इस तरह का सर्क्यूलर निकालने के लिये कि जब भी कोई अधिकारी किसी व्यापारी की दुकान पर जाय तो दुकानदार से नमस्ते करें..........

श्री उपाध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं..........

श्री रामकिशन : विषयान्तर नहीं, समझने की कोशिश की जाय, डेमोक्रेटिक कन्ट्रीज़ में यह परम आवश्यक है कि दफ्तर में कोई व्यापारी आये तो उससे सलाम करे और कोई अधिकारी दुकान पर जाय तो सलाम करे ।

श्री उपाध्यक्ष : एक दिन में एक दफा काफी समझा जाय ।

श्री रामकिशन : इसलिये दुकान पर जाय तो सलाम नहीं करे यह अनडेमोक्रेटिक व्यवहार है गवर्नमेंट का ।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा कि यदि कोई शराब पिये तो उसका निर्वाचन नहीं करना चाहिये, निर्वाचित सदस्यों के लिये यह प्रतिबन्ध होना चाहिये कि वे शराब न पियें । इसी तरह जन प्रतिनिधियों पर, मन्त्रिमण्डल के सदस्यों पर, प्रधानों पर, प्रमुखों पर, सरपंचों पर और जितने भी चुने हुए सदस्य हैं, उन पर भी यह प्रतिबन्ध होना चाहिये कि वे शराब न पियें ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्षजी, जहां तक माननीय सदस्य जो कोटड़ा से आये हुए हैं..........

एक माननीय सदस्य : कोटड़ा तो सुरक्षित सीट है..........

श्री मथुरादास माथुर : उन्होंने कोटड़ा के वेअर हाउस के बारे में और दुकान के बारे में कहा, उन्हें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोटड़ा का वेअर हाउस और दुकान दोनों ही बन्द कर दिये गये हैं ।

श्री रोशनलाल शर्मा : मैंने चैक अप किया, ६ साल से यह प्रश्न रखता आ रहा हूँ ! यह कब से किया है ?

श्री उपाध्यक्ष : पूरक प्रश्नों के बाद फिर प्रश्न न किये जायं, इस तरह से तो इसका कोई अन्त नहीं आने वाला है ।

श्री मथुरादास माथुर : दो अक्टूबर से बन्द कर दिये हैं ।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो इन्स्पेक्टर्स लोकल डिस्ट्रिक्ट्स के ही रहने वाले हों उनको उनके लोकल डिस्ट्रिक्ट में न रखा जाय । अब तक सरकार की यह नीति नहीं रही है । जो कर्मचारी कम वेतन भोगी होते हैं, वे यही चाहते हैं कि वे अपने डिस्ट्रिक्ट्स में रहें,

(श्री मथुरादास माथुर)

इसलिये सरकार कम वेतन भोगियों को उनके डिस्ट्रिक्ट्स में रखती है। हमारे पास ऐसी शिकायत नहीं है कि उसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले होने की वजह से इन्स्पेक्टर्स इस प्रकार की कोई गड़बड़ी करते हैं, फिर भी आपकी नजर में अगर कोई ऐसा केस हो तो आप राज्य सरकार को सूचना दें, उस पर्टिकुलर केस में हम अवश्य विचार करेंगे।

मनोहरसिंहजी मेहता ने दो बातें पूछी हैं, आपकी नशाबन्दी में पूर्ण आस्था है और हम इसकी इज्जत करते हैं। एक तो आपने सरकारी अफसरों का पूछा, सरकारी अफसरों के लिये, आल इन्डिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए हम कोई कानून नहीं बना सकते, आल इन्डिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल्स में है और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल्स में भी यह है कि कोई सरकारी अफसर नशे की हालत में नहीं पाया जाय, यह रूल्स में आलरेडी प्रोविजन है। अब यह है कि बिलकुल ही नहीं पियें, और अगर पियें तो राजस्थान सरकार की सेवा में उन्हें नहीं रखा जाय तो इस प्रकार का कानून आल इन्डिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वालों के लिये तो राजस्थान सरकार नहीं ला सकती...

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप अपने यहां की बात करें।

श्री मथुरादास माथुर : मुरारजी भाई को आप इसके लिए कहें तो असर होगा......

श्री मनोहरसिंह मेहता : निश्चय करूंगा।

श्री मथुरादास माथुर : आल इन्डिया बेसिस पर करेंगे तो मैं राजस्थान में भी करूंगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह बिलकुल गलत बात है।

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order please ! No further discussion.

श्री मथुरादास माथुर : दूसरी बात आपने पूछी, हमने सदन में पहले बिल रखा है और यह अभी पास होना बाकी है, विद्यार्थी किसी भी उम्र के हों शराब नहीं पियें, जो सारण साहब ने पूछा उसका यह उत्तर है।

जहां तक इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव्स का सवाल है, यह सदन के तय करने की बात है......

श्री जयनारायण सालोदिया - आप कानून लाइये।

श्री मथुरादास माथुर : कानून में बड़ी बाधाएं आयेंगी, पार्लियामेंट बनाती है...

श्री दौलतराम सारण : सर्विसेज में योग्यता का तो रख दें कि शराब पीने वाले को न सर्विस में रखा जायगा न लिया ही जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! माननीय दौलतरामजी।

Page No.164

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि नान-ग्राफिशियल इस तरह का प्रस्ताव लाया जाय इलेक्टेड पर्सन्स के लिये, उसका राजस्थान सरकार की तरफ से कतई विरोध नहीं किया जायगा ।

श्री रामानद अग्रवाल : ग्रापने विरोध किया है......

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर, ग्रार्डर प्लीज । इसका मतलब यह हुग्रा कि माननीय सदस्य मन्त्री महोदय का उत्तर नहीं सुनना चाहते ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो गलत स्टेटमेंट दें उसका बगैर कन्ट्राडिक्शन किये सुने जायं क्या ?

श्री दौलतराम सारण : (वित मंत्रीजी के बैठ जाने पर) उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का व्यवहार हुग्रा तो हम रिजेन्ट करेंगे । हम मन्त्री महोदय का स्टेटमेंट सुनना चाहते हैं ग्रौर मंत्री महोदय...

(शोरगुल)

यह सदन के माननीय सदस्यों का अपमान है ।

श्री उपाध्यक्ष : कोई अपमान नहीं है ।

(शोरगुल)

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

ग्रासन पैरों पर खड़ा है ।

प्रश्न सिर्फ इसमें इतना है कि जो वाद विवाद हुग्रा, उसका मंत्री महोदय ने उत्तर दिया, उसके बाद एक-एक माननीय सदस्य को ग्रवसर दिया गया कि पूरक प्रश्न पूछें, तो पूरक प्रश्न पूछ लिये, उनके उत्तर मंत्री महोदय द्वारा दे दिये गये, ग्रब पूरक प्रश्नों पर फिर प्रश्न किये जायं, उनके बाद फिर पूरक प्रश्न किये जायं तो इस सिलसिले का तो कोई ग्रन्त नहीं होने वाला है......

श्री दौलतराम सारण : मजाक करते हैं सदस्यों के साथ ।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राज दौलतरामजी साहब ग्राप न मालूम किस कारण से ग्रावेश में ग्राये हुए हैं ।

श्री दौलतराम सारण : देश के साथ विश्वासघात हो, गद्दारी हो ग्रौर हम ग्रावेश में नही ग्रायें ।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय जो दो तीन माननीय सदस्यों के पूरक प्रश्न हैं, उनका उत्तर दें । हम चर्चा को इतना लम्बा नहीं कर सकते, नियमों में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है ।

श्री दौलतराम सारण : नियमों के माफिक विधान सभा में कार्य हो तो हमें खुशी हो ।

श्री ग्रालम ग्रली : एक बात मैं पूछना चाहता हूं ......

श्री उपाध्यक्ष : इसका मतलब यह है कि ग्राप उत्तर नहीं सुनना चाहते ।

श्री ग्रालम ग्रली : (ग्रश्रव्य)

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक चड़स के ऊपर सवाल पूछा गया...

Page No.165

श्री उपाध्यक्ष : चड़स वाला एक टेक्निकल है...

श्री मथुरादास माथुर : टेक्निकल की बात नहीं हैं, मैं उत्तर दे देता हूं रा मैटिरियल के ऊपर एक पर्सेन्ट टैक्स लगता है, एक पर्सेन्ट टैक्स देने पर सूट केस, जूते बनाते हैं उस चमड़े से तो फिनिश माल पर टैक्स लगता है। चड़स के ऊपर १ पर्सेन्ट लगने के बाद कोई टैक्स नहीं लगेगा।

इसलिये जहां पर १ प्रतिशत प्लस ६ कुल ७ प्रतिशत जूतों पर लगता है, लक्जरी गुड्स और चड़स पर १ प्रतिशत समझ लीजिए, लेदर पर लगा चुके हैं।

जहां तक नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने सील के बारे में कहा...

श्री उपाध्यक्ष : यह पुरानी शिकायत है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं समझ नहीं पाया हूं कि सील कैसे बनती है, कैसे खुलती है। जरूरत पड़ी तो आपको साथ लेकर एक्सपेरीमेंट करेंगे, इस तरह कैसे खोल देते हैं। जितने सवाल पूछे हैं....

श्री विजय सिंह रावत : शराब तो बिकती है...

श्री मथुरादास माथुर : खुली बेचने के लिए मनाई है अगर कोई ऐसा करता है तो वह कानून को तोड़ता है। आपने जो शिकायत की थी उसकी जांच चल रही है, उस दुकान को तोड़ दिया है।

श्री दौलतराम सारण : लेकिन जो ठेकों द्वारा बेची जाती है गावों में उसके लिए आपको क्या कहना है ? हर गांव में कमीशन पर बोतलें बेची जाती हैं। मैं साबित करने को तैयार हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में जहां भी पंचायत प्रस्ताव पास करती है, वहां से दुकान हटा दो।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४६ मुख्य शीर्षक १२४- सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १६६६, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २३,४६,२८,०००) रु तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२- बिक्री कर के संबंध में ३१ मार्च, १६६६, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७५, १३, ०००) तक की राशि प्रदान की जाय

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०- राजकीय आबकारी कर के संबंध में ३१ मार्च, १६६६, को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,१६,४८,००० रु०

(श्री उपाध्यक्ष)

तक की राशि प्रदान की जाय !

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं ६.३४ बजे ...वार दिनांक २० मार्च, १९६८ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई)

———

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्न संख्या ६५२ की सूची)

आवश्यक

राजस्थान सरकार

राजस्व (ख) विभाग

प्रति,

समस्त जिलाधीश ।

संख्या एफ ६ (२७) राज । ख । ६७ जयपुर, दिनांक २२ अगस्त, ६७

विषय :—चरागाह, सिवाय चक आदि भूमि पर नाजायज कब्जों को रोकने बाबत ।

महोदय,

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि इस वर्ष फिर लोग चरागाह, सिवाय चक तथा सरकारी पड़त भूमियों पर नाजायज कब्जा कर रहे हैं। नाजायज कब्जों को हटाने के बारे में सरकार द्वारा समय समय पर परिपत्र जारी किये गये हैं किन्तु वांछित परिणाम नहीं निकला। सम्भवतः इस बारे में भू-राजस्व अधिनियम की धारा ९१ के तहत कार्यवाही तो की जाती है किन्तु इतनी शिथिलता से कि नाजायज कब्जे वर्षा तक चलते रहते हैं।

अतः आदेशानुसार निवेदन है कि नाजायज कब्जे होने की सूचना मिलते ही तत्काल तहसीलदार को भेजा जाकर राजस्थान ले० रे० एक्ट १९५६ की धारा ९१ के तहत संक्षिप्त कार्यवाही मौके पर ही पूरी कराई जाय तथा नाजायज कब्जा करने वालों को उसी समय बेदखल किया जाय। इस कार्य में यदि आवश्यकता हो तो पुलिस की सहायता भी ले ली जाय। अगर कब्जा चरागाह पर हो तो मवेशी छुड़वाये जायें तथा सिवाय चक आराजी की फसल को जब्त कर लिया जावे। नाजायज कब्जे जो इसी साल हुए हैं उन्हें हटाया जाकर तत्सम्बन्धी सूचना १ माह में इस विभाग को भेजी जाय।

नाजायज कब्जों को हटाने के लिये यदि एस० डी० ओ० आवश्यकता महसूस करें कि उन्हें जीप की आवश्यकता रहेगी तो इस कार्य को फौरी तौर से कराने हेतु एस० डी० ओ० के लिये एक जीप और पुलिस स्क्वाड की पर्याप्त व्यवस्था एक मास के लिये

करादी जाय । ताकि सिवाय चक और चरागाह पर जिनके द्वारा अतिक्रमण किए गए हों उनके खिलाफ फौरी कार्यवाही की जाकर अतिक्रमण को हटाया जा सके ।

नाजायज कब्जों को रोकने के लिये प्रायः पटवारी मौके पर फौरी रोक नहीं करता या तहसीलदार को रिपोर्ट नहीं करता है और कभी-कभी उसकी साजिश भी पाई जाती है । इसी कारण यह समस्या जटिल होती जाती है । ऐसे पटवारियों के खिलाफ तुरन्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर स्वस्थ परम्परा और उदाहरण कायम करना भी नितान्त आवश्यक है ।

कृपया इस पत्र को आवश्यक समझा जाय ।

ह० उप राजस्व सचिव

परिशिष्ट २

(तारांकित प्रश्न संख्या ६६३ की सूची)

सूची जिलेवार जहां कि अभाव की स्थिति के कारण १९३५–६६ व १९६६–६७ में भू–राजस्व की वसूली स्थगित की गई।

क्रम संख्या	नाम जिला	१९६५–६६	१९६६–६७
१.	सवाई माधोपुर	२३,१०,४५०	५९९,१६२
२.	उदयपुर	९,९०,५५४	१८,७३,७५६
३.	टोंक	२२,८९,२६४	१४,७२,००८
४.	जालौर	२,८८,२४५	२५,१७,६२६
५.	पाली	१२,०८,४७७	६,१७,७८६
६.	नागौर	३६,८३,१३८	२१,२०,७२२
७.	सीकर	११,५४,६२४	५,७९,८५३
८.	अजमेर	१४,७२,९३६	१४,०४,२१५
९.	चूरू	१२,३४,१११	१,९३,११०
१०.	बीकानेर	५६,३११	३,०८,०७४
११.	भीलवाड़ा	४५,६२,३९	१८,२५,२८७
१२.	जोधपुर	४,२०,२८४	१२,५३,०७३
१३.	कोटा	७३,३७४	७,९६,०८५
१४.	सिरोंही	११,१०,०३३	१०,४१,१९१
१५.	झालावाड़	५५,७१३	४,७७,९७४
१६.	झुंझनूं	४,००,६४१	३,८७,१२५
१७.	बाड़मेर	११,७०,४७०	८,३४,९९०
१८.	जैसलमेर	१२,९३,०९८	१४,९४,७७२
६९.	भरतपुर	निल	३१,३७९

२०.	चित्तौड़गढ़	५२,२६०	२,६७,०४२
२१.	गंगानगर	२१,६०,२६४	३,१७,८४६
२२.	डूंगरपुर	१५,३१,५३४	१,०२४,७६८
२३.	बूंदी	६४,६६१	५,४०,७६५
२४.	जयपुर	६,८८,८११.३४	१२.१७,२६८.७७

परिशिष्ट ३

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

जयपुर जंगलात विभाग में अनुसूचित जाति या जन जाति के व्यक्तियों की संख्या एवं नौकरी हटाये जाने के कारण

६६५. **श्री श्रवणलाल** (हिण्डौन-सु) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(१) जयपुर जंगलात डिवीजन में किस–किस पद पर कब-कब से कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति के कार्य कर रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) मार्च, १९६७ से सितम्बर १९६७ तक कितने अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों को हटावा गया है ? नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) उपरोक्त व्यक्तियों को किस कारण से हटाया गया है ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है ।

(२) केवल एक वनपाल श्री रामेश्वर प्रसाद को २०–५–६७ को ।

(३) उन्हें वनपाल विद्यालय में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया था किन्तु अनुशासन भंग करने तथा प्रशिक्षक के साथ अभद्र व्यवहार के कारण इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाने पर ये प्रशिक्षण प्राप्त करने के योग्य नहीं पाये गये। अतः जयपुर वन- मन्डल में वापिस लौटा दिया गया। बाद में प्रशिक्षित वनपालों को अंतलीन करदे पर श्री रामेश्वर प्रसाद के वरिष्ठता में नीचे होने तथा इनका काम असंतोषजनक होने के कारण एक मास का नोटिस देकर २०–५–६७ से सेवा मुक्त कर दिया ।

जयपुर वन मण्डल में नियुक्त अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की सूची दिसम्बर १९६७

क्र०सं०	नाम कर्मचारी	पद	नियुक्ति तिथि	अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति	विवरण
१–	श्री कल्याण राम	वनपाल	२७–५–३९	अ०ज०जाति	
२–	श्री नाथा राम	सहायक वनपाल	१६–६–५६	,,	

१	२	३	४
३–श्री बिरधा राम	वनरक्षक	२४–२–४९	"
४–श्री जोरा राम	"	२१–१२–४२	"
५–श्री छाजूराम	"	१–२–६१	"
६–श्री चुन्नीलाल	"	२७–७–६६	अ०जाति
७–श्री रेवडमल	"	१–९–६५	अ०ज०जाति
८–श्री नानगराम पुत्र गोपीराम	"	६–९–६५	"
९–श्री सुगाराम	"	२–३–४४	"
१०–श्री मोतीलाल	"	१५–११–६१	अ०जाति
११–श्री फूसा राम	"	१९–९–६२	"
१२–श्री गोविन्द राम	"	७–६–६३	"
१३–श्री कल्याणनाथ	"	३०–१–५८	अ०ज०जाति
१४–श्री मुन्ना लाल	"	१९–९ ५६	"
१५–श्री पाचूं राम	"	१–४–६५	"
१६–श्री मुरली राम	एल०डी०सी०	८–८–६१	अ० जाति
१७–श्री नहनू राम	अमीन	२८–८–६१	" सर्विस रेकार्ड
१८–श्री हरि लाल	अमीन	३–५–५८	" नहीं आया।

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के उन
जयपुर वन मण्डल के कर्म चारियों की सूची जिन्हें मार्च ६७ से दिसम्बर ६७ तक राज्य सेवा से पृथक किये गये हैं।

क्र०स०	नाम कर्मचारी	पद	नियुक्ति तिथि	राज्य सेवा से पृथक करने की तिथि	पृथक करने के कारण
१–	श्री रामेश्वर प्रसाद अनुसूचित जाति।	बनपाल	२१–५–६५	२०–५–६७	ट्रेन्ड फारेस्टर को एब्जोर्ब करने के लिये जूनियर मोस्ट होने के कारण पृथक किया गया।

वन महोत्सव

६६६. श्री गंगासहाय (कठूमर—सु) : क्या वन विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) राजस्थान में गत पांच वर्षों में कितने वृक्ष वनमहोत्सव के समय लगाये गये तथा उसमें से कितने वृक्ष आज जीवित है ?

(२) उक्त वृक्षों में वन महोत्सवों पर कितना रुपया खर्च किया गया ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) सूची संलग्न है।

(२) वन विभाग द्वारा निम्नानुसार व्यय हुआ—

१९६२—६३	१३६४.७५
१९६३—६४	१११८.७९
१९६४—६५	१०४६.६१
१९६५—६६	९२५.७३
१९६६—६७	१०९५.०६

वर्ष	वृक्ष लगाये गये	वृक्ष जीवित हैं
१९६२	२१,४९,६४९	१२,१८,०४३
१९६३	१३,८७,२०७	७,५०,७४३
१९६४	११,२१,२२७	६,५६,२९०
१९६५	९,०४,४६०	४,३०,४८३
१९६६	६,८३,४३५	३,२५,५९५

गंगानगर जिलों के अकालग्रस्त गांवों में राहत कार्य

६६७. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) गंगानगर जिले के किस किस तहसील के कितने कितने गाँव अकालगस्त घोषित किये हैं ?

(२) इन गांवों में ,क्या—क्या राहत कार्य चालू किये जा रहे हैं ?

(३) क्या इन गांवों में होने वाली सभी प्रकार की वसूली रोक दी गई है ?

(४) क्या इन गांवों की भूमि का लगान माफ किया जायेगा ?

(५) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(६) यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) गंगानगर जिले की तहसील नोहर के १९८, भादरा के १३ एवं सूरतगढ के ६३ गांव अकालग्रस्त घोषित किए गये हैं।

(२) इन गांवों में फिलहाल कोई सहायता कार्य प्रारम्भ नहीं किए गए हैं। जब आवश्यकता होगी, प्रारम्भ कर दिए जावेंगे।

(३) जी हां, दिनांक ३० सितम्बर, १९६८ तक सभी प्रकार की वसूलियां रोक दी गई हैं।

(४) यदि नियमानुसार फसल में कमी पाई जायगी तो ।

(५) उत्तर भाग ४ में आ चुका है ।

(६) पूर्णतया जांच हो जाने के बाद ।

निर्माण कार्यो हेतु दी गई राशि का उपयोग

६६८. **श्री मुवालाल चौधरी** (दूदू) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि सरपंच शादुलपुरा, पंचायत समिति दूदू को निम्न निर्वाण कार्यो हेतु पैसा मिला है :—

(१) स्योसिहपुरा स्कूल भवन हेतु १०००) रु०

(२) स्योसिहपुरा कूप निर्माण ५००) रु०

(३) सार्वजनिक कूप निर्माण १५०० रु० ।

(४) पंचायत भवन निर्माण शादूल-पुरा ५०००) रु०

(५) नया कूप निर्माण शादूलपुरा १५००) रु०

(६) सार्वजनिक कूप निर्माण स्यो-सिहपुरा १५००) रु०

(२) क्या यह सही है कि उक्त धन-राशि खर्च नहीं हुई है ? अगर हुई है तो मौके पर कितने रुपयों का कार्य हुआ हैं ?

(२) यदि उक्त धन का सदुपयोग नहीं हुआ है तो सरपंच के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ? और क्या अब इस ओर सरकार ध्यान देगी ?

(४) क्या उक्त मामलों में सरकार जिलाधीश के जरिए जांच कराने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उत्तर

(१) सरपंच को जो रकम दी गई उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(२) खर्च हुई रकम के बारे में सदन की मेज पर रखी सूचना में उल्लेख कर दिया गया है।

(३) राजकीय अनुदान का उपयोग हो चुका है।

(४) उप जिला विकास अधिकारी ने जांच की है ।

Page No.175

पंचायत समिति, दूदू में सरपंच सादुलपुरा को निर्माण कार्यों के लिए दी गई धनराशि का विवरण

क्र० सं०	निर्माण कार्य	दी गई धनराशि	कितनी राशि का कार्य हुआ हैं	विशेष विवरण
१	२	३	४	५
१.	स्कूल भवन श्योसिहपुरा	६००) रु०	लगभग ३,२००) रु० का कार्य हुआ है।	
२.	कूप निर्माण (मरम्मत) श्योसिहपुरा	२५०) रु०	लगभग ५००) रु० का कार्य हुआ है।	
३.	सार्वजनिक कूप निर्माण सम्मेलपुरा	७५०) रु०	लगभग ४,६३२) रु० का कार्य हुआ है।	
४.	पंचायत भवन निर्माण, शादुलपुरा	२,५००) रु०	लगभग ३,२००) रु० का कार्य हुआ है।	
५.	नया कूप निर्माण, शादुलपुरा	१४००) रु०	लगभग ३,०००) रु० का कार्य हुआ है।	
६.	नया कूप निर्माण, श्योसिहपुरा	१,५००) रु०	लगभग ४,०००) रु० का कार्य हुआ है।	

राजस्व पटवारियों का फिक्सेशन

६६६. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राजस्व पटवारियों का फिक्सेशन करते समय मैट्रिक एवं नोन मैट्रिक में फर्क माना है ?

(२) क्या यह सही है कि मान्यता प्राप्त हिन्दी परीक्षाओं को जो मैट्रिक के समान हैं, मैट्रिक नहीं माना है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां। किन्तु अब इस पर विचार होकर लैण्ड रेकार्डस् रूल्स में संशोधन करने का निर्णय लेने की कार्यवाही चल रही है।

आंवल-छाल की सहकारी समिति, सेवाड़ी को रकम की रसीद

६७०, श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि आंवल-छाल की सहकारी समिति, सेवाड़ी से रेंजर सादड़ीं ने ५००) रुपये मात्र ठेके की किश्त के लिये हैं ? यदि लिये हैं तो इस रकम की रसीद सहकारी समिति को दी गई है क्या ? यदि हां, तो रसीद नंबर व तारीख क्या है ?

(२) यदि रसीद नहीं दी गई है तो क्यों ?

(३) क्या इस मामले की जांच चालू है ? यदि हां, तो जांच की आज्ञा कब दी गई और अब उस जांच की स्थिति क्या है ?

उत्तर

(१) जी नहीं। रसीद देने का प्रश्न नहीं उठता।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत समिति फलौदी का आवास गृह

६७१. श्री दीपचन्द छंगाणी (फलौदी): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति फलौदी में जो आवास गृह बना उसमें क्या विकास अधिकारी भी रहे हैं ?

(२) उस मकान में बिजली पंचायत समिति की तरफ से है या विकास अधिकारी स्वयं ही भुगतान करते हैं ? क्या यह सही है कि आवास गृह में कोई मीटर नहीं है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) आवास गृह में कोई अलग से मीटर नहीं है। बिजली के खर्चे का भुगतान विकास अधिकारी स्वयं करते हैं।

Page No.177

भू-संरक्षण में व्यय की गई राशि

६७२. **श्री केसरीसिंह हाडा (हिण्डोली) :** क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला बूंदी में वन विभाग द्वारा जनवरी, १९६७ से मार्च ६७ तक की अवधि में ३३ लाख रुपये का व्यय भू-संरक्षण कार्य में किया गया है ?

(२) इसमें क्या क्या काम किये गये और यह रकम किस प्रकार खर्च की गई ?

उत्तर

(१) जी नहीं। बूंदी जिले में वन विभाग द्वारा भू-संरक्षण कार्य पर जनवरी, ६७ से मार्च ६७ तक ९८९१९) रु० १३ पैसे व्यय हुए।

(२) इसमें नरसरियों का संधारण, बाड़ कराई साईयां, खुदाई, बीज बुआई, पौध लगाई निदांई, गुड़ाई तथा पेडक्स में सामान्य संधारण के साथ चेक डेम व कन्टर डायक्स का निर्माण तथा बीड़ की दीवार बनाई गई। इन्हीं पर व्यय हुआ।

ग्राम पंचायत शिवतलाव के भू. पू. सरपंच के विरुद्ध आरोप

६७३. **श्री पृथ्वीसिंह (बाली) :** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत शिवतलाव, जिला पाली के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध पंचायत निरीक्षक एवं आडिट रिपोर्ट ६२-६३ व ६३-६४ में गबन के गंभीर चार्ज (आरोप) लगाये गये हैं ? यदि हां, तो कृपया आरोप की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त ऑडिट के आरोपों की जांच हेतु क्या क्या कदम उठाये गये हैं ? जांच किस अधिकारी द्वारा की गई है और ये गबन के मामले पुलिस को सौंप दिये गये हैं, अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक भेज दिये जावेंगे ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां। प्रारम्भिक जांच उप जिला निकास अधिकारी ने की थी अब यह मामला विस्तृत जांच में उप जिलाधीश बाली के यहां है, उप जिलाधीश बाली से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर केस पुलिस के देने पर विचार किया जा सकेगा।

Page No.178

श्री गोपालसिंह पूर्व सरपंच पंचायत शिवतलाब के विरुद्ध आरोप-पत्र

१. श्री गोपालसिंह पूर्व सरपंच पंचायत शिवतलाब के पंचायत भवन निर्माण हेतु सामान खरीदने के लिए दिनांक १४-४-६२ को जरिये रसीद एक हजार रुपये प्राप्त किये और ७० छीणो १० हजार इन्टे एवं छकड़े आदि में व्यय होना बतलाया है पर न तो यह सामान पंचायत के स्टाक रजिस्टर में जमा है और न मौके पर ही मौजूद हैं।

२. उक्त श्री गोपालसिंह ने पंचायत भवन निर्माण हेतु २२५०) रु० सात व्यक्तियों को दिनांक २३-१२-६४ को कमेटी बना कर ग्राम चुनाव के ठीक ७ दिन पहले दिये परन्तु उक्त कमेटी का निर्माण, धारा २१ (८) (४) के अनुसार कुल सदस्यों की दो तिहाई पंचों की उपस्थिति में पंचायत का प्रस्ताव पारित कर नहीं किया इसी प्रकार ४००) रु० दिनांक ३१-३-६३ को भी इस्माइल खां को छीणों के लिए दिये गये परन्तु अब तक कोई छीणों का पता नहीं है। इस प्रकार कुल २६५०) रु० का दुरुपयोग किया गया है।

३. उक्त श्री गोपालसिंह ने वाउचर संख्या ४१ दिनांक ५-६-६३ द्वारा ७००) रु० का भुगतान श्री सबलसिंह को पंचायत के लिए रेडियो खरीदने के लिए दिया गया परन्तु अब तक रेडियो नहीं आया है इस प्रकार इन्होंने ७००) रु० का दुरुपयोग किया है।

४. उक्त श्री गोपालसिंह ने वाऊचर संख्या २ दिनांक ४-४-६२ द्वारा ५००) रु० का भुगतान श्री लहरपुरी पुत्र रतनपुरी एवं श्री पूनमसिंह को स्कूल भवन निर्माण पेटे किया है मगर कोई सामान नहीं खरीदा गया है।

५. उक्त श्री गोपालसिंह ने काइन हाऊस की रसीद बुक नं० १ दिनांक १२-१०-६४ से दिनांक ४-२-६५ तक की जिसमें १० रसीदान काटी गई है नव निर्वाचित सरपंच को चार्ज में नहीं दी है।

६. उक्त श्री गोपालसिंह ने पंचायत का चार्ज समय पर न देकर डेढ़ माह बाद में दिया।

७. उक्त श्री गोपालसिंह ने कार्यवाही रजिस्टर में उपस्थित पंचों के कहीं हस्ताक्षर नहीं करवाए और कहीं कुछ के करा कर अवैधानिकता बरती है जैसा कि दिनांक ३०-१०-६३, ३१-५-६४ एवं १०-६-६४ की कार्यवाही से स्पष्ट है।

८. उक्त श्री गोपालसिंह ने निर्माण कार्य के लिए प्राप्त राशि पंचायत की कैश बुक में जमा नहीं की और न उसका हिसाब ही पंचायत में पेश किया है।

९. उक्त श्री गोपालसिंह ने काईन हाऊस के लिए ११७७) रु० का घास खरीदा परन्तु न स्टाक रजिस्टर में और न घास रजिस्टर में ही इन्द्राज किया गया।

आराजी में खड़े पेड़ों की खातेदार द्वारा निजी कार्यों के लिए कटाई

६७४. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि टिनेन्सी एक्ट की धारा ८४ के मुताबिक कोई भी खातेदार अपनी आराजी में खड़े हुए पेड़ को, कृषि कार्य एवं अपने घरू कार्य के लिए काटकर काम में ले सकता है ?

(२) क्या यह सही है कि खातेदार को अपने खेतो के व घरू कार्य के लिये पेड़ काटने की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है ?

(३) क्या यह सही है कि पटवारी कस्बा असनावर, जिला झालावाड़ ने तारीख ५-१-६८ से १०-१-६८ के बीच किसी दिन ऐसी मुश्तहरी गाव में ढोल द्वारा कराई कि कोई भी किसान अपनी आराजी में खड़े पेड़ को अपने खेती व घर के कार्य के लिये भी बिना मंजूरी लिये नहीं काटेगा ?

(४) यह मुश्तहरी तहसीलदार या अन्य अधिकारी के आदेश से करवाई गई है अथवा पटवारी द्वारा ही ? यदि पटवारी द्वारा ही करवाई गई, तो क्यों ?

उत्तर

१— जी हां, (खातेदार अपनी कृषि भूमी में से वृक्ष किसी कार्य के लिए काट सकता है परन्तु सीलिंग सीमा से अधिक भूमी में से नही काट सकता) (इस धारा में सन् १९६५ में संशोधन हो उसके अनुसार है, प्रतिलिपि संलग्न है) ।

२— खातेदार कृषक की अपनी खातेदारी की भूमी (holding) पर से पेड काटने हेतु स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है ।

३— जी हां । (पटवारी ने ग्राम बलाई को सरकारी पेड बिना इजाजत न काटने बाबत मुश्तहरी करने को कहा था परन्तु ग्राम बलाई ने खेतों मेरों के पेड़ बाबत मुश्तहरी करदी) ।

४— तहसील व अन्य अधिकारी द्वारा इस प्रकार की मुश्तहरी के कोई आदेश नहीं दिये गये । मुश्तहरी पटवारी द्वारा ही कराई गई है ।

THE RAJASTHAN TENANCY (AMENDMENT) ACT 1965.

(Act. No. 8 of 1965)

An

Act

Further amend the Rajasthan Tenency Act, 1965.

Be it enected by the Rajasthan State Legislature in the sixteenth Year of the Repnblic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 1965.

2. Amendment of section 36. Rajasthan Act 3 of 1955—In section 36 of the Rajasthan Tenency Act, 1955 (Rajasthan Tenancy Act 3 of 1955), hereinafter referred to as the principal Act—

(I) foı the words' up to a deprth of one yard from', the word' under shall be substituted, and

(II) the following proviso shall be insorted, namely:—

"provided that the exereise of this right by tenants may be regulated by rules made by the State Government in this behalf".

Page No.181

घग्घर नाली के टूट जाने के कारणों की जांच

६७५. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार-शहर) : या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) घग्घर नाली के एक ही बरसात में टूट जाने के कारण का पता लगाने के लिए सरकार के आश्वासन के अनुसार कमेटी नियुक्त की गई अथवा नहीं? यदि हां तो कब एवं किसकी अध्यक्षता में ?

(२) कमेटी के कार्य की क्या प्रगति है ? क्या कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ? यदि हां तो रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(३) क्या राज्य सरकार कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार दोषी पाये गए अधिका-कारियों और ठेकेदारों को दण्ड देने का इरादा रखती है ?

उत्तर

१- जी हां, दिनांक ११-६-६७ को कमेटी नियुक्त की गई थी किसके कन्वीनर श्री चन्द्र शेखर गुप्ता थे ।

रिपोर्ट

२- कमेटी ने तारीख २५-१२-६७ को देदी है जो सरकार के विचाराधीन है ।

३- यह रिपोर्ट अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

अतिवृष्टि से फसल को क्षति

६७६. श्री ओमदत्त भाटी (सरदार-पुरा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या सरकार के यह ध्यान में है कि जोधपुर के सरदारपुरा क्षेत्र में सूरपुरा और चोपासनी बंध में गत होली पर हुई बरसात के कारण उसमें खड़ी गेहूं की फसल व सब्जी को काफी नुकसान हुआ है ? यदि हां तो नुकसान कितने का हुआ और इस नुक-सान का कितना-कितना मुआवजा किसानों को दिया गया ?

(२) यदि मुआवजा अब तक नहीं दिया गया तो क्यों व अब कब तक उन्हें मुआवजा दे दिया जावेगा ?

उत्तर

१- ग्राम चोपासनी के बंध उम्मेद सागर के तालाबीं पेटे में ६ खेतों में माह मार्च में हुई वर्षा से ८ आना से १६ आना तक खराब हुआ है अर्थात् ६ खेतों में ५४ एकड़ में फसल बोई गई थी जिसमें ४६ एकड़ भूमि में फसल खराब हुई है । उक्त फसलों की कीमत लगभग ३१८७५ रुपये आंकी गई है । सूरपुरा बंध में खड़ी फसल में उक्त वर्षा से कोई नुकसान होने की सूचना नही है । जिन कृषकों की फसलों में नुकसान हुआ है उनको मुआवजा देने का तो कोई प्रावधान नही है पर लगान करने के प्रस्ताव विचाराधीन है जिस पर नियमानुसार कार्य-वाही की जावेगी ।

२- मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

परिशिष्ट ४

(तारांकित प्रश्न संख्या ६५८ की सूची)

सूची जिन सरपंचों के विरुद्ध गबन के मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं।

नाम जिला	क्र०सं०	नाम	पद	नाम पंचायत	निलंब का विवरण
१	२	३	४	५	६
अजमेर	१–	श्री चान्दमल	सरपंच	कानाखेडी	निलंबित है।
	२–	,, अहमद	,,	बिटूर	निलंबित नहीं है।
सीकर	३–	,, उमरावसिंह	,,	चीपलटा	,, ,,
सवाई माधोपुर	४–	,, मौदूराम	,,	गावडामीना	,, ,,
	५–	,, अर्जुनसिंह	,,	गढहिम्मतसिंह	,, ,,
	६–	,, जमील अहमद	,,	जवीरपुर	,, ,,
जयपुर	७–	श्री बालकदास	,,	नारहेडा	निलंबित है।
	८–	,, बीनाराम	,,	कौलाना	निलंबित नहीं है।
टौंक	९–	,, हरभजन	,,	सुरेली	निलंबित है।
	१०–	,, रतनसिंह	,,	गनवर	,, ,,
	११–	,, रूपनारायण	,,	कलमंडा	निलंबित नहीं है।
बीकानेर	१२–	,, कानीराम	,,	गिरजासर	,, ,,
	१३–	,, नारायणसिंह	,,	कवकु	,, ,,
	१४–	,, बालूसिंह	,,	उदासर	,, ,,
गंगानगर	१५–	,, आदराम	,,	स्यालीवावा	निलंबित है।
	१६–	,, अजीतसिंह दुगल	,,	६० जी–बी	,, ,,

Page No.183

१	२	३	४	५	६
	१७– ,,	कैलासिंह	,,	रामपुरा	निलंबित नहीं है ।
	१८– ,,	खुमाराम	,,	बिसरासर	,, ,,
बांसवाडा	१९– ,,	रामलाल	,,	पीपलखूंट	,, ,,
	२०– ,,	नाथूसिंह	,,	धनाली	,, ,,
	२१– ,,	नारायण	,,	घोडीतेजपुर	,, ,,
	२२– ,,	मैगजी	,,	-खंडीग्रडीलपाडा	,, ,,
	२३– ,,	गोपालसिंह	,,	नयागांव	,, ,,
	२४– ,,	हकरीया	,,	टाडामंगला	,, ,,
झालावाड	२५– ,,	किशनलाल	,,	पगारिया	,, ,,
	२६– ,,	रतनसिंह	,,	तरावली	,, ,,
	२७– ,,	तुलसीराम	,,	शेरपुर	,, ,,
	२८– ,,	कन्हैयालाल	,,	भूमकी	,, ,,
	२९– ,,	भैरूलाल	,,	दंवरीकलां	,, ,,
	३०– ,,	लक्ष्मीनारायण	,,	मैढुन	,, ,,
	३१– ,,	घीसालाल	,,	करलगांव	,, ,,
	३२– ,,	माधोलाल	,,	पचील	,, ,,
सवाई माधोपुर	३३– श्री	हंसराम	सरपंच	रोडकला	निलंबित हैं
जोधपुर	३४– श्री	गुमनसिंह	,,	शेरगढ	निलंबित नहीं है ।
	३५– श्री	बर्नेसिंह	,,	लूणा	,, ,,

———

परिशिष्ट ५

(अतारांकित प्रश्न संख्या ३०३ की सूची)

स्थायी पद

	१-११-५६	१-७-५६	२८-१०-६३	योग	व्यक्ति जो स्थायी किये गये
१	२	३	४	५	६
राजपत्रित	७	१३	१०	३०	३०
सबोर्डिनिट	१	२	७	१०	७
मिनिस्ट्रियल	१६	५६	४६	१२१	८६
चतुर्थ श्रेणी	१४	२७	१७	५८	५०
योग	३८	१०१	८०	२१६	१७६

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक १६ मार्च, १९६८)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
६	६	में	ने
,,	११	डिस्किट	डिस्ट्रिक्ट
१०	८-९	उदथपुर	उदयपुर
११	३	डिपार्टमेंट	डिपार्टमेंटल
१२	१७	कम	रकम
१५	४	की	को
१६	२	का	के
१७	५	का	के
१८	१५	मसुदा	मसूदा
२३	शिर्षक	रांकित	तारांकित
,,	१२	भू कात	गोचर भूमि में काश्त
२४	अन्तिम से ८	१ में	१ के
२८	१९	से	को
३०	१	श्री उपान्यक्ष	श्री उपाघ्यक्ष
,,	१०	नाले	वाले
३२	१	जब की	जब कि
३५	शीर्षक	२२ मार्च, १९६८	१९ मार्च, १९६८

(२)

१	२	२	४
३५	३	रोहर)	(नोहर)
,,	अन्तिम से ४	उनका	उनको
३७	७,६,११,२०	:	.
३८	२२	डेट्रोरियोट	डिटेरियोरेट
३६	अन्तिम से ६	नियामों	नियमों
४७	११	उन्हाल	उन्हालू
,,	८	सुपुर्दारान	सुपुर्ददारान
५०	६	की	कि
,,	अन्तिम से ८	अवाज	आवाज
५२	२	कव	कब्र
५३	अन्तिम	वनाने	बनाने
५५	१६	पत्र निगम	पत्र पर निगम
,,	अन्तिम से ७	समुह	समूह
५७	,, ७	दंगे	दंगे
५८	,, ६	प्रेसेक्रइब्ड	प्रेसक्राइब्ड
५६	१५	पोलिटिक्ल	पोलिटिकल
६२	५	वषों	वर्षों
६६	६	कर्या	कार्य
७२	३	दया	गया
७३	अन्तिम	लाग	लागू
८०	७	ऊत्तर	उत्तर

१	२	३	४
८०	१४	आरीक्षत	आरक्षित
८४	६	कर्य	कार्य
८५	१०	हिनों	हीनों
,,	१५	मुस्कील	मुस्तकिल
,,	१६	श्री देवेन्द्र कुमार मीरण	श्री देवेन्द्र कुमार मीणा
८७	६	अन्तगंत सड़कों	अन्तर्गत सड़कों
८८	७	५५–६६	६५–६६
,,	अन्तिम से ७	उरता	उठता
८६	,, ४	निम्म	निम्न
६०	१	कारवाई	करवाई
,,	११	(डायल)	(जायल)
६३	१५	प्रस्थाव	प्रस्ताव
६८	अन्तिम से ६	कुठारागात	कुठाराघात
६६	शीर्ष	(श्री भैरोंसिंह)	(श्री उपाध्यक्ष)
१०१	१७	समक्ष	समकक्ष
१०४	२	समकक्षा	समकक्ष
११३	अन्तिम से ३	फरोक्त	फरोख्त
११४	,, ८	अन्यावश्यक	अनावश्यक
१२५	,, २	वसूली विभाग	वसूली में विभाग
१२६	,, ३	दुग्घ	दुग्ध
	,, २	का	के

१	२	३	४
१२६	अन्तिम ७	रुपयों के घोटाले पर चर्चा के लिये	—
१३०	अन्तिम	शीर्ष्कक	शीर्षक
१३१	अन्तिम से २	योजनाओं से सम्बन्धी	योजनाओं सम्बन्धी
,,	अन्तिम	अनुनमोदन	अननुमोदन
१३२	५	घंटा	घटा
,,	८	अनुनमोदन	अननुमोदन
,,	अन्तिम से ६	मांग से	मांग में से
१३३	,, ६	वुल पैक	वूलपैक
१३४	,, ११	अधीकारी	आबकारी
१३५	अन्तिम	को	की
१३८	१५	अनुनमोदन	अननुमोदन
१३६ से ३५८	शीर्षक	अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर विचार	अनुदानों की मागों पर विचार
१३६	८	प्रडूयस	प्रोड्यूस
१४०	६ व ११	प्रडूयूसर	प्रोड्यूसर
,,	अन्तिम से ८	पड़ता	पड़ती
१४१	,, ४	वगेरा	बगैरह
१४३	६ व १०	के बसे हुए व्यापारी को गल्ला खरीदना पड़ता है	—
१४४	२	हे	है
१४५	३	महत्वता	महत्ता

१	२	३	४
१४७	३	क	का
१४६	३	श्री प्रद्यम्नसिंह	श्री प्रद्युम्नसिंह
१५४	अन्तिम से ४	क्वागत	स्वागत
१६१	२०	व्वापार	व्यापार
,,	अन्तिम से ३	हो	है
१६३	अन्तिम से ७	भीषम	भीष्म
१६५	३	शाहूकार	साहूकार
१६६	३	सी	की
,,	८	समाजवादी	समाजवाद
१७०	७	ममझाया	समझाया
,,	२१	डूंगरयुर	डूंगरपुर
१७१	६	बान्ध	बांध
१७२	अन्तिम से ३	तन्ख्वा	तन्ख्वाह
१७८	१५ व १६	६६ । ६७	६६.६७
१८१	अन्तिम से ६	यह ठकुर	यहां ठाकुर
१८४	१४	पीई	पी
१६०	८	क्या	के
१६१	अन्तिम से ७	तवजह	तवज्जह
१६२	,, ५	रिप्रजेन्ट हैं	रिप्रजेन्ट करते हैं
१६६	१०	आई. ए. ए. स.	आई. ए. एस.
२०३	१२	उनके ऊपर आप यह आप यह	उनके ऊपर आप यह

१	२	३	४
२०३	अन्तिमसे५व६	मार्गदशन	मार्गदर्शन
२११	१६	न्यायलय	न्यायालय
,,	अन्तिम से ३	श्रोर	ओर
२२०	१५	परेशन	परेशान
२२१	अन्तिम से ७	व्यपारी	व्यापारी
२२४	२	अपको	आपको
२२७	अन्तिम से ११	रख वली	रखवाली
२२६	,, १३	मंविधान	संविधान
२३४	१	चहे	चाहे
२३५	शीर्ष	(श्री रामचन्द्र अर्य)	(श्री रामचन्द्र आर्य)
,,	अन्तिम से १३	यापार	व्यापार
,,	अन्तिम	इनक्रो	इनको
२८६	अन्तिम से १२	सिन्सीयेरिटी	सिन्सियेरिटी
२८६	७	हम्पोर्टेड	इम्पोर्टेड
,,	१३	बन्य	बन्द
,,	अन्तिम से ६	प्रोड्यसर	प्रोड्यूसर
,,	,, ५	हैरेसमेन्टे	हैरेसमेन्ट
२६०	,, ११,४	डेफीसट	डेफीसिट
,,	१८	सिथिति	स्थिति
,,	२०	हुऐ	हुए
,,	[illegible]न्तम से ५	परचेंच	परचेज

१	२	३	४
२९२	१	सेनटर	सेन्टर
,,	१६	इफ	इस
,,	अन्तिम से ११	परस्यूक्शन	परस्यूएशन
२९३	८	डिर्स्टव	डिस्टर्ब
२९५	अन्तिम से १४	बगेढ़ें	बढेंगे
३०१	अन्तिम	इक्त्रिपियेन्ट	इक्विपमेन्ट
३०४	११	मण्थुर	माथुर
३०५	३	रजिव	रजि-
३०७	३	मुटभेड़	मुठभेड़
३१०	अन्तिम से ७	श्री रशनलाल	श्री रोशनलाल
,,	,, ५	मथुरादास	श्री मथुरादास
३११	,, ३	अजनेर	अजमेर
३१६	२०	अलम-अलग	अलग-अलग
३३२	अन्तिम से २	......वार	बुधवार
३३७	१६	हटावा	हटाया
३४१ से ३५८	शीर्षक	अनुदानों की मांगो पर विचार	परिशिष्ट
३४३	१३	निर्वाण	निर्माण
३५९	८	श्री उमरालसिंह	श्री उमरावसिंह
३६१	अन्तिम से २	श्री गुमनसिंह	श्री गुमानसिंह
३६३	,,	सबोर्डिनिट	सवोर्डिनेट

परिशिष्ट ६

(अतारांकित प्रश्न संख्या ३०४ की सूची)

सूची

सड़क का नाम	लम्बाई	अनुमानित राशि		व्यय	
		६५–६६	६६–६७	६५–६६	६६–६७
१–दूनी से नगर	२१ मील	१५०००	९३०००	१०१	४९००६१
२–घाघोली से राजकोट	१४ मील	—	१३४०००	—	१०४५४१
३–सथली से राजमहल	६ मील	—	१०८०००	—	४८४७८